सत्यमेव जयते

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

विषय -सूची

अध्याय संख्या	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	सिंहावलोकन	1-12
2	कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा	13-31
3	निर्यात संवर्धन	32-35
4	कच्ची सामग्री सहायता	36-67
5	प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता	68-72
6	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए योजना	73-92
7	अवसंरचना हेतु सहायता	93-97
8	तकनीकी वस्त्र	98-101
9	क्षेत्रगत योजनाएं	102-131
10	वस्त्र क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संबंधी पहलें	132-133
11	राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग	134-135
12	एससी/एसटी, महिलाओं तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय	136-139
13	सतर्कता क्रियाकलाप	140-141

अध्याय I

सिंहावलोकन

1.1 भारतीय वस्त्र उद्योग, चीन के बाद एमएमएफ फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में वस्त्र और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातिक है। भारत का वस्त्र और क्लोदिंग उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। भारत के कुल निर्यात व्यापार में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल (टीएंडए) की हिस्सेदारी 2021-22 में काफी अधिक 10.5%रही है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4.6% है। भारत के लिए प्रमुख वस्त्र और परिधान निर्यात देश यूएसए, ईयू-27 और यूके हैं, जो भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात का लगभग 50% है। रोजगार की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यह लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है और लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल है। इस क्षेत्र में सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण युवा रोजगार की महत्वपूर्ण पहलों के साथ सुयोजन है।

भारत के विकास को समावेशी तथा सहयोगी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य जोर वस्त्र क्षेत्र में सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना, नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, कौशल तथा परपंरागत शक्तियों को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण में वृद्धि करना रहा है। कुछ प्रमुख पहलें तथा मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1.2 निर्यात

भारत दुनिया में वस्त्र और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातिक है। भारत का वस्त्र और परिधान उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। भारत के कुल निर्यात व्यापार में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल (टीएंडए) की हिस्सेदारी 2021-22 में काफी अधिक 10.5%रही है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेएदारी 4.6% है।

भारत के लिए प्रमुख वस्त्र और परिधान निर्यात गंतव्य यूएसए, ईयू-27 और यूके हैं, जो भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात का लगभग 50% है। रोजगार की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यह लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है और लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल है।

1.3 कच्चे माल की सहायता

क. कपास

कपास सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है और यह कुल वैश्विक फाइबर उत्पादन का लगभग 21% है। भारतीय वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की खपत में कपास का अनुपात लगभग 60% है। कपास की खपत प्रति वर्ष 316 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किग्रा.) से अधिक की होती है। भारत लगभग 119.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती के मामले में विश्व में प्रथम स्थाान पर है जो 326.36 लाख हैक्टेयर वैश्विक क्षेत्रफल का लगभग 36% है। लगभग 62% भारतीय कपास का उत्पादन वर्षा आधारित क्षेत्रों में और 38% सिचिंत भूमि पर किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की उत्पादकता 445 किग्रा./हैक्टेयर थी। भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातिक के रूप में उभरा है।

जीवन की मूलभूत आवश्यकता अर्थात क्लोदिंग जो भोजन के बाद दूसरा है, का प्रदाता होने के अलावा, कपास, कच्ची कपास, मध्यवर्ती उत्पादों जैसे यार्न और फेब्रिक तथा परिधान, मेड-अप्स और निटवियर के रूप में अंतिम तैयार उत्पादों का निर्यात करके भारत की कुल विदेशी मुद्रा में सर्वाधिक योगदान करता है। भारत में इसके आर्थिक महत्व के कारण, इसे "सफेद सोना" भी कहा जाता है।

कपास, लगभग 5.8 मिलियन कपास किसानों तथा कपास प्रसंस्करण तथा व्यापार जैसे संबंधित क्रियाकलापों में लगे 40-50 मिलियन लोगों की आजीविका को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कपास उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने कपास के दो आधारभूत स्टेपल समूहों अर्थात मध्यम स्टेपल और लंबी स्टेपल वाली कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया है।

वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) प्रचलित बीज कपास (कपास) के मूल्यों के एमएसपी स्तर तक पहुंच जाने पर एमएसपी अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है।

वैश्विक महामारी के कारण, सीसीआई को पिछले दो वर्षों अर्थात 2019-20 के दौरान बड़े पैमाने पर एमएसपी अभियान चलाना पड़ा, एमएसपी अभियान के तहत 33,500 करोड़ रुपये मूल्य की 124.60 लाख गांठों की खरीद की गई, जिससे 25 लाख कपास किसानों को लाभ हुआ। जबकि 2020-21 के दौरान, एमएसपी के तहत खरीद परिचालन 99.33 लाख गांठ था, जिसका मूल्य 28,800 करोड़ रुपये था, जिससे 20.50 लाख कपास किसानों को लाभ हुआ। हालांकि, 2021-22 में किसानों को बाजार की शक्तियों से ही एमएसपी से ऊपर बेहतर कीमत मिली और एमएसपी अभियान चलाने के लिए सीसीआई के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

ख. पटसन

पटसन उद्योग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के प्रमुख उद्योगों में से एक है। यह अनुमान लगाया गया है कि पटसन उद्योग कृषि क्षेत्र में 40 लाख किसान परिवारों को, संगठित मिलों में 2 लाख कामगारों को, मूल्य वर्धित विविधीकरण में 2 लाख व्यक्तियों को और टर्शियरी और संबद्ध क्षेत्रों में 3 लाख व्याक्तियों को सीधे रोजगार प्रदान करता है।

दिनांक 01.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 102 कम्पोजिट पटसन मिलें हैं, जिनमें से पश्चिम बंगाल राज्य में 73 पटसन मिलें, आंध्र प्रदेश में 14 मिलें, उत्तर प्रदेश में 3 मिलें, बिहार में 4 मिलें, उड़ीसा में 3 मिलें, असम में 2 मिलें, छत्तीसगढ़ में 2 मिलें और त्रिपुरा में 1 जूट मिल है। स्वामित्व-वार 6 मिलें भारत सरकार के अधीन हैं, 1 मिल क्रमशः त्रिपुरा और उड़ीसा सरकार के स्वामित्व में है, असम स्थित 1 मिल सहकारी क्षेत्र में है और शेष 93 मिलें निजी स्वामित्व में हैं।

भारत सरकार पटसन उत्पादकों को न केवल भारतीय पटसन निगम द्वारा संचालित एमएसपी अभियानों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराती है, बल्कि पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों को लागू करके खाद्यानो की पैकिंग के लिए प्रति वर्ष लगभग 9563.61 करोड़ रुपए के मूल्य के पटसन बोरों की सीधी खरीद के माध्यम से भी पटसन उत्पादकों को सहायता उपलब्ध कराती है। यह न केवल पटसन किसानों बल्कि पटसन मिल कामगारों के लिए भी एक बहुत बड़ी सहायता है।

दिनांक 1 नवंबर, 2016 से पटसन सैकिंग की खरीद के लिए एक ई-प्लेटफॉर्म 'जूट-स्मार्ट' (जूट सैकिंग आपूर्ति प्रबंधन एवं रिक्वीजिशन टूल) को क्रियान्वित किया गया है। फिलहाल, 'जूट-स्मार्ट' सॉफ्टवेयर प्रचालनशील हो गया है और पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि की ओर से एसपीए द्वारा जनवरी 2023 तक जूट-'स्मार्ट' के माध्यम से 58.37 हजार करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य की 183.83 लाख गांठों के मांग पत्र पहले ही प्रस्तुत किए गए हैं और विभिन्न मध्यस्थों को शामिल करके कई पटसन मिलों की ओर से 6 राज्यों में स्थित पटसन मिलों को इन गांठों के पीसीएसओ प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

प्रमाणित बीजों, बेहतर कृषि संबंधी क्रियाकलापों और पटसन पौधों का पुन: प्रयोग करके माइक्रोबियल के प्रयोग को बढ़ावा देकर पटसन किसानों की आय में कम-से-कम 50% तक वृद्धि करने के लिए जूट-आई केयर की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

पटसन क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन संबंधी योजनाओं को मुख्य रूप से राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है जो पटसन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए सृजित एक सांविधिक निकाय है।

ग. रेशम

रेशम एक कीट फाइबर है जिसमें चमक, ड्रेप और मजबूती होती है। इन विशिष्ट विशेषताओं के कारण रेशम को विश्व भर में 'वस्त्र की रानी' के रूप में जाना जाता है। भारत, प्राचीन सभ्यता की भूमि रही है और इसने विश्व को कई चीजें प्रदान की हैं, रेशम भी उनमें से एक है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इसके बावजूद, भारत ही केवल एक ऐसा देश है जो 5 मुख्य वाणिज्यिक किस्मों वाले रेशम अर्थात मलबरी, ट्रापिकल एवं ओक तसर, मूगा और एरी का उत्पादन कर रहा है। भारतीय रेशम उद्योग की मुख्य विशेषता, इसकी उच्च रोजगार क्षमता, कम पूंजी आवश्यकता है और यह रेशम उत्पादकों को लाभकारी आय प्रदान करता है।

भारत 34,903 मी.ट. रेशम के उत्पादन के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। उत्पादन की गई रेशम की चार किस्मों में, शहतूत 73.97% (25,818 मीट्रिक टन), तसर 4.20% (1,466 मीट्रिक टन), एरी 21.10% (7,364 मीट्रिक टन) और मुगा 0.73% (255 मीट्रिक टन) के कुल कच्चे रेशम उत्पादन का 34,903 मीट्रिक टन है। बाइवोल्टाइन कच्ची रेशम के उत्पादन 2020-21 के दौरान 6,783 मीट्रिक टन से 2021-22 के दौरान 17.07% बढ़कर 7941 मीट्रिक टन हो गया है। इसके अलावा, वन्य सिल्क के तहत, तसर उत्पादन 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान 45.48% कम हो गया है, इसका मुख्य कारण प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ और फसल के मौसम के दौरान अनियमित वर्षा है। तथापि, वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान एरी और मूगा सिल्क के उत्पादन में क्रमशः 6% और 6.7% की वृद्धि हुई है।

घ. ऊन

ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने 'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम' (आईडब्यू डीपी) के युक्तिकरण और इसे जारी रखने का अनुमोदन दिया था, जिसे स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा दिनांक 15.06.2021 को आयोजित इसकी बैठक में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत अनुमोदित किया गया है। आईडब्ल्यूडीपी योजना का उद्देश्य, प्रौद्योगिकीय पहलों और ऊन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों को अनुकूलित करके भारत को एक प्रतिस्पर्धी और ऊनी उत्पाद के गुणवत्तापरक निर्माता/ आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना है ऊन क्षेत्र के विभिन्न खंडो में शामिल है :- (i) राज्य सरकार की कच्ची ऊन खरीद क्षमता को बढ़ाकर ऊन आपूर्ति श्रृंखला को सुमेलित करना और बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज को बढ़ाना, (ii) ऊन उद्योग को ऊन उत्पादकों से जोड़ने के लिए सुविधाएं बनाना, (iii) एक्सपो के माध्यम से छोटे ऊनी उत्पाद निर्माण के लिए विपणन मंच प्रदान करना, (iv) ऊन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मशीन शियरिंग के माध्यम से अधिक भेड़ों को शामिल करना, (v) आधुनिक ऊन प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना करके तैयार ऊनी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना, (vi) ऊन परीक्षण, बेल बनाने की सुविधाएं और ऊनी उत्पादों के निर्माण के लिए उपकरण प्रदान करना, (vii) मोटे ऊन का उपयोग और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों में ऊन का उपयोग, (viii) हस्तनिर्मित पारंपरिक डिजाइन की गुणवत्ता वाले ऊनी उत्पादों के निर्माण के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण करना (ix) पश्मीना और कालीन ग्रेड वाली ऊन की ब्रांडिंग और (x) हिमालयी क्षेत्र में पश्मीना ऊन क्षेत्र का विकास करना।

ड. मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ):

चीन के बाद भारत मानव निर्मित फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मानव निर्मित फाइबर मूल्य श्रृंखला कच्चे माल से तैयार माल तक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिंकेज के साथ लंबवत रूप से एकीकृत है। वैश्विक स्तर पर एमएमएफ की खपत प्रमुख है जबकि भारत परंपरागत रूप से सूती वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। इसलिए, उच्च वैश्विक एमएमएफ हिस्सेदारी की ओर बढ़ने के लिए, सूती वस्त्रों के साथ-साथ मानव निर्मित वस्त्रों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हो गया है। मंत्रालय ने मानव निर्मित फाइबर की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और सिफारिश करने के लिए 17 जनवरी 2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एमएमएफ पर वस्त्र सलाहकार समूह की स्थापना की है। वित्त वर्ष 2021-22के दौरान भारत का एमएमएफ वस्त्र और परिधान का निर्यात 9.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसमें आगे और वृद्धि होने की संभावना है। सरकार ने वीएसएफ के उप-ग्रेड के आयात पर अंकुश लगाने के लिए 29 दिसंबर 2022की राजपत्र अधिसूचना के तहत विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) के आयात पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) भी जारी किया है।

1.4. प्रौद्योगिकी सहायता

प्रौद्योगिकी उन्नयन संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):

एटीयूएफएस को जनवरी, 2016 में 17,822 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2022 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए के नए निवेश को जुटाने तथा लगभग 35 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार एटीयूएफएस के तहत लगभग 69160 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से कुल 14389 यूआईडी जारी किए गए हैं। एटीयूएफएस क्रेडिट लिंक्ड पूंजी निवेश सब्सिडी के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

1.5 कौशल प्रशिक्षण के लिए सहायता

समर्थ को आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हेल्पलाइन नंबर के साथ समर्पित कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रशिक्षण प्रक्रिया की ऑन-लाइन निगरानी आदि जैसी विकसित सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई व्यापक कौशल प्रशिक्षण रूपरेखा के तहत तैयार किया गया था।

कार्यान्वयन और निगरानी में आसानी के लिए एक मजबूत प्रणाली को लागू करने के प्रयास के साथ हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समर्थ के तहत प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने, प्रस्तावों के ऑनलाइन डेस्क मूल्यांकन, प्रशिक्षण केंद्रों का मोबाइल ऐप समर्थित भौतिक सत्यापन, आधार प्रमाणन के पश्चात प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन पंजीकरण, एईबीएएस, मूल्यांकन के लिए अलग मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने आदि के प्रावधानों को शामिल करते हुए एंड टु एंड सौल्यूशन के साथ एक सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म का प्रचालन किया गया है।

1.6 अवसंरचना का विकास

पीएम-मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल पार्क (पीएम-मित्र)

(i) प्रस्तावना: वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने अक्टूबर 2021 में पीएम-मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल पार्क (मित्र): योजना की शुरूआत की है ताकि भारतीय वस्त्र उद्योग को प्रचालन के समर्थकारी पैमाने के माध्यम से, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर लाकर व्यवस्था संबंधी लागत को कम करके, निवेश आकर्षित करके, रोजगार का सृजन करके और निर्यात क्षमता में वृद्धि करके मजबूत किया जा सके। यह योजना वस्त्र उद्योग की समग्र मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़ा पैमाना और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना की सुविधा विकसित करेगी, उदाहरण के लिए, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान, वस्त्र निर्माण, प्रसंस्करण और प्रिंटिंग मशीनरी उद्योग। इन पार्कों को उन स्थलों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिनमें वस्त्र उद्योग के विकसित होने के लिए अंतर्निहित क्षमता है और सफल होने के लिए आवश्यक लिंकेज हैं। इस योजना में समयबद्ध तरीके से शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का लाभ उठाने की परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार इच्छुक राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करके ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों में 7 पीएम-मित्र पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। इस योजना से 2021-22 से 2027-28 तक की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित एक आधुनिक, एकीकृत बड़ा पैमाना, विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण होगा।

(ii) उद्देश्य: संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 9 ("लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, स्थायी औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने") को प्राप्त करने में भारत की मदद करने के लिए पीएम मित्र पार्क की परिकल्पना की गई है। यह योजना वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़ा पैमाना और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा विकसित करने के लिए है। यह लॉजिस्टिक की लागत को कम करेगी और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगी। यह योजना भारत को निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और वैश्विक वस्त्र बाजार में खुद को मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगी। इन पार्कों को उन स्थलों पर स्थित करने की परिकल्पना की गई है, जिनमें वस्त्र उद्योग के समृद्ध होने की अंतर्निहित शक्ति है और सफल होने के लिए आवश्यक लिंकेज हैं।

(iii) प्रोत्साहन योजना की संरचना

(क) ग्रीनफ़ील्ड और ब्राउनफ़ील्ड पीएम मित्रपार्क- ग्रीनफ़ील्ड पीएम मित्र और ब्राउनफ़ील्ड पीएम पार्क के विकास के लिए, भारत सरकार की ओर से क्रमशः ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पीएम मित्र के लिए अधिकतम 500 करोड़ रु. और 200 करोड़ रुपए प्रति पार्क की सहायता प्रदान करके परियोजना लागत का 30% की दर से **विकास पूंजी सहायता (डीसीएस)**का प्रावधान है। डीसीएस महत्वपूर्ण अवसंरचना अर्थात विकसित फैक्ट्री साइट्स, प्लग एंड प्ले सुविधा, इन्क्यूबेशन सेंटर, सड़कें, बिजली, पानी और सहायक बुनियादी सुविधा जैसे सामान्य प्रसंस्करण केंद्र, एवं सीईटीपी, कामगार हॉस्टल और मकान, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग, मेडिकल सुविधाएं, प्रशिक्षण और कौशल विकास सुविधाओं के निर्माण के लिए एक सहायता है। दुकानों और कार्यालय, शॉपिंग मॉल, होटल और कन्वेंशन सेंटर जैसे वाणिज्यिक

विकास के लिए पार्क के 10% क्षेत्र का उपयोग करने का प्रावधान है।

(ख) प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) –

पीएम मित्र में निर्माण इकाइयों को जल्दी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विनिर्माण इकाइयों को पहली बार कुल बिक्री कारोबार का 3% तक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है। यह केवल उन निर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो वस्त्र की पीएलआई योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं और यह तब तक उपलब्ध रहेगा जब तक पीएम मित्र पार्क के लिए प्रदान की गई धनराशि समाप्त नहीं हो जाती।

(iv) गवर्नेंस

ग्रीनफील्ड पार्कों के लिए परियोजना का नेतृत्व और स्वामित्व प्रत्येक पीएम मित्र पार्क के लिए इस उद्देश्य हेतु बनाए गए उस विशेष प्रयोजन तंत्र के पास होगा जिसकी प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपए होगी। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। भारत सरकार पीएम मित्र पार्क के तहत स्थापित किए जाने वाले एसपीवी की प्रदत्त पूंजी के 49% इक्विटी का भुगतान करेगी और भाग लेने वाली राज्य सरकार प्रदत्त पूंजी का 51% भुगतान करेगी। राज्य सरकार वस्त्र/उद्योग की देखभाल करने वाले विभाग के प्रशासनिक सचिव को एसपीवी के सीईओ के रूप में नियुक्त करेगी। राज्य सरकार सिम्बालिक नोशनल प्राईज़ पर एसपीवी को भूमि हस्तांतरित करेगी और पीएम मित्र पार्क के विकास और रखरखाव के लिए पीएम मित्र पार्क में निवेश के लिए एसपीवी/मास्टर डेवलपर द्वारा लाभ उठाने के लिए इस भूमि संपत्ति का उपयोग रियायत अवधि में किया जाएगा। इस भूमि के विशिष्ट उपयोग के लिए नियम और तौर-तरीके भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आरएफपी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के निर्माण के माध्यम से तय किए जाएंगे। सचिव (वस्त्र), भारत सरकार को एसपीवी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। भारत सरकार परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। यह इससे संबंधित कार्य का समन्वय करने के लिए एक मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक पीएमयू स्थापित करेगा।

ब्राउनफील्ड पार्कों के मामले में, एसपीवी का मौजूदा शेयरहोल्डिंग पैटर्न जारी रहेगा और मौजूदा एसपीवी पीएम मित्र पार्क को क्रियान्वित करेगा।

(v) परिचालनात्मक मॉडल: पीएम मित्र पार्क को डिजाइन - बिल्ड - फाइनेंस - ऑपरेट - ट्रांसफर (डीबीएफओटी) प्रारूप पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारित मास्टर डेवलपर (एमडी) मॉडल में विकसित किया जाएगा। हालांकि, भारत सरकार के अनुमोदन से असाधारण स्थिति में निजी डेवलपर की सीमित भागीदारी वाले सरकारी एसपीवी के नेतृत्व वाले मॉडल या हाइब्रिड मॉडल जैसे अन्य मॉडल पर भी विचार किया जा सकता है।

(vi) पात्रता एवं रूपरेखा: पीएम मित्र पार्क की स्थापना, न्यूनतम 1000 एकड़ के निकट और बाधा मुक्त तैयार भूमि की उपलब्धता वाले राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की जाएगी। राज्य सरकार कल्पित मूल्य पर विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) को भूमि हस्तांतरित करेगी। उच्च मानक विनिर्देशों वाले पार्कों के विकास और रखरखाव के लिए पीएम मित्र पार्कों में निवेश का लाभ उठाने/निवेश आकर्षित करने के लिए भूमि संपत्ति का उपयोग किया जाएगा। पीएम मित्र पार्क परियोजना को लागू करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्थापित एसपीवी एक वैध इकाई (राज्य सरकार की 51% इक्विटी शेयरहोल्डिंग और केंद्र सरकार की 49% हिस्सेदारी के साथ) होगी।

1.6.2 वस्त्र कलस्टर विकास योजना (टीसीडीएस)

भारत में वस्त्र उद्योग परस्पर निर्भर कलस्टरों के रूप में विकसित हुआ है। इनमें से कुछ क्लस्टर आधुनिकीकरण नहीं कर पाए हैं और बदलते परिवेश के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं और पुरानी और अप्रचलित तकनीक और मशीनों के साथ काम कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों में अक्षमता और कम उत्पादकता होती है। इस प्रकार, एक मजबूत नीति द्वारा समर्थित समग्र क्लस्टर विकास मॉडल वस्त्र मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और चक्रीयता को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उपर्युक्त मुद्दे का समाधान करने के लिए, मंत्रालय 2021-22 से 2025-26 तक वस्त्र कलस्टर विकास योजना(टीसीडीएस) को लागू कर रहा है ताकि मौजूदा और भावी वस्त्र इकाइयों के लिए एक एकीकृत कार्य क्षेत्र और लिंकेज-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके जिससे वे परिचालन में आ सकें और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो सकें। टीसीडीएस का क्लस्टर विकास मॉडल पहलों के अनुकूलन, संचालन में बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, विनिर्माण में

प्रतिस्पर्धात्मकता, लागत कुशल, प्रौद्योगिकी और सूचना की बेहतर सुविधा आदि के लिए काफी लाभदायक होगा। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस योजना का कुल परिव्यय 853 करोड़ रुपये है। ।

टीसीडीएस में निम्नलिखित घटक हैं:

(i) समूह वर्कशेड योजना (जीडब्यू एस): इस योजना का उद्देश्य आधुनिक बुनाई मशीनरी के साथ विद्युतकरघा के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है ताकि वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। संशोधित योजना के अनुसार, वर्कशेड के निर्माण के लिए सब्सिडी अधिकतम 400/- रुपये प्रति वर्ग फुट, जो भी कम हो,के अध्यधीन, निर्माण की इकाई लागत के 40% तक सीमित होगी। आमतौर पर, कम से कम 4 बुनकरों को एक समूह (230 सेमी तक) के 24 आधुनिक करघे या 16 व्यापक चौड़ाई वाले करघे (230 सेमी और अधिक) के साथ एक समूह बनाना चाहिए और प्रत्येक लाभार्थी के पास कम से कम 4 करघे होने चाहिए।

प्रति विद्युतकरघा न्यूनतम 1.25 व्यक्तियों के आवास के लिए शयनगृह/श्रमिक आवास के निर्माण के लिए अतिरिक्त सब्सिडी, जिसमें पर्याप्त सुलभ शौचालय और बाथरूम (स्टोर रूम और डाइनिंग हॉल के साथ रसोई वैकल्पिक रूप से हो सकते हैं) शामिल है, प्रति व्यक्ति 125 वर्ग फुट की दर से प्रदान की जाएगी। शयनगृह/श्रमिक आवास के लिए प्रति वर्ग फुट सब्सिडी की दर ग्रुप वर्कशेड के लिए लागू प्रति वर्ग फुट सब्सिडी की दर के बराबर होगी। इस योजना के तहत चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 55.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2014-15 से, कम से कम 4 विद्युतकरघा बुनकरों का एक समूह बनाकर मौजूदा छोटे विद्युतकरघा बुनकरों द्वारा 347 नए समूह वर्कशेड स्थापित किए गए। इन समूह वर्कशेड में 12,492 नए शटलरहित करघे लगाए गए हैं।

(ii) व्यापक विद्युतकरघा, निटवियर और सिल्क मेगा क्लस्टर: व्यापक विद्युतकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीपीसीडीएस) वर्ष 2008-09 में तैयार की गई थी ताकि भिवंडी (महाराष्ट्र) और इरोड (तमिलनाडु) में विद्युतकरघा मेगा क्लस्टर विकसित करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा 2008-09 में उनके बजट भाषण की घोषणा को लागू किया जा सके। इसके बाद, वित्त मंत्री ने 2009-10, 2012-13 और 2014-15 के अपने बजट भाषणों में क्रमश: भीलवाड़ा (राजस्थान), इचलकरंजी (महाराष्ट्र), सूरत (गुजरात) और सिल्क मेगा क्लस्टर बेंगलुरु (कर्नाटक) में विद्युतकरघा मेगा क्लस्टर के विकास की घोषणा की।

भूमि की अनुपलब्धता और हितधारकों/राज्य सरकार की खराब प्रतिक्रिया के कारण भिवंडी और भीलवाड़ा में विद्युतकरघा मेगा क्लस्टर रद्द कर दिए गए थे।

क्लस्टर के निर्माण में अंतर्निहित दिशानिर्देश/सिद्धांत विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और उत्पादन श्रृंखला को इस तरह से एकीकृत करना है जो उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करे। मेगा क्लस्टर दृष्टिकोण योजना का व्यापक उद्देश्य बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के संदर्भ में क्लस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और उत्पादों के उच्च इकाई मूल्य प्राप्ति द्वारा उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना है। यह योजना आवश्यक बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधीकरण, डिज़ाइन विकास, कच्चा माल बैंक, विपणन और संवर्धन, ऋण, सामाजिक सुरक्षा और अन्य घटक प्रदान करती है जो विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में लगे बुनकरों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इस योजना को तीन वर्षों की अवधि (1.4.2017 से 31.03.2020 तक) तक क्रियान्वित किए जाने के लिए दिसंबर, 2016 में संशोधित किया गया था। संशोधित योजना के तहत, मेगा क्लस्टर के लिए सरकारी सहायता परियोजना लागत का60% तक सीमित है, जो अधिकतम 50 करोड़ रुपये है। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 101.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

विभिन्न बुनियादी ढांचे के मामलों से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए 2014-15 से इरोड और इचलकरंजी के 2 विद्युतकरघा क्लस्टरों को सहायता प्रदान की गई है। इरोड मेगा क्लस्टर ने इरोड क्लस्टर में और उसके आसपास के विद्युतकरघा बुनकरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार लिंकेज विकसित किया है जबकि इचलकरंजी मेगा क्लस्टर ने विद्युतकरघा से पहले और बाद की प्रक्रियाएं प्रदान की हैं। इस योजना के तहत इचलकरंजी मेगा क्लस्टर में एक अत्याधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसने विद्युतकरघा बुनकरों को अपने तैयार उत्पादों को क्लस्टर से ही बेचने के लिए नया जीवन दिया है। इन पहलों में समूहों के विद्युतकरघा बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की क्षमता है। वर्ष 2022-23 के दौरान इस घटक के तहत 19.695 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(iii) सुविधा, प्रचार, आईटी, एमआईएस और प्रशासन-व्यय: विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए; उत्पादकता और दक्षता में सुधार, कलस्टरों में विद्युतकरघा बुनकरों के कौशल का प्रशिक्षण और विकास/उन्नयन एक अनिवार्य आवश्यकता है। प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन पर्यटन मंत्रालय की समर्थ योजना या कौशल विकास मंत्रालय की योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, फिल्म मीडिया, मल्टीमीडिया के माध्यम से कार्यक्रम आधारित प्रचार आदि सहित व्यापक प्रचार करना है। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सभी प्रोत्साहन योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण है। इसके अलावा, यह समग्र वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक लागत, एमआईएस और परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के खर्चों को भी कवर करेगा। इस घटक के तहत कुल 9.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(iv) गैर-टीएक्ससी विद्युतकरघा सेवा केंद्रों को सहायता अनुदान: वस्त्र आयुक्त (टीएक्ससी) के कार्यालय के तहत 15 विद्युतकरघा सेवा केंद्र, वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए) के तहत 26 और राज्य सरकार के तहत 6 विद्युतकरघा सेवा केंद्र देश भर में चल रहे हैं। पीएससी, सरकार की ओर से विद्युतकरघा क्षेत्र को प्रशिक्षण, नमूना परीक्षण, डिजाइन विकास, परामर्श, संगोष्ठी/कार्यशाला आयोजित करने आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। टीआरए/राज्य सरकार के पीएससी को सहायता अनुदान (जीआईए) प्रदान किया गया। एजेंसियां मुख्य रूप से विद्युतकरघा क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएससी चलाने के लिए होने वाले खर्चों के लिए हैं। टीआरए/राज्य सरकार की एजेंसियों के पीएससी को सहायता अनुदान मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वस्त्र आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। इस घटक के तहत कुल 23.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(v) विद्युतकरघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री ऋण योजना: भारत सरकार विद्युतकरघा बुनकरों को उनकी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निवेश की जरूरतों (सावधि ऋण) के साथ-साथ कार्यशील पूंजी के लिए, लचीले और लागत प्रभावी तरीके से पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में दो घटक अर्थात प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत श्रेणी- । और स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत श्रेणी- ॥हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय योजना के संचालन के लिए उधार देने वाली एजेंसियों को सूचीबद्ध करता है। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 93.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2014-15 से, 510 महिला उद्यमियों ने पीएम-स्टैंड-अप इंडिया के तहत आधुनिक शटलरहित करघे के साथ अपनी नई इकाइयां स्थापित कीं।

(vi) साधारण विद्युतकरघों के लिए स्वस्थाने उन्नयन योजना: इस योजना का उद्देश्य कुछ अतिरिक्त अटैचमेंट के साथ उनके मौजूदा साधारण करघे को उन्नत करके तैयार किए जा रहे फैब्रिक की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है और उन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाना है। यह योजना 8 करघों वाली छोटी विद्युतकरघा इकाइयों के लिए है। 4 से कम करघे वाली इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार उन्नयन की लागत के 50%, 75% और 90% की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और यह सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अधिकतम सब्सिडी प्रति करघा क्रमशः 45,000/-रू., 67,500/- रू. और 81,000/-रू. होगी।

भारत सरकार की सब्सिडी के अलावा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकार प्रति विद्युतकरघा के लिए 10,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, बिहार सरकार 12,000 रुपये और तेलंगाना राज्य सरकार उनके संबंधित समूहों में अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में अटैचमेंट की लागत का 50% प्रदान कर रही है।

(vii) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी): वस्त्र उद्योग को विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)' क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना लागत में अधिकतम 40 करोड़ रुपये के अध्यधीन परियोजना लागत के कुल 40% की वित्तीय सहायता के साथ एकीकृत वस्त्र पार्कों (आईटीपी) की जरूरतों के आधार पर उत्पादन/समर्थन के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे और भवनों को शामिल किया गया है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आईटीपी स्थापित करने में लचीलापन है। चालू परियोजना को पूर्ण करने के लिए योजना को वर्ष 2025-26तक क्रियान्वित किया जा रहा है। एसआईटीपी को अब वस्त्र क्लस्टर विकास

योजना (टीसीडीएस)का एक घटक बना दिया गया है।

इस योजना के तहत वित्त पोषण घटकों के तहत प्रदान किया जाता है, जैसे कि चारदीवारी, सड़कें, जल निकासी, पानी की आपूर्ति, कैप्टिव विद्युत संयंत्र सहित बिजली की आपूर्ति, अपशिष्ट उपचार, दूरसंचार लाइनें जैसे सामान्य अवसंरचना, परीक्षण प्रयोगशाला (उपकरणों सहित), डिजाइन केंद्र जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए भवन (उपकरण सहित), प्रशिक्षण केंद्र (उपकरण सहित), व्यापार केंद्र/प्रदर्शन केंद्र, भंडारण सुविधा/कच्चा माल डिपो, एक पैकेजिंग इकाई, क्रेच, कैंटीन, श्रमिक छात्रावास, सेवा प्रदाताओं के कार्यालय, श्रमिक विश्राम और मनोरंजन सुविधाएं, विपणन सहायता सिस्टम (बैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकेज) आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए भवन, उत्पादन के लिए कारखाने के भवन, वस्त्र इकाइयों के लिए संयंत्र और मशीनरी और कार्य स्थल और श्रमिकों के छात्रावास को किराये/किराया खरीद के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है

क्रियान्वयन की स्थिति

पार्कों के एक बार पूरी तरह से प्रचालनशील हो जाने पर, उपरोक्त सभी पार्कों में लगभग 5262 वस्त्र इकाइयों के स्थापित होने, लगभग 3,41,883 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित होने और 25707.59 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है।

इन छप्पन वस्त्र पार्कों में एसआईटीपी के तहत 1516.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

अभी तक, 56 स्वीकृत वस्त्र पार्कों में से 30 वस्त्र पार्क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरे हो चुके हैं और शेष 24 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। एसपीवी के अनुरोध पर 2 परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया था।

1.6.3 एकीकृत प्रसंस्कीरण विकास योजना (आईपीडीएस)

वस्त्र उद्योग को आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए और विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में नए सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (सीईटीपी)/सीईटीपी के मौजूदा प्रसंस्करण समूहों के साथ-साथ नए प्रसंस्करण पार्कों के उन्नयन को सहायता प्रदान करने के लिए, मंत्रालय 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत प्राप्त अनुभव के साथ-साथ वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों के आधार पर मंत्रालय ने कुछ संशोधनों के साथ उक्त योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजना को 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखा गया है।

आईपीडीएस का प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल प्रसंस्करण मानकों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारतीय वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना वस्त्र इकाइयों को आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में मदद करेगी। आईपीडीएस मौजूदा प्रसंस्करण समूहों में नए सीईटीपी के साथ-साथ विशेष रूप से जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में नए प्रसंस्करण पार्कों के लिए सहायता करेगा और प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा।

आईपीडीएस के तहत, निम्नलिखित परियोजना को मंजूरी दी गई है:

i. राजस्थान के बालोतरा में बालोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण उपचार और रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) में 18 एमएलडी सीईटीपी का उन्नयन।
ii. जसोल, राजस्थान में जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण उपचार और रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2.5 एमएलडी सीईटीपी का जेडएलडी में उन्नयन।
iii. सांगानेर, राजस्थान में सांगानेर पर्यावरण परियोजना विकास द्वारा 12.3 एमएलडी जेडएलडी परियोजना की स्थापना।
iv. पाली, राजस्थान में 12 एमएलडी सीईटीपी का जेडएलडी में उन्नयन।
v. गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क, सूरत, गुजरात में 25 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना।
vi. 3.1 एमएलडी से 8 एमएलडी तक नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क में उन्नयन

अभी तक स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आईपीडीएस के तहत 173.23 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

1.7 क्षेत्रगत योजनाएं

क. हथकरघा क्षेत्र

हथकरघा क्षेत्र भारत की सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है और यह 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण की आजीविका का एक अभिन्न अंग है। यह क्षेत्र 25 लाख से अधिक महिला बुनकरों और संबद्ध कामगारों को रोजगार देता है जो इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है। हथकरघा वीविंग भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सबसे समृद्ध और जीवंत पहलुओं में से एक है। इस क्षेत्र में कम पूंजी गहनता, बिजली का न्यूनतम उपयोग, पर्यावरण के अनुकूल, छोटे उत्पादन का लचीलापन, नवाचारों के लिए खुलापन और बाजार की आवश्यकताओं के अनुकूल होने का लाभ है। डिजाइन का अनूठापन और विशिष्टता, छोटे बैच के आकार का उत्पादन करने की क्षमता और पर्यावरण के अनुकूल फैब्रिक होने के कारण, हथकरघा उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में मांग अधिक है और समझदार ग्राहकों के साथ खुदरा विक्रेता नियमित आधार पर प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों के विश्वसनीय स्रोत की तलाश करते हैं।

i हथकरघा वस्त्र का उत्पाादन और निर्यात

यह 23.77 लाख करघों के साथ रोजगार क्षमता के मामले में सबसे बड़े हथकरघा उद्योग में से एक है, जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खपत दोनों के लिए उत्पादन करता है।

प्रमुख हथकरघा निर्यात केंद्र करूर, पानीपत, वाराणसी और कन्नूर हैं जहां हथकरघा उत्पाद जैसे बेड लिनेन, टेबल लिनेन, किचन लिनेन, टॉयलेट लिनेन, फ्लोर कवरिंग, कशीदाकारी संबंधी वस्त्र सामग्री, पर्दे आदि निर्यात बाजारों के लिए उत्पादित किए जाते हैं।

हथकरघा उद्योग मुख्य रूप से कपड़े, बेड लिनेन, टेबल लिनेन, टॉयलेट और किचन लिनेन, तौलिये, पर्दे, कुशन और पैड, टेपेस्ट्री और अपहोल्स्ट्री , कालीन, फर्श कवरिंग आदि का निर्यात करता है। भारत से हथकरघा उत्पादों के प्रमुख आयातक देश यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और यूएई हैं।

ii क्षेत्रगत विस्तार

भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध सहायता के माध्यम से देश में हथकरघा गतिविधियों की सहायता करती है। वर्ष 2015-16 से 2022-23 (दिसंबर 2022 तक) तक 613 हथकरघा कलस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान निम्नलिखित कलस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:

क्रम सं.	वर्ष	स्वीकृत किए गए कलस्टरों की सं.	जारी राशि (रू. करोड़ में)
1	2018-19	16	8.56
2	2019-20	21	16.84
3	2020-21	2	17.60
4	2021-22	69	59.92
5	2022-23	109	74.24

इसके अलावा, वर्तमान में, 9 मेगा हैंडलूम क्लस्टर 8 राज्यों अर्थात असम (शिवसागर), उत्तर प्रदेश (वाराणसी), तमिलनाडु (विरूधनगर और त्रिची), पश्चिम बंगाल (मुर्शिदाबाद), झारखंड (गोड्डा और पड़ोसी जिले), आंध्र प्रदेश (प्रकाशम और गुंटूर जिला) और बिहार (भागलपुर) और मणिपुर (पूर्वी इंफाल) में कार्यान्वियनाधीन हैं। ।

वर्ष 2022-23 के दौरान (21.11.2022 तक) विभिन्न पहलों के क्रियान्वयन के लिए 11.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

एक ब्रांड के रूप में हैंडलूम को हैंडलूम मार्क और इंडिया हैंडलूम ब्रांड के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

क. हथकरघा योजनाएं:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में विलय की गई हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना और सीएचसीडीएस-हथकरघा मेगा क्लस्टर)

2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वियन के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) संबंधित नवीनतम दिशानिर्देश अक्टूबर 2021 में जारी किए गए हैं। यह योजना हथकरघा के

एकीकृत और समग्र विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। यह योजना कच्चे माल, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से विपणन सहायता, शहरी हाट, विपणन परिसरों के रूप में स्थायी बुनियादी ढाँचे का निर्माण, हथकरघा उत्पादों आदि के ई-विपणन के लिए वेब पोर्टल का विकास करने के लिए स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि सहित कोआपरेटिव के भीतर और बाहर बुनकरों की सहायता करती है।

2 कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)

कार्यान्वयन के लिए कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान क्रियांवयन के लिए तैयार किया गया है। हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार का यार्न सूत उपलब्ध कराने के लिए देश भर में कच्चा माल आपूर्ति योजना क्रियांवित की जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, हथकरघा एवं वस्त्र आयुक्त/निदेशक के माध्यम से राज्य सरकारें, शीर्ष सोसाइटियां और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के तहत राज्य हथकरघा निगम कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। इस योजना के तहत भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य के 2% की दर से (15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित) डिपो प्रचालन एजेंसियों को डिपो परिचालन शुल्क दिया जाता है।

3 हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन

हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985का उद्देश्य देश के लाखों हथकरघा बुनकरों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र द्वारा उनकी आजीविका पर अतिक्रमण से बचाना है। दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में तीन प्रवर्तन कार्यालय हैं, जो हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं

ख. हस्तशिल्प क्षेत्र:

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शिल्पकारों के एक विशाल वर्ग को रोजगार प्रदान करता है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उत्पन्न करता है। हस्तशिल्प में काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि वे न केवल देश के कोने-कोने में फैले लाखों कारीगरों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि शिल्प गतिविधि में बड़ी संख्या में नए प्रवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

वर्तमान में, हस्तशिल्प रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालाँकि, हस्तशिल्प क्षेत्र को, असंगठित होने, शिक्षा की कमी, कम पूंजी, नई प्रौद्योगिकियों की जानकारी न होने, बाजार की खुफिया जानकारी का अभाव और खराब संस्थागत ढांचे के कारण नुकसान उठाना पड़ा है।

इस क्षेत्र में 68.86 लाख कारीगरों को रोजगार मिलने की संभावना है,जिसमें से 30.25 लाख पुरुष ओर 38.61 लाख महिला कारीगर हैं।

कारीगरों की जनसंख्या का परिचय:

महिला	56.13 %
पुरुष	43.87 %
अनुसूचित जाति	20.80 %
अनुसूचित जनजाति	07.50 %
अन्य पिछड़ा वर्ग	52.40 %
सामान्य श्रेणी	19.20 %

वर्ष 2022-23 के दौरान 31 अक्टूबर 2022 तक हस्तनिर्मित कालीन सहित हस्तशिल्प का निर्यात 29020.94 करोड़ रुपए रहा है। [स्रोत: डीजीएफटी]

विकास आयुक्त [हस्तशिल्प] का कार्यालय "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम [एनएचडीपी]" और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के तहत हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करता है ताकि समग्र रूप से हस्तशिल्प क्लस्टर के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर दिया जा सके।

1. योजना: "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम"

उप योजनाएं:

1. विपणन सहायता और सेवाएं।
2. हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास

3. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
4. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
5. आधारभूत ढांचा और प्रौद्योगिकी सहायता
6. अनुसंधान और विकास।

2. योजना: "व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना"

वर्ष 2022-23 के दौरान नई पहलें :

1. हस्तशिल्प पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा रघुराजपुर (ओडिशा), तिरुपति (आंध्र प्रदेश), वदज (अहमदाबाद, गुजरात), नैनी (प्रयागराज, यूपी), अनेगुंडी (हम्पी, कर्नाटक), महाबलीपुरम (तमिलनाडु), ताजगंज (आगरा, यूपी) और आमेर (जयपुर, राजस्थान) में कुल आठ शिल्प पर्यटन गांवों का सहायता प्रदान की गई है।
2. सार्वजनिक निधियों के इष्टतम उपयोग और जनता को इष्टतम लाभ प्रदान करने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा 13.01.2023 को अक्टूबर 2022 से मार्च 2026 की अवधि के लिए अन्य संबंधित मंत्रालयों/ विभागों द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) को जारी रखने के लिए 837.00 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ कुछ संशोधन और समान योजना के परिवर्धन के साथ अनुमोदित किया गया है।
3. ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड, लद्दाख, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड (उत्तर प्रदेश), त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में बारह व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास परियोजनाओं को कुल 258.93 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ मंजूरी दी गई है।
4. हस्तशिल्प के क्षेत्र में वर्ष 2017-18, 2018-19और 2019-20 के दौरान मास्टर शिल्पकारों के उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा 28 नवंबर 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में शिल्प गुरू पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय ने उत्पादक कंपनियों (पीसी) द्वारा शामिल किए गए कारीगरों के समग्र विकास के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में देश भर में 53 उत्पादक कंपनियों (पीसी) की पहचान की है और तदनुसार इन पीसी को आवश्यकता आधारित पहलें प्रदान की गई हैं।
6. खिलौना शिल्प को बढ़ावा देना: देश के पारंपरिक खिलौनों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए 2022 में दो क्षेत्र स्तरीय खिलौना मेलों का आयोजन किया गया है।
7. विकास आयुक्तल (हस्तशिल्प) के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना के लिए 29 लाख नामांकित हस्तशिल्प कारीगरों का डेटा उपलब्ध है।

1.8 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थालन (निफ्ट)

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना 1986 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन की गई थी और यह निफ्ट अधिनियम 2006 द्वारा शासित एक सांविधिक संस्थान है। निफ्ट फैशन और डिजाइन शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान का विजन चुनौतियों का सामना करता है और उच्चतम शैक्षणिक मानकों को स्थापित करने में प्रेरणा प्रदान करता है। यह एक उद्योग-अकादमिक इंटरफेस की पेशकश करता है,जो छात्रों के लिए एक आधुनिक तरीके से सीखने की पद्धति प्रदान करता है, उद्योग और इसके आउटरीच के बारे में एक जटिल और गहन समझ बनाने में मदद करता है।

पिछले कुछ वर्षों में डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी की भूमिका और संभावनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। निफ्ट लगातार उद्योग से आगे रहने का प्रयास करता है और अपने 18 व्यावसायिक रूप से प्रबंधित परिसरों के माध्यम से भारत के फैशन परिदृश्य का मार्गदर्शन करने के लिए एक अग्रणी के रूप में कार्य करता है।

1.9 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के क्रियान्वयन का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाना और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित निधियों के वितरण में चोरी को समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की योजनाओं का लाभ आधार पंजीकरण के साथ बैंक/डाक खाते के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को प्रदान करने का लक्ष्य है अर्थात लाभार्थी के राज्य राजकोष खाते के माध्यम से अथवा एनजीओ अथवा एलआईसी आदि जैसी किन्हीं क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से मामले अथवा इस प्रकार के अन्य मामले का सीधा अंतरण करना है। भारत

पोर्टल और पीएफएमएस के साथ आपस में जोड़कर लाभार्थी और निधि के लेनदेन के बारे में रियल टाइम सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक योजना के लिए एक सीधा एमआईएस पोर्टल भी है। इलैक्ट्रानिक अंतरण हेराफेरी और दोहराव को समाप्त करने के अलावा, वांछित लाभार्थी को समय पर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करता है।

मंत्रिमंडल सचिवालय में डीबीटी मिशन ऑनलाइन अर्थात डीबीटी भारत पोर्टल के माध्यम से डीबीटी योजना के क्रियान्वयन को मॉनीटर कर रहा है। आर्थिक प्रभाग, वस्त्र मंत्रालय लाभार्थी का डिजिटलीकरण, आधार नंबर, डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एमआईएस का एकीकरण आदि सहित डीबीटी भारत-पोर्टल के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय की पहचान की गई 11 परियोजनाओं के पंजीकरण संबंधी कार्य का समन्व्यन कर रहा है। 4 योजनाओं के लिए एमआईएस पोर्टल तैयार किया गया है और डीबीटी भारत पोर्टल के साथ 4 योजनाओं का एकीकरण किया गया है तथा शेष योजनाओं के लिए डीबीटी भारत पोर्टल के साथ शीघ्र एकीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्याय II

कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1 कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग के उत्तर निर्माण, योजना निर्माण और विकास के लिए उत्तरदायी है। वस्त्र मंत्रालय के प्रमुख वस्त्र मंत्री हैं जिन्हें वस्त्र राज्य मंत्री, सचिव (वस्त्र) और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 विजन

तकनीकी वस्त्र, पटसन, रेशम, कपास तथा ऊन सहित सभी प्रकार के वस्त्रों के विनिर्माण व निर्यात में प्रमुख वैश्विक स्थान प्राप्त करना और सतत आर्थिक विकास के लिए गतिशील हथकरघा और हस्त शिल्प क्षेत्र का विकास करना तथा इन क्षेत्रों में वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन करना और उसे संरक्षित करना।

2.3 मिशन

- सभी क्षेत्रों को पर्याप्त फाइबर उपलब्ध कराकर वस्त्र के सुनियोजित व सामन्जस्य पूर्ण विकास का संवर्धन करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उद्योग का आधुनिकीकरण करना।
- सभी वस्त्र कामगारों की क्षमता और कौशल का विकास करना।
- कार्य का समुचित वितरण और सवास्थ्य सुविधाओं की आसान पहुंच तथा जीवन की बेहतर गुणवत्तां को प्राप्त करने के लिए बुनकरों और कारीगरों को बीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- वस्त्र और क्लोदिंग तथा हस्तशिल्प के निर्यात का संवर्धन करना और इन क्षेत्रों में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना।

2.4 मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए निम्नलिखित सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों तथा सलाहकार बोर्डों द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है:-

2.4.1 संबद्ध कार्यालय:-

(i) विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय, नई दिल्ली

इस कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त (हथकरघा) हैं। यह हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। इसके तहत 29 बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी), 06 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) तथा हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को क्रियान्वित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र हैं।

(ii) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली

विकास आयुक्त हस्तशिल्प, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रमुख हैं। यह हस्तशिल्प के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यों को क्रियान्वित करता है और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को क्रियान्वित करके राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करता है। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, गुवाहाटी तथा नई दिल्ली में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय तथा देश भर में 61 हस्तशिल्प सेवा केंद्र हैं।

2.4.2 अधीनस्थ कार्यालय

(i) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय (टीएक्सोसी) का मुख्यालय मुंबई में है तथा अमृतसर, नोएडा, इंदौर, कोलकाता, बंगलुरू, कोयम्बतूर, नवीं मुंबई और अहमदाबाद में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वस्त्र आयुक्त , मंत्रालय के प्रमुख तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, प्रौद्यो-आर्थिक सर्वेक्षण करता है और सरकार को वस्त्र उद्योग की सामान्य आर्थिक स्थिति के बारे में सलाह देता है। वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के विकासात्मक कार्यकलाप वस्त्र तथा क्लोदिंग क्षेत्र की समानांतर उन्नति और विकास की योजना के आस-पास केंद्रित रहते हैं। देश भर में कार्यरत सैंतालीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों (पीएससी) में से पन्द्रह वस्त्र आयुक्त के

प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं। यह पीएससी की वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति तथा विकेंद्रीकृत विद्युतकरण क्षेत्र को तकनीकी परामर्श/ सेवाओं की जरूरत को पूरा करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों एवं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित किए जा रहे शेष बत्तीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का समन्वय करता है और उनका मार्ग दर्शन भी करता है। यह कार्यालय तकनीकी वस्त्र , प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), समूह विद्युतकरघा योजनाओं पर विभिन्न विकासात्मक और संवर्धनात्मीक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनकी मॉनीटरिंग भी करता है।

(ii) पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता

पटसन आयुक्त का कार्यालय के कार्य तथा गतिविधियां-

(क) मशीनरी विकास सहित पटसन उद्योग से संबंधित नीतिगत मामलों की तैयारी के संबंध में मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना।

(ख) पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की धारा 4 के अंतर्गत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए पटसन आयुक्त , बी.ट्विल बैगों की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को उत्पादन नियंत्रण आदेश (पीसीओ) जारी करता है। पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए एफसीआई सहित विभिन्न राज्य खाद्यान खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी के अंतर्गत खरीदे गए खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए इन बैगों की आवश्यकता होती है। पटसन आयुक्त, नियमित और समयबद्ध आधार पर पटसन क्षेत्र की समस्याओं और स्थिति की सूचना भी मंत्रालय को भेजते हैं। पटसन संबंधी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पटसन सामानों के आयातक और निर्यातिक को लाइसेंस जारी करना पटसन आयुक्त का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वर्ष 2021-22 में कुल 20 लाइसेंस जारी किए गए और 69 नवीकृत किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में (जनवरी 2023 तक) कुल 23 लाइसेंस जारी किए गए और 17 नवीकृत किए गए हैं।

2.4.3 सलाहकार समिति

(i) कपास सलाहकार समिति: वस्त्र मंत्रालय द्वारा कपास उत्पादन और उपभोग संबंधी समिति (सीओसीपीसी) का गठन 14 सितंबर, 2020 को किया गया था। सीओसीपीसी को कपास क्षेत्र के विकास के लिए आयोजना रणनीति बनाने में मदद करने के लिए प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए अधिदेशित किया गया है:-

i. कपास की फसल और कपास उत्पादन का राज्यवार बुवाई क्षेत्र;

ii. कॉटन बैलेंस शीट में आपूर्ति, मांग, मिल की खपत और अंतिम स्टॉक;

iii. एमएसपी अभियान और वाणिज्यिक प्रचालन;

iv. निर्यात और आयात का डाटा;

v. अतिरिक्त लंबे स्टेपल (ईएलएस), रंगीन और आर्गेनिक कपास का उत्पादन और तत्संबंधी मामले;

vi. कपास की प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता और तत्संबंधी मामले;

vii. कपास की खेती के आधुनिकीकरण की परीक्षा और तत्संबंधी मामले; तथा

viii. जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण का स्तर।

(ii) एमएमएफ पर वस्त्र सलाहकार समूह: मंत्रालय ने मानव निर्मित फाइबर की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और सिफारिश करने के लिए 17 जनवरी 2023 को एक अनौपचारिक निकाय- एमएमएफ पर वस्त्र सलाहकार समूह की स्थापना की है।

(iii) पटसन संबंधी विशेषज्ञ समिति - भारत सरकार के विजन "न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन" के अनुरूप, एक दुर्बल सरकारी मशीनरी और सरकारी निकायों के व्यवस्थित युक्तिकरण की आवश्यकता के अनुरूप, वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 06.08.2020 के पत्र के माध्यम से पटसन सलाहकार बोर्ड (जेएबी) को समाप्त कर दिया है। पटसन और पटसन के सामानों के उत्पादन, आपूर्ति और निर्यात के आंकड़ों के आंकलन के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.09.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या जे-7/4/2020-जूट के तहत पटसन संबंधी एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष पटसन आयुक्त हैं।

पटसन पर विशेषज्ञ समिति की नवीनतम बैठक दिनांक 24.05.2022 को आयोजित की गई थी। विभिन्न

हितधारकों के विचारों पर विमर्श करने के बाद, समिति वर्ष 2021-22 के लिए कच्ची पटसन की आपूर्ति-मांग की स्थिति पर पहुंची है जिसे नीचे दिया गया है: -

मात्रा: लाख गांठों में

	2021-22
1. आपूर्ति	
i) आरंभिक स्टॉक	5.0
ii) जूट और मेस्टा फसल	90.00
iii) आयात	4.0
कुल :	**99.00**
(ख) वितरण	
iv) मिल की खपत	66.00
v) घरेलू/औद्योगिक खपत	12.00
vi) निर्यात	2.0
कुल:	**80.00**
(ग) अंतिम स्टॉक	19.0

पटसन संबधी विशेषज्ञ समिति ने 24-05-2022 को आयोजित ईसीजे की बैठक में वर्ष 2022-23 मौसम के दौरान फसल का अनुमान लगाया है, जिसे तालिका में दिया गया है:-

वर्ष 2022-23 के लिए कच्ची पटसन की आपूर्ति एवं वितरण

मात्रा: लाख गांठ में

	2022-23 (अनुमान)
(क) आपूर्ति	
i) आरंभिक स्टॉक	19.0
ii) पटसन और मेस्टा फसल	95.0
iii)आयात	3.0
कुल :	**117.0**
(ख) वितरण	
iv) मिल की खपत	70.0
v) घरेलू/औद्योगिक खपत	12.0
vi) निर्यात	2.0
कुल:	84.0
(ग) अंतिम स्टॉक	**33.0**

2.4.4 इसके अलावा, निम्नखलिखित सांविधिक निकाय तथा पंजीकृत सोसाइटियां मंत्रालय के कार्यों से संबद्ध हैं।

सांविधिक निकाय :

(i) **वस्त्र समिति:** वस्त्र समिति की स्थापना, वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) के अंतर्गत की गई थी। वस्त्र समिति ने एक संगठन के रूप में 22 अगस्त, 1964 से कार्य करना प्रारंभ किया। अधिनियम की धारा 3 द्वारा वस्त्र समिति निरंतर उत्तराधिकार के साथ एक सांविधिक निकाय है। मुंबई स्थित वस्त्र समिति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। वस्त्र समिति का मुख्य उद्देश्य आंतरिक खपत तथा निर्यात उद्देश्यों के लिए वस्त्र एवं वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

(ii) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड: राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार किया गया है, जो 01 अप्रैल, 2010 से लागू है और तत्कालीन पटसन विनिर्माण विकास निगम तथा राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) में विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के खंड-I के उप-खंड (3) में प्रदत्त 'शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को उस तिथि के रूप में निर्धारित किया है जिससे राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के प्रावधान लागू होंगे। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना पटसन की खेती, विनिर्माण तथा पटसन के विपणन के विकास तथा पटसन उत्पादों और उनसे संबद्ध मामलों के लिए की गई है।

एनजेबी को सांविधिक रूप से निम्नलिखित कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है:-

- पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने तथा तत्संबंधी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से योजना की तैयारी, विस्तार कार्य, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन के मामलों में पटसन की खेती के लिए एकीकृत एप्रोच विकसित करना;
- बेहतर गुणवत्ता वाली कच्ची पटसन के उत्पादन का

संवर्धन;

- कच्ची पटसन की उत्पादकता को बढ़ाना;
- कच्ची पटसन के बेहतर विपणन तथा कच्ची कपास के मूल्यों का स्थिरीकरण करने के लिए प्रोन्नत करना अथवा व्यवस्था करना;
- कच्ची पटसन तथा पटसन उत्पादों के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- अवशिष्ट को समाप्त करने, अधिकतम उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार तथा लागत में कमी के उद्देश्य से पटसन उद्योग के लिए दक्षता के मानकों के लिए सुझाव देना;
- कच्ची पटसन के उत्पादकों तथा पटसन उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उपयोगी सूचना का प्रचार करना;
- गुणवत्ता नियंत्रण अथवा कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों का संवर्धन करना और उपाय करना।
- कच्ची पटसन के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, ग्रेडिंग की तकनीक और पैकेजिंग में सुधार के लिए सहयोग करना और अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना।
- कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों के संबंध में आंकड़ों का संग्रह तथा निष्पादन करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण अथवा अध्ययन को बढ़ावा देना अथवा करना;
- पटसन विनिर्माताओं के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- पटसन उद्योग की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करके पटसन विनिर्माताओं के उत्पादन के विकास का संवर्धन करना;
- पटसन क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक तथा विपणन अनुसंधान के लिए स्पांसर, सहयोग, समन्वय, प्रोत्साहित अथवा आरंभ करना;
- पटसन विनिर्माताओं के लिए देश के भीतर और बाहर मौजूदा बाजारों को बनाए रखना और नए बाजार विकसित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे विनिर्माताओं के लिए मांग के अनुरूप विपणन रणनीतियां तैयार करना;
- नयी सामाग्रियों, उपकरण तथा पद्धतियों की खोज और विकास तथा पटसन उद्योग में पहले ही प्रयोग में लायी जा रही पद्धतियों में सुधार करने सहित सामाग्रियों, उपकरण, उत्पादन की पद्धतियों, उत्पाद विकास से संबंधित मामलों में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान के लिए प्रायोजित, सहयोग, समन्वय अथवा प्रोत्साहित करना;
- उद्यमियों, कारीगरों, शिल्प्कारों, डिजाइनरों, विनिर्माताओं, निर्यातकों, गैर-सरकारी एजेंसियों आदि को सहायता उपलब्ध कराकर विविधीकृत पटसन उत्पादों के लिए अनुकूल परिस्थितियां और आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराना और उनका सृजन करना;
- कार्यशालाओं, सम्मेलनों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना तथा पटसन एवं पटसन उत्पाादों के संवर्धन तथा विकास के उद्देश्य से अध्ययन समूह गठित करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;
- पटसन फसलों की जेस्टेशन अवधि को कम करने तथा पटसन बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान करना;
- पटसन क्षेत्र के सुस्थिर मानव संसाधन विकास तथा इसके लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने हेतु उपायों को करना;
- पटसन क्षेत्र का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय विकास;
- पटसन उत्पादकों तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा आजीविका के माध्यमों द्वारा उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाना;
- पटसन उद्योग में लगे कामगारों के लिए सुविधाओं तथा प्रोत्सोहनो में सुधार करना तथा बेहतर कार्यशील परिस्थितियों तथा प्रावधानों की व्यवस्था करना;
- वैकल्पिक आधार पर उत्पादकों तथा विनिर्माताओं का पंजीकरण करना;
- संकलन तथा प्रकाशन के लिए पटसन एवं पटसन उत्पादों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करना;
- पटसन क्षेत्र के संवर्धन अथवा भारत एवं विदेशों में पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन के लिए किसी अन्य निकाय के साथ कोई अनुबंध (भागीदार, संयुक्तं उद्यम अथवा किसी अन्य तरीके से) करना अथवा शेयर कैपिटल प्राप्त करना।

(iii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलूरू: केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है। संसद के एक अधिनियम (1948 का अधिनियम सं LXI) द्वारा 1948 में स्थापित सीएसबी को रेशम के आयात एवं निर्यात को अभिशासित करने वाली नीतियों के प्रतिपादन सहित रेशम यार्न के उत्पादन के लिए खाद्य पौधों के विकास से रेशम कोकून तक देश में रेशम उत्पा्दन के कार्यकलापों की समग्र प्रक्रिया को शामिल करते हुए

रेशम उद्योग को विकसित करने का पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। सीएसबी मूल रूप से अनुसंधान और विकास संगठन है। सीएसबी के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में रेशम क्षेत्र में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य करने के लिए सहयोग तथा प्रोत्साहित करना है। रेशम-उत्पादन तथा रेशम वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम राज्य रेशम उत्पादन/वस्त्र विभागों द्वारा प्राथमिक रूप से प्रतिपादित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। तथापि, केंद्रीय रेशम बोर्ड अपने देशव्यापी नेटवर्क केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान और विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड गुणवत्तापरक रेशम कीट के प्राथमिक तथा वाणिज्यिक बीजों के उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था करता है और विभिन्न रेशम उत्पादन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी राज्यों को सहयोग प्रदान करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों वस्त्र रेशम उत्पादन के आंकड़ों का संग्रह तथा संकलन भी करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड निम्नलिखित दृष्टि और मिशन के साथ काम कर रहा है:

विजन:

रेशम के लिए विश्व बाजार में भारत को अग्रणी के रूप में उभरते हुए देखना।

मिशन:

- अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी अंतरण में निरंतर प्रयास करना।
- वैज्ञानिक रेशम उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रसार के माध्यम से रेशम उत्पादन में लाभप्रद रोजगार और आय के स्तर में सुधार के लिए बड़े अवसरों का सृजन करना है।
- रेशम उत्पादन के सभी स्तरों में उत्पादकता सुधार करना।
- गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्धता के माध्यम से क्षमता के स्तरों को सुदृढ़ करना।

(iv) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट): निफ्ट को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था और यह निफ्ट अधिनियम 2006 द्वारा शासित एक सांविधिक संस्थान है। निफ्ट फैशन और डिजाइन शिक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान का दृष्टिकोण चुनौतियों को स्वीकार करना है और उच्चतम शैक्षणिक मानकों को स्थापित करने में प्रेरणा प्रदान करना है। संस्थान की विस्तार योजनाओं में शैक्षणिक समावेशिता हमेशा सबसे आगे रही है। पिछले कुछ वर्षों में डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी की भूमिका और संभावनाएं कई गुना बढ़ोत्तरी हुई हैं। निफ्ट लगातार उद्योग से आगे रहने का प्रयास करता है और भारत के फैशन परिदृश्य के दिशा-निर्देशों में प्रमुख रूप से कार्य करता है।

2.4.5 पंजीकृत सोसाइटियां

(i) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) का गठन 1987 में किया गया था जिसका मुख्यालय जोधपुर, राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

(ii) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम)

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में वस्त्र और प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोयम्बटूर में सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम) की स्थापना की है ताकि वस्त्र उद्योग में पेशेवरों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा किया जा सके। एसवीपीआईएसटीएम वस्त्र क्षेत्र के प्रबंधन के लिए देश के युवाओं में उत्कृष्टता का सृजन करने और इस क्षेत्र में घरेलू और वैश्विक दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को कवर करने वाली प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के भावी प्रमुख बनने के लिए सक्षम वैश्विक स्तर की मानव संपदा का निर्माण करने के लिए अग्रणी के रूप में कार्य करने की दृष्टि से कोयम्बटूर जिले में केंद्र सरकार द्वारा प्रचारित भारत में अपनी किस्म का पहला संस्थान है। सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम) की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान के रूप में सोसायटी अधिनियम, 1975 के तहत पंजीकृत किया गया। यह वस्त्र प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। एसवीपीआईएसटीएम वस्त्र के क्षेत्र में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को शिक्षा,

अनुसंधान और परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के दौरान शुरू किए गए नए कार्यक्रम:

संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु (सीयूटीएन) के सहयोग से निम्नलिखित कार्यक्रम चलाता है:

- बीएससी - टेक्सटाइल
- एमबीए - टेक्सटाइल मैनेजमेंट
- एमबीए - अपैरल मैनेजमेंट
- एमबीए - रिटेल मैनेजमेंट

शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के दौरान निम्नलिखित नए कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है

- एमबीए - टेक्नीकल टेक्सटाइल मैनेजमेंट
- बीएससी – टेक्नीकल वस्त्र
- बीबीए-टेक्सटाइल बिजनेस एनालिटिक्स

एमबीए प्रोग्राम के लिए एआईसीटीई का अनुमोदन

दिनांक 03 जुलाई, 2022 को निम्नलिखित सभी चार एमबीए प्रोग्रामों के लिए एआईसीटीई का अनुमोदन प्राप्त किया गया:

- एमबीए टेक्सटाइल मैनेजमेंट
- एमबीए अपैरल मैनेजमेंट
- एमबीए रिटेल मैनेजमेंट
- एमबीए टेक्निकल टेक्सटाइल मैनेजमेंट

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की मान्यता

गुणवत्ता मूल्यांकन की दिशा में एक पहल के रूप में, एसवीपीआईएसटीएम को दिनांक 26 अक्टूबर, 2022को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

एसवीपीआईएसटीएम को अन्ना विश्वविद्यालय से दिनांक 29.08.2022 को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए अनंतिम संबद्धता आदेश प्राप्त हुआ:

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम
1.	बीएससी- टेक्सटाइल एंड अपैरल
2.	बीएससी - टेक्सटाइल (तकनीकी वस्त्र)
3.	बीएससी - टेक्सटाइल (बिजनेस एनालिटिक्स)
4.	एमबीए - टेक्सटाइल मैनेजमेंट
5.	एमबीए - अपैरल मैनेजमेंट
6.	एमबीए - रिटेल मैनेजमेंट

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और कार्यशालाओं का आयोजन:

तकनीकी वस्त्रों के संबंध में शैक्षणिक, अनुसंधान और अन्य गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में एक पहल के रूप में, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किए गए हैं:

- दिनांक 17.08.2022 को स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए "संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों का अनुपालन करने के लिए वस्त्र और गारमेंट क्षेत्र में व्यापार मॉडल को कैसे परिवर्तित किया जाए" विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री जूलियस सेन, अकादमिक निदेशक, वरिष्ठ कार्यक्रम सलाहकार, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ऑनरेरी प्रोफेसर वक्ता थे।
- एसवीपीआईएसटीएम ने दिनांक 11 और 14 नवंबर, 2022 को "द टेक्सटाइल सेक्टर, ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी" पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, उपरोक्त कार्यक्रम में वस्त्र और अपैरल उद्योग प्रबंधकों, मिड लेवल एसोशिएट, उद्यमियों, शिक्षाविदों, शोध विद्वानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में श्री जूलियससेन, अकादमिक निदेशक, वरिष्ठ कार्यक्रम सलाहकार, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ऑनरेरी प्रोफेसर वक्ता थे।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

एसवीपी आईएसटीएम और जीआईजे, जर्मन कॉरपोरेशन फॉर इंटरनेशनल को ऑपरेशन (जीएमबीएच), जर्मनी:

वस्त्र मूल्य श्रृंखला में संपोषणीयता विषय पर ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जो प्रक्रिया, कार्य और स्थिरता के परिवर्तन के सभी पहलूओं में सीखने वालों की सक्रिय भागीदारी की ओर उन्मुख है, वस्त्र में सतत विकास के लिए, "ज्ञान, मूल्य और शिक्षा" विषय पर एक परियोजना जीआईजेड, जर्मन कॉरपोरेशन फॉर इंटरनेशनल को

ऑपरेशन (जीबीएमएच) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। किसान, स्पिनर्स, जिनर्स और गारमेंट विनिर्माता तथा छात्र जैसे लगभग 100 ग्रामीण महिलाएं और वस्त्र उद्योग के हितधारक लाभान्वित होंगे।

2.4.6 निर्यात संवर्धन परिषदें: वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के सभी क्षेत्रों अर्थात सिले-सिलाए परिधानों, सूती, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीनों का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं। वैश्विक निर्यात बाजार में अपने-अपने क्षेत्र के विकास का संवर्धन करने के लिए ये परिषदें वस्त्र मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करती हैं। अपैरल मेले तथा प्रदर्शनियां और भारत तथा विदेशी बाजारों में स्टैंड एलोन शो का आयोजन निर्यात को बढ़ाने और नए बाजारों तक पहुंच के लिए किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय के अधीन निर्यात संवर्धन परिषदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

i. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी)

ii. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)

iii. सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)

iv. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यूटीईपीसी)

v. ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद (वूल टेक्सप्रो)

vi. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)

vii. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)

viii. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)

ix. विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)

x. हथकरघा निर्यात सवंर्धन परिषद (एचईपीसी)

xi. पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

2.4.7 अन्य. संगठन:

i. भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही (उत्तर प्रदेश)

ii. राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी (उत्तर प्रदेश)

2.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

2.5.1 नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एनटीसी)

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक अनुसूची "क" वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह पूरे भारत में स्थित अपने 7.68 लाख स्पिंडलों तथा 408 करघों के साथ अपनी 23 मिलों के माध्यम से यार्न तथा फैब्रिक के उत्पादन में नियोजित है और प्रति वर्ष लगभग 550 लाख किलो के यार्न तथा 200 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन करता है। एनटीसी अपनी संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से वस्त्रों का भी विनिर्माण करता है। इसके अतिरिक्त, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन का देशभर में सुस्थापित रिटेल नेटवर्क हैं जिसमें इसके 85 खुदरा स्टोर हैं। वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या 10449 है। एनटीसी का वर्तमान निवल मूल्य लगभग 920.10 करोड़ रूपए (अनंतिम) है ।

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एनटीसी) की स्थापना मुख्य रूप से वर्ष 1974, 1986 और 1995 में तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए गए रूग्ण वस्त्र उपक्रमों के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। पुरानी प्रौद्योगिकी, अधिक जनशक्ति, खराब उत्पादकता आदि के कारण इसकी 9 सहायक कंपनियों में से 8 को वर्ष 1992-93 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने सभी 9 सहायक कंपनियों के लिए पुनरूद्धार योजना अनुमोदित किया - उनमें से 8 को वर्ष 2002-03 में और 9वीं को वर्ष 2005 में अनुमोदित किया गया था। यह कंपनी तब से लेकर अभी तक पुनरूद्धार योजना को क्रियान्वित कर रही है। वर्ष 2002-03 की स्वीकृत मूल्य योजना (एसएस-02) को 53 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आबंटित 736 करोड़ रूपए के संघटक के साथ कुल 3937 करोड़ रूपए की लागत से क्रियान्वित किया गया था। यह योजना 2 बार संशोधित की गई थी – पहली बार 5267 करोड़ रूपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2006 (एमएस-06) में जिसमें 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 530 करोड़ रूपए का संघटक शामिल था और दूसरी बार यह योजना 4 नए मिलों की स्थापना सहित बढ़ाई गई क्षमता के साथ 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 1155 करोड़ रूपए के संघटक के साथ 9102 करोड़ रूपए की कुल

संशोधित लागत से वर्ष 2008 (एमएस-08) में संशोधित की गई थी। बीआईएफआर द्वारा इस योजना का विस्तार 31.03.2012 तक किया गया था।

तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत की गई कुल 124 मिलों में से बीआईएफआर को संदर्भित 119 मिलों और हसन में स्थांपित एक नई मिल का ऐतिहासिक ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

- 77 मिलें बंद हो गईं (औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 78 मिलें बंद हो गईं, किन्तु एक बंद मिल अर्थात विदर्भ मिल, अचलपुर को फ़िनले मिल्स, अचलपुर के रूप में पुन: चालू किया गया है)।
- एनटीसी द्वारा 23 मिलें प्रचालनाधीन है (हसन में स्थापित एक नई मिल सहित)। तथापि,कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता और अन्य वित्तीय बाधाओं के कारण इन इकाइयों का प्रचालन बंद है।
- जेवी मार्ग के माध्यम से पुनरूद्धार की जाने वाली 16 मिलों में से 5 का पुनरूद्धार कर लिया गया है और शेष 11 मिले जहां जेवी के लिए एमओयू हस्ताक्षर किया गया था, समीक्षा करने पर पुनरूद्धार हेतु निरस्त कर दिया गया है। इन 11 मिलों से संबंधित मामला न्यायालय/मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष लंबित है।
- दो मिलें पुद्दुचेरी सरकार को हस्तांतरित कर दी गई हैं।
- राजस्थान में उदयपुर और बीवर में 2 मिलें प्रचालनशील नहीं है।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (एनटीसी) लिमिटेड की सभी 23 मिलों में उत्पादन गतिविधियों को दिनांक 25.03.2020 से रोक दिया गया था। लॉकडाउन हटने के बाद और कच्चे माल की उपलब्धता के अनुसार, एनटीसी ने जनवरी 2021 से 14 मिल इकाइयों का प्रचालन शुरू किया। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अप्रैल, 2021 में फिर से सभी एनटीसी मिलों को प्रचालन बंद करना पड़ा कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता और अन्य वित्तीय बाधाओं के कारण, एनटीसी मिलों का प्रचालन वर्तमान में रुका हुआ है। जिन 23 वस्त्र मिलों का प्रचालन बंद है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

	क्रम सं.	**मिलों का नाम**	**स्थान**
आंध्र प्रदेश			
	1	तिरुपति कॉटन मिल्स	रेनीगुंटा
गुजरात			
	2	राजनगर मिल्स	अहमदाबाद
कर्नाटक			
	3	न्यू मिनर्वा मिल्स	हसन
केरल			
	4	अलग्पाकद टेक्टा का इल मिल्स	अलगप्पादनगर
	5	कन्नापनोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	कन्नापनोर
	6	केरला लक्ष्मी मिल्स	त्रिचूर
	7	विजयमोहिनी मिल्स	त्रिवेंद्रम
मध्य प्रदेश			
	8	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	बुरहानपुर
	9	न्यू भोपाल टेक्टाम इल मिल्स	भोपाल
महाराष्ट्र			

	10	पोद्दार मिल्स	मुंबई
	11	टाटा मिल्स	मुंबई
	12	इंडिया युनाइटेड मिल नं. 5	मुंबई
	13	बरशी टेक्स्टाइल मिल्स.	बरशी
	14	फिनले मिल्स	अचलपुर
पुदुचेरी			
	15	कन्नोर स्पिनिंग एण्डं वीविंग मिल्स	माहे
तमिलनाडु			
	16	पायनियर स्पिनर मिल्स	कमुदकुदी
	17	कलेसरवर मिल्स 'बी' यूनिट	कलायारकोइल
	18	कम्बोडिया मिल्स	कोयम्बतूर
	19	कोयम्बतूर मुरुगन मिल्स	कोयम्बतूर
	20	पंकजा मिल्स	कोयम्बतूर
	21	श्री रंगा विलास स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स	कोयम्बतूर
	22	कोयम्बतूर स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स	कोयम्बतूर
पश्चिम बंगाल			
	23	आरती कॉटन मिल्स	दास नगर

एनटीसी का निष्पादन

पिछले 5 वर्षों के दौरान एनटीसी का निष्पादन:-

उत्पादन

उत्पाद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21* (गैर-लेखापरीक्षित)
यार्न (लाख किग्रा.)	521.95	527.81	505.95	410.84	17.83
फैब्रिक (लाख मीटर)	201.81	191.58	190.06	88.88	1.31

कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 में देशभर में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से एनटीसी मिलों में उत्पादन गतिविधि रोक दी गई।

क्षमता उपयोग

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21* (गैर-लेखापरीक्षित)
क्षमता उपयोग (%)	84.81	87.61	85.38	75.82	52.64

प्रतिकूल बाजार स्थिति के मुख्य कारण से वर्ष 2018-19 और 2019-20 में क्षमता उपयोग में मामूली गिरावट हुई है,

यार्न और फैब्रिक से सृजित योगदान पिछले वर्ष की तुलना में कम था, साथ ही तैयार स्टॉक के संचय के परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग और उत्पादन में कमी आई।

उत्पादकता

मापदंड	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21* (गैर-लेखापरीक्षित)
कपास की उत्पादकता (40 परिवर्तित)	जीएमएस	93.05	93.17	93.28	94.77	91.91
मिश्रित उत्पादकता (40 परिवर्तित)	जीएमएस	94.84	95.89	96.66	99.21	103.37

कारोबार

मापदंड	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21* (गैर-लेखापरीक्षित)
संचालन से राजस्व	करोड़ रुपए	1168.50	1066.27	1081.85	850.42	148.91

लाभप्रदता

मापदंड	यूनिट	2016-17 **	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21* (गैर-लेखापरीक्षित)
23 कार्यशील मिलों का नकद लाभ/(हानि)	करोड़ रु.	(135.12)	(170.44)	(163.93)	(208.37)	(210.18)
कुल लाभ/ (हानि) (समग्र एनटीसी)	करोड़ रु.	969.38	(307.95)	(310.22)	(350.11)	(329.32)

*लॉकडाउन के कारण मिलें प्रचालनशील नहीं थीं।

** वर्ष 2016 -17 हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) की प्राप्ति होने के कारण लाभ।

कंपनी की वर्तमान कुल संपत्ति लगभग 920.10 करोड़ रु. (30.09.2021 तक की स्थिति के अनुसार) (अनंतिम)।

एनटीसी के पास कुल भूमि बैंक का माप लगभग 3661.20 एकड़ (1010.27 एकड़ - लीजहोल्ड, 2650.93 एकड़ - फ्रीहोल्ड) है।

2.5.2 भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी):

भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में "भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड" के रूप में दोहरे उद्देश्य के साथ की गई थी (i) निर्यात संवर्धन तथा (ii) हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का व्यापार विकास। वर्ष 1962 में इसका नाम बदल कर "भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड" किया गया था। निगम जो सोना एवं चाँदी के आभूषण/वस्तुओं का निर्यात करने के अतिरिक्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों (हाथ से बुने हुए ऊनी गलीचे एवं सिले सिलाए वस्त्र सहित) के निर्यात कार्य में लगा है। निगम को वर्ष 1997-98 में बहुमूल्य वस्तुओं के आयात तथा घरेलू बाजार में बिक्री के लिए नामित किया गया था।

एचएचईसी को 2015-16 से लगातार घाटा हो रहा है और इसका कारोबार लगभग ठप हो गया है। व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य होने के कारण, 16.03.2021 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एचएचईसी को बंद करने को मंजूरी दी गई थी। वीआरएस की लागत, लंबित वेतन, सांविधिक बकाया का भुगतान, व्यापार देयता, आकस्मिक देनदारियों और लॉकडाउन-पश्च प्रशासनिक व्ययों के लिए निगम की तत्काल निधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए 66.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इस संबंध में डीपीई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एचएचईसी को अंतिम रूप से बंद करने का कार्य चल रहा है। वर्तमान में एचएचईसी की कुल देनदारियां/बकाया 190.78 करोड़ रुपये हैं। बजटीय सहायता के माध्यम से प्राप्त निधि के साथ 66.21 करोड़ रुपये की देनदारियों का भुगतान किया गया और परिसंपत्तियों की बिक्री से 124.57 करोड़ रुपये की शेष देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। एमएसटीसी द्वारा चलसंपत्ति मुद्रीकरण और अचल संपत्तियों (संख्या) को मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई सहित कार्यालियों/विभागों द्वारा हस्तांतरण/उपयोग द्वारा निपटाने का प्रस्ताव है और शेष राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के माध्यम से किया जाएगा। इस मामले में डीपीई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एचएचईसी को अंतिम रूप से बंद किया जाएगा।

2.5.3 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड:

एनएचडीसी लिमिटेड की स्थापना, भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत फरवरी, 1983 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप की गई थी। एनएचडीसी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2000 लाख रुपये है और इसकी प्रदत्त पूंजी 1900 लाख रुपये है। एनएचडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं:

- हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए सभी प्रकार के यार्न की आपूर्ति करना।
- हथकरघा क्षेत्र द्वारा आवश्यक गुणवत्ता वाले रंगों और संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति करना।
- हथकरघा उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना।

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुपालन में, एनएचडीसी निम्नलिखित कार्य कर रही है:

यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) आंशिक संशोधन के साथ और कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के रूप में नाम बदलकर 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई है। हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के यार्न उपलब्ध कराने के लिए कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना पूरे देश में क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, राज्य सरकारें हथकरघा और वस्त्र आयुक्त/निदेशक, शीर्ष सोसायटियों और राज्य हथकरघा निगमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 से आपूर्ति किये गये यार्न का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	यार्न की आपूर्ति	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (रु. करोड़ में)
2018-19	442.04	897.15
2019-20	406.17	700.61
2020-21	215.09	521.67
2021-22	235.80	732.09
2022-23 (31 अक्टूबर, 2022 तक)	175.84	620.69

कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के अंतर्गत, किराए की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो ऑपरेटिंग एजेंसियों को आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का 2% की दर से (15,000/- रुपये प्रति माह) डिपो ऑपरेटिंग चार्ज दिया जाता है। वर्तमान में, देश भर में ऐसे 511 यार्न डिपो और 46 गोदाम कार्यशील हैं। एनएचडीसी हथकरघा क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्तापूर्ण रंगों और रसायनों की आपूर्ति भी कर रहा है। वर्ष 2018-19 से डाई और रसायनों की आपूर्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	रंग एवं रसायन	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (रु. करोड़ में)
2018-19	40.51	45.43
2019-20	33.07	42.13
2020-21	35.17	45.34
2021-22	38.50	58.12
2022-23 (31 अक्टूबर, 2022 तक)	24.62	39.62

2. हथकरघा उत्पादों के बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेशन, सिल्क फैब्स एवं वूल फैब्स और राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो जैसी विशेष प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। भारत सरकार इन प्रदर्शनियों में निगम द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करता है। विगत 5 वर्षों के दौरान प्रदर्शनियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	कार्यक्रमों की सं.	स्टालों की सं.	कुल बिक्री (रु. करोड़ में)
2018-19	48	2165	15.00
2019-20	37	1957	75.80
2020-21	9	406	12.85
2021-22	7	-	4.41

3. एनएचडीसी, बुनकरों को नवीनतम रंगाई तकनीकों के विषय में शिक्षित करने के लिए तथा हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं बुनकरों की जानकारी के लिए भारत सरकार की जारी योजनाओं के विषय में भी निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करता है:

- क्रेता-विक्रेता बैठकें
- एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम।
- विभिन्न प्रकार के यार्न का प्रयोग करते हुए नए उत्पादों के विकास पर कार्यक्रम।

पिछले 3 वर्षों के दौरान एनएचडीसी का कुल कारोबार, लाभ, जारी किया गया लाभांश इत्यादि का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

वर्ष	कारोबार	कुल लाभ
2018-19	95093.59	(1621.82)
2019-20	74866.74	(1119.22)
2020-21	57203.63	(963.15)
2021-22	79856.28	(156.54)

2.5.4. भारतीय कपास निगम (सीसीआई)

सीसीआई, भारत सरकार द्वारा 1970 में कपास विपणन के क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप में स्थापित की गई थी। अपनी शुरूआत के समय से ही निगम निजी कपास व्यापारियो और अन्य संस्थागत क्रेताओं से प्रतिस्पर्धा में प्रचालन कर रहा है। एमएसपी अभियानों के अंतर्गत इसकी बाजार हिस्सेदारी कुछ वर्षों को छोड़कर जब यह 31 प्रतिशत तक चली गई थी, 5% से 8% के बीच है।

बदलते कपास परिदृश्य के साथ निगम की भूमिका और कार्यों की समीक्षा की गई थी और समय-सयम पर संशोधित की गई। 1985 में मंत्रालय से प्राप्त हुए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई, न्यूनतम मूल्य समर्थन अभियान चलाने के लिए सरकार की एकमात्र एजेंसी है, जब कभी कपास का मूल्य (बीज कपास) न्यूनतम समर्थन स्तर से नीचे पहुंचता है। एमएसपी अभियानों के अलावा, घरेलू वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने के लिए, विशेष रूप से जब इसकी फसल का समय नहीं होता है, कारपोरेशन अपने जोखिम पर वाणिज्यिक खरीद अभियान चलाता है।

- जब कभी कपास का बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाए तो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना मूल्य समर्थन अभियान चलाना।
- सीसीआई के अपने जोखिम पर केवल वाणिज्यिक अभियान को प्रारंभ करना।

वित्तीय परिणाम

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सीसीआई ने पिछले वर्ष के 34632.46 करोड़ रुपए के कुल कारोबार की तुलना में 23565.24 करोड़ रुपए का कारोबार किया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी:

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2020-21	2021-22
खरीद (गांठ लाख में)	112.67	0.06
बिक्री (गांठ लाख में)	101.71	104.01
कारोबार (रुपए करोड़ में)	34632.46	23565.24
कर पश्चात लाभ (रुपए करोड़ में)	26.13	13.29

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, निगम के अल्प कालीन ऋण की रेटिंग एसीयूआईटीई ए और दीर्घावधि ऋण की रेटिंग एसीयूआईटीई एएए अर्थात 35,000 करोड़ रुपए की इस श्रेणी में सौंपी गई उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है जो सुरक्षा,न्यूनतम ऋण जोखिम की बहुत मजबूत श्रेणी को दर्शाता है।
- लाभांश: सीसीआई ने वित्तीय 2021-22 के दौरान 18.17 करोड़ रुपए के लाभांश की अनुशंसा की है।

2.5.5 सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी), नई दिल्ली

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम की स्थापना वर्ष 1952 में दिल्ली में इण्डियन कोआपरेटिव यूनियन की प्रबंधन के अधीन किया गया और बाद में 1964 में सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा अधिकार में ले लिया गया तथा 4 फरवरी, 1976 को सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी) के रूप में निगमित किया गया। सीसीआईसी, वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

सीसीआईसी का मुख्य उद्देश्य कारीगरों/बुनकरों/ शिल्पकारों से खरीदे गए उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्तुओं का विकास, प्रचार करना और भारत तथा विदेश में उनका विपणन करना है। निगम के जवाहर व्यापार भवन (जेवीबी),जनपथ, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चैन्नई, हैदराबाद, केवड़िया (गुजरात) और वाराणसी में एम्पोरिया हैं। शिल्पकारों और कलाकारों के हितों की रक्षा के लिए कोविड के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद सीसीआईसी उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

पूँजी

निगम की प्राधिकृत पूँजी 1200 लाख रुपए तथा प्रदत्त पूँजी 1085 लाख रुपए है।.

कार्यशील परिणाम

क. कारोबार

i) वर्ष 2021-22 के दौरान निगम का कारोबार पिछले वर्ष अर्थात 2020-21 के दौरान 1082.98 लाख रुपए की तुलना में 2237.82 लाख रुपए है।
ii) विश्व भर में और भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की दूसरी लहर के कारण आर्थिक क्रियाकलाप में काफी बाधा और मंदी आई थी। 20 अप्रैल 2021 से 6 जून 2021 तक लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन समाप्त हो जाने के बाद भी शोरूम शनिवार एवं रविवार तथा छुट्टी के दिन बंद होते थे जिसके परिणाम स्वरूप सीसीआईसी के व्यवसाय पर अप्रत्याशित नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

ख. निर्यात

वर्ष 2021 22 के दौरान निगम का कुल निर्यात पिछले वर्ष 8.47 लाख रुपए की तुलना में 37.44 लाख रुपए था। हालांकि काफी नए प्रयास किए गए हैं किंतु शिपिंग की लागत में वृद्धि और कोविड के कारण मांग में कमी के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है।

ग. लाभप्रदता

पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2998.71 लाख रुपए के कर पूर्व हानि की तुलना में चालू वर्ष 2439.72 लाख रुपए के कर पूर्व हानि के साथ समाप्त हुआ।

घ. सांख्यिकी

पिछले तीन वर्षों के दौरान संक्षिप्त कार्यशील परिणाम नीचे तालिका में दिया गया है:

(रुपए लाख में)

	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23 (अनुमानित)**
कारोबार	5261.15	1082.98	2237.82	4500.00
कुल लाभ(+) / हानि (-) कर पूर्व	(-) 930.57	(-)2998.71	(-)2439.72	(-)1600.00
कुल लाभ(+) / हानि (-) कर पश्चात	(-)925.19	(-)2992.17	(-)2437.64	(-)1600.00
लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सीसीआईसी के राजस्व में गिरावट कोविड 19 महामारी के बाद भी जारी रही जिसके कारण 2020-21 और 2021-22 के दौरान सीसीआईसी का प्रचलन काफी प्रभावित हुआ जिससे इसके परिसरों में कम ग्राहकों के आने के कारण बिक्री में काफी गिरावट आई। इसके अलावा इस कंपनी में पूर्णकालिक कार्मिक हैं जो लगभग एक समान वेतनमान और अनुलब्धियां प्राप्त करते हैं जिसे सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। व्यवसाय प्रचालन में बाधा के कारण सीसीआईसी अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने और बुनकरों कारीगरों तथा शिल्पियों को उनके उत्पादों, जिनकी बिक्री हो गई है अथवा सीसीआईसी की माल सूची में है, का भुगतान करने में असमर्थ है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने 13.12.2021 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकारियों के समूह की समिति का गठन किया और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) के साथ सीसीआईसी के एक इकाई में विलय करने की संभावना का पता लगाने के लिए वस्त्र मंत्रालय से अनुरोध किया। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा गठित आंतरिक समिति ने इन दोनों संगठनों को स्वतंत्र रूप से जारी रखने की अनुमति देने की सिफारिश की क्योंकि इन दोनों संगठनों के अलग-अलग उद्देश्य और अलग-अलग कार्य पद्धति हैं, इनके विलय से न कोई बचत होगी और न ही आपस में कोई तालमेल होगा।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) ने सीसीआईसी के पुनर्गठन और पुनरुद्धार के लिए अध्ययन किया, जो जांच प्रक्रिया के अधीन है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ :-

सीसीआईसी देशभर में फैले हस्तकला और हथकरघा समूहों और बड़ी संख्या में कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों से और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं, राज्य पुरस्कार विजेताओं, एमएसएमई उद्यमों, महिला संगठनों, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों आदि से माल खरीदता है। खुदरा मूल्य और सीसीआईसी के उत्पादों की गुणवत्ता को व्यापार में बेंचमार्क माना जाता है। सीसीआईसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में 88.35% की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में सीधे कारीगरों से कुल 88.16% खरीदारी की।

ऑनलाइन शॉपिंग:-

सीसीआईसी के पास अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए अपनी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अर्थात https://shoponline.cottageemporium.in है। वेबसाइट पर लगभग 12,897 (6100 सक्रिय) हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन खरीदारी के विवरण के साथ प्रदर्शित किया गया है। उत्पादों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और पेटीएम द्वारा सुरक्षित भुगतान गेटवे के माध्यम से खरीदा जा सकता है। खरीदे गए उत्पादों को पूरी दुनिया में किसी भी देश में भेजा जा सकता है। इसमें ऑर्डर ट्रैकिंग की व्यवस्था और विभिन्न सरकारी वेबसाइटों, अतुल्य भारत आदि के लिंक हैं।

सीसीआईसी में डिजिटल पहल

सीसीआईसी के सम्पूर्ण भारत में आठ शोरूम हैं। सभी शोरूम और कार्यालय एमपीएलएस नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। खरीद, बिक्री, सूची, ग्राहक संबंध प्रबंधन आदि के प्रबंधन के लिए एलएस रिटेल के साथ एक ईआरपी समाधान, माइक्रोसॉफ्ट नेविजन 2009 आर2 क्रियान्वित किया गया है। इसके एंपोरियम में क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई/भीम ऐप, यूएसएसडी, ई-वॉलेट, आरटीजीएस/एनईएफटी और चेक के माध्यम से भुगतान की अनुमति है। बुनकरों, कारीगरों और अन्य विक्रेताओं को सभी भुगतान ईसीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए गए हैं। सीसीआईसी ने ई-गवर्नेंस सुविधाओं को लागू किया है। सीसीआईसी ने ई-गवर्नेंस सुविधा अर्थात-ई-प्रोक्योरमेंट फोर-टेंडरिंग, प्रोक्योरमेंट के लिए जेम और एक विक्रेता के रूप में, पीएफएमएस (अनुदान प्राप्त करने के लिए) और आरटीआई को निपटाने के लिए ऑनलाइन आरटीआई सिस्टम लागू किया है।

जनशक्ति की संख्या एवं प्रशिक्षण

निगम में 31 मार्च, 2021 तक कर्मचारियों की संख्या 225 की तुलना में 31 मार्च, 2022 को कर्मचारियों की संख्या 203 थी।

प्रत्येक फील्ड /क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रगति

- सीसीआईसी ने ई-कॉमर्स संवर्धनात्मक गतिविधि और बिक्री चालक जैसे 'अंतिम सीजन बिक्री', 'मेगा समर सेल' और त्योहार की बिक्री आदि को ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से शुरू करके डिजिटल बिक्री को बढ़ावा दिया। प्रचार सभी शोरूम और वेब पोर्टल पर समानांतर रूप से चलाए गए। इसने बुनकरों और कारीगरों के लिए अधिक विपणन अवसर प्रदान किया और लॉकडाउन अवधि के दौरान ई-कॉमर्स

बिक्री को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाना जारी रखा।

- सीसीआईसी ने हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु शाखाओं में "हथकरघा एक्सपो 2022" का आयोजन किया, जिसमें बुनकरों को टीए/डीए, मुफ्त स्टॉल, प्रचार सामग्री और ग्राहकों के साथ सीधे संवाद की सुविधा प्रदान की गयी।
- सीसीआईसी ने "मिलान 2022" कार्यक्रम में भाग लिया जो कि राष्ट्रपति के सैन्य टुकड़ी की समीक्षा समारोह के साथ आयोजित हुआ था, यह कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय (भारतीय नौसेना) द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 40 देशों ने भाग लिया था।
- सीसीआईसी ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में अपना रिटेल आउटलेट 'लोटा शॉप' स्थापित किया।
- सीसीआईसी ने गोवा में एमसीएमवी कमांड बिल्डिंग के लिए मैसर्स गोवा शिपयार्ड के लिए और नई दिल्ली में नौसेना भवन के डिजाइन और परामर्श के लिए कार्य किया।
- सीसीआईसी ने त्योहारों, नए वर्ष, मौसम के अंत में बिक्री और अन्य बिक्री संवर्धन गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रचार गतिविधियां कीं। इन कार्यक्रमों को प्रिंट और सोशल मीडिया में प्रकाशित किया गया था। विशिष्ट हथकरघा और हस्तशिल्प संग्रह, चांदी के सिक्के, टेराकोटा दिया और लैंप आदि के प्रचार के लिए विज्ञापन भी जारी किए गए।
- जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, सीसीआईसी ने वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन में एक थीम आधारित प्रदर्शन स्थापित किया है।

2.5.6 ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी):

ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी) को 24 फरवरी, 1920 को सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया। भारत सरकार द्वारा इसे 11 जून, 1981 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम के अंतर्गत अधिकार में लिया गया। बीआईसी लिमिटेड, कानपुर दो ऊनी मिलों जैसे (1) कानपुर वूलन मिल्स शाखा, कानपुर (2) न्यू एजर्टन वूलन मिल्स शाखा, धारीवाल का मालिक है तथा उनका प्रबंधन करता है। इन दो मिलों के उत्पादों को क्रमशः 'लाल इमली' तथा 'धारीवाल' के ब्रांड नामों से जाना जाता है। ये इकाइयाँ ऊनी/ब्लेंडेड सूटिंग, ट्वीड, वरदी का कपड़ा, लोही, शॉलों, गलीचों, कम्बलों आदि का निर्माण करती हैं।

बीआईसी लिमिटेड का आधुनिकीकरण/पुनर्वासन:

वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर बी.आई.सी. लिमिटेड को 1992 में बीआईएफआर को सौंप दिया गया और एक रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2002 में बीआईएफआर द्वारा कुल 211 करोड़ रुपए की लागत से एक पुनर्वास योजना अनुमोदित की गई थी। योजना को समग्र रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लीज होल्ड संपत्ति को फ्रीहोल्ड संपत्ति में परिवर्तित किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। बीआईएफआर द्वारा 2008 में संशोधित पुनर्वासन योजना अनुमोदित की गई थी जिसमें भारत सरकार द्वारा 273 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता तथा शेष 116 करोड़ रुपए अधिशेष भूमि की बिक्री से करने की संकल्पना की गई थी। वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का पुनर्निर्माण संबंधी ब्यूरो (बीआरपीएसई) की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2011 में 338 करोड़ रुपए की संशोधित योजना मंजूर की गई थी। एक एमडीआरएस तैयार किया गया और बीआईएफआर के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा 14.02.2008 को हुई इसकी सुनवाई में 157.35 करोड़ रुपए की सरकारी बजटीय सहायता तथा शेष राशि अधिशेष भूमि की बिक्री से कुल 273.28 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित किया गया था। बीआरपीएसई ने दिनांक 28.07.2010/18.12.2010 को हुई अपनी बैठक में 338.04 करोड़ की एक और संशोधित योजना की सिफारिश की। संशोधित योजना को मंत्रिमंडल, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.06.2011 को आयोजित अपनी बैठक में इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी कि अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए पहले उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति ली जाए और उत्तर प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं होने के कारण लीज होल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सका।

वित्त व्यवस्था के परिकल्पित साधन निम्नानुसार थे:

(रूपए करोड़ में)

1	भारत सरकार से वीआरएस से अनुदान	17.10
2	प्रचालन हानियाँ 9/10, 10/11 अनुदान	66.99
3	भूमि की बिक्री के एवज में ब्याज रहित ऋण	128.66
4	वेतन के लिए भारत सरकार से साफ्ट ब्याज ऋण (2 वर्ष)	78.00
5	कंवर्जन शुल्क भुगतान के लिए भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण	47.35
6	योजना की लागत	338.04

योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यक अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले को यूपी सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया था और नवीनतम स्थिति के अनुसार कानपुर स्थित बीआईसी की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की अनुमति यूपी सरकार से प्राप्त नहीं की जा सकी थी। तदनुसार, बीआईसी की पुनरूद्धार योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

इसके बाद, नीति आयोग (जीओआई) ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है और बंद किए जाने से पूर्व की गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं। इस संदर्भ में बीआईसी ने कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और सत्यापन के लिए एक स्वतंत्र पेशेवर सरकारी एजेंसी एनबीसीसी (आई) लिमिटेड को नियुक्त किया है।

प्रमुख संकेतकों के संबंध में वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (लेखापरीक्षित) के दौरान निगम का प्रदर्शन निम्नानुसार है:-

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
कारोबार/बिक्री	0.05	0.08	0.02
कुल लाभ/ (हानि)	(106.20)	(94.20)	(113.23)

बीआईसी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

i) एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर

एल्गिन मिल्स कंपनी लि. की स्थापना 1864 में की गई थी और यह वर्ष 1911 में दो इकाइयों, एल्गिन नं.1 और एल्गिन नं. 2 को मिलाकर पंजीकृत की गई थी। इसमें बीआईसी की हिस्सेदारी 56.44% है और शेष एफआई आदि के पास है। एक अध्यादेश नामत: ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम 1981 द्वारा भारत सरकार ने बीआईसी लि. के सभी शेयरों का अधिग्रहण किया और इस प्रकार यह 11 जून, 1981 को एक सरकारी कंपनी बनी थी। एल्गिन मिल्स कंपनी ने सरकारी कंपनी का दर्जा प्राप्त किया। कंपनी को सिविल बाजार और रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी और अन्य संस्थानों के लिए सूती और मिश्रित फैब्रिक (तौलिए, चादरें, सूटिंग एवं सर्ट्रिंग्स, ड्रिल, सैल्लुलर आदि) के उत्पादन का कार्य सौंपा गया था।

कंपनी को लगातार हो रहे घाटे के कारण, एसआईसीए के प्रावधान के तहत बीआईएफआर को एक संदर्भ दिया गया और उसे रूग्ण घोषित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने 1994 में कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। एएआईएफआर ने 1997 में उक्त आदेश की पुष्टि की और तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 1999 में एक समापन आदेश पारित किया और आधिकारिक परिसमापक (ओएल) नियुक्त किया।

मंत्रालय एक शेष लेनदार की बकाया राशि का निपटान करने की प्रक्रिया में है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इस कंपनी की संपत्तियों को सरकारी परिसमापक से वापस लेने के लिए एक आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया में है क्योंकि कानूनी राय के आधार पर भारत सरकार सबसे बड़ा अंशदाता/लेनदार है।

ii) कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, कानपुर

कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड बीआईसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और इसे वर्ष 1920 में शामिल किया गया था। इसकी 50.82% शेयरधारिता बीआईसी के पास है। कंपनी घरेलू नागरिक बाजार और रक्षा, अर्धसैनिक, सरकार और अन्य संस्थानों के लिए फैब्रिक

और यार्न का उत्पादन करती थी।

लगातार घाटे मे चलने और कंपनी की निवल संपत्ति के घटने/ऋणात्मक हो जाने के कारण, कंपनी को एसआईसीए के प्रावधान के तहत बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था और कंपनी को 1992 में कंपनी को रुग्ण घोषित कर दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1999 में इसके समापन का आदेश पारित किया और एक सरकारी परिसमापक नियुक्त कर दिया। बीआईसी के वकील की राय के अनुसार, भारत सरकार सबसे बड़ा योगदानकर्ता/लेनदार है, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 466 के तहत सरकारी परिसमापक से इस इकाई की संपत्ति वापस लेने के लिए मंत्रालय द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विधायी मामले विभाग से राय प्राप्त करने के बाद मंत्रालय ने विद्वान एएसजी इलाहाबाद के माध्यम से कंपनी न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया है। मामला न्यायाधीन है।

iii) ब्रुशवेयर लिमिटेड

ब्रुशवेयर लिमिटेड की स्थापना 1893 में की गई थी। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत मिल 2007 में बंद कर दी गई थी।

2.5.7 भारतीय पटसन निगम, कोलकाता (जे सी आई)

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) 1971 में स्थापित भारत सरकार का एक उद्यम है। जेसीआई वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) की सरकारी एजेंसी है जो पटसन उत्पादकों के लिए एमएसपी नीति के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी है और कच्चे पटसन बाजार में एक स्थिरकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जब एमएसपी नहीं चल रहा होता है तो व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए जेसीआई एमएसपी से अधिक मूल्य पर पटसन की खरीद करके वाणिज्यिक प्रचालन भी करता है। जेसीआई के मूल्य समर्थन अभियानों में जब भी पटसन का प्रचलित बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे आ जाता है तो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना छोटे और सीमांत किसानों से एमएसपी पर कच्चा पटसन खरीदना शामिल है। ये अभियान, कच्ची पटसन के मूल्य में अंतर-मौसमी और अंतर-मौसमी उतार-चढ़ाव को रोकने के उद्देश्य से अत्यधिक आपूर्ति करके बाजार में एक नोशनल बफर के सृजन मे सहायता करते हैं। जेसीआई के विभागीय खरीद केंद्र (डीपीसी), जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, किसानों से सीधे पटसन की खरीद करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा आदि राज्यों में जेसीआई के लगभग 110 डीपीसी हैं।

31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार निगम की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपए और निवल मूल्य 133.69 करोड़ रुपए है। संपूर्ण प्राधिकृत पूंजी को भारत सरकार द्वारा अभिदत्त किया गया है।

मिशन:

(i) देश के पटसन/मेस्टा उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की नीति का क्रियान्वयन करना।

(ii) कच्चे पटसन क्षेत्र में मूल्य स्थिर एजेंसी के रूप में काम करना और इस संबंध में आवश्यक उपाय करना।

(iii) पटसन संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विस्तार उपाय शुरू करना।

विजन:

पटसन व्यापार क्रियाकलाप, जो विविधीकृत के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए आत्म-निर्भरता और सतत लाभकारिता के दोहरे उद्देश्य के साथ पर्यावरण के अनुकूल हैं, पर विशेष ध्यान देते हुए किसानों के हित और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कच्ची पटसन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाना।

मुख्य कार्य:

i. जब कच्चे पटसन का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर तक पहुंच जाए तो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चलाना।
ii. जब भी आवश्यकता हो अन्य प्रयोजन के लिए एनजेएमसी की पटसन मिलों के लिए वाणिज्यिक कार्य शुरू करना।
iii. निगम पटसन आईकेयर परियोजना की एक कार्यान्वियन एजेंसी जिसका उद्देश्य फील्ड स्तर पर पटसन उत्पादकों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान करके सुदृढ़ कृषि विज्ञान पद्धति को प्रसार करने और प्रोत्साहित करना है। निगम आईकेयर परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को रेटिंग उद्देश्य के लिए सब्सिडी गत पटसन बीजों और माइक्रोबाइल

कन्सोर्टियम नामत: क्रिजाफा सोना पाउडर का वितरण भी करता है।

iv. ई-कॉमर्स, अखिल भारत में जेडीपी फ्रेंचाइजी, खुदरा बिक्री और कमीशन एजेंटों के माध्यम से विभिन्न चैनलों के माध्यम से जूट विविधीकृत उत्पादों का विपणन। तिरुपति में प्रसादम वितरण के लिए जूट बैग की आपूर्ति करना।

v. जियो – टैक्सटाइल्स, एग्रो – टैक्सटाइल्स और सैपलिंग बैग का विपणन करना।

vi. विभिन्न सरकारी एजेंसियों को खाद्यान्न पैकेजिंग की आपूर्ति करना।

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड का प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

मात्रात्मक विवरण (गांठें लाख में) 180 कि.ग्रा./गांठ	2015- 16	2016-17	2017-18	2018-19	2019 -20	2020-21	2021-22	2022-23 (जारी)
कच्ची पटसन की खरीद	0.05	2.25	3.15	0.73	1.00	0.91	0.07	2.15
कच्ची पटसन की बिक्री	0.20	0.71	2.49	2.50	1.55	0.99	0.16	0.41
अंतिम भंडार	0.02	1.57	2.24	1.35	0.20	0.13	0.03	-
वित्तीय (रु./लाख)								
कच्ची पटसन की बिक्री	1506.45	5097.70	17406.26	18547.44	12173.06	10569	2222.63	-
बिक्री-पटसन बीज	627. 55	1214.1	580.79	322.50	392.54	816	766. 36	711. 58

2.5.8 राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी) को भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम के रूप में3 जून, 1980 को पंजीकृत ओर निगमित किया गया था जिसमें निम्नलिखित 6 (छ)पटसन मिलें जैसे नामत: पश्चिम बंगाल स्थित नेशनल, किन्नीसन, खारदाह, एलेक्स्ज़ेंड्रा, यूनियन और कटिहार,बिहार स्थित आरबीएचएम यूनिट शामिल थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सरकार की खाद्य प्रसंस्करण एजेंसियों को आपूर्ति के लिए पटसन सामानों (सेकिंग) के निर्माण का व्यवसाय करना था।

इसकी स्थापना के समय से ही इसके घाटे में चलने और निवल मूल्य में कमी आने के कारण बीआईएफआर द्वारा इसे 1993 में रुग्ण घोषित कर दिया गया था। मार्च, 2010 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मसौदा पुनरुद्धार योजना को कुल 1417.53 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित किया गया था और नवंबर, 2010 में संशोधित करके 1562.98 करोड़ रुपए किया गया था जिसे जनवरी, 2010 में बीआईएफआर द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। वस्त्र मंत्रालय के हस्तक्षेप पर, 19 मार्च, 2010 को कैबिनेट के फैसले के मद्देनजर 31.03.2011 को हुई अपनी बैठक में छ: पटसन मिलों में से एनजेएमसी द्वारा इसकी तीन मिलों (पश्चिम बंगाल में किन्निसन, खरदाह और कटिहार, बिहार यूनिट: आरबीएचएम) को चलाने के लिए बीआईएफआर ने कंपनी के पुनरुद्धार प्रस्ताव को अंततः मंजूरी दे दी। पुनरुद्धार योजना में अनिवार्य रूप से तीन मिलों नामत: नेशनल, यूनियन और एलेक्जेंड्रा को बंद करना और शेष तीन मिलों को चलाना शामिल था। इसमें सभी कर्मचारियों को वीआरएस देने, 3 मिलों को चलाने के लिए मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, पूंजीगत व्यय आदि के प्रावधान थे। तदनुसार, सभी कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया था। तदनुसार सभी कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया। हालांकि, एनजेएमसी की तीन मिलों को पुनरुद्धार करने के प्रयास सफल नहीं हुए। अंत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.10.2018 को एनजेएमसी को बंद करने की मंजूरी दे दी।

2.5.9 बड़र्स जूट एक्स्पोर्ट्स लि. (बीजेईएल),एनजेएमसी की एक सहायक कंपनी:- पटसन फैब्रिक की एक प्रसंस्करण इकाई बर्डस जूट एंड एक्पोर्ट्स लि. (बीजेईएल), लेंसडाउन जूट मिल प्रा. लि. की सहायक कंपनी थी जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी। भारी उद्योग मंत्रालय के तहत भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड

(बीपीएमईएल) ने 1980 में राष्ट्रीयकरण पर संपत्ति का अधिग्रहण किया और बीजेईएल के 58.94% इक्विटी शेयरों का धारक बन गया। इसके बाद भारत सरकार ने 1986 में बीजेईएल के शेयरों को एनजेएमसी को हस्तांतरित करने का फैसला किया और इस प्रकार यह 1986 में राष्ट्रीय जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई।

बीजेईएल ने अक्टूबर 2002 से उत्पादन गतिविधियों को बंद कर दिया था। तब से लेकर 2014-15 तक कंपनी का कोई बिक्री कारोबार नहीं था। मार्च 2016 से, बीजेईएल विपणन कार्यों में शामिल है और छोटे निर्माताओं और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित सामान्य सुविधा केंद्रों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है। बीआईएफआर ने अगस्त, 2012 में कुल 137.88 करोड़ रुपये की लागत से पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी थी। ड्राफ्ट रिवाइवल स्कीम (डीआरएस) को बीआईएफआर द्वारा निम्नलिखित दो शर्तों के साथ अनुमोदित किया गया था:

ii) एक परिसंपत्ति बिक्री समिति (एएससी) का गठन किया जाना था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य थी।

iii) बीजेईएल अपने वर्तमान भूमि उपयोग को "औद्योगिक" से "वाणिज्यिक" में बदलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करेगा।

इन दो शर्तों को पूरा न करने, मुख्य रूप से राज्य सरकार की गैर-सहयोगपूर्ण प्रकृति के कारण, पश्चिम बंगाल की पुनरुद्धार योजना पर कोई प्रगति नहीं हुई थी।

(क) बंद करने की प्रक्रिया:- पुनरुद्धार योजना के एक भाग के रूप में, बीजेईएल के सभी कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया था। वर्तमान में एनजेएमसी और बीजेईएल के पास उनके रोल पर कोई कर्मचारी नहीं है। नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर एनजेएमसी और बीजेईएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्तमान में एनजेएमसी की कुल देनदारियां/बकाया 308.43 करोड़ (31.3.2022 तक लेखा परीक्षित) रुपये और बीजेईएल की कुल देनदारियां/बकाया 152.51 करोड़ (31.3.2022 तक लेखापरीक्षित) (कैबिनेट नोट के अनुसार) हैं। तथापि, एनजेएमसी की कुल संपत्ति 2392.09 करोड़ रुपए(2017 के मूल्यांकन मूल्य के अनुसार) के बराबर है और बीजेईएलकी कुल संपत्ति 738.58 करोड़ रुपए है।

(ख) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को हुई अपनी बैठक में एनजेएमसी और इसकी सहायक कंपनी बीजेईएल को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार एनजेएमसी और बीजेईएल को बंद किया जा रहा है।

एनबीसीसी (आई) लिमिटेड को भूमि संपत्तियों के निपटान के लिए भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है और एमएसटीसी लिमिटेड को एनजेएमसी लिमिटेड और बीजेईएल द्वारा भवनों सहित चल संपत्तियों के निपटान के लिए नीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस बीच चल और अचल संपत्तियों के सत्यापन, मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए एनबीसीसी (आई) लिमिटेड को प्री-एलएमए के रूप में नियुक्त किया गया है। चल संपत्ति के संदर्भ में प्री-एलएमए रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। तथापि, अचल संपत्ति के लिए यह कार्य प्रगति पर है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। एनजेएमसी और बीजेईएल द्वारा चल संपत्ति की नीलामी के लिए एमएसटीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर अलग से हस्ताक्षर किए गए हैं तथा एनजेएमसी और बीजेईएल दोनों के लिए चल संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है।

अध्याय III

निर्यात संवर्धन

3.1 निर्यात

भारतीय वस्त्र उद्योग, चीन के बाद एमएमएफ फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में वस्त्र और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातिक है। भारत का वस्त्र और वस्त्र उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल (टीएंडए) की हिस्सेदारी 2021-22 में काफी अधिक 10.5% रही है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4.6% है। भारत के लिए प्रमुख वस्त्र और परिधान निर्यात गंतव्य यूएसए, ईयू-27और यूके हैं जिनकी वस्त्र और परिधान निर्यात में कुल हिस्सेदारी लगभग 50% है। रोजगार की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यह 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है और उनको आजीविका का स्रोत प्रदान करता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल हैं। इस क्षेत्र में सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण युवा रोजगार की महत्वपूर्ण पहलों का संरेखण है। वस्त्र और परिधान निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:-

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 (अप्रैल-दिसं.)	2022-23 (अप्रैल -दिसं.) (अनंतिम)	% अंतर
भारतीय वस्त्र एवं अपैरल का निर्यात	33,379	29,877	42,347	**30,455**	**25,837**	**-15.2% -**
हस्तशिल्प का निर्यात	1,798	1,708	2,088	**1,579**	**1,289**	**-18.4% -**
हस्तशिल्प सहित कुल टीएंडए का निर्यात	35,177	31,585	44,435	**32,034**	**27,126**	**-15.3% -**
भारत का समग्र व्यापारिक निर्यात	3,13,361	2,91,808	4,22,004	**3,05,043**	**3,32,762**	**9.1%**
समग्र व्यापारिक निर्यात (हस्तशिल्प सहित) का टीएंडसी निर्यात की हिस्सेदारी का %	11.2%	10.8%	10.5%	10.5%	8.2%	

डाटा स्रोत : डीजीसीआई एंड एस

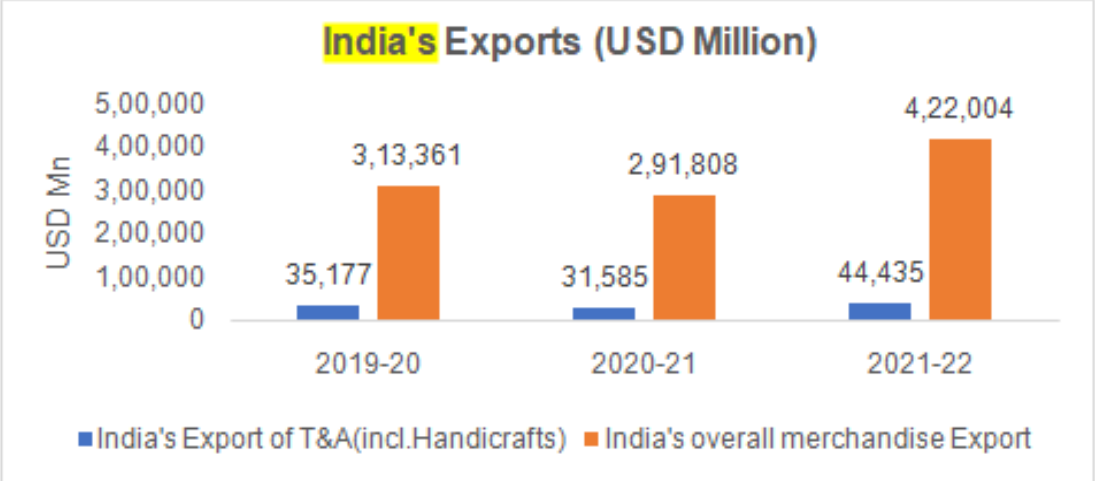

- हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल के निर्यात में 41% की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 31,585 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 44,435 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तथापि, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान निर्यात में 15% की कमी आई है।
- आंकड़े दर्शाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अप्रैल-अक्टूबर की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल-दिसंबर के दौरान रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात में 6% की सकारात्मक वृद्धि हुई है, जो कि अप्रैल निर्यात के लिए भी बेहतर वर्ष था। इसके अलावा, विश्लेषण दर्शाता है कि आरएमजी के वुवेन क्षेत्र ने लगभग 13% की वृद्धि दर्शाई है जबकि निटवियर क्षेत्र, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल-दिसंबर के दौरान में 1% की वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है।
- वस्त्र निर्यात क्षेत्र में अपैरल की हिस्सेदारी 36% है, इसके बाद यार्न (18%), मेड-अप (15%), फैब्रिक (13%), फाइबर (9%), हस्तशिल्प (5%) और कालीन (4%) हैं।
- यूएसए, यूके और ईयू-27 जैसे परंपरागत बाजारों की हिस्सेदारी कुल मिलाकर, हस्तशिल्प सहित भारत के वस्त्र और अपैरल निर्यात का 50% (यूएसए 27%, यूके 5% और ईयू-27 18%) है। यूरोपीय संघ - 27 के भीतर, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की हिस्सेदारी, हस्तशिल्प सहित भारत के वस्त्र और अपैरल का विश्व में निर्यात का क्रमशः 4%, 2% और 2% है।

आयात

- भारत वस्त्र और अपैरल का एक प्रमुख निर्यातक देश है और व्यापार अधिशेष की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश आयात, पुन: निर्यात के लिए अथवा कच्चे माल की उद्योग की आव्यश्कता के लिए किया जाता है।
- अप्रैल-दिसंबर, 2022 के दौरान भारत द्वारा वस्त्र और अपैरल (हस्तशिल्प सहित) उत्पादों का आयात में वर्ष 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 38% की वृद्धि हुई है।

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2021-22 (अप्रैल-दिसं.)**	**2022-23 (अप्रैल-दिसं.)**
हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल का आयात	**8,262**	**5,873**	**8,193**	6,005	8264
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अंतर	-	-29%	40%		38%

डाटा स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस (पी)

3.2 निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- **राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों (आरओएससीटीएल) की छूट:** मार्च 2019 से प्रभावी राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट योजना परिधान/वस्त्र (अध्याय 61 और 62) और मेड-अप (अध्याय 63) के निर्यात के लिए 31 मार्च 2024 तक जारी रखी गई है।

- **निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी):** अध्याय 60-50 के तहत आने वाले निर्यातित वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण और वितरण की प्रक्रिया पर शुल्क और करों की छूट की योजना (आरओडीटीईपी) के अतर्गत केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के करों/शुल्कों/लेवियोंकी प्रतिपूर्ति के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किए गए उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात उन्मुख विनिर्माण उद्योगों में बेहतर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। यह योजना घरेलू उद्योग और भारतीय निर्यात

को बढ़ावा देने जा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादकों के लिए एक समान अवसर प्रदान करती है ताकि घरेलू करों/शुल्कों का निर्यात न हो।

- **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:**

- वस्त्र मंत्रालय का उद्देश्य एमएमएफ और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र, जो देश में एक उभरता हुआ उद्योग क्षेत्र है, की अक्षमताओं को दूर करना और वस्त्र उद्योग को आकार और पैमाना हासिल करने में सक्षम बनाना है ताकि यह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके।
- वस्त्र उत्पादों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: एमएमएफ क्षेत्र और तकनीकी वस्त्रों पांच वर्षों की अवधि में 10,683 करोड़ रुपये के अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के साथ भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए परिकल्पित की गई है। इसका उद्देश्य आकार और पैमाना प्राप्त करने में वस्त्र क्षेत्र को और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाना है।
- योजना के दो भाग हैं; भाग-1 में प्रति कंपनी न्यूनतम 300 करोड़ रुपये के निवेश और प्रति कंपनी 600 करोड़ रुपये के न्यूनतम कारोबार की परिकल्पना की गई है; और भाग-2 में प्रति कंपनी न्यूनतम 100 करोड़ रुपये के निवेश और न्यूनतम 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर की परिकल्पना की गई है। योजना के तहत दो साल की जेस्टेशन अवधि होगी (वित्तीय वर्ष : 2022-23 और वित्तीय वर्ष : 2023-24) निष्पादन वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक हैं।
- पीएलआई योजना के अंतर्गत, कंपनियों को न्यूनतम निवेश और न्यूनतम कारोबार प्राप्त करने पर और उसके बाद वृद्धिशील कारोबार लक्ष्य हासिल करने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। योजना भाग-1 के अंतर्गत पहले वर्ष में आवश्यक कारोबार लक्ष्य हासिल करने पर 15% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना भाग-2 के अंतर्गत वर्ष 1 में आवश्यक कारोबार लक्ष्य हासिल करने पर 11% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना के दोनों भागों के तहत वर्ष 2 से अगले वर्ष 5 तक प्रत्येक वर्ष 1% प्रोत्साहन कम हो जाएगा।
- 6 डिजिट वाले एचएस कोड पर 40 एमएमएफ अपैरल एचएस लाइन, 6 डिजिटके एमएमएफ फैब्रिक की 14 एचएस लाइनों और तकनीकी वस्त्र के 10 क्षेत्रों से संबंधित उत्पादों को इस योजना के तहत शामिल किए गए हैं।
- वस्त्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए प्रचालनशील दिशा-निर्देश दिनांक 28.12.2021 को जारी किए। 1 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक वेब पोर्टल के माध्यम से वस्त्र के लिए पीएलआई योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
- कुल 67 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में समिति ने दिनांक 31.3.2022, 13.4.2022 और 27.4.2022 को हुई अपनी बैठक में 67 आवेदनों में से 64 आवेदकों का चयन किया है।
- स्वीकृत 64 आवेदनों में कुल प्रस्तावित निवेश 19,798 करोड़ रुपये और एमएमएफ तथा तकनीकी वस्त्र के वस्त्र क्षेत्र में 2,45,362 के प्रस्तावित रोजगार के साथ 1,93,926 करोड़ का अनुमानित कारोबार है। नई कंपनी के गठन की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के बाद 56चयनित प्रतिभागियों को स्वीकृति पत्र भेजे गए हैं।

3.3 निर्यात संवर्धन परिषद:

ग्यारह निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं, जो वस्त्र और अपैरल मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात रेडीमेड गारमेंट्स, कॉटन, सिल्क, जूट, वूल, पावर लूम, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स और कार्पेट, का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये परिषदें वैश्विक बाजार में अपने संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि और निर्यात का संवर्धन करने के लिए वस्त्र मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ निकट सहयोग से कार्य करती हैं।. निर्यात बढ़ाने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए परिषदें भारत और विदेशी बाजारों में वस्त्र और अपैरल मेलों और प्रदर्शनियों तथा स्टैंडअलोन शो में भाग लेती हैं। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात संवर्धन परिषदों का विवरण निम्नानुसार है:

i) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद(एईपीसी)

ii) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टैक्सप्रोसिल)

iii) सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)

iv) ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ईपीसी)

v) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद (वूल टेक्सप्रो)

vi) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)

vii) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)

viii) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)

ix) विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पी पैडिक्सिल)

x) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

xi) पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

3.4 ईपीसी के क्रियाकलाप:

- संबंधित ईपीसी द्वारा न्यूजलेटर प्रकाशित करना।
- विभिन्न बाजारों, नीतिगत विकास, निर्यात से संबंधित समाचार, सरकारी अधिसूचना, निर्यात लक्ष्य, विदेशी व्यापार पूछताछ, फैशन और प्रौद्योगिकी विकास पर नवीनतम जानकारी प्रदान करना।

अध्याय IV

कच्ची सामग्री सहायता

4.1 कपास

प्रस्तावना

कपास देश की प्रमुख फसलों में से एक है और यह घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है। यह लाखों किसानों तथा कपास उद्योग में शामिल कामगारों को कपास के प्रसंस्करण से लेकर व्यापार तक आजीविका उपलब्धं कराता है। भारत में वस्त्र उद्योग में कच्चे माल की खपत में कपास और मानव निर्मित फाइबर तथा फिलामेंट यार्न का अनुपात 59:41 है।

परिदृश्य :

क. उत्पादन एवं खपत: भारत में कपास की खेती तीन भिन्न कृषि-पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में की जाती है, उत्तरी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य शामिल हैं, मध्य क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्य आते हैं और दक्षिणी क्षेत्र जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और तमिलनाडु आते हैं। कपास की खेती पश्चिम बंगाल आदि जैसे गैर-परंपरागत राज्यों के छोटे क्षेत्रों में भी की जाती है। भारत ने आजादी के पश्चात से कपास के उत्पादन में एक गुणात्मक तथा गुणवत्तापूर्ण सुधार किया है। भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादक, खपतकर्ता और निर्यातकों में से एक बन गया है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन तथा खपत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2016-17	345.00	310.41
2017-18	370.00	319.06
2018-19	333.00	311.21
2019-20	365.00	269.19
2020-21	352.48	334.87
2021-22	312.03	316.00

स्रोत: कपास उत्पादन और खपत संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की

बैठक दिनांक 20/09/2022

ख. क्षेत्रफल/उत्पादकता : भारत में कपास की खेती के अंतर्गत 119.10 लाख हेक्टेयर के कपास क्षेत्रफल अर्थात 326.36 लाख हैक्टेयर के विश्वम क्षेत्रफल का लगभग 36% के साथ विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल है। लगभग 62 प्रतिशत भारतीय कपास वर्षा सिंचित क्षेत्रों और 38 प्रतिशत सिचिंत भूमि पर उगाई जाती है। गत 5 वर्ष के दौरान भारत में कपास की उत्पादकता निम्नानुसार है :

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर में)

वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन
2016-17	108.26	542.00
2017-18	125.86	500.00
2018-19	126.14	449.00
2019-20	134.77	460.00
2020-21	132.85	451.00
2021-22	119.10	445.00

स्रोत :कपास उत्पादन और खपत संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की

बैठक दिनांक 20/09/2022

ग. आयात/निर्यात: वर्तमान में कपास, भारत से मुक्ति रुप से निर्यात योग्य वस्तु है। भारत प्रमुख रुप से बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड आदि को कपास का निर्यात करता है जिसमें से बांग्लादेश और चीन भारतीय कपास का सबसे बड़े आयातक हैं। यद्यपि भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक व आयातक है, एक्स्ट्रा लांग स्टेपल किस्म जो देश में उपलब्ध नहीं है, की कुछ मात्रा आयात की जाती है। निम्नलिखित तालिका में पिछले पांच वर्षों के आयात और निर्यात आंकड़े दिए गए हैं:

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

वर्ष	आयात	निर्यात
2016-17	30.94	58.21
2017-18	15.80	67.59
2018-19	35.37	43.55
2019-20	15.50	47.04
2020-21	11.03	77.59
2021-22 (पी)	14.00	43.00

स्रोत :कपास उत्पादन और खपत संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 20/09/2022 *पी-अनंतिम

घ. कपास का तुलन पत्र : गत पाँच वर्षों के लिए नीचे दिया गया है: (170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (पी)
आपूर्ति						
प्रारंभिक स्टॉक	36.44	43.76	42.91	56.52	120.79	71.84
फसल आकार	345.00	370.00	333.00	365.00	352.48	312.03
आयात	30.94	15.80	35.37	15.50	11.03	14.00
कुल आपूर्ति	412.38	429.56	411.28	437.02	484.30	397.87
मांग						
मिल खपत	262.70	280.11	270.78	233.70	297.45	280.00
एसएसआई खपत	26.21	26.18	22.43	20.49	22.42	20.00
गैर वस्त्र खपत	21.50	12.77	18.00	15.00	15.00	16.00
कुल खपत	**310.41**	**319.06**	**311.21**	**269.19**	**334.87**	**316.00**
निर्यात	58.21	67.59	43.55	47.04	77.59	43.00
कुल मांग	**368.62**	**386.65**	**354.76**	**316.23**	**412.46**	**359.00**
अंतिम स्टॉक	**43.76**	**42.91**	**56.52**	**120.79**	**71.84**	**38.87**

स्रोत :कपास उत्पादन और खपत संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 20/09/2022 *पी-अनंतिम

ड़. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसमएसपी) अभियान :- बीज कपास (कपास) का मूल्य एमएसपी के स्तर से नीचे आ जाने पर किसी मात्रात्मक सीमा के बिना एमएसपी दरों पर विभिन्न एपीएमसी बाजार यार्डों में कपास किसानों द्वारा लाई गई कपास की संपूर्ण मात्रा की खरीद करने के लिए अभियान चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को नामित किया गया है।

देश के कपास किसानों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष कपास मौसम (अक्टूबर से सितम्बर) के प्रारंभ होने से पहले कृषि मंत्रालय, भारत सरकार अपने सलाहकार बोर्ड कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर कपास के दो आधारभूत स्टेपल समूहों मध्यम लंबी स्टेपल किस्म(स्टेपल लंबाई 24.5 मिमी से 25.5 मिमी तथा माइक्रोनेअर मान 4.3 से 5.1) तथा लंबी स्टेपल कपास (स्टेपल लंबाई 29.5 मी. से 30.5 मिमी. तथा माइक्रोनेअर मान 3.5 से 4.3) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है।

वर्ष 2022-2023 कपास मौसम के लिए कृषि मंत्रालय ने उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) ग्रेड का एमएसपी मध्यम स्टेपल के लिए 6080/- रुपए प्रति क्विंटल पर तथा लंबी स्टेपल कपास के लिए 6380/- रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित

किया है। कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 से आगे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित है:-

वर्ष	मध्यम स्टेपल (स्टेपल लंबाई 24.5 मिमी से 25.5 मिमी तक माइक्रोनेयर के मूल्य 4.3 से 5.1)	लंबा स्टेपल (स्टेपल की लंबाई 29.5 मी से 30.5 मिमी तक माइक्रोनेयर मूल्य 3.5 से 4.3 तक)
2016-17	3860	4160
2017-18	4020	4320
2018-19	5150	5450
2019-20	5255	5550
2020-21	5515	5825
2021-22	5726	6025
2022-23	6080	6380

बीज कपास की इन दो आधारभूत किस्मों के समर्थन मूल्य के आधार पर और गुणवत्ता अंतर, सामान्य मूल्य अंतर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की बीज कपास की अन्य श्रेणियों हेतु एमएसपी भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा कपास मौसम 2022-2023 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए कपास की अन्य किस्मों हेतु एमएसपी नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	कपास की श्रेणियों और व्यापार द्वारा प्रयुक्त निर्दिष्ट किस्मों के नाम	फाइबर गुणवत्ता पैरामीटर		न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2022-23 रुपये / क्विंटल में
		मूल स्टेपल लंबाई (2.5% स्पैन लंबाई) मिमी में	माइक्रोनेयर मूल्य	
लघु स्टेपल (20.0 मिमी और नीचे)				
1	असम कोमिला	--	7.0-8.0	5580
2	बंगाल देशी	--	6.8-7.2	5580
मध्यम स्टेपल (20.5 मिमी -24.5 मिमी)				
3	जयधर	21.5-22.5	4.8-5.8	5830
4	वी-797 / जी.कॉट 13 / जी.क़ॉट.21	21.5-23.5	4.2-6.0	5880
5	एके/वाइ-1 (महा.एवं म.प्र.)/ एमसीयू-7 (त.ना.)/ एसवीपीआर-2 (त.ना.)/ पीएसओ-2 (आ.प्र. एवं कर्ना.) / के.-11 (त.ना.)	23.5-24.5	3.4-5.5	5930
मध्यम लंबा स्टेपल (25.0 मिमी -27.0 मिमी)				
6	जे -34 (राज)	24.5-25.5	4.3-5.1	6080
7	एलआरए-5166 / के.सी.-2 (त.ना.)	26.0-26.5	3.4-4.9	6180
8	एफ-414 / एच-777 / जे-34 हाइब्रिड	26.5-27.0	3.8-4.8	6230
लंबा स्टेपल (27.5 मिमी -32.0 मिमी)				
9	एफ-414 / एच-777 / जे-34 हाइब्रिड	27.5-28.5	4.0-4.8	6280
10	एच-4/ एच-6/ एमईसीएच/ आरसीएच-2	27.5-28.5	3.5-4.7	6280
11	शंकर-6/10	27.5-29.0	3.6-4.8	6330
12	बन्नी/ब्रह्म	29.5-30.5	3.5-4.3	6380
अतिरिक्त लंबा स्टेपल (32.5 मिमी और अधिक)				
13	एमसीयू-5 / सुरभि	32.5-33.5	3.2-4.3	6580
14	डीसीएच-32	34.0-36.0	3.0-3.5	6780
15	सुविन	37.0-39.0	3.2-3.6	7580

च. वर्ष 2021-22 के दौरान कपास का एमएसपी अभियान :-

कपास मौसम 01 अक्तूबर से अगले वर्ष के 30 सितम्बर तक चलता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय कपास मौसम 1 अगस्त से प्रारंभ होता है तथा 31 जुलाई को समाप्त होता है। नवम्बर से फरवरी माह तक इस मौसम की शुरुआत आवक की गति में वृद्धि के साथ होती है तथा इसके पश्चात बाद वाले महीनों में गिरावट आनी शुरू होती है।

कपास मौसम 2021-22 के दौरान, एमएसपी अभियान शुरू करने की किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 12 कपास उत्पादक राज्यों में 143 जिलों में अवस्थित 450 खरीद केंद्र खोले। तथापि, किसानों को बाजार शक्तियों द्वारा एमएसपी दरों से अधिक कीमतें मिल रही थीं और उन्हें सीसीआई द्वारा बाजार हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

बाजार की स्थिति और कपास की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, निगम ने सतर्क दृष्टिकोण अपनाया और जहां भी व्यवहार्य हो वाणिज्यिक संचालन के तहत 0.15 लाख तैयार गांठें खरीदीं ताकि एमएसपी बुनियादी ढांचे के एक भाग का उपयोग किया जा सके और ओवरहेड व्ययों की आंशिक वसूली की जा सके। उपर्युक्त स्टॉक को दैनिक आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से एमएसएमई सहित खरीदारों को बेचा गया है।

छ. कपास का एमएसपी अभियान वर्ष 2022-23:

नया कपास मौसम 2022-23, 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हो गया है। कपास की बुआई पूरी हो गई है और सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कटाई शुरू हो गई है।

बुआई के समय अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों, पिछले वर्ष के दौरान अन्य प्रतिस्पर्धी फसलों की तुलना में बेहतर मूल्य प्राप्ति और एफएक्यू ग्रेड कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 6% तक की वृद्धि के कारण, देश में कपास की खेती के तहत क्षेत्र में कपास मौसम 2021-22 के दौरान 119.10 लाख हेक्टेयर की तुलना में 9% अर्थात 130 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हो सकती है।

कृषि मंत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कपास उत्पादन में पिछले वर्ष के 312.03 लाख गांठों की तुलना में लगभग 10% अर्थात 341.90 लाख गांठों की वृद्धि होने का अनुमान है।

इस उदेश्य से कि आगामी कपास मौसम में एमएसपी अभियान एक पारदर्शी और सक्षम तरीके से कार्यान्वित किए जाएं, वस्त्र सचिव ने सभी कपास उत्पादक राज्यों के सरकारी अधिकारियों के साथ कपास मौसम 2022-23 के लिए एक बीज कपास (कपास) के एमएसपी प्रचालनों की तैयारी पर एक बैठक की अध्यक्षता की। इसके पश्चात सभी कपास उत्पादक राज्यों को निम्नलिखित मुख्य उपाय करने हेतु निर्देश देने का निर्णय लिया है :-

i. राज्य सरकारों के सहयोग से एपीएमसी/अधिसूचित एपीएमसी में एमएसपी खरीद की मौजूदा प्रणाली को जारी रखना।

ii. डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देना, एमएसपी योजना का पूरा लाभ वास्तविक कपास किसानों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में लीकेज से बचने के लिए एक त्रुटि-रहित प्रणाली बनाना।

iii. एमएसपी परिचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सभी दस्तावेज़ यथा बोली पर्ची, तौल पर्ची, टेकपट्टी आदि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न करना और मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना सीसीआई सर्वर में स्थानांतरित करना ताकि कपास किसानों के खाते में तेजी से सीधे भुगतान की सुविधा हो।

iv. राज्य सरकार द्वारा एफ.पी. कपास की गांठों के भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करना।।

v. राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में सभी एपीएमसी और राज्य के स्वामित्व वाले गोदामों में सीसीटीवी लगाने को सुनिश्चित करना ताकि एमएसपी अभियान की उचित निगरानी और बेहतर पारदर्शिता के लिए रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके।

vi. सभी राज्य सरकारों द्वारा एमएसपी लाभ उठाने के लिए केवल एफएक्यू ग्रेड कपास लाने के बारे में कपास किसानों के बीच इसका व्यापक प्रचार करना।

सीसीआई ने कपास किसानों की सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i. 18 खरीद और बिक्री शाखाओं के अंतर्गत सभी कपास उत्पादक राज्यों में 12 कपास उत्पादक राज्यों के 143 जिलों को शामिल करते हुए 450 से अधिक खरीद

केंद्र खोले गए हैं।

ii. एपीएमसी में बैनरों के प्रदर्शन, समाचार पत्रों में विज्ञापन, अलग-अलग किसानों को पैम्पलेट के वितरण द्वारा कपास किसानों को एमएसपी दरों के बारे में आवश्यक सूचना का प्रसार।

iii. किसानों को उनके कपास के लिए उपयुक्त मूल्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से गांवों, एपीएमसी, जीएमपी फैक्ट्रियों आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पोस्टर लगाकर एपीएमसी में बिक्री के लिए सूती कपास लाने के लाभों पर जोर दिया जा रहा है।

iv. एमएसपी अभियान को समन्वित और मॉनीटर करने के लिए कॉरपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और शाखा कार्यालय में एमएसपी कक्ष गठित किया गया है।

v. एमएसपी स्टॉक की पर्याप्त भंडारण के लिए सीडब्ल्यूसी के साथ समझौता-ज्ञापन किया गया है।

vi. एमएसपी के अंतर्गत खरीदी गई कपास का शत-प्रतिशत भुगतान 72 घंटे के अंदर कपास किसानों को सीधे उनके खाते में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से करना।

vii. एमएसपी अभियान में प्रौद्योगिकी का प्रयोग:

- कॉरपोरेशन के 'कॉट-एली' मोबाइल एप के माध्यम से कपास किसानों के साथ सीधा संवाद और आउटरीच ।
- कपास किसानों को गुणवत्ता आधारित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल नमी मीटर जैसे आधुनिक उपकरण।
- कपास किसान के बैंक खातों में त्वरित सीधा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ताकपट्टी पर किसानों के फोटो सहित बिलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार करने के लिए वेब कैम और प्रिंटर सहित लैपटॉप।

4.2 पटसन और पटसन वस्त्र

प्रस्तावना

पटसन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। पटसन, गोल्डन फाइबर, सुरक्षित पैकेजिंग हेतु सभी मानकों को पूरा करने के लिए एक प्राकृतिक, नवीकरणीय,बायो-डिग्रेडेबल तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है। यह अनुमान है कि पटसन उद्योग कृषि में 40 लाख किसान परिवारों, संगठित मिलों में 2 लाख श्रमिकों, मूल्यवर्धित विविधीकरण में 2 लाख और तृतीयक और संबद्ध क्षेत्र में 3 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा पटसन के व्यापार में बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं।

कच्ची पटसन:

पटसन की वस्तुओं का उत्पादन: पटसन के रेशों का उपयोग विभिन्न प्रकार के पटसन के सामानों के उत्पादन के लिए किया जाता है जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध हैं। पटसन उद्योग पैकेजिंग के लिए वस्त्र उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर है। निम्नलिखित तालिका पिछले कुछ वर्षों में प्रारंभिक स्टॉक, कच्चे पटसन के उत्पादन और कच्चे पटसन के आयात को दर्शाती है। यह समान अवधि के दौरान कच्चे पटसन के वितरण और उपभोग को भी दर्शाती है।

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-2023 तक कच्चे पटसन का तुलन-पत्र :(मात्रा : प्रत्येक 180 कि.ग्रा.की गांठ लाख गांठों में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
(क) आपूर्ति:						
i) प्रारंभिक स्टॉक	22.00	22.40	18.40	18.0	5.00	19.00
ii) पटसन और मेस्ता फसल	76.00	72.00	68.00	60.0	90.00	95.00
iii)आयात	3.40	3.00	4.00	2.0	4.00	03.00
कुल :	**101.40**	97.40	**90.40**	**80.0**	**99.00**	**117.00**
(ख) वितरण:						
iv) मिल खपत	69.00	69.00	54.00	62.0	66.00	70.00
v)घरेलू/ औद्योगिक खपत	10.00	10.00	10.00	8.0	12.00	12.00
vi)निर्यात	शून्य	शून्य	शून्य	5.0	2.00	2.00

कुल:	79.00	79.00	64.00	75.0	80.00	84.00
(ग) अंतिम स्टॉक:	**22.40**	**18.40**	**26.40**	**5.0**	**19.00**	**33.00**

स्रोत: 2019-20 तक: पटसन सलाहकार बोर्ड और 2020-21 से: पटसन संबंधी विशेषज्ञ समिति

राज्य	**कच्ची पटसन का क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)**					
	2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
आंध्र प्रदेश	5.00	7.00	5.00	3.00	2.00	1.00
असम	76.43	78.68	73.36	69.08	67.47	66.00
बिहार	110.39	107.70	104.20	85.12	62.09	55.34
छत्तीसगढ	1.20	1.10	1.08	1.10	0.97	0.66
कर्नाटक	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	8.00	8.00	8.00	0.00	1.00	0.00
मेघालय	11.13	11.13	11.14	11.15	11.16	11.16
नागालैंड	4.91	4.95	4.98	5.01	5.04	4.42
ओडिशा	9.89	7.14	7.21	0.20	4.84	4.53
त्रिपुरा	1.28	1.17	1.09	1.15	1.05	0.70
पश्चिम बंगाल	554.08	536.17	525.44	529.01	517.66	518.63
अन्य	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
अखिल भारतीय	782.30	763.41	741.51	704.82	673.28	662.44

स्रोत: - पटसन विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कोलकाता

कच्ची पटसन का वार्षिक मूल्य रूझान (रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष (जुलाई से जून)	**टीडी-5 के लिए कच्ची पटसन का वार्षिक औसत मूल्य (पश्चिम बंगाल से बाहर)**	**एम एस पी**
2014-15	3137	2400
2015-16	5025	2700
2016-17	3997	3200
2017-18	3720	3500
2018-19	4370	3700
2019-20	4365	3950
2020-21	6447	4225
2021-22	6977	4500
2022-23 (दिसंबर, 2022 तक)	6617	4750

पटसन सामान: पटसन फाइबर का प्रयोग पटसन सामानों की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध है। पटसन उद्योग काफी हद तक पैकेजिंग के लिए वस्त्र का उत्पादन करने में लगा हुआ है।

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2014-15 से सैकिंग, हैसियन और अन्य उत्पादों के उत्पादन को दर्शाती है।

पटसन सामानों के उत्पादन का रुझान (मात्रा हजार मी.ट. में)

अवधि अप्रैल-मार्च	हैसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लोद	अन्य	कुल
2014-15	211.3	901.8	3.0	151.2	1267.3
2015-16	196.5	891.9	0.0	128.9	1217.3
2016-17	178.6	871.6	0.0	92.3	1142.5
2017-18	175.3	910.3	0.0	101.5	1187.1
2018-19	147.6	912.3	0.0	101.3	1161.2
2019-20	127.5	923.5	0.0	114.1	1165.1
2020-21	118.4	739.2	0.0	105.1	962.7
2021-22	119.4	865.1	0.0	95.5	1080.0
2022-23 (दिसंबर, 2022 तक)	87.9	766.1	0.0	66.7	920.7

स्रोत: आईजेएमए, पटसन एवं गनी सांख्यिकी, अक्टूबर 2022

पटसन सामानों की घरेलू मांग: (मात्रा हजार मी.ट. में)

अवधि अप्रैल-मार्च	हैसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लोहद	अन्यं	कुल
2014-15	171.7	873.2	0.1	111.4	1156.2
2015-16	164.2	890.2	0.0	90.2	1144.6
2016-17	140.9	855.9	0.0	78.9	1075.7
2017-18	141.9	894.2	0.0	76.5	1112.6
2018-19	130.5	900.0	0.0	82.7	1113.2
2019-20	113.8	907.9	0.0	95.0	1116.7
2020-21	96.0	738.2	0.0	84.1	918.3
2021-22	93.1	834.5	0.0	72.5	1000.1
2022-23 (दिसंबर, 2022 तक)	65.9	727.1	0.0	51.6	844.6

स्रोत: आईजेएमए, पटसन एवं गनी सांख्यिकी, अक्टूबर 20222

(क) सरकारी एजेंसियों द्वारा बी-ट्विल बैग की खरीद

भारत सरकार ने पटसन उद्योग में शामिल कच्चे पटसन उत्पादकों और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पटसन पैकेजिंग सामग्री(पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग)अधिनियम, 1987 को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने पटसन पैकेजिंग सामग्री(पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग)अधिनियम,

1987 की धारा 3की उप-धारा(1)के अंतर्गत दिनांक 27.12.2021 को का.आ.5421(अ) वाला एक आदेश जारी किया हैं जिसमें उल्लेख किया गया है कि 100%खाद्यान्न और 20%चीनी को पटसन पैकेजिंग सामग्री में अनिवार्य रूप से पैक किया जाना आवश्यक है।

वस्तुत: 30.11.2018 से वस्त्र मंत्रालय के आदेश द्वारा खाद्यान्न के आरक्षण को 100%तक बढ़ा दिया गया था, जो कि पूर्ववर्ती वर्षों में 90%था, जो पटसन उद्योग को अधिक सुरक्षा/सहायता के लिए भारत सरकार के बढ़े हुए संरक्षण को दर्शाता है जिसे निम्न तालिका से देखा जा सकता है:

तालिका : पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा अनुशंसित आरक्षण का स्तर :

वर्ष	चीनी	खाद्यान्न
2014-15	20%	90%
2015-16	20%	90%
2016-17	20%	90%
2017-18	20%	90%
2018-19	20%	100%
2019-20	20%	100%
2020-21	20%	100%
2021-22*	20%	100%

* इस आदेश को 31 मार्च, 2023 तक के लिए विस्तारित किया गया है।

विभिन्न राज्य खाद्यान्न खरीद एजेंसियां हर माह पटसन आयुक्त का कार्यालय के माध्यम से खाद्यान्न पैकिंग के लिए पटसन बैग खरीदती हैं। नीचे दी गई तालिका से, यह देखा गया है कि राज्य सरकारों और एफसीआई द्वारा बी ट्विल बैग की खरीद की बढ़ती मांग के कारण पिछले कुछ वर्षों में खरीद की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है :

मात्रा: 'हजार' गांठ में

वर्ष	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23 (20 दिसम्बर 2022 तक)**
मात्रा	2496	2600	2709	3161	2826	2546	2755	1625

(ख) कच्चे पटसन तथा मेस्टा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

किसानों के हितों की रक्षा हेतु कच्चे पटसन तथा मेस्टा के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। विभिन्न ग्रेडों हेतु मूल्यों का निर्धारण करते समय, निम्न ग्रेड की पटसन के उत्पादन को हतोत्साहित करने तथा उच्च ग्रेड के उत्पांदन को प्रोत्साहित करने के मामले पर भी विचार किया जाता है ताकि किसानों को उच्च ग्रेड की पटसन के उत्पादन हेतु प्रेरित किया जा सके।

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) पटसन हेतु भारत सरकार की मूल्य सहायता एजेंसी है। इसकी स्थापना अप्रैल, 1971 में मुख्यत: समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्ची पटसन की खरीद के माध्यम से पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा पटसन किसानों के लाभ के लिए कच्ची पटसन बाजार तथा समग्र रूप

से पटसन अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भी की गई थी।

जेसीआई आवश्यकता पड़ने पर एमएसपी अभियान चलाता है। देश भर के 500 से अधिक केंद्रों पर कच्ची पटसन का लेन-देन किया जाता है। वर्ष 2014-15 से राज्य सहकारी संस्थाओं के सहयोग से खरीदी गई कच्ची पटसन का विवरण निम्नलिखित है:-

(मात्रा हजार गांठ में)

वर्ष (जुलाई-जून)	उत्पादन	खरीद			उत्पादन के प्रतिशत के रूप में खरीद
		सहायता	वाणिज्यिक	कुल	
2014-15	7200	15.5	41.1	56.6	0.77
2015-16	6500	0	4.9	4.9	0.075
2016-17	9200	57.4	168.7	226.1	2.46
2017-18	7600	339	0	339	4.46
2018-19	7200	72	0	72	1.0
2019-20	6800	81.1	0	81.1	1.2
2020-21	6000	3.9	0	3.9	0.06
2021-22	9000	0.3	6.9	7.2	0.08
2022-23	9500*	139.0	76	215.0	2.26

1 गाँठ = 180 किग्रा.

*पटसन संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमानित। वर्ष 2020-21 से पूर्व के उत्पादन आंकड़ों का अनुमान पटसन सलाहकार बोर्ड द्वारा लगाया गया है।

^ 20 दिसम्बर, 2022 तक।

(ग) पटसन सामानों का उत्पादन

भारत विश्व में कच्ची पटसन तथा पटसन वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी देश है जो विश्व के अनुमानित उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत का उत्पादन करता है। विनिर्मित पटसन वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा मुख्यतः घरेलू बाजार में पैकेजिंग प्रयोजनों में प्रयोग की जा रही है। वर्ष 2014-15 से पटसन सामानों के उत्पादन का रुझान नीचे दिया गया है:-

(हजार मी.ट. में मात्रा)

अवधि अप्रैल-मार्च	**हैसियन**	**सैकिंग**	**कारपेट बैकिंग क्लॉथ**	**अन्य**	**कुल**
2014-15	211.3	901.8	3.0	151.2	1267.3
2015-16	196.5	891.9	0.0	128.9	1217.3
2016-17	178.6	871.6	0.0	92.3	1142.5
2017-18	173.3	902.7	1.9	100.2	1178.1
2018-19	147.6	912.3	2.0	99.5	1161.4
2019-20	127.5	923.5	0.9	113.2	1165.1

2020-21	118.4	739.2	1.1	104.1	962.8
2021-22	119.4	865.1	1.7	93.8	1080.0
2022-23 (अप्रैल-अक्टू. 22)	67.3	585.2	0.7	50.0	703.2

स्रोत : आईजेएमए, पटसन और बोरा निर्यात सांख्यिकी, अक्तूबर 2022

निर्यात में गिरावट, हैसियन तथा अन्य के साथ-साथ सस्ते व बढ़िया गुणवत्ता के हैसियन फैब्रिक के आयात के कारण हेसियन का उत्पादन कम हो रहा है जबकि पिछले 3-4 वर्षों से पिछली बढ़त से गिरावट के बाद सैकिंग का उत्पादन सरकारी एजेंसियों के द्वारा निरंतर मांग के कारण लगभग धीमा रहा है।

(घ) पटसन सामानों की खपत

भारत मुख्यत: अपने वृहद घरेलू बाजार के कारण विश्व में पटसन उत्पादों का प्रमुख उत्पादक रहा है। कुल उत्पादन में से औसत घरेलू उत्पादन लगभग 90% रहा है। वर्ष 2014-15 से पटसन सामानों की घरेलू खपत का रुझान निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

(मात्रा हजार मी.ट. में)

अप्रैल-मार्च	हेसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लॉथ	अन्य	कुल
2014-15	171.7	873.2	0.1	111.4	1156.2
2015-16	164.2	890.2	0.0	90.2	1144.6
2016-17	140.9	855.9	0.0	78.9	1075.7
2017-18	141.9	894.3	0.9	75.6	1112.7
2018-19	130.2	900.8	1.2	81.4	1113.6
2019-20	113.8	907.9	0.5	94.7	1116.9
2020-21	96.0	736.4	1.0	82.9	916.3
2021-22	93.1	834.5	0.4	72.3	1000.3
2022-23 (अप्रैल-अक्तूबर22)	51.3	554.7	0.0	38.5	644.5

स्रोत : आईजेएमए, पटसन और बोरा निर्यात सांख्यिकी, अक्तूबर 2022

(i) पटसन वस्तुओं का निर्यात निष्पादन

वर्ष 2015-16 से 2022-23 (अप्रैल-सितम्बर 2022) के दौरान निर्यात रुझान इस प्रकार हैं:

(मात्रा 'हजार' मी.टन में, मूल्य: रुपए करोड़ में)

प्रकार	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (अप्रैल-सितंबर 22)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
हेसियन	77.4	827.32	78.6	930.18	86.8	917.24	64.1	802.69	56.3	758.42	56.4	805.72	90.6	1112.90	44.8	596.90
सैकिंग	38.3	307.51	46.6	411.81	44.8	407.20	37.1	432.91	38.9	489.49	31.0	438.48	51.5	640.58	28.3	370.98
यार्न	16.9	118.56	9.3	72.76	17.0	130.20	13.6	109.42	14.1	117.91	11.6	131.54	10.5	144.45	4.5	55.71

जेडीपी	-	562.40	-	590.96	-	631.50	-	815.51	-	963.44	-	1260.79	-	1743.95	-	828.34
अन्य	5.3	76.55	6.2	68.50	4.2	72.43	6.9	112.74	4.4	94.58	3.8	103.93	9.0	143.98	28.3	78.69
कुल	137.9	1892.34	140.7	2074.21	152.8	2158.57	121.7	2273.27	113.7	2423.84	102.8	2740.46	161.6	3785.86	123.2	1930.61

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस

(ii) कच्ची पटसन एवं पटसन सामानों का आयात

वर्ष 2017-18 से 2022-23 (अप्रैल-सितम्बर 2022) के दौरान आयात रुझान इस प्रकार हैं :

भारत में कच्चे पटसन और पटसन सामानों का आयात

वर्ष	कच्चा पटसन		पटसन सामान		कुल आयात (पटसन और पटसन सामान)	
	मात्रा (हजार मी.टन	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मात्रा (हजार मी.टन	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मात्रा (हजार मी.टन	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2017-18	68.2	289.16	115.4	880.29	183.6	1169.45
2018-19	57.3	235.93	129.0	951.92	186.3	1187.85
2019-20	77.2	350.39	162.6	1362.77	239.8	1713.16
2020-21	28.9	179.28	111.2	1116.84	140.1	1296.12
2021-22	62.5	449.41	127.6	1392.65	190.1	1842.06
2022-23 (अप्रैल-सितम्बर, 2022)	64.9	458.15	96.6	667.21	161.5	1125.36

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस

(ङ) पटसन क्षेत्र हेतु पहलें/प्रोत्साहन

(i) पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम,1987

पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम) कच्ची पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री और इसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हितों में कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण में पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग करने के लिए लागू किया गया है। पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का खंड 4(1) केंद्र सरकार को ऐसे व्येक्तियों को शामिल करके स्थायी सलाहकार समिति के गठन का अधिकार देता है, जोकि सरकार की राय में, वस्तु निर्धारण अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा पटसन पैकेजिंग सामग्री के संबंध में उनके प्रतिशत के मामले में, जिनकी पैकिंग हेतु पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग किया जाना हो, परामर्श देने हेतु आवश्यमक विशेषज्ञता रखते हों।

केंद्र सरकार एसएसी की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात पटसन पैकेजिंग सामग्री अथवा उससे संबंधित किसी वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा प्रतिशतता के अनिवार्य प्रयोग के लिए जेपीएम अधिनियम की धारा 3(1) के तहत समय-समय पर आदेश जारी कर सकती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि कच्चे पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री के हित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकार कच्चे पटसन तथा पटसन वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के आधार पर पटसन में पैक किए जाने वाली वस्तुओं का आरक्षण निर्धारित कर सकती है। सरकार वस्तुओं की

आपूर्ति, वितरण श्रृंखला में रुकावट पैदा किए बिना देश में उत्पादित पटसन की फसल का उपयोग करने के लिए यथा संभव आरक्षण प्रदान करने का प्रयास कर सकती है।

वस्त्र मंत्रालय ने जेपीएम अधिनियम, 1987 के अंतर्गत दिनांक 27.12.2021 से 30.06.2022 तक वैध सा.आ.सं. 5421(अ) के तहत निम्नानुसार निर्धारित किया :-

वस्तुएं	पटसन में पैकेजिंग हेतु आरक्षण के लिए न्यूनतम प्रतिशतता
खाद्यान्न	उत्पादन का 100%*
चीनी	उत्पाददन का 20%**

*प्रारंभिक रूप से खाद्यान्नों के 10% मांगपत्र जेम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी के द्वारा जारी किए गए है।

**मिलों या खुले बाजार से खरीद एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद के अंतर्गत विविध पटसन थैलों में।

दिनांक 27.12.2021 के आदेश की वैधता का विस्तार 31 मार्च, 2023 तक के लिए किया गया है।

सीसीईए निर्णय में अधिदेश दिया गया है कि :-

- खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए पटसन थैलों की खरीद जैम पोर्टल के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर की जाएगी। शुरुआत में राज्य खरीद एजेंसियों (एसपीए) के द्वारा 10% के मांगपत्र जैम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी के माध्यम से जारी किए गए हैं। एक सीमा तक जैम पोर्टल बिडिंग के माध्यम से स्वीकृत 30 दिनों के भीतर पूर्ति करने में असमर्थ होने पर, वस्त्र मंत्रालय अनिवार्य पैकेजिंग नियमों के अपफ्रंट डाईल्यूशन की अनुमति देगा। जैम पोर्टल में जूट मिलों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन एवं आपूर्ति आदेशों (पीसीएसओ) के आबंटन का फार्मूला संशोधित किया जाएगा।
- जूट पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में अवरोध या कमी होने पर अन्य आकस्मिकता/अत्यावश्यकता की स्थिति में वस्त्र मंत्रालय प्रयोक्ता मंत्रालय के परामर्श से इन प्रावधानों को खाद्यान्न उत्पादन के प्रावधानों के अलावा अधिकतम 30% तक ढ़ील दे सकता है।
- यदि खरीद एजेंसियां खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तैयार की गई आपूर्ति योजना के अनुसार खाद्यान्नों की पैकेजिंग हेतु पटसन थैलों की मांग नहीं करती हैं और मांग की संख्या बढ़ जाती है तो पटसन थैलों की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को पर्याप्त अतिरिक्त समय मिलेगा। तथापि, यदि मिलें बढ़ाई गई अवधि में थैलों की आपूर्ति करने में असफल होती हैं तो उनके विलय से संबंधित शर्तें लागू होंगी।
- कच्ची पटसन और पटसन पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन में लगे व्यक्तियों को अनिवार्य पैकेजिंग का लाभ प्रदान करना यह सुनिश्चित करने के लिए पटसन कार्मिकों को सांविधिक बकायों की अदायगी कराने तथा पटसन किसानों तथा पटसन के खरीद पर बैलर्स को त्वरित भुगतान के लिए एक यथोचित व्यवस्था बनाई जाएगी। इस व्यवस्था में कच्चे पटसन की आपूर्ति के लिए त्वरित भुगतानों पर मिलों से कार्मिकों के सांविधिक भुगतान तथा स्व-प्रमाणन से संबद्ध राज्य सरकार के श्रम विभाग से आवधिक प्रमाणन प्राप्त करने को शामिल किया जाएगा।

इस निर्णय से देश के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय तथा त्रिपुरा में अवस्थित किसानों तथा कामगारों को लाभ होगा।

(i) **जूट-स्मार्ट,** सुशासन दिवस 2016 को माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा शुभारंभ एक ई-शासन पहल बी-ट्विल बोरों की खरीद हेतु एक स्मार्ट टूल के रूप में ई-शासन पहल है। जूट-स्मार्ट, सभी हितधारकों द्वारा उपयोग हेतु एक एकीकृत मंच मुहैया करवाने की मंशा रखता है जिससे सूचना पर आसान पहुंच, अधिक पारदर्शिता और पटसन क्षेत्र हेतु व्यापार करने की आसानी हो सके।

बी-ट्विल आपूर्ति प्रबंधन तथा मांग उपस्कर, जिसे संक्षेप में जूट-स्मार्ट कहा जाता है, वास्तव में एक वेब आधारित एपलिकेशन है जिसे बी-ट्विल बोरे की खरीद से संबंधित समग्र लेन-देन को सुकर बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह निम्नलिखित उद्देश्य हेतु बनाया गया है :

- एसपीए द्वारा बी-ट्विल के इंडेंटिंग प्रणाली का एकीकरण
- एसपीए द्वारा उनके संबंधित बैंक खातों में आवश्यक फंड का प्रेषण
- पटसन आयुक्त के कार्यालय द्वारा उत्पादन नियंत्रण सह आपूर्ति आदेश (पीसीएसओ) का नियम आधारित आबंटन
- पटसन मिलों द्वारा इंस्पैक्शन कॉल किया जाना तथा निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षकों का आबंटन

- निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना।
- लोडर्स/पटसन मिलों द्वारा रेल/रोड तथा कौंकोर से परिवहन के लिए प्रेषण सूचना अपलोड करना
- जूट मिलों द्वारा बिल बनाना तथा अंततः इस कार्यालय द्वारा पटसन मिलों को संबंधित बैंकों में भुगतान जारी करना।
- एसपीए द्वारा यदि कोई शिकायत हो तो ऑनलाइन शिकायत जेनरेट करना।
- एसपीए द्वारा प्रेषित निधि का रियल टाइम समाधान।

आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने राज्य खरीद एजेंसियों (एसपीए) द्वारा बी-ट्विल बोरे की खरीद तथा आपूर्ति के प्रचालन को आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) से लेकर 1 नवम्बर, 2016 से पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। वार्षिक तौर पर भारतीय पटसन कामगारों तथा किसानों को समर्थन देने के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 7584 करोड़ रु. मूल्य की पटसन के बोरों की खरीद की जाती है।

पूर्ववर्ती प्रणाली अधिकांशतः कागजों पर निर्भर थी और हितधारकों, मुख्यतः राज्य खरीद एजेंसियां, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पटसन मिलें, निरीक्षणकर्ता एजेंसी, लोडर, प्रेषिती, वेतन एवं लेखा कार्यालय आदि के मध्य सूचना साझा करने में बाधाएं थी। चूंकि बी-ट्विल बोरी खाद्यानों की खरीद हेतु एक आधारभूत आवश्यकता है, अतः समूचा प्रचालन समयबद्ध हैं और इनकी गहनता से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, प्रणाली में राज्य खरीद एजेंसियों को उनकी निधि में ब्याज की कमी के कारण लागत कम करने के लिए बैंकों के माध्यम से स्वचालित लेन-देन के प्रावधान हैं।

एसपीए ने पहले ही अपने बैंकों तथा निरीक्षण एजेंसियों का चयन प्रस्तावों हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तरों के माध्यम से चयनित एजेंसियों में से कर लिया है। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए राज्य खरीद एजेंसियों, बैंकों, निरीक्षण एजेंसियो तथा आपूर्ति करने वाली पटसन मिलों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

वर्तमान में जूट-स्मार्ट सॉफ्टवेयर प्रचालनशील हो गया है और 58.37 हजार करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य की 183.83 लाख गांठ के कुल मांग पत्र नवंबर, 2016 से जनवरी, 2023 तक जूट स्मार्ट के माध्यम से पहले से ही जारी किए जा चुके हैं।

जूट-स्मार्ट एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर मंच है जो राज्य सरकारों तथा एफसीआई द्वारा बी-ट्विल की खरीद की प्रक्रिया को काफी आसान, पूर्णतः पारदर्शी तथा नियम आधारित बनाएगा तथा एसपीए हेतु लागतों में भी कमी लाएगा।

च) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुरूप 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन किया गया है और पूर्ववर्ती पटसन विनिर्माता विकास परिषद और राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र को राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) में समेलित कर दिया गया है। एनजेबी अधिनियम के अधिदेशों के अनुरूप, पिछले कुछ वर्षों के दौरान एनजेबी द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति निम्नवत है:

(i) पटसन-आईकेयर (पटसन: उन्नत खेती और उन्नत रेटिंग क्रियाकलाप):-

एनजेबी चरणबद्ध तरीके से पिछले सात वर्षों से पटसन-आईकेयर (उन्नत खेती और उन्नत रेटिंग क्रियाकलाप) परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना को एनजेबी द्वारा भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (जेसीआई) और केंद्रीय पटसन और संबद्ध फाइबर अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), कृषि मंत्रालय के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना में फाइबर की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार और पटसन उत्पादन की लागत को कम करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए पटसन की खेती के वैज्ञानिक तरीकों और रेटिंग अभ्यासों के पैकेज को प्रारंभ किया गया है। वैज्ञानिक विधियों में (i) किसानों का पंजीकरण (ii) प्रमाणित बीजों, बीज ड्रिलर, नेल वीडर और सीआरआईजेएएफ सोना की आपूर्ति, एसएमएस भेजना और आधुनिक उपकरणों के उपयोग का प्रदर्शन करना, रेटिंग क्रियाकलाप आदि शामिल हैं। पटसन-आईकेयर की वास्तविक प्रगति निम्न प्रकार से है:-

विवरण	आईकेयर–I (2015-16)	आईकेयर–II (2016-17)	आईकेयर–III (2017-18)	आईकेयर-IV (2018-19)	आईकेयर-V (2019-20)	आईकेयर-VII (2020-21)	आईकेयर-VII (2021-22)	आईकेयर-VIII (2022-23)
कवर किए गए पटसन उत्पादिक ब्लॉक/राज्य की संख्याए	असम और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 4 ब्लॉक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 14 ब्लॉक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 30 ब्लॉक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 69 ब्लॉक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 72 ब्लॉक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के अंतर्गत 130 ब्लॉक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के अंतर्गत 140 ब्लॉक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के अंतर्गत 170 ब्लॉक
कवर की गई भूमि (हैक्टेयर)	12331	26264	70628	98897	106934	110893	125000	189483
कवर किए गए किसानों की संख्याए	21548	41616	102372	193070	243549	258324	300000	420309
मुहैया करवाए गए प्रमाणित पटसन बीज (जेआरओ-204 जेबीओ-2003 एच)	64 MT	160 MT	500 MT	755 MT	535 MT	604 MT	800MT	192 MT
बीज ड्रिल मशीन (सं.)	350	700	1200	1950	2550	3150	4150	4950
नेल वीडर मशीन (सं.)	500	700	1200	1950	2850	3750	4950	5750
सीआर आईजेएएफ सोना (मी.ट. में)	83	273	206	610	612	500	650	600

स्रोत : राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

परियोजना के परिणामस्वरूप पटसन कृषि में निम्नलिखित तरीके से सुधार हुआ: -

- पटसन उत्पादन (पैदावार) मौजूदा 22/23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 26/28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुआ।
- कम से कम एक ग्रेड उच्च में गुणवत्ता उन्नयन हुआ।
- उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के कारण किसानों की आय में लगभग 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई।

(ii) संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसएपीएम) :

पटसन मशीनरी की उत्पादकता बढ़ाने और पुरानी मशीनों को नई और तकनीकी रूप से उन्नत मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित करके उन्हें कुशल बनाने के लिए, एनजेबी ने पटसन मिलों और एमएसएमई-जेडीपी इकाइयों को मशीनरी की लागत का क्रमश: 20% और 30% मुहैया कराकर आईएसएपीएम योजना लागू की है। वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान, पटसन मिलों और जेडीपी इकाइयों को 7176.26 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है और पटसन मिलों/ जेडीपी इकाइयों द्वारा प्रोत्साहन राशि के 5 गुना अधिक राशि का निवेश किए जाने की संभावना है।

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प्रोत्साहन (लाख रुपए में)	362.18	355.57	1739.21	1427.23	920.12	1655.95	726.15
लाभान्वित मिलों/ यूनिट की संख्या	18	22	39	52	27	20	21

(iii) कामगार कल्याण योजना (सुलभ शौचालय) :

स्वच्छता में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पटसन मिल कार्मिकों के काम की स्थिति के लिए एनजेबी पटसन मिलों को सहायता उपलब्ध कराता है। सहायता की दर वास्तविक व्यय की 90% तथा अधिकतम 60.00 लाख (प्रति मिल/वर्ष) है। पिछले 4 वर्षों के दौरान योजना के अधीन निष्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लाख रुपए में	194.33	249.46	274.13	268.72	471.39
शौचालय ब्लॉक की संख्या	340	252	323	210	320
मिलों की संख्या	12	9	10	7	8

(टिप्पणी : वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान पटसन मिलों में शौचालयों का निर्माण नहीं किया जा सका था)

(iv) पटसन मिलों, एमएसएमई-जेडीपी यूनिटों के कार्मिकों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना

पटसन मिल कार्मिकों और एमएसएमई-जेडीपी यूनिट कामगारों के बाल विद्यार्थियों को माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सफल होने लिए शैक्षणिक सहायता/छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। पिछले 6 वर्षों के दौरान योजना के अधीन निष्पादन निम्नलिखित है-

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
छात्रवृत्ति राशि लाख रुपए में	187.20	238.84	354.74	277.36	255.25	259.70	267.55	316.45
बालिकाओं की संख्या	2721	3151	4442	3835	3573	3618	3613	4404

* एनजेडीपी के अंतर्गत - पटसन क्षेत्र के लिए वृहद योजना।

(v) निर्यात बाजार विकास सहायता (ईएमडीए) योजना

निर्यात बाजार विकास सहायता (ईएमडीए) योजना पटसन उत्पादों के पंजीकृत निर्माता तथा निर्यातकों को जीवनशैली तथा अन्य पटसन विविधीकृत उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा विदेशों में व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए सुविधा प्रदान करती है। पिछले 6 वर्षों के दौरान योजना के तहत निष्पादन निम्नलिखित है :

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ईएमडी सहायता लाख रुपए में	272.78	306.48	428.12	384.39	439.81	174.29
पंजीकृत निर्यातकों की संख्या	51	63	73	60	70	52

(टिप्पणी : कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई प्रतिभागिता नहीं की गई थी)

(vi) पटसन विविधीकृत उत्पादों तथा थोक आपूर्ति योजना के खुदरा आउटलेट

संपूर्ण देश में विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया गया है जेडीपी का विस्तार करने के लिए रिटेल आऊटलेट योजना चुनिंदा और बड़े पैमाने के उपभोग हेतु पूर्ति श्रृंखला तथा बड़ी मात्रा में आपूर्ति को प्रोत्साहित करती है। पिछले 7 वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत निष्पादन निम्नलिखित है-

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
प्रोत्साहन लाख रुपए में	71.11	94.75	95.15	51.87	30.60	2.00	1.26	30.14
इकाइयों की संख्या	11	20	25	14	10	3	8	13

*** एनजेडीपी के अंतर्गत - पटसन क्षेत्र के लिए वृहद योजना।**

(vii) पटसन एकीकृत विकास (जेआईडी) योजना:

जेआईडीएस योजना का उद्देश्य विविध क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए सही निकायों के सहयोग से संपूर्ण देश में सुदूर स्थानों पर स्थानीय इकाइयाँ स्थापित करना है। जेआईडी व संभावित उद्यमियों को फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकिंग उपलब्ध कराने, मुख्यत: तकनीकी एप्लीकेशन तथा डिजाइन /उत्पाद विकास व प्रसार पर आधारित स्तर पर प्रशिक्षण व जागरूकता प्रदान करने के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करता है। पटसन विविधीकृत उत्पादों (जेडीपी) इकाइयों, एसएचजी, डब्ल्यूएसएचजी, एनजीओ को बाजार सुविधाओं के लिए जेआईडी एजेंसियां एक प्रमुख स्रोत होंगी। इस प्रकार यह उत्पादन इकाइयों के निर्माण व पोषण में सहयोग करता है जिसमें पश्चात उद्यमों मे विकास तथा स्वयं सहायता समूहों, विशेषकर महिला स्व-सहायता समूहों (डब्ल्यूएसजी) की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोगों के लिए रोजगार सृजन करने में सहायता मिलती है।

जेआईडी योजना की 2016-17 में शुरूआत से पिछले पांच वर्षों का निष्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प्रशिक्षण व्यय (लाख रुपए में)	39.68	62.20	29.64	9.57	8.92
सहयोगी इकाइयों की संख्या	18	25	10	7	5

पिछले पांच वर्षों के दौरान (2016-17 एवं2020-21) में 65 समन्वय एजेंसियां थीं जो पटसन विविधीकृत उत्पादों के लिए 1300 लाभार्थियों को आधारभूत, उन्नत व डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदान करता है। जैसा कि मूल्यांकन किया जा चुका है, जॉब वर्क या स्वरोजगार पर पटसन विविधीकृत क्रियाकलापों में 520 से अधिक लाभार्थी हैं।

(viii) पटसन कच्ची सामग्री बैंक (जेआरएमबी) योजना

यह योजना पटसन असंगठित क्षेत्र तथा उत्पादन इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करके देश में जेडीपी क्रियाकलापों की गति को बढ़ाती है ताकि उन्हें पटसन कच्चे माल की नियमित रूप से आपूर्ति की जाती रहे। जेडीपी के लिए उत्पादन आधार बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महिलाओं, जिनके लिए सक्षम संस्थानों/एजेंसियों के फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज प्राप्त संयोजन हैं, को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह एक सतत प्रक्रिया है।

जेआरएफबी मौजूदा डब्ल्यूएचजी, कारीगरों व उद्यमियों की सेवा के अलावा, नये डब्ल्यूएसएचजी, कारीगरों व उद्यमियों को विकसित करने के लिए जेआईडी द्वारा उनके संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण व कौशल विकास प्रयासों के लिए सहयोग करने का कार्य करते हैं। 2016-17 में इसकी शुरूआत से जेआरएमबी योजना का पांचवर्षों में निष्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 *
व्यय (लाख रुपए में)	14.87	34.30	69.56	87.79	27.72	75.37
सहयोगी इकाइयों की संख्या	9	11	19	10	12	21

* एनजेडीपी के अंतर्गत - पटसन क्षेत्र के लिए वृहद योजना।

राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी)

राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी) - पटसन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए एक वृहद योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। एनजेडीपी में 15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-2022 से 2025-2026) के दौरान कार्यान्वियन के लिए 485.58 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय पर राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) द्वारा कार्यान्वियन के लिए निम्नलिखित योजनाएं/उप-योजनाएं शामिल हैं :

1. पटसन-आईकेयर (बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग क्रियाकलाप) कार्यक्रम

उद्देश्य - पटसन की खेती में गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के पैकेज की शुरुआत करना। यह कार्यक्रम एनजेबी द्वारा 2015-16 से भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (जेसीआई) और केंद्रीय पटसन और संबद्ध फाइबर अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ, आईसीएआर) के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है।

2. पटसन विविधीकरण योजना (जेडीएस)

उप-योजना :

(क) संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए पूंजीगत सब्सिडी (सीएसएपीएम) योजना को पटसन विविधीकृत उत्पादों के निर्माण और मौजूदा पटसन मिलों और एमएसएमई जेडीपी इकाइयों के आधुनिकीकरण/उन्नयन को सुकर बनाने के लिए लागू किया गया है। जेडीपी के उत्पादन के लिए मिल और एमएसएमई-जेडीपी इकाइयों को मशीनरी की लागत के 30% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(ख) पटसन संसाधन सह उत्पादन केंद्र (जेआरसीपीसी) को जेडीपी के उत्पादन के लिए स्थायी रोजगार हेतु नए कारीगरों और डब्ल्यूएसएचजी को पटसन विविधीकरण प्रशिक्षण देने के लिए कार्यान्वित किया गया है। योजना के तहत, 13 जेआरसीपीसी सहयोगी एजेंसियों को नियोजित किया गया है और उत्पादों : ऊनी पटसन कालीन, ब्रेडेड वस्तुओं और नवीन उपहार वस्तुओं, पटसन बैग के बारे में 408 नए पटसन कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) पटसन कच्चा माल बैंक (जेआरएमबी) को मिल गेट मूल्य पर जेडीपी के उत्पादन के लिए पटसन कारीगरों, एमएसएमई को पटसन कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कार्यान्वित किया गया है। योजना के तहत पटसन के कच्चे माल की आपूर्ति के लिए 21 जेआरएमबी - सहयोगी एजेंसियों को नियोजित किया गया है।

(घ) पटसन खुदरा आउटलेट (जेआरओ) योजना को खुदरा दुकानों/शोरूम के माध्यम से मौजूदा तथा नए कारीगरों/उद्यमियों को जेडीपी के संवर्धन और बिक्री के लिए सुगम बनाने हेतु कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना के तहत पटसन उद्यमियों द्वारा 13 खुदरा आउटलेट खोले गए।

(ड़) पटसन डिजाइन संसाधन केंद्र (जेडीआरसी) बाजार योग्य अभिनव पटसन विविध उत्पादों के डिजाइन और विकास के लिए और मौजूदा और नए जेडीपी निर्माताओं और निर्यातकों की मदद करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

(च) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना - जेडीपी का निर्यात करने वाली पटसन मिलों और एमएसएमई जेडीपी इकाइयों को पटसन विविध उत्पादों के निर्माण और निर्यात तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लागत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सहायता दी जा रही है। पंजीकृत निर्यातक निर्यात किए गए पटसन विविधीकृत उत्पादों पर प्रोत्साहन के लिए पटसन कच्चे माल की लागत के 5% की दर प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं, जो प्राप्तय एफओबी मूल्य का3% तक सीमित है। वर्ष 2021-22 के दौरान, एनजेबी ने योजना के तहत 318.53 लाख रुपये की राशि के 35 दावा संबंधी आवेदनों का निपटान किया। .

(छ) पटसन मार्क लोगो- पटसन मार्क इंडिया लोगो को बढ़ावा दिया जा रहा है और पटसन उत्पादों के निर्माताओं/निर्यातकों द्वारा मिश्रण प्रक्रिया में पटसन के प्रतिशत को दर्शाने वाले गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। लोगो को वस्त्र समिति, मुंबई द्वारा जारी किया गया है। 9 जुलाई, 2022 को कोलकाता में सचिव (वस्त्र) द्वारा लोगो का अनावरण किया गया।

3. बाजार विकास संवर्धन क्रियाकलाप (घरेलू और निर्यात): पटसन और पटसन उत्पाद के बाजार प्रचार के उपाय के रूप में, एनजेबी घरेलू बाजार में जेडीपी के संवर्धन और बिक्री के लिए तथा पंजीकृत पटसन निर्यातकों को पटसन वस्तुओं को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जेडीपी इकाइयों की भागीदारी की सुविधा प्रदान कर रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान, एनजेबी ने 24 घरेलू मेलों का आयोजन किया जिसमें 540 पटसन इकाइयों/लाभार्थियों ने भाग लिया और 07 पंजीकृत पटसन निर्यातकों के साथ 2 अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी की। वर्ष 2022-23 के दौरान, एनजेबी ने 34 पटसन मेंलों में 672 पटसन इकाइयों तथा 24 निर्यातक के साथ 5 अंतर्राष्ट्रीय मेले/कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की।

4. पटसन मिलों, जेडीपी-एमएसएमई के श्रमिकों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना : एनजेबी ने

इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में पटसन मिलों/एमएसएमई-जेडीपी इकाइयों के श्रमिकों की बालिकाओं को माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 5,000/- रूपए की दर से और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 10,000/- रूपए की दर से शिक्षा सहायता प्रदान की। 2021-22 के दौरान, एनजेबी ने पटसन मिलों/एमएसएमई-जेडीपी यूनिटों के श्रमिकों की 4404 बालिकाओं को 316.45 लाख रूपये की छात्रवृत्ति जारी की।

उत्पाद विविधीकरण (आरएंडडी) अध्ययन

राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय पटसन बोर्ड सक्रिय रूप से वस्त्र और गैर-वस्त्र अनुप्रयोगों में पटसन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देने में लगा हुआ है। इस दिशा में चल रहे अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में अन्य के साथ-साथ डेनिम गुणवत्ता वाले विशेषीकृत पटसन वस्त्र, पटसन और स्वत: एकाउसटिक इन्सुलेशन के लिए बांस के गूदे पटसन के सम्मिश्रण वाले विस्कोस फाइबर, दीर्घकालिक संपोषणीयता के लिए पटसन जियो-टेक्सटाइल्स पर नैनो-तकनीकी हस्तक्षेप, पटसन और अन्य प्राकृतिक रेशों वगैरह के साथ लागत प्रभावी हस्तनिर्मित कालीन शामिल हैं। विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघ जैसे नेत्रा, अतीरा, एनआईटी, निनफेट, डब्ल्यूआरए को अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं सौंपी गई है और विभिन्न अनुप्रयोगों में पटसन की संभावनाओं का पता लगाया गया है।

4.3. रेशम और रेशम उत्पादन

प्रस्तावना : रेशम, कीट से निकले तंतु से बना एक वस्त्र है, जिसमें चमक-दमक, वस्त्र विन्यास और मजबूती का गुण होता है। इन्हीं अनूठी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में रेशम को "वस्त्रों की रानी" के रूप में जाना जाता है । भारत प्राचीन सभ्यताओं का देश रहा है और इसने दुनिया को कई वस्तु प्रदान की हैं, रेशम उनमें से एक है। भारत, रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तथापि, भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो रेशम की सभी पांच वाणिज्यिक किस्मों जैसे मलबरी, उष्णकटिबंधीय तसर, ओक तसर, मूगा और एरी का उत्पादन कर रहा है। भारतीय रेशम उद्योग में उच्च रोजगार सृजन क्षमता के साथ ही साथकम पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है और रेशम उत्पादकों को अच्छी आय प्राप्त होती है।

4.3.1 भौतिक प्रगति

भारत 34,903 मीट्रिक टन रेशम के उत्पादन के साथ चीन के बाद दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादित रेशम की चार किस्मों में, शहतूत 73.97% (25,818 मीट्रिक टन), तसर 4.20% (1,466 मीट्रिक टन), एरी 21.10% (7,364 मीट्रिक टन) और मुगा 0.73% (255 मीट्रिक टन) हिस्से के साथ कुल कच्चा रेशम उत्पादन 34,903 मीट्रिक टन है। वाइवोलटाइन कच्चे रेशम के उत्पादन में 17.07% की वृद्धि हुई है जो 2020-21 के दौरान 6,783 मीट्रिक टन से 2021-22 के दौरान से 7941 मीट्रिक टन हो गया है। इसके अलावा, वन्या रेशम के तहत, तसर उत्पादन 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान 45.48% कम हो गया है, इसका मुख्य कारण प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों और फसल के मौसम के दौरान अनियमित वर्षा है। तथापि, 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान एरी और मुगा रेशम के उत्पादन में क्रमशः 6% और 6.7% की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान किस्म-वार कच्चे रेशम का उत्पादन, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए लक्ष्य और उपलब्धि (अक्तूबर, 2022 तक) का ब्यौरा निम्नलिखित है:

विवरण	2018-19 उपलब्धि	2019-20 उपलब्धि	2020-21 उपलब्धि	2021-22 उपलब्धि	2022-23	
					लक्ष्य	उपलब्धि (अक्टूबर, 2022 तक)
मलबरी पौधरोपण (लाख हेक्टेयर)	2.35	2.39	2.38	2.42	2.60	2.50
कच्चा रेशम उत्पादन:						
मलबरी (बाईवोल्टाइन)	6987	7009	6783	7941	9250	4571

मलबरी (संकर नस्ल)	18358	18230	17113	17877	19510	10121
उप-जोड़ (मलबरी)	**25345**	**25239**	**23896**	**25818**	**28760**	**14691**
वन्य						
तसर	2981	3136	2689	1466	3850	202
एरी	6910	7204	6946	7364	7900	4746
मूगा	233	241	239	255	290	151
उप जोड़ (वन्या)	**10124**	**10581**	**9874**	**9085**	**12040**	**5099**
कुल योग	**35468**	**35820**	**33770**	**34903**	**40800**	**19790**
संचयी अनुमानित रोजगार (लाख व्यक्ति)	9.1	9.4	8.7	8.8		

स्रोत: राज्य रेशम कृषि विभाग से प्राप्त एमआईएस रिपोर्ट से संकलित।

क. योजना एवं इसके घटक

केन्द्र-क्षेत्र की योजना नामत:"सिल्क समग्र-2" रेशम उद्योग के विकास की एक एकीकृत योजना है, जो निम्नलिखित चार घटकों के साथ 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए कार्यान्वियनाधीन है :

1. अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल
2. बीज संगठन
3. समन्वयन तथा बाजार विकास
4. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली, निर्यात, ब्राण्ड उन्नयन व प्रौद्योगिकी उन्नयन

सिल्क समग्र-2 के सभी चार मुख्य घटक आपस में जुड़े हैं और सबका सामान्य लक्ष्य एक है। अनुसंधान व विकास इकाईयां प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित करने के साथ-ही-साथ, स्टेकहोल्डरों को उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देती हैं और फ्रंट लाइन प्रदर्शन के माध्यम से तकनीक को क्षेत्र में स्थानांतरित करती हैं, जबकि बीज उत्पादन इकाइयों की जिम्मेदारी है कि प्रजातीय गुणवत्ता, संकर ओज और नस्लों की शक्ति बनाए रखने के लिए चार स्तरीय बीज प्रगुणन नेटवर्क को अद्यतन रखे तथा अपने एककों एवं राज्य की बीज उत्पादन इकाइयों को नाभिकीय एवं मूल बीज की आपूर्ति करें और राज्य इकाइयों को मूल बीज उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सुविधा प्रदान करें। केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बोर्ड सचिवालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सरकार के समन्वय से विकासशील योजनाएं तैयार कर इन्हें कार्यान्वित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेशम उद्योग के विकास के लिए उन योजना कार्यक्रमों के परिणाम राज्य सरकार के समन्वय से स्टेकहोल्डरों तक पहुंच रहे हैं। गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के अधीन कार्यरत इकाईयां, रेशमकीट बीज, कोसा, कच्चा रेशम तथा रेशम उत्पाद सहित संपूर्ण रेशम मूल्य श्रृंखला के लिए अनुसंधान व विकास इकाईयों द्वारा स्थापित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने तथा प्रमाणित करने में सहायता प्रदान करती हैं, इसके अलावा भारतीय रेशम मार्क संगठन (एसएमओआई) द्वारा उचित ब्रांड के माध्यम से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रेशम मार्क लेबल के माध्यम से शुद्ध रेशम उत्पादों का संवर्धन करता है ।

इन योजनाओं से संबंधित विवरण सीएसबी वेबसाइटhttp://www.csb.gov.in/में दिया गया है ।

वैयक्तिक लाभार्थी उन्मुख सिल्क समग्र-2 घटक के लिए वित्त/पोषण की पद्धति (%)निम्नानुसार है :

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों के अतिरिक्त वैयक्तिक लाभार्थी उन्मुख सिल्क समग्र-2 घटक के लिए निधि साझाकरण की

पद्धति (%)निम्नानुसार है :

श्रेणी (छोटे और सीमांत किसान)	**भारत सरकार (सीएसबी)**	**राज्य**	**लाभार्थी**
सामान्य राज्य	50 %	25 %	25 %
सामान्य राज्य – एससीएसपी व टीएसपी के लिए	65 %	25 %	10 %
विशेष दर्जा प्राप्त राज्य (सामान्य,एससीएसपी व टीएसपी के लिए)	80 %	10 %	10 %

2. सेरी व्यापार उद्यम/नए उद्यमियों के लिए वित्त-पोषण पैटर्न (%)

श्रेणी (नए उद्यमी/ स्टार्ट-अप)	**भारत सरकार (सीएसबी)**	**राज्य**	**लाभार्थी**
सामान्य	30 %	20 %	50 %
एससीएसपी, टीएसपी, विशेष दर्जे वाला राज्य/ पूर्वोत्तर राज्य	40 %	30 %	30 %
मौजूदा उद्यमी			
सामान्य	20 %	20 %	60 %
एससीएसपी, टीएसपी, विशेष दर्जे वाला राज्य/ पूर्वोत्तर राज्य	30 %	30 %	40 %

3. एनईआरटीपीएस के अनुरूप पूर्वोत्तर विशिष्ट रेशम कृषि परियोजनाओं के लिए वित्त-पोषण की पद्धति (%) निम्नानुसार जारी रहेगी :

श्रेणी	**भारत सरकार (सीएसबी)**	**राज्य**	**लाभार्थी**
समूह क्रियाकलाप/ समुदाय आधारित कार्यक्रम **(छोटे और सीमांत किसान)**	100 %	-	-
समान सुविधा/ राज्य आधारभूत ढांचा	90 %	10 %	-
व्यक्तिगत लाभार्थी **(छोटे और सीमांत किसान)**	90 %	-	10 %

4.3.2. सिल्क समग्र-2 की विशेषताएं

1. आनुवंशिक आधार तथा संकर ओज को सुदृढ़ करने के लिए सहयोगी अनुसंधान पर जोर।

2. फसल चक्र को बढ़ाने के लिए अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देना, नियंत्रित कीटपालन के लिए वान्यान रेशम के व्यवस्थित पौधरोपण में विस्तार।

3. समूह पहल के माध्यम से उत्तर-पूर्व सहित गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रेशम उत्पादन के क्षैतिज विस्तार को बढ़ावा देना।

4. लाभार्थियों के लिए मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।

5. जैव कृषि और पर्यावरण अनुकूल रेशम – वान्याम रेशम, को बढ़ावा देना।

6. किसान नर्सरी से वस्त्र उत्पादन तक उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए लाभार्थियों को महत्वपूर्ण निवेश समर्थन प्रदान करना।

7. अतिरिक्त मूल्य प्राप्ति के लिए कुक्कुट आहार के लिए रेशमकीट उपोत्पाद(प्यूपा) का उपयोग, सौंदर्यवर्धक अनुप्रयोग के लिए सेरिसिन और गैर-बुने हुए कपड़े, रेशम डेनिम, रेशम बुनाई आदि में उत्पाद विविधीकरण।

8. राज्य के बीज प्रगुणन सुविधाओं के उन्नयन और कच्चे रेशम के उत्पादन-लक्ष्य से मेल खाने के लिए बीज उत्पादन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

9. वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करके स्वचालित बीज उत्पादन केंद्रों, मूल बीज फार्मों और विस्तार केंद्रों द्वारा पंजीकरण और रिपोर्टिंग के माध्यम से बीज अधिनियम को सुदृढ़ बनाना।

10. रीलिंग प्रौद्योगिकी का उन्नयन और" मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के अधीन विकसित स्वदेशी स्वचालित रीलिंग मशीन और उन्नत वान्याप रीलिंग उपकरणों को बढ़ावा देना।

11. रेशम उत्पादन के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना – स्वयं सहायता समूह/समूह पहल को बढ़ावा देना।

12. ब्रांड उन्नयन- भारतीय रेशम के जेनेरिक उन्नयन और भारतीय रेशम उत्पादों के लिए वैश्विक छवि सृजित करना।

13. रेशम उत्पादन के विस्तार हेतु अधिक जिलों को शामिल करने के लिए एकल खिड़की आधारित सिल्क्स रेशम उत्पादन सूचना संबद्ध ज्ञान प्रणाली पोर्टल का विस्तार।

14. बेहतर योजना के लिए रेशम उत्पादन डेटाबेस का विकास सुनिश्चित करना। सभी पंजीकृत किसानों और रीलरों तथा राज्य कार्यकर्ताओं को कोसा और कच्चे रेशम मूल्य संबधी मुफ्त एसएमएस सेवा।

योजनागत स्कीमों के लिए वित्तीय आबंटन :

पिछले चार वर्षों (2018-19 से 2021-22) और चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 (अक्तूबर, 2022 तक) के दौरान "सिल्क समग्र" और "सिल्क समग्र-2" योजना से संबंधित वर्ष-वार वित्तीय प्रगति का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

योजना	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (अक्टूबर तक -2022)	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
सिल्क समग्र/ सिल्क समग्र-2	120.00	117.41	209.91	209.91	202.13	202.13	374.56	365.55	382.22	106.85
उसमें से उत्तर पूर्व के लिए	14.00	11.41	11.50	11.50	22.75	22.75	35.47	33.84	29.52	14.24
उसमें से एससीएसपी के लिए	25.00	25.00	30.00	30.00	41.25	41.25	35.00	35.00	25.00	0.11
उसमें से टीएसपी के लिए	15.84	15.84	20.00	20.00	31.50	31.50	50.00	43.75	35.00	17.5

नोट : प्रशासनिक लागत को छोड़कर केवल योजना लागत।

4.3.3. उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना :

उत्तर पूर्व, रेशम उत्पादन का गैर-परंपरागत क्षेत्र है और इसी कारण, भारत सरकार ने उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन के साथ परपोषी पौधारोपण विकास से अंतिम उत्पाद तक महत्वपूर्ण मध्यस्थता से सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में रेशम उत्पादन के समेकन एवं विस्तार के लिए विशेष जोर दिया है । इसके एक भाग के रूप में उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस), वस्त्र मंत्रालय की एक वृहद योजना, के अधीन भारत सरकार ने सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के चयनित संभाव्य जिलों में 1115.64 करोड़ रुपए की कुल लागत पर जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 963.74 करोड़ रुपए है, व्यापक श्रेणियों अर्थात एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी), सघन बाइवोल्टाराइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी), एरी स्पन सिल्क मिल्स और महत्वकांक्षी जिलों के अंतर्गत कार्यान्वियन के लिए 38 रेशम उत्पादन परियोजनाओं का अनुमोदन दिया है। उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वियन के परिणामस्वरूप 50,826 लाभार्थियों को कवर करते हुए शहतूत, एरी, मुगा और ओक तसर क्षेत्रों के तहत लगभग 37,326 एकड़ में बागान लगाए गए और 2013-14 के दौरान 4602 मीट्रिक टन से 2021-22 के दौरान 7936 मीट्रिक टन तक पूर्वोत्तर राज्यों में कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दिया गया।

4.3.3.1. एकीकृत रेशमकृषि विकास परियोजना (आईएसडीपी)

बीटीसी सहित असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में आईएसडीपी के तहत 631.97 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा 525.11 करोड़ रुपये) की कुल लागत के साथ अठारह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अक्टूबर-2022 तक, 482.73 करोड़ रुपये की राशि को इन परियोजनाओं के लिए जारी किया गया है, 29,910 एकड़ शहतूत, एरी और मुगा के बागान लगाए गए और लगभग 38,178 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

त्रिपुरा में सिल्क प्रिंटिंग यूनिट : त्रिपुरा में उत्पादित रेशम और फैब्रिक के मूल्यवर्धन के लिए रेशम प्रिंटिंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए, एनईआरटीपीएस के तहत सिल्क प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग यूनिट की स्थापना के लिए 100% केंद्रीय सहायता से कुल 3.71 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना अनुमोदित की गई थी। इस यूनिट का लक्ष्य 1.50 लाख मीटर रेशम प्रति वर्ष प्रिंट और प्रसंस्करण करना है।

सीएसबी में बीज अवसंरचना इकाइयाँ: असम, बीटीसी, मेघालय और नागालैंड में मलबरी, एरी और मूगा क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने हेतु, 37.71 करोड़ रुपये की कुल लागत से 6 रेशमकीट बीज उत्पादन इकाइयाँ 100% केंद्रीय सहायता से स्थापित की गईं। राज्यों और हितधारकों को आपूर्ति करने के लिए इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता 30 लाख मलबरी डीएफएल और 21.51 लाख मूगा और एरी डीएफएल है।

4.3.3.2 गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी)

पूर्वोत्तर राज्यों में आयात विकल्प बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन करने के लिए, आईबीएसडीपी के तहत भारत सरकार की 258.74 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी के साथ कुल 290.32 करोड़ रुपये की कुल लागत से दस परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के लिए अक्टूबर-2022 तक 237.08 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। लगभग 4,650 एकड़ में मलबरी पौधरोपण किया गया है और सभी पूर्वोत्तर राज्यों (मणिपुर को छोड़कर) में लगभग 9,379 महिला लाभार्थी लाभान्वित हुई हैं।

4.3.3.3 एरी स्पन सिल्क मिल्स (ईएसएसएम):

प्रतिवर्ष 165 मी.टन एरी स्पन यार्न का उत्पादन करने के लिए कुल 72.31 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा 65.00 करोड़ रुपए) की लागत पर असम, बीटीसी और मणिपुर राज्यों में 3 एरी स्पुन सिल्क मिलों का अनुमोदन किया गया है जिससे मिलों की स्थापना के बाद लगभग 7500 स्टेकहोल्डरों को लाभ मिलेगा।

4.3.3.4. आकांक्षी जिलों में रेशम उत्पादन का विकास :

भारत सरकार ने राज्य सरकारों की सहभागिता से जिले की संभाव्यता के अनुसार मलबरी, एरी, मूगा या ओक तसर को शामिल करते हुए प्रति जिला एक/दो ब्लॉक्स में आकांक्षी जिलों में रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की है। इस समय असम, बीटीसी, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों में 79.60 करोड़ रुपए की कुल लागत पर जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 73.47 करोड़ रुपए है, 5 रेशम उत्पोदन परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। इन परियोजनाओं में 3,360 एकड़ बागान शामिल है जिससे लगभग 4,245 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा।

अक्टूबर-2022 तक, इन परियोजनाओं के लिए 59.77 करोड़ रूपये की राशि से लगभग 2,766 एकड़ शहतूत, एरी, मुगा या ओक तसर के बागान लगाए गए और लगभग 3,269 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

4.3.4. अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आईटी पहलें

4.3.4.1. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

- 2022-23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान, 19 अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ और कार्यान्वित की गईं, यथा 10 (मलबरी क्षेत्र), 4 (कोकून पश्च क्षेत्र) और 5 विशिष्ट क्षेत्र (बीज, जर्मप्लास्म और जैव प्रौद्योगिकी)।
- 2022-23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान, 08 अनुसंधान परियोजनाएं अर्थात 5 (मलबरी क्षेत्र), 2 (कोकून पश्च क्षेत्र) संपन्न की गईं।
- 2022-23 के दौरान सीएसबी आर एंड डी संस्थानों द्वारा कुल 31 नए अवधारणा नोट प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें से 13 को मंजूरी दी गई थी (05 कोडिड और 05 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं); 12 प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए; 04 अवधारणा नोट संशोधन/पुनः प्रस्तुत करने के लिए भेजे गए; 02 अवधारणा नोट पायलट अध्ययन के रूप में अनुमोदित किए गए।
- सीएसबी आरएण्डडी संस्थान, बहु-संस्थागत सहयोग (सीएसबी आरएण्डडी संस्थानों के मध्य) के अलावा, अन्य अनुसंधान संस्थानों जैसे आईआईएसी बेंगलुरू, एनईएसएसी शिलांग, भट बायोटेक बेंगलुरू, टीटीआरआई-जोरहाट, आईसीएआर (सीआईएफआरआई कोलकाता, एनबीएआईआर बेंगलुरू), आईआईएचआर बेंगलुरू), सीएसआईआर (सीएफटीआरआई-मैसूर, एनईआईएसटी-जोरहाट) और राज्य विश्वविद्यालयों (उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय-मणिपुर, एएयू-जोरहाट, वेल टेक यूनिवर्सिटी-चेन्नई, एसीयू-मांड्या), प्रदान, नाबार्ड आदि के साथ भी सहयोग करते हैं। वर्तमान में ऐसी 18 परियोजनाएं इन संस्थानों/संगठनों के सहयोग से चलाई जा रही हैं।
- सीएसबी आरएण्डडी संस्थानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी किया गया है। वर्तमान में, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री एण्ड टेक्नोलॉजी-जापान, यामागुची विश्वविद्यालय-जापान, उज्बेक अनुसंधान संस्थान-उजबेकिस्तान जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से दो शोध परियोजनाएं चल रही हैं।
- आंतरिक वित्त-पोषण के अलावा, सीएसबी आरएंडडी संस्थान राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे डीएसटी, डीबीटी, पीपीवी एण्ड एफआर और नाबार्ड आदि से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सीएसबी की विभिन्न इकाइयों में बाहरी वित्त-पोषण से कुल 11 शोध परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।.

4.3.4.2. अनुसंधान एवं विकास पहल–मलबरी क्षेत्र

- प्लोइड पहचान के लिए 175 परिग्रहणों की जांच की गई (158 - डाइप्लोइड, 06 - ट्राइप्लोइड, 04 - एक्साप्लोइड और 1 - डेकासोप्लोइडी)।
- डीयूएस विशेषता उदाहरण के लिए, संदर्भ और उम्मीदवार किस्में (27 रूपात्मक वर्ण दर्ज)।
- सी-9 (सी-2058) ने पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों (एमएलटी) की लाल और लेटराइट मिट्टी के तहत सी-2038 की तुलना में 10% अधिक पत्ती उत्पादकता दर्ज की।
- चार नए जीनोटाइप (सी-174, ई-13, सी-252 और सी-131) ने एफवाईटी के तहत बेहतर पत्ती की गुणवत्ता और कम कीट गंभीरता के साथ सी-2038 की तुलना में 13-20% अधिक पत्ती उपज दर्ज की।
- सी-2038 की खेती ने 120% आरडीएफ के साथ 2'×2' रिक्ति के तहत नियंत्रण की तुलना में 18% अधिक पत्ती उपज और पोषक गुणवत्ता दर्ज की गई।
- इफ्लावायरस के पूरे जीनोम अनुक्रम को डीकोड किया गया है (एनसीबीआई परिग्रहण संख्या एमडब्ल्यू।15117)।
- विडी ग्रीनपथ 2एमएल प्रति लीटर (ऑर्गेनिक)/ वेटेबल सल्फर 80% डब्ल्यूडीजी @3ग्रा/लहटी/ साइनोपाइराफेन 30% एससी (कुनोइची) @ 0.5 एमएल प्रति लीटर/ फेनाज़ाक्विन मैजिस्टर 10%ईसी 1.5 एमएल प्रति लीटर संरचना घुन के प्रबंधन के लिए अनुशंसित (पॉलीफागोटारसोनेमस लैटस)।
- पीपीआर 1, गोशोरामी और चाइनीज व्हाइट के पत्ते और नोडल अन्वेषकों से कैलस इंडक्शन प्राप्त किया गया।

- 14 एसएसआर प्राइमरों की पॉलीमॉरफिक के रूप में पहचान की गई और शहतूत जर्मप्लास्ट में संदिग्ध डुप्लिकेट अलग-अलग माने गए।
- हाप्लोइड पौधे की पहचान के लिए पीसीआर आधारित मार्कर विकसित किए गए।
- कीटनाशकों का पता लगाने के लिए मानकीकृत पेपर-स्ट्रिप विधि।
- शहतूत प्यूपा आधारित मेयोनेज़ और बेवरेज मिक्स और एरी अचार, एरी रोस्टेड और मसालेदार प्यूपा उत्पाद तैयार किए गए हैं और संवेदी मूल्यांकन किया गया है।
- मछलियों की तीन प्रजातियों (पंगासिनोडोन हाइपोथैलेमस, ओरियोक्रोमिस निलोटिकस और अमूर कार्प) के लिए रेशमकीट प्यूपा आधारित पोल्ट्री और मछली आहार फार्मूलेशनों का परीक्षण किया गया।
- उत्पादक डबल हाइब्रिड डीएचपी5 (कोकून उत्पादन - 77.05 किग्रा/100 डीएफएलएस; 1.942 ग्राम कोकून वजन; 0.450 ग्राम खोल वजन) और 23.18% शेल)।
- बेहतर क्रॉसब्रीड, 12वाई x बीएफसी1 को एचएसी-सीएसबी द्वारा (45-55 किग्रा/100 डीएफएलएस के साथ 2.3 लाख डीएफएलएस) के सफल प्राधिकार परीक्षणों के बाद अधिकृत किया गया है तथा पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में व्यावसायिक दोहन के लिए अनुशंसित किया गया है।
- 115 बाइवोल्टाइन और 83 मल्टीवोल्टाइन रेशमकीट जर्मप्लास्म का मूल्यांकन 8 आर्थिक मापदंडों (उर्वरता, ईआरआर/संख्या, ईआरआर/भार (किग्रा), कोकून वजन (ग्रा.), खोल वजन (ग्रा.), खोल अनुपात (%), औसत फिलामेंट लंबाई (एम) और डेनियर) में अंतर्प्रजनन अवसाद के लिए किया गया था।
- रेशम के कीड़ों में नोसेमा रोगज़नक़ का पता लगाने के लिए एलिसा और डॉट ब्लॉट एसे जैसी इम्यूनोडायग्नोस्टिक तकनीक विकसित की गई थी।
- वर्तमान में रेशमकीट फसलों को संक्रमित करने वाले माइक्रोस्पोरिडियन को अनुक्रमित किया गया है और इसकी पहचान नोसेमा बॉम्बिसिस के रूप में की गई है, जिसमें नोसेमा बॉम्बिसिस (चीन, कर्नाटक और एपी और एनसीबीआई ओपी090641.1 को प्रस्तुत अनुक्रम) के लिए 100% समानता है।
- वन्या और शहतूत रेशम के कीड़ों में पेब्रिन रोग उत्पन्न करने वाले नोसेमा रोगज़नक़ का पता लगाने के लिए एलएफ़ए के विकास हेतु नोसेमा एसामेन्सिस के ट्रांसक्रिप्टोम को एकत्र और विश्लेषित किया गया और कैंडिडेट जीन की पहचान की गई। पीईटी32ए जीवाणु अभिव्यक्ति प्रणाली का उपयोग करके व्यक्त किए गए दो जीनों का पूर्ण लंबाई ओआरएफ।
- एलएफए के विकास के लिए पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए व्यक्त प्रोटीन का उपयोग किया गया है।
- कम्प्यूटरीकृत ज़री परीक्षण के लिए प्रोटोकॉल विकसित किया गया।

4.3.4.3. आर एंड डी पहल - वन्य क्षेत्र

- तवांग, अरूणाचल प्रदेश में अत्यधिक ऊंचाई से एकत्र किए गए 02 और प्राप्तियों के साथ अरंडी जीन पूल को समृद्ध किया गया था (अब तक कुल 30 प्रविष्टियां एकत्र की गईं: 24 बारहमासी और 6 वार्षिक)।
- सोम पौधों को व्यावसायिक रूप से उपलब्ध बीज खपतवार (एस्कोफिलम नोडोसम) के 0.2% अर्क से पुष्ट किया गया और पत्तियों की पोषक गुणवत्ता और कोकून विशेषताओं में सुधार हुआ।
- ए. एसामेंसिस में विरोसिस के कारक रोगज़नक़ की पहचान साइपोवायरस 4 (एएसीपीवी4) के रूप में की गई है।
- वन्य रेशम के कीड़ों में एएसीपीवी4, आइफ्लावाइरस और नोसेमा प्रजाति की एक साथ पहचान के लिए एक मल्टीप्लेक्स पीसीआर विकसित किया गया है।
- तसरजियो टैग मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया और तसर रेशमकीट पारि-प्रजाति के सर्वेक्षण के लिए मोबाइल और गगन डोंगल दोनों के साथ संयोजित किया गया है।
- 5000 डीएफएलएस ब्रशिंग क्षमता के साथ मॉडल एरी चौकी कीटपालन गृह को डिजाइन और निर्मित किया गया (किसानों के खेत में ~ 20% से अधिक उपज)।
- मुगा रेशमकीट सुधार कार्यक्रम के तहत, एक मूगा रेशमकीट लाइन को बेहतर विशेषताओं जैसे फिलामेंट (~500 मीटर), कॉम्पैक्ट कोकून और उर्वरता (~250) के साथ स्थिर किया गया।

- मुगा रेशमकीट ए. एसामेंसिस के पूरे जीनोम डाटा का विश्लेषण किया गया और रेशम के चरित्र और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित जीन की पहचान की गई।
- रेशमीन (तसर स्पेंट प्यूपा से प्राप्त मछली आहार) का पेटेंट और व्यावसायीकरण शुरू किया गया।
- समान मुगा कोकून कुकिंग विकसित करने के लिए एक त्वरित और कुशल विधि (कोकून-पूर्व उपचार) विकसित (पकने का समय 3-4 गुना कम, पुन: प्रयोज्यता, रीलेबिलिटी में सुधार और सोडा-बेस विधि की तुलना में कच्चे रेशम की रिकवरी में 10% सुधार) की गई।

4.3.4.4. व्यावसायीकरण के लिए प्राप्त पेटेंट/पेशकश की गई प्रौद्योगिकियां/उत्पाद

क. प्रदान किया गया पेटेंट:

1. रेशम के कीड़ों के लिए डस्टिंग मशीन (च्वाकी डस्टर) पेटेंट संख्या 394974 को 19.04.2022 को प्रदान किया गया - सीएसआरटीआई-मैसूर।
2. रेशम के कीड़ों के पालन के लिए ट्रे की सफाई और कीटाणुशोधन के लिए एक मशीन (ट्रे वॉशिंग मशीन) पेटेंट संख्या 402483 को 28.07.2022 को प्रदान किया गया - सीएसआरटीआई-मैसूर।
3. वन्या सिल्क वेट रीलिंग मशीन, पेटेंट सं. 407711 27.09.2022 को प्रदान किया गया - सीएसटीआरआई-बेंगलुरु।
4. निर्मूल (5146724 दिनांक 24.09.2022) - ट्रेड मार्क प्रदान किया गया - सीएसआरटीआई-बेरहामपुर।

ख. व्यावसायीकरण:

1. पोषण - मैसर्स आर.वी.सेरी एग्रोवेट, कोलार:13.06.2022, मैसर्स सीरियो केयर, कोलार: 14.07.2022, मैसर्स सेरी-कॉन टेक्नोलॉजीज, बेंगलुरु: 20.09.2022 (आर) - सीएसआरटीआई-मैसूर।
2. विजेता - बिस्तर कीटाणुनाशक - मैसर्स हेल्थलाइन प्रा. लिमिटेड - सीएसआरटीआई-मैसूर।
3. कोकून कटिंग कम प्यूपा सेपरेटर मशीन - मैसर्स एनएसटीजी इंडिया प्रा. लिमिटेड - सीएसआरटीआई-मैसूर।
4. मैसर्स बायोसेफ हाइजीन के साथ पेब्रिन विज़ुअलाइज़ेशन सॉल्यूशन (पीवीएस) का व्यावसायीकरण को 19.05.2022 को एनआरडीसी, नई दिल्ली - सीटीआरटीआई-रांची के माध्यम से।

4.3.4.5 उत्पाद डिजाइन विकास और विविधीकरण

1. रेशम एक्सपो/प्रदर्शनियों में थीम पैवेलियन और उत्पादों के प्रदर्शन का आयोजन करके भारतीय रेशम का जेनरिक और ब्रांड प्रचार।
2. बाजार की मांग के अनुरूप नवोन्मेषी डिजाइनों और कपड़ों के विकास में रेशम निर्माताओं और निर्यातकों की सहायता करना।
3. रेशम उत्पादों में नवीनतम घटनाक्रमों का प्रदर्शन और अंततः भारतीय रेशम में नवाचारों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाना।
4. पावरलूम और गारमेंट्स पर मुगा साटन फैब्रिक।
5. ब्लेज़र और परिधानों के लिए एरी सिल्क डेनिम कपड़े, एरी और शहतूत निट, एरी सिल्क कंबल और कालीन और एरी सिल्क थर्मल वियर।
6. दुल्हन की पोशाक के लिए पावरलूम पर तसर रेशमी कपड़ा।
7. मुगा रेशम के साथ कांचीपुरम साड़ियों को ज़री के प्रतिस्थापन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
8. दाग रक्षित और गंध उपचारित साड़ियां।
9. बाग (मध्यप्रदेश) क्लस्टर में छपी रेशमी साड़ियां/कपड़े।
10. पारंपरिक लम्बानी कलाकृति वाले उत्पाद।
11. बोम्काई डिजाइन वाली मलबरी x एरी साड़ी।
12. नागालैंड ट्राइबल मोटिफ वाली मलबरी साड़ी और सिल्क/लिनेन, सिल्क/कॉटन, सिल्क/मॉडल फैब्रिक्स।

4.3.4.6. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण :

सीएसबी के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग ने अपने सभी अनुसंधान और विकास संस्थानों के साथ वर्ष 2022-2023 से अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के

माध्यम से उद्योग के हितधारियों की कौशल बीजारोपण और कौशल उन्नयन को जारी रखा। प्रतिभागियों को विभिन्न संरचित तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से रेशम के सभी उप-क्षेत्रों (मलबरी, तसर, एरी व मूगा) को शामिल करते हुए रेशम क्षेत्र की अनुशंसित प्रौद्योगिकियों और अन्य आधुनिक विकास का प्रदर्शन किया गया।

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 12163 (आंतरिक एवं उद्योग पणधारी सहित) व्यक्तियों को शामिल किया गया। वर्ष 2022-2023 के दौरान (अक्तूबर, 2022 तक), 11120 व्यक्तियों के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न 'कौशल बीजारोपण' और 'कौशल विकास' प्रशिक्षण के लिए 3785 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

4.3.4.7. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) :

समाप्त परियोजनाओं से विकसित प्रौद्योगिकियों को विभिन्न विस्तार संचार कार्यक्रमों अर्थात् कृषि मेला, समूह चर्चा, प्रबोधन कार्यक्रम, क्षेत्र दिवस, किसान सम्मिलन, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, आदि के माध्यम से क्षेत्र में हस्तांतरित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान अक्टूबर 2022 के अंत तक, कोकून-पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत कुल 356 ईसीपी आयोजित किए गए थे और संस्थानों द्वारा विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियों को 17443 हितधारकों के मध्य प्रभावी रूप से अंतरित किया गया था। इसके अलावा, विभिन्न मानकों के लिए 53987 कोकून, कच्चे रेशम, फैब्रिक, रंग, जल आदि के लिए बहुत से परीक्षण किए गए।

4.3.4.8. सूचना प्रौद्योगिकी (अक्टूबर, 2022 तक सूचना प्रौद्योगिकी पहल) :

i. **एम-किसान :** सीएसबी ने कृषकों को उनके मोबाइल टेलीफोन से एम-किसान वेब पोर्टल के इस्तेमाल द्वारा वैज्ञानिक सुझावों को प्रदान करने हेतु सूचना-प्रसार के लिए वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की पहुंच को और विस्तृत किया है। सभी मुख्य संस्थान इस पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से सलाह प्रदान कर रहें हैं। 31.10.2022 तक कुल 894 परामर्श और 56,80,310 एसएमएस संदेश भेजे गए ।

ii. **एसएमएस सेवा :** कृषकों तथा उद्योग के अन्य हितधारकों के उपयोग के लिए रेशम तथा कोकून की दैनिक बाज़ार दर के संबंध में मोबाइल फोन के माध्यम से एसएमएस सेवा प्रचालित की गई है। पुश और पुल दोनों एसएमएस सेवा प्रचालन में है। रेशम उत्पादन निदेशालय से प्राप्त मोबाइल नम्बर को अद्यतन किया गया है और दैनिक आधार पर सभी पंजीकृत 13865 कृषकों को एसएमएस संदेश प्राप्त हो रहे हैं ।

iii. **सिल्क पोर्टल :** उत्तर-पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से उपग्रह के माध्यम से छाया चित्रों को लेते हुए रेशम उत्पादन सूचना संपर्क एवं ज्ञान प्रणाली पोर्टल का विकास किया गया और रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए उपयोगी क्षेत्रों के चयन एवं विश्लेषण हेतु इनका प्रयोग किया जाता है । बहुभाषी, बहु-जिला आंकड़ा नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है ।

iv. **वीडियो कान्फ्रेंस :** केन्द्रीय रेशम बोर्ड में सीएसबी कॉम्प्लेक्स, बेंगलूरु, केरेअवप्रसं, मैसूरु व बहरमपुर, केतअवप्रसं, राँची, केरेअवप्रसं, पाम्पोर, केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में सुसज्जित वीडियो कान्फ्रेन्स सुविधा उपलब्ध है। 31.10.2022 तक 535 बहु-स्टुडियो वीडियो कान्फ्रेंस संचालित किए गए। इसके अतिरिक्त, कई वेब आधारित वीडियो कान्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी।

v. **सीएसबी वेबसाइट:** केन्द्रीय रेशम बोर्ड की वेबसाइट "csb.gov.in"द्विभाषी रूप अर्थात् अंग्रेजी तथा हिन्दी में उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से सामान्य नागरिकों के लिए, जिन्हें संगठन तथा इसकी योजनाओं एवं अन्य विवरण के बारे में जानना होता है, अधिकाधिक जानकारी प्रसारित की जाती है । वेबसाइट में रेशम उत्पादन योजना कार्यक्रम, उपलब्धियाँ तथा सफलता की कहानियाँ विशेष रूप से दी गई हैं ।

vi. **किसानों तथा रीलर्स के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस:** राष्ट्रीय स्तर पर कृषकों तथा रीलर्स का डेटाबेस बनाने के लिए कृषक एवं रीलर्स डेटाबेस को तैयार कर इसे विकसित किया गया है, इससे प्रभावी निर्णय लेने में समुचित सूचना के साथ नीति निर्धारिकों को मदद मिलेगी । डेटाबेस में राज्यों द्वारा 31.10.2022 को यथा विद्यमान 7,61,153 कृषकों एवं 15,538 रीलर्स के विवरण रिकार्ड किए गए हैं।

4.3.5. बीज संगठन- रेशमकीट बीज उत्पादन तथा आपूर्ति

सीएसबी के पास राज्यों को बुनियादी बीज की आपूर्ति करने वाले बुनियादी बीज फार्मों की एक श्रृंखला है। इसके वाणिज्यिक बीज उत्पादन केंद्र किसानों को वाणिज्यिक

रेशम कीट बीज की आपूर्ति करने में राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। देश भर में फैले इसके बुनियादी/ वाणिज्यिक बीज उत्पादन केंद्रों की नेटवर्क के माध्यम से राज्यों को बुनियादी और वाणिज्यिक बीज के उत्पादन और आपूर्ति के लिए मलबरी हेतु राष्ट्रीय रेशम कीट बीज संगठन (एनएसएसओ), तसर के लिए बुनियादी तसर रेशम कीट बीज संगठन (बीटीएसएसओ), मूगा के लिए मूगा रेशम कीट बीज संगठन (एमएसएसओ) और एरी के लिए एरी रेशम कीट बीज संगठन (ईएसएसओ) स्थापित किए गए हैं।

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2021-22 और 2022-2023 (अक्तूबर, 2022 तक) के दौरान सीएसबी की बीज इकाईयों द्वारा प्राप्त प्रगति का विवरण दर्शाता है:

(यूनिट : लाख डीएफएल)

विवरण	2021-22		2022-23	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अक्टूबर 2022 तक)
मलबरी	400	329.74	425.00	195.23
तसर	51.40	47.46	46.23	24.43
ओक तसर	0.138	0.053	0.1035	0.017
मूगा	6.463	6.20	6.59	4.3
एरी	6.00	6.45	6.20	5.54
कुल	464.001	389.903	484.1235	229.517

4.3.6. समन्वय तथा बाजार विकास

सीएसबी का लक्ष्य है "भारत विश्व में रेशम के अग्रणी देश के रूप में उभरे" और इस लक्ष्य परक कथन के समर्थन में बोर्ड ने सभी 3 विशेष क्षेत्रों – क) रेशमकीट बीज उत्पादन, ख) क्षेत्र/कोसा पूर्व क्षेत्र तथा ग) उद्योग अथवा कोसोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों एवं कार्यनीतियों को योजनाबद्ध किया है।

सीएसबी के कार्यकलापों में अनुसंधान एवं विकास, प्रदर्शन, 4 स्तरीय रेशमकीट बीज उत्पादन नेटवर्क का रख-रखाव, वाणिज्यिक रेशमकीट बीज उत्पादन में नेतृत्व, विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता पैरामीटर स्थापित करना, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रेशम का उन्नयन तथा केन्द्र सरकार को रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों में सलाह देना। इन कार्यकलापों का संचालन विभिन्न राज्यों में स्थित 159 इकाइयों [31.10.2022 के अनुसार] के समूह द्वारा किया जा रहा है।

रेशम की बढ़ती आंतरिक मांग और भूमंडलीय ताप, अंतर्राष्ट्री य प्रतियोगिता, शहरीकरण एवं नए नाशक जीवों और रोगों के प्रकोप की चुनौतियों को पूरा करने एवं रेशम उत्पादन क्षेत्र को वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान व विकास संस्थान निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अनुसंधान व विकास संस्थान किसानों/विद्यार्थियों/पणधारियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दे रहे हैं।

रेशम उद्योग के संपूर्ण विकास के लिए संबंधित राज्य के रेशम उत्पादन विभाग और निजी उद्यमियों के समन्वय से केंद्रीय क्षेत्र की योजना [सीएसएस] और रेशम उद्योग के विकास से संबंधित अन्य सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सीएसबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का भरपूर लाभ उठाया जा रहा है ।

4.3.7 गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली :

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता निर्धारण और गुणवत्ता प्रमाणन को सुदृढ़ करने के लिए समुचित उपाय किया जाए। योजनांतर्गत, दो घटकों यथा "कोसा एवं कच्चे रेशम के परीक्षण एकक" एवं "रेशम मार्क संवर्धन" को लागू किया जा रहा है। कोसों की गुणवत्ता से रीलिंग के दौरान निष्पादन तथा उत्पादित कच्चे रेशम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सीडीपी के सहयोग से विभिन्न कोसा बाज़ारों में स्थापित कोसा परीक्षण केंद्र कोसा परीक्षण के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। भारत के रेशम मार्क संगठन (एसएमओआई) से संबंद्ध केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रमाणन केंद्रों का नेटवर्क निर्यात किए जाने वाले रेशम माल को लदान पूर्व स्वैच्छिक निरीक्षण करते हैं, ताकि निर्यातकों के अनुरोध पर भारत से निर्यात किए जा रहे रेशम माल की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, भारत के रेशम मार्क संगठन [एसएमओआई] के माध्यम से रेशम उत्पादों की शुद्वता के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड "रेशम मार्क" को लोकप्रिय बना रहा है । "रेशम मार्क", लेबल एक प्रकार का आश्वासन है, जो शुद्व रेशम के नाम पर कृत्रिम रेशम उत्पादों को बिक्री करने वाले व्यापारियों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।

वर्ष 2021-22 एवं 2023-2023 [अक्टूबर, 2022 तक] के दौरान रेशम मार्क योजना के अंतर्गत प्रगति निम्नानुसार है:

विवरण	2021-22		2022-23	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अक्टूबर 2022 तक)
नामांकित नये सदस्यों की कुल सं.	200	360	275	324
बेचे गए रेशम मार्क लेबुलों की कुल सं. (लाख सं.)	20	30.42	27	30.95
जागरूकता कार्यक्रम/ प्रदर्शनी/ मेले/ कार्यशाला/ रोड शो	300	497	600	494

4.3.7.1. सिल्क मार्क प्रदर्शनी

यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेशम मार्क को और अधिक विश्वसनीयता और लोकप्रियता मिले, रेशम मार्क प्रदर्शनी का आयोजन देश भर में रेशम मार्क अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए अनन्य रूप से किया जा रहा है।

- एसएमओआई, गुवाहाटी ने 06.04.2022 से 10.04.2022 तक गुवाहाटी में "सिल्क मार्क एक्सपो 2022" का आयोजन किया। एक्सपो में 08 विभिन्न राज्यों के 44 एसएमओआई सदस्यों ने भाग लिया। लगभग 3000 लोगों ने एक्सपो का दौरा किया और 1.4 करोड़ रुपए का व्यवसाय दर्ज किया गया।
- एसएमओआई, कोलकाता क्षेत्र ने 27.04.2022 से 01.05.2022 तक पटना में "सिल्क मार्क एक्सपो 2022 पटना" का आयोजन किया। एक्सपो में 06 विभिन्न राज्यों के 26 एसएमओआई सदस्यों ने भाग लिया है। लगभग 2000 लोगों ने एक्सपो का दौरा किया और 30-35 लाख रुपए का व्यवसाय दर्ज किया गया।
- एसएमओआई, बेंगलुरु ने 4 से 8 अगस्त, 2022 तक रंगोली, एमजी रोड मेट्रो, बेंगलुरु में सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन किया।
- एसओआई, नई दिल्ली ने 22 से 28 अगस्त, 2022 तक आगा खान हॉल, नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन किया।
- सीईओ-एसएमओआई ने 5 से 14 सितंबर, 2022 तक आईएससी सम्मेलन सह प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए रोमानिया का दौरा किया।

4.3.8. योजनागत स्कीमों के लिए बजट आबंटन :

वर्ष 2021-22 एवं 2022-2023 [अक्तूबर, 2022 तक] के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सीएसबी को आबंटित बजट और उपगत व्यय निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

#	सीएसबी के कार्यक्रम	2021-22		2022-23	
		आवंटन (सं.अ.)	व्यय	आवंटन (ब.अ. अनुमोदित)	व्यय (अनंतिम) (अक्टूबर 2022 तक)
	सिल्क समग्र (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना)				
1.	अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी पहल 2. बीज संगठन 3. समन्वय एवं बाज़ार विकास (एचआरडी) 4. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली एवं निर्यात/ ब्रांड संवर्धन तथा तकनीकी उन्नयन	790.00 (*)	775.32 (*)	815.00 ($)	409.97 ($)
	एससीसीपी	35.00	35.00	25.00	0.11
	टी एस पी	50.00	43.75	35.00	17.5
	कुल योग	**875.00**	**854.07**	**875.00**	**427.58**

(*)-वर्ष 2020-21 के दौरान 790.00 करोड़ रुपए के आवंटन और 775.32 करोड़ रुपए के व्यय में "488.52 करोड़ रुपए का "जीआईए-वेतन घटक" शामिल है।

($)- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 875 करोड़ रुपए की आवंटित राशि में "492.78 करोड़ रुपए का "जीआईए-वेतन घटक" और 400.97 करोड़ रुपए के व्यय में 320.73 करोड़ रुपए का "जीआईए-वेतन घटक" अक्तूबर, 2022 तक के लिए शामिल है।

4.3.9. कन्वर्जेंस

वस्त्र मंत्रालय, सीएसएस (सिल्क समग्र) और एनईआरटीपीएस योजनाओं के अंतर्गत रेशम कृषि क्षेत्र के लिए सहायता दे रहा है। भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं की वित्तीय सहायता के परिवर्धन से अतिरिक्त निधि की व्यवस्था के लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्यों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान राज्यों से 554.82 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से 173.86 करोड़ रुपए आर केवीवाई, मनरेगा और अन्य परिवर्धन कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 (अक्टूबर 22 तक) के दौरान राज्यों ने 140.33 करोड़ रुपए के 58 प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, 130.08 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और कन्वर्जेंस के माध्यम से रेशम उत्पादन के लिए 24.40 करोड़ रुपए की निधि प्राप्त् की हैं। कुछ राज्यों से प्रगति रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

4.4 ऊन और ऊनी वस्त्र

4.4.1. केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर की स्थापना जुलाई, 1987 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जोधपुर, राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। सीडब्ल्यूडीबी 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान सभी ऊन उत्पादक राज्यों में ऊन क्षेत्र की योजना 'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम' (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए वस्त्र मंत्रालय की नोडल एजेंसी है।

4.4.2. योजनागत बजट

ऊन क्षेत्र के विकास के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की अवधि अर्थात 2021-22 से 2025-26 तक के दौरान 126 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ कार्यान्वियन के लिए एसएफसी नोट के माध्यम से एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के युक्तिकरण और जारी रखने को मंजूरी दी है। इसमें से, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट आवंटन 15.00 करोड़ रुपए और 31 अक्तूबर, 2022 तक सीडब्ल्यूडीबी द्वारा आईडब्ल्यूडीपी योजना के कार्यान्वियन के तहत व्यय 2.12 करोड़ रुपए (1.70 करोड़ रुपए के आईडब्ल्यूडीपी-वेतन घटक सहित) है।

क. कार्यान्वियन के तहत योजनाओं का विवरण :

एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (i) ऊन विपणन योजना, (ii) ऊन प्रसंस्करण योजना, (iii) मानव संसाधन विकास और संवर्धनात्मक गतिविधियां और (iv) पश्मीना ऊन विकास योजना (पीडब्यू डीएस) के घटकों को शामिल करके ऊन क्षेत्र के विकास के लिए तैयार किया गया है। आईडब्ल्यूडीपी योजना के घटक और उप-घटक निम्नानुसार हैं :

i) ऊन विपणन योजना (डब्यू एमएस) :

ऊन विपणन योजना के तहत उप-घटक, 'कच्चे ऊन के विपणन के लिए रिवॉल्विंग निधि का सृजन करके लाभकारी मूल्य पर कच्ची ऊन की अधिक खरीद के लिए सहायता करने, ऊन के विपणन/नीलामी के लिए ई-पोर्टल का निर्माण करने, ऊन उत्पादक समितियों / एसएचजी के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता करने, ऊन उत्पादकों के लिए कच्चे ऊन की बिक्री में आसानी सुनिश्चित करने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने, मौजूदा / नई ऊन मंडियों / ग्रेडिंग / संग्रह केंद्रों में ऊन विपणन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए ऊनी एक्सपो का आयोजन, ऊनी कारीगरों/बुनकरों/सोसाइटियों आदि को अपने ऊनी उत्पादों को बेचने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए होती हैं। ऊन के विपणन के लिए रिवॉल्विंग निधि का उपयोग कार्यान्वियन एजेंसियों (राज्य सरकार के ऊन विपणन बोर्ड/निगम) द्वारा ऊन की खरीद के लिए किया जाएगा और ऊन खरीदने के बाद कार्यान्वियन एजेंसियां ऊन उद्योगों को ऊन की बिक्री करेंगी। इस प्रकार वे अगले शियरिंग मौसम में ऊन की खरीद के लिए इसे फिर से उपयोग करने के लिए निधि वापस प्राप्त करते हैं। इस तरह से निधि का वर्ष में दो बार चक्रण होता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के अंतर्गत 50.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

ii) ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस) :

यह योजना ऊन प्रसंस्करण मशीनों/सुविधाओं जैसे स्कोरिंग, कार्बोनाइजिंग, स्पिनिंग, डाइंग, वीविंग, फिनिशिंग मशीन (शॉल, कालीन, कपड़े), नान-वुवेन, फेल्ट, बुनाई, अंगोरा ऊन प्रसंस्करण और मशीनों को रखने के लिए कुछ भवन के निर्माण के प्रावधान सहित ईटीपीके लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इस घटक के तहत कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन/निगम होंगे और वे आगे अनुबंध/पट्टे के आधार पर परियोजना को लागू कर सकते हैं। भवन निर्माण के लिए अनुदान सहित सीएफ़सी के लिए मशीनरी की खरीद के लिए संबंधित सरकार की कार्यान्वयन एजेंसी को सहायता अनुदान के रूप में अधिकतम पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। मशीनरी के रखने से संबंधित निर्माण लागत सीएफ़सी के स्वीकृत अनुदान के 25% से अधिक नहीं होगी। कार्यान्वयन एजेंसी सीएफ़सी की स्थापना के लिए लाए गए सभी प्रकार के आवर्ती व्यय और सभी उपकरणों/ मशीनरियों के रखरखाव की लागत वहन करेगी। ऊनी उद्योग में सीएफ़सी की स्थापना का उद्देश्य आधुनिक प्रसंस्करण मशीनों के माध्यम से बेहतर ऊन प्रसंस्करण सुविधाओं की उपलब्धता, घरेलू ऊन की बेहतर खपत और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता है। अन्य मशीनों/उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जैसे: - बेल प्रेस मशीन, ऊन परीक्षण उपकरण और ऊनी वस्तुओं के निर्माण के लिए छोटे उपकरणों का वितरण और आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के तहत स्पेयर पार्ट्स के साथ भेड़ शियरिंग मशीनों की खरीद के लिए अनुदान भी प्रदान करना।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के अंतर्गत 250.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

iii) मानव संसाधन विकास और संवर्धनात्मक क्रियाकलाप (एचआरडी):

आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के तहत क्रियाकलापों में, ऊनी उत्पादों के निर्माण/बुनाई के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, नवीनतम प्रौद्योगिकी मशीनों के संचालन के लिए औद्योगिक श्रमिकों को ऑनसाइट प्रशिक्षण, मशीन भेड़ शियरिंग पर प्रशिक्षण प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय/घरेलू सहयोग हितधारकों की बैठक/ सम्मेलन, ऊन सर्वेक्षण/अध्ययन करना शामिल है। ऊन क्षेत्र के मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने/ अनुभवों को साझा करने और नई विकसित प्रौद्योगिकी/ सुविधाओं का प्रसार करने के लिए संगोष्ठी/कार्यशाला/ भेड़ मेला/बैठक भी आयोजित की जाएगी। दुनिया भर में भारतीय ऊनी उत्पादों को बढ़ावा देने और पूरे ऊन उद्योग/ व्यापारियों/उपभोक्ताओं के लाभ के लिए भारतीय ऊन मार्क और कारपेट (कालीन) मार्क विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उत्पाद विकास/प्रक्रिया संशोधन/ब्रांडिंग और ऊन के लेबलिंग/विविधीकरण या प्रक्रिया संशोधनों, नवीन उत्पादों के विकास और दक्कनी ऊन के बेहतर उपयोग, जैविक ऊन के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया, स्वदेशी ऊन के मानकीकरण, जियो-टैगिंग और तकनीकी वस्त्र में ऊन का उपयोग करने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को शुरू करनेके लिए प्रावधान किया गया है। अनुसंधान परियोजनाओं से मोटे ऊन से नवीन उत्पादों का विकास होगा जिसका वर्तमान में अधिक उपयोग नहीं है। यह अनुसंधान एवं विकास कार्यों के व्यावसायीकरण के लिए उद्योग के साथ सुनिश्चित करेगा। बीकानेर में मौजूदा ऊन परीक्षण केंद्र को संचालित करने का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें कुल्लू (हि.प्र.) में लैब और वीविंग एंड डिजाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर/ आईएससी का उन्नयन शामिल है।

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के अंतर्गत 200.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान विभिन्न क्रियाकलापों के लिए बीकानेर में ऊनी उद्योग को ऊन परीक्षण सेवाएं प्रदान करने, सीडब्ल्यूडीबी के कुल्लू प्रशिक्षण केंद्र में हथकरघा पर प्रशिक्षण और अन्य प्रशिक्षण के लिए 31 अक्तूबर, 2022 तक 42 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

iv) पश्मीना ऊन विकास योजना (पीडब्ल्यूडीएस):

पश्मीना ऊन विकास योजना के कार्यान्वयन से पश्मीना घुमंतुओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और साथ ही घुमंतुओं को लाभकारी आय,गार्ड रूम के साथ शेल्टर का निर्माण, सहायक उपकरण के साथ पोर्टेबल टेंट,एलईडी लाइट के साथ शिकारी प्रूफ कोरल का निर्माण सुनिश्चित करके पश्मीना ऊन विपणन के लिए रिवाल्विंग फंड का सृजन करके उनकी पश्मीना बकरियों की सुरक्षा भी होगी। लेह में गुणवत्तापूर्ण पश्मीना यार्न प्रदान करने के लिए कताई, रंगाई, बुनाई, परिष्करण

उत्पाद निर्माण (बुना / बुना हुआ) जैसी पश्मीना ऊन प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना ताकि पश्मीना उत्पादों का उत्पादन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हो सके और बेरोजगार युवा इस पेशे को अपना सकते हैं और पश्मीना ऊन की मांग बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। पश्मीना ऊन के साथ-साथ पश्मीना उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए पश्मीना मार्क/लेबल के विकास के माध्यम से पश्मीना उत्पादों की ब्रांडिंग। शुद्ध पश्मीना उत्पादों की पहचान के लिए प्रयोगशाला की स्थापना से वास्तविक पश्मीना उत्पादों की बिक्री में मदद मिलेगी। लेह में डी-हेयरिंग प्लांट परिसर में पश्मीना ऊन के तैयार उत्पादों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए एक शोरूम का विकास। विकसित चारागाह से पश्मीना बकरियों के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

वर्ष 2022-23 के लिए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के अंतर्गत 600.00 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। बोर्ड ने 31 अक्टूबर, 2022 तक लेह में पश्मीना उत्पादों (डीएनए विश्लेषक) की पहचान के लिए एक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है।

ख. निर्यात रुझान:

डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ऊन और ऊन मिश्रित उत्पादों का निर्यात किया गया है। 2021-22 और 2022-2023 (सितंबर, 2022 तक) के दौरान ऊनी उत्पादों के निर्यात निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :-

उत्पाद	**2021-22 (सितम्बर, 2021 तक)**	**2022-23 (सितम्बर, 2022 तक)**
	रुपए करोड़ में	**रुपए करोड़ में**
आरएमजी ऊन	581.35	722.72
ऊनी यार्न, फैब्रिक, मेड-अप्स- आदि	557.35	769.78
हस्त निर्मित कालीन (रेशम को छोड़कर)	6342.95	5378.64
कुल	7481.65	6871.14
वृद्धि/कमी	8.16% कमी	

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

ग. आयात रुझान

घरेलू उद्योग, अपैरल श्रेणी के ऊन के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। यह घरेलू उद्योगों को आयात पर निर्भर बनाता है। भारत कई देशों से कच्ची ऊन का आयात कर रहा है। आस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, तुर्की, आदि प्रमुख पांच आयात बाजार हैं। वर्ष 2021-22 और 2022-23 (सितंबर, 2022 तक) के दौरान कच्ची ऊन, ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स तथा सिलेसिलाए परिधान का आयात नीचे दिया गया है :

कच्ची ऊन का आयात

2021-22 (सितम्बर, 2021 तक)		2022-23 (सितम्बर, 2022 तक)	
मात्रा मिलियन किग्रा में	मूल्य (रुपए करोड़ में)	मात्रा मिलियन किग्रा में	मूल्य (रुपए करोड़ में)
58.23	**799.77**	**41.24**	**1002.98**

ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स आदि का आयात

2021-22 (सितम्बर, 2021 तक)	2022-23 (सितम्बर, 2022 तक)
मूल्य (रुपए करोड़ में)	मूल्य (रुपए करोड़ में)
318.51	**491.76**

आरएमजी का आयात

2021-22 (सितम्बर, 2021 तक)	2022-23 (सितम्बर, 2022 तक)
मूल्य (रुपए करोड़ में)	मूल्य (रुपए करोड़ में)
53.65	**149.30**

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

अध्याय V

प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता

5.1. वस्त्र क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता, निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय 1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) क्रियान्वित कर रहा है। टीयूएफएस एक ऋण संबद्ध योजना है जिसका क्रियान्वयन पात्र निवेशों पर सब्सिडी दावों की प्रतिपूर्ति द्वारा अधिसूचित ऋण प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

5.2. यह योजना आरंभ में अप्रैल, 1999 में 31 मार्च, 2004 तक अनुमोदित की गई थी और इसे तत्पश्चात 2004 से 2007 तक बढ़ा दिया गया। वर्ष 2007 में यह स्कीम तकनीकी वस्त्र और गारमेंट के सेगमेंटों के लिए 10% की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी (सीएस) जैसे संशोधनों के साथ आगे बढ़ाई गई थी और इसे संशोधित टीयूएफएस (एमटीयूएफएस) के रूप में जाना जाता है। यह योजना 29.06.2010 से 27.04.2011 के दौरान स्थगित रही जिसे 'ब्लैक आउट अवधि' के रूप में जाना जाता है। स्कीम को पुनर्गठित किया गया था और पुनर्गठित टीयूएफ योजना (आरटीयूएफएस) 28.04.2011 से 31.03.2012 तक क्रियान्वित की गई।

5.3 यह योजना फिर से 01.04.2012 से संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के रूप में संशोधित की गई थी और 11 जुलाई, 2016 तक क्रियान्वित की गई थी।

5.4. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) :

5.4.1. एटीयूएफएस को 13 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था और अनुरोध दर्ज करने और यूआईडी बनाने के लिए 31 मार्च 2022 तक प्रभावी थी । एटीयूएफएस के तहत प्रोत्साहन पात्र बेंचमार्क मशीनरी की स्थापना के लिए एकमुश्त पूंजीगत सब्सिडी थी। एमएसएमई संस्थाओं में योजना के कवरेज में सुधार सुनिश्चित करने के लिए पृथक निकाय हेतु एटीयूएफएस के तहत सब्सिडी सीमा की शुरुआत की गई थी। इसके अतिरिक्त, रोजगार संभाव्यता वाले क्षेत्र अर्थात गारमेंटिंग क्षेत्र के लिए सब्सिडी की उच्च दर निर्धारित की गई है। एटीयूएफएस के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए सब्सिडी की दरें और अधिकतम सीमा नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	क्षेत्र	पूंजी निवेश सब्सिडी की दर (सीआईएस)
1.	परिधान, तकनीकी वस्त्र	30 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 15%
2.	नए शटल-रहित करघों के लिए बुनाई (प्रीपेरेटरी बुनाई एवं निटिंग सहित), प्रसंस्करण, पटसन, रेशम तथा हथकरघा	20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 10%
3 (क)	मिश्रित इकाई/ मल्टीपल क्षेत्र- यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश पात्र परियोजना लागत से 50% अधिक है।	30 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 15%
3 (ख)	मिश्रित इकाई/ मल्टीपल क्षेत्र- यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश 50% से कम है।	20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 10%

योजना का उद्देश्य नीचे दिया गया है:

क. देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और विनिर्माण में "शून्य प्रभाव और शून्य दोष" के साथ

"मेक इन इंडिया" के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने और निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को प्राप्त करना।

ख. वस्त्र उद्योग में आयात प्रतिस्थापन के साथ-साथ निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार, निर्यात में वृद्धि को सुविधाजनक बनाना। यह परोक्ष रूप से वस्त्र मशीनरी (बेंचमार्क तकनीक वाली) विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देगा।

5.4.2 यदि इकाई ने पूर्व में आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया हो, तो वह नई अथवा मौजूदा इकाइयों के लिए एक एकल इकाई के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर शेष सब्सिडी की सीमा तक पात्र होगी।

5.4.3 टीयूएफएस के पिछले संस्करणों के अंतर्गत 12,671 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देयताओं और जनवरी 2016 से पंजीकृत एटीयूएफएस के अंतर्गत नए मामलों के लिए 5151 रुपए की देयताओं को पूरा करने के लिए 2015-16 से 2021-22 तक सात वर्षों के लिए 17,822 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

5.4.4 पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए, योजना को एंड टू एंड वेब आधारित एमआईएस प्रणाली आई-टीयूएफएस के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और मशीनरी की स्थापना और निरीक्षण के पश्चात सीधे यूनिट को सब्सिडी जारी की जाती है। योजना के तहत दावा की गई मशीनरी की बेंचमार्क प्रौद्योगिकी को सत्यापित करने के लिए 100% संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया जाता है।

5.4.5 एटीयूएफएस के तहत, 69160 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश को कवर करने वाले और 4962.99 करोड़ रुपये के अनंतिम सब्सिडी मूल्य वाले 14389 सब्सिडी आवेदन पंजीकृत किए गए हैं और 31.03.2022 तक यूआईडी के साथ जारी किए गए हैं। सब्सिडी आवेदनों का क्षेत्र-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	जारी किए गए यूआईडी की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ में)	सब्सिडी धनराशि (करोड़ में)	रोजगार		
					नए	मौजूदा	कुल
1	गारमेंटिंग (15% सीआईएस)	1468	3325.55	340.31	95216	452266	547482
2	हथकरघा (10% सीआईएस)	60	56.30	04.57	317	213	530
3	पटसन (10% सीआईएस)	13	16.52	01.31	3306	17096	20402
4	बहु-गतिविधि (10% सीआईएस/15% सीआईएस)	2293	31693.05	2039.02	182254	529363	711617
5	प्रसंस्करण (10% सीआईएस)	1622	6602.54	445.28	30450	189032	219482
6	रेशम (10% सीआईएस)	30	41.44	02.71	363	469	832
7	तकनीकी वस्त्र (15% सीआईएस)	534	4243.68	396.42	11451	29811	41262
8	विविंग (10% सीआईएस)	8369	23180.87	1733.37	69924	123472	193396
	कुल	14389	69159.95	4962.99	393281	1341722	1735003

5.4.6 वेब आधारित प्रक्रिया को सुचारू बनाने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एटीयूएफएस को एक समग्र समाधान बनाने के लिए 02.08.2018 को एटीयूएफएस के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

क. स्वचालित यूआईडी तैयार करना

ख. डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त करना

ग. दस्तावेजों की कम संख्या

घ. मशीन की सूची बनाने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना

ङ. जेआईटी निरीक्षण के दौरान आईटीयूएफएस पोर्टल में जियोटैग युक्त और टाइम स्टैंप युक्त फोटोग्राफ अपलोड करना

च. सब्सिडी पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी इकाई के खाते में जारी की गई।

छ. पहचान के लिए मशीनरी पर मशीन पहचान कोड अंकित गया है।

5.4.7. बाद में कार्यान्वियन को आसान करने के लिए, जेआईटी रिपोर्ट/सब्सिडी दावे की पद्धति और प्रक्रिया को सुचारू बनाने एटीयूएफएस के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए है:

क. **वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन:** 5.0 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी सीधे यूनिटों को जारी करने के लिए एटीयूएफएस के बजट शीर्ष को संचालित करने के लिए वस्त्र आयुक्त को वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। 5.0 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी राशि वाले दावों के लिए, वस्त्र आयुक्त को आईएफडब्ल्यू की सहमति प्राप्त करने के लिए अनुमोदन के पश्चात वस्त्र मंत्रालय को दावा अग्रेषित करना होगा। वस्त्र आयुक्त ने फील्ड अधिकारियों अर्थात वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय मुंबई में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित की है।

ख. दावों की कार्रवाई में विलंब को कम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जेआईटी रिपोर्टें अनुमोदन के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय को अग्रेषित किए जाने से पहले हर हालत में पूर्ण हो।

ग. कट-ऑफ तिथि और जियो टैगिंग के संबंध में विभिन्न नीतिगत स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

घ. योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता में सुधार करने के लिए पात्र दावों/मामलों की स्थिति और इस योजना के अंतर्गत लंबित मामलों को दावाकर्ताओं के लिए आईटीयूएफएस पोर्टल से एक्सेस किए जाने योग्य बनाया गया है।

ङ. प्रौद्योगिकी/मशीनरी विनिर्माताओं के मुद्दों पर तकनीकी परामर्श के लिए सलाहकार-सह-निगरानी समिति और आईटीसी के माध्यम से हितधारकों के साथ नियमित नियोजन।

च. टीयूएफएस के पिछले संस्करण के अंतर्गत खरीदी गई मशीनों का सत्यापन करने का आदेश दिया गया है ताकि दावों की प्रमाणिकता का सत्यापन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेंचमार्क वाली मशीनरी की खरीद की गई है।

छ. माननीय वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में 5वीं अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी) ने मौजूदा 100% भौतिक सत्यापन के स्थान पर संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) द्वारा दावा की गई मशीनरी/परिसंपत्तियों के सत्यापन के स्वचालित/डिजिटल और ग्रेडेड मोड (निचले स्तर पर कम बोझ) के माध्यम से प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ लोड को सरल बनाने के लिए विभिन्न उपायों को मंजूरी दी है।

5.4.8 प्रारंभिक वर्षों के दौरान दावों में बड़ी संख्या में आपत्तियों, कुछ परिचालन बाधाओं और प्रक्रियात्मक जटिलताओं, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण संचालन में बाधा के कारण भौतिक निरीक्षण में बाधा जैसी विभिन्न बाध्यताओं के बावजूद, दावों के निपटान की दिशा में अतिरिक्त प्रयास किए गए थे।

5.4.9 कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान इसके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए जैसे:

- उद्योग में नकदी संकट को कम करने के लिए बैंक गारंटी (बीजी) के प्रति जेआईटी अनुशंसित राशि की

आंशिक सब्सिडी को जारी किया गया था।

- लॉकडाउन अवधि के दौरान एटीयूएफएस के तहत देरी को माफ करना।
- शीघ्र निपटान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के मध्य मामलों का पुनर्वितरण।
- मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विभिन्न शिविरों को लगाना।
- प्रमुख शहर के क्लस्टरों में आउटरीच शिविर।

5.5 एटीयूएफएस/टीयूएफएस (नए शामिल किए) के तहत निपटान की गति तेज करने के लिए विशेष अभियान:

i. क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) से आरओ-अहमदाबाद, आरओ-मुंबई, आरओ-नोएडा और आरओ-कोयम्बटूर से आरओ स्तर के बैकलॉग को दूर करने के लिए टीमों की तैनाती के माध्यम से अतिरिक्त वर्टिकल बनाए गए हैं।

ii. मुख्यालय स्तर के मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई में तीन नए वर्टिकल बनाए गए हैं।

iii. उपरोक्त पहलों के परिणामस्वरूप निपटान की गति में काफी वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दिखाए गए ग्राफ में दर्शाया गया है,:-

5.6 एटीयूएफएस का फोकस और परिणाम :

Pace of settlement under ATUFS :

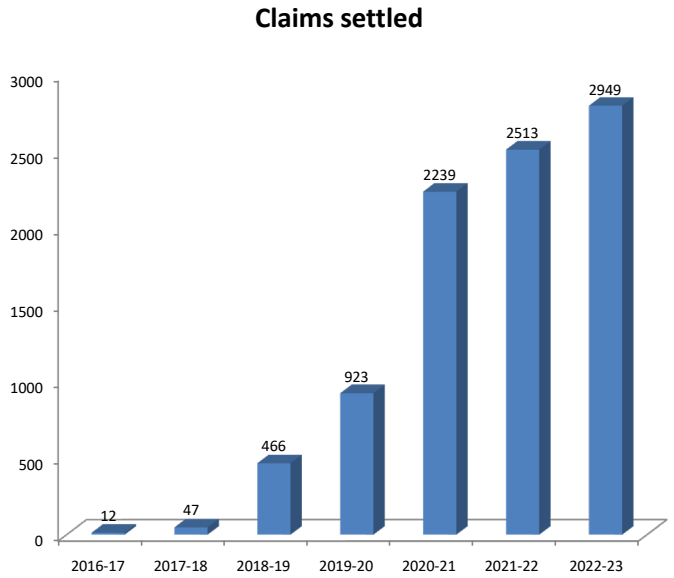

Financial Year	Claims settled
2016-17	12
2017-18	47
2018-19	466
2019-20	923
2020-21	2239
2021-22	2513
2022-23 as on 28.12.2022	2949

- एमएसएमई के एटीयूएफएस अनुपात के अंतर्गत: गैर एमएसएमई 89:11 है जबकि टीयूएफएस के पिछले संस्करणों के तहत यह 30:70 था।
- रोजगार संभावित क्षेत्र की इकाइयों अर्थात तकनीकी वस्त्र और परिधान/मेड अप्स के लिए 15% (30 करोड़ रुपये) का उच्च प्रोत्साहन : पांच वर्षों में 15 लाख से अधिक रोजगार सहायता (3.6 लाख नए और 12.06 लाख मौजूदा)। कुल 3.6 लाख नए सृजित रोजगार में से 94491 (26%) महिलाओं को रोजगार की सहायता।
- पारदर्शी कार्यान्वयन ऋणदाता एजेंसियों, उद्योग भागीदारों, आधिकारिक टीम के साथ संघों को शामिल करते हुए उचित सत्यापन के साथ ऑनलाइन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।

5.6.2 टीयूएफएस के तहत बजट आवंटन:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2014-15	2300	1885.02	1884.31
2015-16	1520.00	1413.68	1393.19
2016-17	1480.00	2610.00	2621.98
2017-18	2013	1913.15	1913.15
2018-19	2300	622.63	621.92
2019-20	700	494.37	317.89
2020-21	761.90	545.00	556.25
2021-22	700.00	700.00	624.8
2022-23	650.00	650.00	524.96*

* ओएई के बिना 28.12.2022 के अनुसार

5.7 एटीयूएफएस को प्रतिस्थापित करने वाली नई योजना की संकल्पना

5.7.1 संशोधित टीयूएफएस को 31.03.2022 तक लागू करने की मंजूरी दी गई है। डीएमईओ, नीति आयोग द्वारा किए गए योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन ने न केवल प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए बल्कि वस्त्र मशीनरी के स्वदेशी विकास और विनिर्माण के समर्थन की दिशा में भी योजना को जारी रखने की सिफारिश की है। मंत्रालय द्वारा एक 'प्रौद्योगिकी अंतराल विश्लेषण' भी किया गया है जिसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण वस्त्र मशीनरी और 60 महत्वपूर्ण घटकों की पहचान की गई है जो स्वदेशी रूप से निर्मित नहीं हैं।

5.7.2 तदनुसार, वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण का समर्थन करने और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्वदेशी वस्त्र मशीनरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया में वस्त्र मशीनरी विनिर्माताओं और वस्त्र उद्योग के हितधारकों के साथ चर्चा प्रारंभ की गई है।

अध्याय VI

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए योजना

6.1 पृष्ठभूमि

वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर, जिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है) समर्थ नामक मांग आधारित और रोजगार उन्मुख कौशल कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की तकनीकी और बाजार की मांग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को युक्तिसंगत बनाया गया है। समर्थ को प्रारंभ में दिनांक 20 दिसंबर, 2017 को 2017-18 से 2019-20 तक लागू करने के लिए मंजूरी दी गई थी।

सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2021 को आयोजित स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक में समिति की सिफारिश के अनुसार, समर्थ योजना को माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा 31.03.2021 से तीन वर्ष की अवधि से आगे अर्थात 31.03.2024 तक के लिए अनुमोदित किया गया है।

वस्त्र उद्योग में कार्य बल की प्रवेश स्तर की आवश्यकता का समाधान करने के लिए गैर-कामगार को कामगार बनाने के लिए,प्रवेश स्तर पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा,अपैरल एवं परिधान क्षेत्र में मौजूदा कामगारों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए योजना के तहत कौशल उन्नयन/पुनर्कौशल कार्यक्रम के लिए एक विशेष प्रावधान भी किया गया है।

6.1.2 समर्थ के कार्यान्वयन की प्रगति

6.1.2.1 आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी), प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हेल्पलाइन नम्बर के साथ समर्पित कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रशिक्षण प्रक्रिया की ऑन-लाइन निगरानी आदि जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई व्यापक कौशल रूपरेखा के अंतर्गत 'समर्थ' तैयार किया गया था।

6.1.2.2 कार्यान्वयन और निगरानी में सुलभता के लिए एक ठोस प्रणाली को बनाने के प्रयास के साथ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक के समाधान वाले एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, जिसमें प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने, प्रस्तावों के ऑनलाइन डेस्क मूल्यांकन, प्रशिक्षण केंद्रों के मोबाइल ऐप समर्थित भौतिक सत्यापन, आधार प्रमाणीकरण के बाद प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन पंजीकरण, एईबीएएस, मूल्यांकन के लिए अलग मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रमाणपत्र जारी करना आदि जैसे प्रावधान शामिल है, हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद समर्थ के अंतर्गत प्रचालनशील किया गया है।

6.1.2.3 इसके अलावा, कार्यान्वयन ढांचे की समीक्षा की गई थी और यह केवल राज्य सरकार की एजेंसियों, वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों, वस्त्र उद्योग इकाइयों और उद्योग संघों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु कार्यान्वयन भागीदारों के पास आवश्यक अवसंरचना होनी चाहिए और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बैक टू बैक व्यवस्था या उप-अनुबंध/ आउटसोर्सिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.1.2.4 इस संबंध में प्रक्रियाओं/ क्रियाविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनाए गए प्रमुख कदम नीचे दिए गए हैं :

- योजना के तहत प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अपनाए गए प्रोटोकॉल के अनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्रों को समर्पित सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भौतिक रूप से सत्यापित किया जाना होता है। वस्त्र उद्योग/ उद्योग संघों, राज्य सरकार की एजेंसियों और वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से कुल 184 संरेखित पाठ्यक्रम कार्यान्वित किए गए है।
- पैनल में शामिल करने और निगरानी के लिए एंड टू एंड डिजीटल प्रक्रिया।

- प्रशिक्षुओं के अनिवार्य नियोजन के साथ कार्यान्वयन भागीदार - मुख्यधारा, क्षेत्रीय संगठनों के लिए स्व-रोजगार के अंतर्गत 70% प्रवेश स्तर के लिए और 90% कौशल उन्नयन के लिए।
- प्रशिक्षण केंद्रों के भौतिक सत्यापन के लिए एक मोबाइल ऐप जिसमें जियोटैगिंग/टाइम स्टांप फोटो लगी हो।
- इस उद्देश्य के लिए तृतीय पक्ष मूल्यांकन प्रशिक्षुओं और क्यूआर कोड सक्षम ई-प्रमाण पत्र को चालू कर दिया गया है। उद्योग की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) (ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड)।
- समर्थ योजना को डीबीटी, प्रयास और दिशा पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। तथापि, स्किल इंडिया पोर्टल के साथ एकीकरण प्रक्रियाधीन है।
- पाठ्यक्रम/मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया के मानकीकरण, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) आदि के संचालन के लिए वस्त्र समिति में संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) को प्रचालनशील किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा जीवन चक्र ऑनलाइन एमआईएस में दर्ज किया जाता है। आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम की रीयल टाइम ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन एमआईएस के साथ एकीकृत है।

6.1.2.5 पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जागरूकता के प्रसार के लिए समर्थ योजना का सार्वजनिक डैशबोर्ड प्रारंभ किया गया है। डैशबोर्ड तक पहुँचने के लिए लिंक वस्त्र मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना की प्रगति से संबंधित विभिन्न पहलुओं और ड्रिल डाउन प्रारूप में प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित जानकारी को वास्तविक समय आधार पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

6.1.3 प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटन की प्रगति

6.1.3.1 राज्य एजेंसी सहित राज्य सरकारों को 14.08.2019 को समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पारंपरिक और संगठित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों यथा विकास आयुक्त (डीसी)-हथकरघा, विकास आयुक्त-हस्तशिल्प, केंद्रीय रेशम बोर्ड और राष्ट्रीय पटसन बोर्ड को पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल/कौशल उन्नयन के लिए एक प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके अलावा, आरएफपी प्रक्रियाओं के माध्यम से वस्त्र उद्योग/उद्योग संघों को प्रवेश स्तर और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है।.

कार्यान्वयन भागीदारों की विभिन्न श्रेणियों के मध्य लक्ष्य आवंटन का विवरण नीचे दिया गया है:

कार्यान्वयन भागीदारों का प्रकार	**कार्यान्वयन भागीदारों की संख्या**	**आवंटित प्रशिक्षण लक्ष्य (वर्तमान में)**
प्रवेश स्तर पर		
राज्य सरकार की एजेंसियां	15	77,634
क्षेत्रीय संगठन		43,020
		23,815 अतिरिक्त)
वस्त्र उद्योग/ उद्योग संघ		1,62,238
		41,596 अतिरिक्त)
एमएसएमई उद्योग संघ		28,748
		7,988 (अतिरिक्त)
कौशल उन्नयन/पुनर्कौशल		
वस्त्र उद्योग/ उद्योग संघ		28,699
		4,150 (अतिरिक्त)
कुल		**4,17,888**

विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय और विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, 5,000 लाभार्थियों का अतिरिक्त लक्ष्य विकास आयुक्त हथकरघा को आवंटित किया गया था और 10,000 लाभार्थियों का अतिरिक्त लक्ष्य विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय को आवंटित किया गया था क्योंकि मूल आवंटित लक्ष्य के 50% से अधिक को पूरा कर लिया गया था। प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 9 कार्यान्वयन भागीदार और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 3 कार्यान्वयन भागीदार, जिन्होंने पहले ही आवंटित लक्ष्य का 50% या उससे अधिक पूरा कर लिया है, उन एजेंसियों को 16,030 लाभार्थियों के अतिरिक्त प्रशिक्षण लक्ष्य को मंजूरी दे दी

गई है।

6.1.3.2कार्यान्वयन भागीदारों के पैनल को व्यापक आधार देने के लिए, वस्त्र उद्योग/उद्योग संघों से प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु सितंबर, 2021 में आरएफपी जारी किया गया था और राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र जारी किए गए थे ताकि उन राज्यों से प्रस्ताव मांगे जा सकें जिन्होंने अभी तक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया हैं।

6.1.4 कार्यान्वयन की प्रगति को बढ़ाने के लिए की गई पहल

प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति को बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा कई पहलें शुरू की गई हैं जैसे प्रशिक्षण केंद्रों की समीक्षा बैठकें और क्षेत्र का दौरा, प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षण लक्ष्य युक्तिकरण, समय-समय पर योजना दिशानिर्देशों में संशोधन, कोविड के दौरान शुरू किए गए प्रशिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आईपी द्वारा आयोजित कार्यशालाओं और रोज़गार मेलों की अवधि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में नए प्रशिक्षण केंद्रों को जोड़ना।

6.1.4.1 भौतिक प्रगति की स्थिति

प्रशिक्षण कार्यक्रम की समग्र भौतिक प्रगति

(23.12.2022 के अनुसार)

कार्यान्वयन भागीदारों का प्रकार	आईपी की संख्या	सक्रिय आईपी	आवंटित प्रशिक्षण लक्ष्य	एईबीएएस में नामांकित लाभार्थी	लाभार्थी (प्रशिक्षित)	लाभार्थी (प्रशिक्षित + प्रशिक्षणाधीन)
प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम						
राज्य सरकार की एजेंसियां	15	8	77,634	55,956	14,764	18,343
क्षेत्रीय संगठन	4	3	66,835	58,711	32,366	33,754
वस्त्र उद्योग/ उद्योग संघ	101	80	2,03,834	1,36,764	64,352	76,913
एमएसएमई उद्योग संघ	6	5	36,736	28,952	10,955	15,261
कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम						
वस्त्र उद्योग	37	32	32,849	24,167	10,396	11,710
कुल	163	128	4,17,888	3,04,550	1,32,833	1,55,981

6.1.5 बजट उपयोग की स्थिति

आरंभिक 2 वर्षों के दौरान, पिछली योजना अर्थात आईएसडीएस की देयता को पूरा करने के लिए निधि का उपयोग किया गया था। निधियों का वर्षवार उपयोग निम्नानुसार है :

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	उपयोग किया गया बजट
1	2017-18	173.99	100.00	100.00
2	2018-19	200.00	42.00	16.99
3	2019-20	100.50	102.10	72.06
4	2020-21	150.00	100.00	90.70
5	2021-22	100.00	90	85.69
6	2022-23	100.00	25*	7.29**
	Total	**824.49**	**459.10**	**372.73**

* अस्थायी संशोधित अनुमान

** 23.12.2022 की स्थिति के अनुसार जारी निधि।

6.1.6 प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थिति

समर्थ पहले ही वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास के समूचे क्षितिज को पूरा करने के लिए एक लक्षित मजबूत कार्यान्वयन रूपरेखा की स्थापना कर चुका हैं। योजना के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, लक्ष्य के अंतिम आवंटन को भौतिक निरीक्षण के माध्यम से सत्यापित कार्यान्वयन भागीदारों को संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 4.18 लाख (4,17,888) लाभार्थियों के कौशल-उन्नयन की प्रक्रिया, संबंधित कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

समर्थ के अंतर्गत जारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के कुछ चित्र

समर्थ का सार्वजनिक डैशबोर्ड

लिंक :https://samarth-textiles.gov.in/public_dashboard/dashboard/data

6.2 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित फैशन शिक्षा के क्षेत्र में लगे एक अग्रणी संस्थान के रूप में, निफ्ट ने उद्योग की निरंतर बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अकादमिक अनुसंधान, उद्योग नियोजन और अपने पाठ्यक्रम में वृद्धि के माध्यम से अपने शिक्षण को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। सशक्त विचार नेतृत्व, अनुसंधान प्रोत्साहन, उद्योग फोकस, रचनात्मक उद्यम और सहकर्मी अधिगम ने संस्थान के अकादमिक आधार को मजबूत किया है।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना 1986 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन की गई थी और यह निफ्ट अधिनियम 2006 द्वारा शासित एक सांविधिक संस्थान है।

निफ्ट फैशन और डिजाइन शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान का दृष्टिकोण चुनौतियों को स्वीकार करने और उच्चतम शैक्षणिक मानकों को स्थापित करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। एक उद्योग-अकादमिक इंटरफेस की पेशकश करना जो छात्रों के लिए एक अग्रणी अधिगम अनुभव प्रदान करता है, उद्योग और इसके आउटरीच के बारे में एक जटिल और गहन समझ बनाने में सहायता करता है। संस्थान की विस्तार योजनाओं में अकादमिक समावेशिता हमेशा सबसे आगे रही है।

निफ्ट नियमित रूप से विकसित हो रहे उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत रचनात्मक क्षमता और लचीलेपन सहित एक अद्यतन और पुनर्संरचित पाठ्यक्रम के माध्यम से अथक प्रयासों के साथ अपनी शैक्षणिक रणनीति को सुदृढ़ करता है। वर्तमान पाठ्यक्रम में बड़ी और छोटी अवधारणा, कार्यक्रम के भीतर विशेषज्ञता, और सामान्य वैकल्पिक विषय चुनने के लिए कई विकल्प शामिल है, जो प्रेरणादायक और अभिनव मार्गों की ओर ले जाता है।

रचनात्मक विचारकों की एक नई पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए, संस्थान को स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट अध्ययन में डिग्री प्रदान करने का अधिकार है। एक व्यापक विश्व स्तरीय शैक्षणिक अधिगम परिवेश प्रदान करने के अपने उद्देश्य के अनुसरण में, निफ्ट ने 30 से अधिक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित स्कूलों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से रणनीतिक गठजोड़ किया है। निफ्ट के आंतरिक संकाय सदस्य बुद्धिजीवियों के एक विशिष्ट

समूह से लिए गए है, जो प्रभावी शिक्षण के लिए एक मार्ग बनाने वाली गतिशीलता की भावना रखते हैं। श्रीनगर और भोपाल में निफ्ट के नए परिसरों का निर्माण पूरा होने वाला है। निफ्ट, श्रीनगर को ओमपोरा, बडगाम में उसके नए स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया है और उपलब्ध बुनियादी ढांचे से चालू शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया है। निफ्ट, भोपाल परिसर मई 2022 में भौरी, भोपाल में अपने नए स्थान पर स्थानांतरित हो गया है और वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-2023 नए परिसर स्थल से प्रारंभ हो गया है। निफ्ट, दमन की स्थापना 1 अगस्त 2022 को हुई थी और वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से नानी दमन में अपने अस्थायी परिसर स्थल से प्रारंभ हुआ है। दमन परिसर में एक स्नातक पाठ्यक्रम अर्थात बी.डेस (टीडी) और एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात एमएफएम संचालित किया जा रहा हैं।

वर्षों से, डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी की भूमिका और संभावनाओं का कई गुना विस्तार हुआ है। निफ्ट लगातार उद्योग से आगे रहने का प्रयास करता है और अपने 18 व्यावसायिक रूप से प्रबंधित परिसरों के माध्यम से भारत के फैशन परिदृश्य का मार्गदर्शन करने के लिए एक अग्रणी के रूप में कार्य करता है।

निफ्ट शैक्षणिक पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप, उद्योग दौरों, आउटबाउंड कार्यक्रमों के साथ-साथ वास्तविक जीवन की परियोजनाएं, संगोष्ठियों और चर्चाएं शामिल हैं जो छात्रों को उद्योग के कामकाज का अनुभव लेने और समझने के अवसर प्रदान करते हैं।

6.2.1 दीक्षांत समारोह 2022

निफ्ट का दीक्षांत समारोह उस शैक्षणिक वर्ष के स्नातक छात्रों को उपाधि प्रदान करने के लिए परिसरों में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अलग-अलग परिसर दीक्षांत समारोह आयोजित करते हैं जिसमें 3202 स्नातकों को वर्ष 2022 में डिग्री प्रदान की जाएगी। निफ्ट से स्नातक करने वाले छात्रों का परिसर-वार और कार्यक्रम-वार विवरण तालिका में दिया गया है। उपरोक्त के अलावा, निफ्ट दिल्ली परिसर में आयोजित दीक्षांत समारोह 2022

में चार विद्वानों को डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधि प्रदान की गई है।

वर्ष 2022 में स्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर रहे निफ्ट के विद्यार्थी : तथा कार्यक्रम और परिसर-वार																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
अकादमिक कार्यक्रम	बेंगलुरु	भोपाल	भुवनेश्वर	चेन्नई	गांधीनगर	हैदराबाद	जोधपुर	कांगड़ा	कोलकाता	कन्नूर	मुंबई	नई दिल्ली	पंचकुला	पटना	रायबरेली	शिलांग	श्रीनगर	कुल
बैचलर ऑफ डिजाइन (एसेसरी डिजाइन)	31	30	31	27	30	29	26	28	29	-	35	27	-	31	27	24	-	405
बैचलर ऑफ डिजाइन (फैशन कम्यूनि-केशन)	36	-	35	35	35	32	31	34	30	30	40	39	-	34	28	-	17	456
बैचलर ऑफ डिजाइन (फैशन डिजाइन)	36	-	35	36	33	31	33	35	32	29	37	35	-	30	31	29	23	485
बैचलर ऑफ डिजाइन (निटवियर डिजाइन)	33	-	-	39	-	28	-	-	24	28	35	35	-	-	-	-	-	222
बैचलर ऑफ डिजाइन (लेदर डिजाइन)	-	-	-	30	-	-	-	-	27	-	-	39	-	-	27	-	-	123
बैचलर ऑफ डिजाइन (टेक्सटाइल डिजाइन)	33	32	36	24	31	31	33	31	28	28	31	37	-	33	-	-	-	408
बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (अपैरल प्रोडक्शन)	32	-	27	30	28	30	26	28	29	30	30	35	-	31	-	-	-	356
मास्टर ऑफ डिजाइन	39	-	-	-	-	-	-	-	-	38	39	39	-	-	-	-	-	155
मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट	41	37	34	32	32	39	36	-	35	34	39	41	33	31	28	26	-	518

मास्टरऑफ फैशन टेक्नोलॉजी	25	-	-	9	11	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	74
कुल	**306**	**99**	**198**	**262**	**200**	**220**	**185**	**156**	**234**	**217**	**286**	**356**	**33**	**190**	**141**	**79**	**40**	**3202**

6.2.2 कन्वर्ज 2022

कन्वर्ज एक अंतर-कैंपस सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष दिसंबर के माह में निफ्ट के छात्रों को विभिन्न निफ्ट परिसरों के छात्रों के साथ परस्पर चर्चा करते हुए एक सर्वांगीण समग्र विकास का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है।

वैश्विक महामारी के कारण शैक्षणिक वर्ष 2020 और 2021 के लिए कन्वर्ज को आयोजन नहीं किया जा सका था। मार्च 2022 के अंतिम सप्ताह में ऑफ़लाइन कक्षाओं के लिए परिसरों में शामिल होने वाले छात्रों को प्रेरित करने के लिए अप्रैल 2022 में प्रत्येक कैंपस (कोविड प्रतिबंध के कारण) से 25 छात्रों की भागीदारी के साथ जोनल स्तर पर कन्वर्ज

आयोजित किया गया था।

निफ्ट के 17 परिसरों को एक मेजबान परिसर के साथ 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है;

क) पश्चिम क्षेत्र जिसमें निफ्ट मुंबई, गांधीनगर, भोपाल और जोधपुर शामिल हैं।

ख) पूर्वी क्षेत्र जिसमें निफ्ट शिलांग, कोलकाता, पटना और भुवनेश्वर शामिल हैं।

ग) उत्तर क्षेत्र जिसमेंनिफ्ट नई दिल्ली, पंचकुला, कांगड़ा, श्रीनगर और रायबरेली शामिल हैं।

घ) दक्षिण क्षेत्र जिसमें निफ्ट चेन्नई, बेंगलुरु, कन्नूर और हैदराबाद शामिल हैं और कार्यक्रमों की संख्या सीमित थी। इस पर छात्रों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया रही थी।

कन्वर्ज 2022 की मेजबानी निफ्ट भोपाल द्वारा दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में की गई थी।

6.2.3 निफ्ट द्वारा शुरू की गई परामर्शी परियोजनाएं

निफ्ट विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्शी परियोजनाएं चलाता है। ये परियोजनाएं छात्रों को संकाय और अनुभवात्मक शिक्षा से अवगत कराती हैं। यह तकनीकी कौशल को उन्नत करके विभिन्न हितधारकों को लाभान्वित करता है और डिजाइन मूल्य बढ़ाता है। निफ्ट द्वारा शुरू की गई 50 लाख रुपये से अधिक के मूल्य वाली कुछ प्रमुख परामर्शी परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया हैं:

- विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा वाराणसी, सलेम, गुवाहाटी, जोधपुर, बारगढ़ और फुलिया में स्थित 06 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) की पुनर्संरचना और पुनः ब्रांडिंग स्वीकृत। परियोजना मूल्य 2.31 करोड़ रुपए है।

- चरण-II के तहत '10 बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी) में डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना' (अर्थात बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, कन्नूर, कोलकाता, मेरठ, नागपुर और पानीपत) परियोजना विकास आयुक्त का कार्यालय (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा स्वीकृत। यह क्षेत्रीय विशिष्टता के साथ विजुअल पहचान को बनाने और प्रत्येक डब्ल्यूएससी के वस्त्र घटनाक्रमों को दर्शाने तथा प्रत्येक डब्ल्यूएससी के लिए एक वार्षिक क्रियाकलाप कैलेंडर बनाकर डब्ल्यूएससी को विजुअल व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा। परियोजना का मूल्य 9.44 करोड़ रुपए है ।

- राजीव गांधी भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में सरस गैलरी स्टोर का डिजाइन और नवीनीकरण जिसमें खुदरा क्षेत्र आयोजना/डिजाइन विन्यास और उत्पाद श्रेणी के अनुसार डिस्प्ले प्रॉप्स इन्सिग्निया डिस्प्ले प्रणाली विकसित करना शामिल है। परियोजना का मूल्य 1.43 करोड़ है ।

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा स्वीकृत एनआईएफटी में 'खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना, 'हब और स्पोक मॉडल' पर खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत आधुनिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एक नया खादी उत्पाद विकसित करने की योजना और खादी ब्रांड को मजबूत करने के लिए बनाने के लिए की जाएगी। खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र , पांच निफ्ट परिसरों अर्थात निफ्ट दिल्ली, निफ्ट कोलकाता, निफ्ट गांधीनगर, निफ्ट शिलॉन्ग और निफ्ट बेंगलुरु में हब और स्पोक मॉडल में स्थापित किए जाएंगे। गतिविधियों के क्षेत्र में खादी के लिए वैश्विक मानकों की बेंचमार्क डिज़ाइन प्रक्रियाएँ तैयार करना, नए फैब्रिक और उत्पादों का निर्माण करना, फैब्रिक के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले मानकों का प्रसार करना और खादी की विजुअल मर्चेंडाइजिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रचार आदि शामिल होंगे। परियोजना का मूल्य 26.61 करोड़ रुपए है।

- "शिल्प आधारित उद्यमों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म" विकसित करने की एक परियोजना, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा अनुमोदित की गई है। परियोजना शिल्प की ब्रिकी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण, स्थायी शिल्प-आधारित उद्यम बनाना, डिजिटल ज्ञान के अंतरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, रोजगार सृजन और बड़े बाजारों के साथ जुड़ाव और शिल्प क्षेत्र में उद्यमिता विकसित करना के माध्यम से शिल्प क्षेत्र के लिए उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगी। परियोजना का मूल्य 2.44 करोड़ रुपए है।

- नवाचार और उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए और "निफ्ट डिज़ाइन इनोवेशन इन्क्यूबेटर" (डीआईआई) की स्थापना तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में एनआईएफटी के मुम्बई, नई दिल्ली और चेन्नई कैंपसों में इन्क्यूबेशन सुविधाएं (क्षेत्रीय इन्क्यूबेटर्स) स्थापित करना प्रस्तावित है:

1. अपैरल, घर और स्पेस के लिए वस्त्र (दिल्ली)
2. स्मार्ट पहनने योग्य वस्त्र (मुंबई)
3. फैशन और लाइफस्टाइल एक्सेसरीज (मुंबई)
4. एथलीजर और एक्टिव वियर सहित परिधान (चेन्नई)

परियोजना का मूल्य 17.532 करोड़ रुपए है।

- "विजननेक्स्ट-प्रवृत्ति अंतर्दृष्टि और पूर्वानुमान प्रयोगशाला"परियोजना को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमता समर्थित स्वदेशी फैशन पूर्वानुमान सेवा बनाने के लिए स्वीकृत किया गया है जो हमारे देश के लिए मौसमी फैशन प्रवृत्तियों को डिजाइन करने का प्रयास करती है। प्रवृत्ति पूर्वानुमान सेवा को हमारे राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताओं और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा। परियोजना का मूल्य 20.41 करोड़ रुपए है।

- "द रिपोजिट्री-भारतीय वस्त्र और शिल्प", वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकास आयुक्त(हथकरघा) और विकास आयुक्त(हस्तशिल्प) द्वारा वित्त पोषण सहायता के साथ निफ्ट क्लस्टर पहल के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। यह परियोजना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म/पोर्टल, वस्त्र और परिधानों का एक आभासी संग्रहालय मुहैया करवाती है, जिसमें डिजाइनर अभिलेखागार, शिल्पकारों, उनके समुदायों, उनकी कार्य प्रक्रियाओं और उत्पादों पर व्यक्तिगत जानकारी, मामला अध्ययन और शिल्प तथा वस्त्र के क्षेत्रों में अनुसंधान- निफ्ट, शिल्प संग्रहालय, बुनकर सेवा केंद्र और निजी संकलनों से शामिल होते है। परियोजना का मूल्य 15.57 करोड़ रुपए है।

- "इंडियासाइज" परियोजना पहनने के लिए तैयार वस्त्रों की बेहतर फिटिंग के लिए भारतीय आबादी के शरीर माप के आधार पर आकार चार्ट विकसित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुसंधान और विकास योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना है। परियोजना का 25.50 करोड़ रुपए है।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की डिजाइन हस्तक्षेप, उत्पाद रेंज विकास, पैकेजिंग/ प्रदर्शनी, फैशन शो और मीडिया के माध्यम से प्रचार, ई-मार्केटिंग पोर्टल्स के साथ संयोजन, ब्रांड निर्माण के लिए विकास हेतु पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन (उस्ताद) योजना के अंतर्गत निफ्ट एक ज्ञान भागीदार है। परियोजना का मूल्या15.09 करोड़ रुपए है।

- निफ्ट, उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (आईआईडीसी), ग्वालियर में योजना के अंतर्गत परिधान विनिर्माण में एक इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना के लिए एक ज्ञान भागीदार है, जिसमें वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के परिधान विनिर्माण में इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित करने का एक पायलट चरण शामिल है।

- एनआईएफटी को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत परियोजना के लिए आधारभूत सर्वेक्षण, नैदानिक अध्ययन, डीपीआर तैयार करना, कार्यान्वयन में सहायता और परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए भागलपुर मेगा हैंडलूम क्लस्टर के एकीकृत और समग्र विकास हेतु क्लस्टर प्रबंधन और तकनीकी एजेंसी के रूप में नियोजित किया गया है।

6.2.4 उद्योग और पूर्व छात्र मामले - कैंपस प्लेसमेंट

निफ्ट भविष्य के लिए तैयार, सक्षम पेशेवरों के विकास को सक्षम करने के लिए उत्कृष्ट उद्योग - पूर्व छात्रों के इंटरफेस के लिए लगातार प्रयास करता है। सशक्त विचार नेतृत्व, अनुसंधान प्रोत्साहन, उद्योग फोकस, रचनात्मक उद्यम और सहकर्मी सीखने ने हमेशा संस्थान के अकादमिक आधार को मजबूत किया है। निफ्ट परामर्शी परियोजनाओं के माध्यम से उद्योग में योगदान करने में भी सक्षम रहा है, जिसने वस्त्र उद्योग को क्षमता निर्माण और व्यापार विश्लेषण में सहायता प्रदान की है।

निफ्ट उद्योग और पूर्व छात्र मामलों की इकाई निफ्ट के स्नातक छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान करती है ताकि वे चुनौतीपूर्ण पदों पर अपना कैरियर शुरू कर सकें। प्लेसमेंट में शामिल होने वाली कंपनियों की प्रोफाइल उद्योग के विविध क्षेत्रों जैसे बड़े खुदरा विक्रेताओं, ब्रांड मार्केटर्स, निर्माताओं, परामर्श संगठनों, ई-रिटेलर्स, वस्त्र मिलों, होम फर्निशिंग कंपनियों, डिजाइन और ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों और स्टार्ट-अप फर्मों के साथ काफी व्यापक हुई है। इस वर्ष फैशन और डिजाइन क्षेत्र के अलावा सृजित प्लेसमेंट के नए क्षेत्र इडीटेक, फिनटेक, कांटेंट एवं न्यूज एग्रीगेटर और एग्रीटेक हैं। स्नातक करने वाले छात्र अक्सर उन संस्थानों के साथ कार्य करते हैं जहां उन्होंने इंटर्नशिप की थी या जिनके लिए उन्होंने स्नातक परियोजनाएं की थीं।

6.2.4.1 वर्ष 2021-2022 के दौरान किया गया प्लेसमेंट

निफ्ट प्लेसमेंट 2022 का आयोजन दो चरणों में किया गया था। प्लेसमेंट के पहले चरण की शुरुआत दिनांक 25 अप्रैल से 7 मई,2022 तक ऑनलाइन की गई थी। सभी कैंपसों ने प्लेसमेंट की मेजबानी की थी जिसका समन्वय कैंपस के निदेशकों के मार्गदर्शन में संबंधित कैंपस के आरआईसी और लिंक आरआईसी द्वारा किया गया था और समग्र समन्वय उद्योग और एल्यूमिनी मामलों से संबंधित इकाई के प्रमुख द्वारा किया गया था। पहले और दूसरे चरण के लिए एक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष की स्थापना क्रमशः बेंगलुरु कैंपस और पटना कैंपस में की गई थी।

दुसरे चरण की प्लेसमेंट का कार्यक्रम ऑफ़लाइन मोड में दिनांक 1 जून से 18 जून, 2022 तक निर्धारित किया गया था। दूसरे चरण की प्लेसमेंट के लिए कैंपस-वार कार्यक्रम नीचे दिया गया है।

दिनांक	कैंपस
01 और 02 जून, 2022	बैंगलूरु
06 और 07 जून, 2022	दिल्ली
10 और 11 जून, 2022	मुंबई
14 और 15 जून, 2022	चेन्नई/कोलकाता
18 जून, 2022	हैदराबाद/गांधीनगर

प्लेसमेंट में मास्टर्स (फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन मैनेजमेंट, डिजाइन स्पेस) और बैचलर्स प्रोग्राम (फैशन डिजाइन, लेदर डिजाइन, निटवियर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, अपैरल प्रोडक्शन) के छात्रों ने हिस्सा लिया। अपैरल खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं, क्रेता कंपनियों, आईटी और आईटीईएस फर्मों, शिल्प और डिजाइन क्षेत्रों, एआई और मशीन लर्निंग फर्मों, एफएमजीसी, ज्वैलरी और एक्सेसरी ब्रांड, प्रकाशन कंपनी और एसएएएस और संबद्ध उद्योग जैसे विभिन्न उद्योगों आदि से कुल 4330 रिक्तियां सृजित की गई थी। रिक्तियों के नियमित क्षेत्रों के अलावा इस वर्ष के लिए प्लेसमेंट सृजन का नया क्षेत्र एडटेक, फिनटेक, कंटेंट और न्यूज एग्रीगेटर और एग्री टेक हैं। इस वर्ष पहली बार 30 प्रतिशत से अधिक भर्ती कर्ताओं को पंजीकृत किया गया था जो विभिन्न उद्योगों में संस्थान की बढ़ती प्रतिष्ठा का संकेत है। इस वर्ष सृजित रिक्तियों के लिए छात्रों के अनुपात में सभी विभागों के लिए गुणात्मक थी। मास्टर ऑफ़ डिज़ाइन (एम.डिजा.) और मास्टर ऑफ़ फ़ैशन टेक्नोलॉजी (एम.एफटेक.) में उत्पन्न रिक्ति के लिए छात्र का अनुपात 1:3 था जबकि मास्टर ऑफ़ फैशन मैनेजमेंट (एम.एफ.एम.) और अन्य बैचलर ऑफ़ डिजाइन और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए अनुपात 1:2 था।

निफ्ट प्लेसमेंट सीज़न में एक्सेसरी डिज़ाइनर्स, ब्रांड मैनेजर्स, फ़ैशन डिज़ाइनर्स, कैटलॉग मैनेजर्स, फुटवियर डिज़ाइनर्स, फ़र्नीचर डिज़ाइनर्स, ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स, यू एक्स और यू आई डिज़ाइनर्स, डिज़ाइन रिसर्चर्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर, ज्वैलरी डिज़ाइनर, मर्चेंडाइज़र, फ़ोटोग्राफ़र, उत्पाद डिज़ाइनर, उत्पाद विकास विशेषज्ञ, बिक्री और विपणन अधिकारी, सोशल मीडिया मैनेजर, स्पेस डिज़ाइनर, सप्लाई चेन मैनेजर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर और विज़ुअल मर्चेंडाइज़र जैसे कई विषयों में 250 से अधिक विशिष्ट भूमिकाओं के लिए आने वाली कंपनियां थीं।

निफ्ट प्लेसमेंट 2022 के दौरान विभिन्न उद्योगों की कंपनियों की मेजबानी की गई। कुछ नियमित रूप से बड़ी संख्या में भर्ती करने वालों में लैंडमार्क ग्रुप, ट्राइडेंट ग्रुप, ट्रेंट लिमिटेड - ए टाटा एंटरप्राइज, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, नवी टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., इन्फोसिस, विप्रो, क्लासिक फैशन अपैरल इंडस्ट्रिज लि. कंपनी, रिलायंस रिटेल लिमिटेड और रिलायंस ब्रांड लिमिटेड जैसे कुछ नाम थे। अपैरल विनिर्माण क्षेत्र से शाही एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड, लगुना क्लोदिंग प्रा.लि., एक्वारेले इंडिया प्रा.लि., यूनिको, रेंजर अपैरल एक्सपोर्ट प्रा.लि., मोडेनिक लाइफस्टाइल, जय जय मिल्स प्रा. लि., ब्लैकबेरी, डेकाथलॉन इंडिया, अरविंद लिमिटेड, शिव नरेश स्पोर्टस प्राइवेट लिमिटेड, आदि थे।

बड़ी संख्या में भर्ती करने वालों के अलावा, आकर्षक विशिष्ट भूमिकाओं वाली कंपनियां भी थीं जिन्होंने छात्रों को आकर्षित किया। उनमें से कुछ डॉर्लिंग किंडरस्ले पब्लिशिंग प्रा. लिमिटेड, अनथिंकेबल सॉल्यूशंस एलएलपी, स्किड डिज़ाइन्स, वॉल्कस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रा. लि., प्रतिलिपि, ओएलएक्स ग्रुप, इटसी बिटसी प्रा. लि., स्केलर अकादमी, तिवरा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जोकर एंड विच, कृपा सॉल्यूशंस प्रा.लि. कपिवा, मारुति सुजुकी इंडिया लि., रॉयल इनफिल्ड आदि थे।

इस वर्ष फैशन और डिजाइन क्षेत्र के अलावा सृजित प्लेसमेंट के नए क्षेत्र ईडी टेक, फिनटेक, कंटेंट एंड न्यूज

एग्रीगेटर और एग्री टेक थे। प्लेसमेंट 2021-22 के दौरान निफ्ट ने 89.05% छात्रों के प्लेसमेंट की उपलब्धि प्राप्त की है।

6.2.4.2 अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट

निफ्ट प्लेसमेंट 2022 में घरेलू कंपनियों के अलावा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भी हिस्सा लिया। सैलरी पैकेज भी अच्छा रहा। भाग लेने वाले कुछ उल्लेखनीय उद्योगों में सिडनी अपैरल्स, ईपीआईसी ग्रुप, लैंडमार्क ग्रुप, अपैरल ग्रुप, क्लासिक फैशन और टारगेट शामिल हैं।

6.2.4.3 उद्योग संपर्क

परिसरों ने पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में नियमित रूप से पूर्व छात्रों और उद्योग की बातचीत और उद्योग के दौरे का आयोजन किया। प्लेसमेंट सीजन के दौरान, यूनिट ने प्रतिष्ठित उद्योग के साथ कई प्रीप्लेसमेंट वार्ताओं का आयोजन किया। यह छात्रों को प्लेसमेंट के दौरान सही जॉब प्रोफाइल के साथ सही कंपनी का चयन करने के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। उद्योग जगत के साथ कुछ उल्लेखनीय संवाद यूनीक्लो, एपिक ग्रुप, लैंडमार्क ग्रुप, विप्रो, डब्ल्यूएफएक्स, ट्रेंट, लगुना क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड, ट्राइडेंट, ज़ी एंटरटेनमेंट, एक्वेरेल ग्रुप, रिलायंस और टारगेट के साथ आयोजित किए गए।

6.2.4.4 प्रमुख पूर्व छात्रों की बातचीत:

- हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव रखने वाले 27 शानदार डिजाइनरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक दिनांक 9 फरवरी, 2022 को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग, सीएएफपीडी और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने की थी जिसमें श्री यूपी सिंह, सचिव, वस्त्र मंत्रालय, श्री शांतमनु, आईएएस, निफ्ट के महानिदेशक उपस्थित थे।

- इस फोरम में कुछ सबसे वरिष्ठतम डिजाइनर उपस्थित थे, जिनका भारतीय शिल्प क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है। पूर्व छात्रों की सूची में सुश्री सुनीता शंकर, श्री सब्यसाची मुखर्जी, सुश्री तनवीनरत्ती, श्री सुकेतधीर, सुश्री उमा प्रजापति, श्री परमिंदरपाल सिंह, सुश्री करिश्मा आचार्य, सुश्री अनाविला मिश्रा, सुश्री निधियशा, सुश्री निविदिता साबू, श्री मनीष त्रिपाठी, सुश्री अंजलि पुरोहित, सुश्री अनिंदिता सरदार, श्री अक्षय सिंह, श्री सार्थक सेन गुप्ता, श्री सामंत चौहान, श्री सिद्धार्थ सिन्हा, श्री जॉय मित्रा, सुश्री मन्नत सेठी, श्री हरप्रीत पदम, श्री पद्मराज केशरी, सुश्री रिंकी गौतम, श्री अभिषेक गुप्ता, श्री गौरव जय गुप्ता, श्री वैभव अग्रवाल, और श्री प्रियांकुर सेन गुप्ता शामिल हैं।

- पूर्व छात्रों के साथ एक विचार-मंथन सत्र 01 फरवरी, 2022 को आयोजित किया गया। चर्चा का विषय केंद्र सरकार के विजन 2047 के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत विजन निफ्ट 2047 था, जिसका उद्देश्य "भविष्य के लिए तैयार भारत' के लिए एक खाका या एक विजन योजना तैयार करना है।" जो भारत की स्वतंत्रता के 100 वें वर्ष का प्रतीक है।

इस फोरम में 25 वरिष्ठ पूर्व छात्र उपस्थित थे जो भारत और विदेश में कुछ शीर्ष संगठनों के साथ रणनीतिक पदों पर हैं। पूर्व छात्रों और नौकरी प्राप्त छात्रों की सूची में: सुश्री अनिन्दिता सरदार – डिजाइन प्रमुख, तनीरा, श्री अनिरवान बंसरियार – डिजाइन निदेशक, एक्चारेले, सुश्री अंजलि शर्मा - संस्थापक, फ्रेंचकर्वस्टूडियो, सुश्री अनुप्रीत भुई – वरिष्ठ कमीशनिंग प्रबंधक, डब्ल्यूजी एसएन, हांगकांग, श्री अतुल उजागर – नाइकी सोर्सिंग – कंट्री डायरेक्टर, श्री हरप्रीत पदम – डिज़ाइनर और सह-संस्थापक, अन्लाइक डिज़ाइन कंपनी, श्री करुणेश वीर वोहरा - करुणेश इंक, सुश्री खुशबू हसीजा – सीनियर रिसर्च मैनेजर, गूगल , यूएसए, श्री मनीष वाजपेयी – वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री नरेंद्र कुमार - क्रिएटिवहेड, अमेज़ॅन, श्री नितिन प्रसाद – वीपी और हबलीडर, पीवीएच, श्री पार्थ सिन्हा – डिजाइन और फिटके प्रमुख, अमेजन फैशन, श्री प्रमोद अधिकारी – सीनियर कंसल्टेंट, आइडियावर्क्स एसोसिएटस, श्री प्रसून मजूमदार – फाउंडर एंड डिज़ाइनलीड, पीएमडी इंडिया, सुश्री पूर्णिमा गुप्ता – सीनियर डिज़ाइन रिसर्चर शामिल हैं।

- "डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन एंड आन्ट्रप्रनर्शिप: पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ" पर एकवार्ता दिनांक 29-10-2022 को शिल्पकला वेदिका, हाईटेक सिटी, हैदराबाद में एफडीडीआई, एनआईएफटी, आईआईएफटी और आईआईपी द्वारा आयोजित की गई थी। इस आयोजन के दौरान माननीय केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण और माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री, श्री पीयूष गोयल

ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर समारोह की शोभा बढ़ाई।

मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित स्टालों का दौरा किया और विशेष रूप से निफ्ट-हैदराबाद द्वारा प्रदर्शित उत्पाद की सराहना की। निफ्ट-हैदराबाद से लगभग 106 कर्मचारियों, 72 छात्रों और 58 पूर्व छात्रों ने बैठक में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान की फैक्ल्टी डॉ सुजाता और प्रोफेसर शेखर मुखर्जी ने "डिजिटलीकरण, नवाचार और उद्यमिता" पर एक लघु संवाद किया।

6.2.4.5 पूर्व छात्रों की बैठक 2022

- **निफ्ट गांधीनगर** ने निम्नलिखित पूर्व छात्रों की बैठक का आयोजन किया: निफ्ट गांधीनगर के वरिष्ठ एल्यूमिनी छात्रों (बैच 1997 से 2012) के लिए दिनांक 17.04.2022 को एक वर्चुअल एल्यूमिनी छात्रों की बैठक आयोजित की गई। इसके बाद निफ्ट गांधीनगर के 2013 से 2021 की कक्षा के लिए दिनांक 29.04.2022 को एक अन्य वर्चुअल एल्यूमिनी बैठक का आयोजन किया गया। सूरत और उसके आसपास कार्यरत एल्यूमिनी के लिए दिनांक 30.04.2022 को एक भौतिक बैठक का आयोजन किया गया।
- **निफ्ट भोपाल** ने ग्रेजुएशन शो 2022 के दौरान दिनांक 27.05.2022 और 28.05.2022 को एल्यूमिनी की बैठक का आयोजन किया है।
  - संबंधित कैंपसों के एल्यूमिनी के लिए भौतिक बैठक का आयोजन निम्नानुसार किया गया है:
  - 15 अगस्त -2022 को निफ्ट-गांधीनगर
  - 14 अक्टूबर -2022 को निफ्ट-शिलांग
  - 21 अक्टूबर -2022 को निफ्ट-रायबरेली
- निफ्ट के 38वें स्थापना दिवस के अवसर पर, बेंगलुरु कैंपस ने देश के फैशन/डिजाइन इको सिस्टम के पेशेवरों, विचारकों, एल्यूमिनी और अन्य स्टेकहोल्डर के साथ 'विचारों का स्थान' नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। निफ्ट बेंगलुरु ने डिजिटल रिकैलिब्रेशन और सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट में अवसरों पर विचार-विमर्श करने के लिए इसका आयोजन किया। उद्योग-अकादमिक इंटरफ़ेस ने सर्कुलेरिटी, प्रौद्योगिकी को अपनाने, डिजाइन शिक्षा और कार्य-जीवन पर रोचक विचारों पर संवाद किया।

6.2.5 अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज

निफ्ट की अकादमिक रणनीति अंतरराष्ट्रीयता को अपनाती है। पिछले कई वर्षों में, निफ्ट ने सूझ-बूझ से अपनी अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता और समूचे विश्व में अन्य प्रतिष्ठित फैशन संस्थानों के मध्य अपनी ख्याति में वृद्धि की है। निफ्ट के 30 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय फैशन संस्थानों और संगठनों के साथ रणनीतिक समझौते और साझेदारी हैं जो समान शैक्षणिक दिशा साझा करते हैं। एक तरफ यह निफ्ट छात्रों को सहयोगी संस्थानों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम का अवसर देकर फैशन की वैश्विक मुख्य धारा के साथ एकीकृत होने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है और दूसरी तरफ, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को निफ्ट में इसी प्रकार के कई 'विदेश में अध्ययन' के विकल्प मुहैया करवाता है। यह निफ्ट और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के साथ संवाद करने, उनके दृष्टिकोण को विकसित करने तथा विविध संस्कृतियो को समझने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को इस तरह के 'विदेश में अध्ययन' के अवसर सभी 18 निफ्ट परिसरों में

और कई पाठ्यक्रम विधाओं में उपलब्ध है।

छात्र आदान-प्रदान क्रियाकलापों के अतिरिक्त, निफ्ट संकाय सदस्य शैक्षिणक आदान-प्रदान कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और व्यापार शो में भाग लेते है जो निफ्ट में ज्ञान पूल को समृद्ध करते हुए कक्षा में पर्याप्त अनुभव लाता है।

6.2.5.1 निफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

क्रम सं.	देश/क्षेत्र	विश्वविद्यालय का नाम
1	ऑस्ट्रेलिया	क्वींसलैंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (क्यूयूटी)
2		रॉयल मेलबर्न टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट (आरएमआईटी)
3	बांग्लादेश	बीजीएमईए यूनिवर्सिटी ऑफ फैशन एण्ड टेक्नोलॉजी (बीयूएफटी)
4	चीन	डोंगहुआ यूनिवर्सिटी
5	डेनमार्क	केईए- कोपेनहेगन स्कूल ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी
6	फ्रांस	इकोले डुपेरे
7		इकोले नेशनल सुपेरेयूएर डेस आर्टस एट इन्डस्ट्रीज टेक्सटाइल्स (ईएनएसएआईटी)
8		एनामोमा (पीएसएल)
9	जर्मनी	ईएसएमओडी
10	इजराइल	शेनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन एण्ड आर्ट
11	इटली	आईईडी इस्टीटुटोयूरोपियो डि डिजाइन
12		नुओवा एकेडेमिया दी बेले आरटी (नाबा)
13		पॉलिटेक्निको डी मिलानो (पीडीएम)
14	जापान	बंका गाकुएन यूनिवर्सिटी
15	मॉरीशस	फैशन और डिजाइन इंस्टीट्यूट (एफडीआई)
16	नीदरलैंड	एम्स्टर्डम फैशन इंस्टीट्यूट (एएमएफआई)
17		रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स (केएबीके)
18		सैक्सियन यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज
19	न्यूजीलैंड	मैसी यूनिवर्सिटी
20	स्विट्ज़रलैंड	शेवेजेरेशच टेक्सटिफाशचुले एसटीएफ
21	यूके	डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी (डीएमयू)
22		ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्टस (जीएसए)
23		मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी (एमएमयू)
24		नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी
25		यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्प्टन
26	अमेरीका	ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी,
27		बफ़ेलो स्टेट, द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यूयॉर्क, यूएसए
28		फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एफआईटी), स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क
29		नार्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी
30		सवाना कॉलेज ऑफ़ आर्ट एंड डिज़ाइन
31	क्यूम्यलस, विश्वविद्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय संघ और कला, डिजाइन और मीडिया के कॉलेज की वार्षिक सदस्यता	
32	इंटरनेशनल फ़ाउंडेशन ऑफ़ फ़ैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स (आईएफएफटीआई), अंतर्राष्ट्रीय फ़ैशन और वस्त्र संस्थानों का एक वैश्विक नेटवर्क की वार्षिक सदस्यता	

पिछले कुछ वर्षों में, निफ्ट ने कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जैसे मैसी यूनिवर्सिटी (न्यूजीलैंड), एनामोमा (फ्रांस), कोवेंट्री यूनिवर्सिटी (यूके), रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स (केएबीके - नीदरलैंड्स) और ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए के साथ साझेदारी की है।

6.2.5.2 भागीदार संस्थानों को और उनसे छात्रों का आदान-प्रदान

महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक भागीदार संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ एक सेमेस्टर के लिए या ग्रीष्मकाल में अल्पकालिक कार्यक्रम के रूप में 2-3 सप्ताह हेतु या एक वर्षीय दोहरे डिग्री कार्यक्रम के रूप में छात्रों का आदान-प्रदान है। संस्थान अकादमिक और सांस्कृतिक समृद्धि में अनुभव प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भी आकर्षित करता है। विदेशों के छात्र न केवल भारतीय संस्कृति, कला और शिल्प में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं बल्कि भारतीय बाजार और इसकी गतिशीलता की समझ भी विकसित करते हैं। हाल ही में निफ्ट को जनवरी-जून 2023 के लिए इकोल नेशनल सुपरियूरे डेस आर्टस एटइन्डस्ट्रीज टेक्सटाइल्स (एनसेट), फ्रांस, पोलीटेक्नीको मिलानो (पीडीएम), नुओवा एकेडमिकया डी बेल्ले आर्टी (एनएबीए) और केईए-कोपेनहेगन स्कूल ऑफ़ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, डेनमार्क से सेमेस्टर आदान-प्रदान की पुष्टि प्राप्त हुई है।

दोहरी डिग्री: फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एफआईटी), न्यूयॉर्क, यूएसए के साथ निफ्ट की रणनीतिक साझेदारी निफ्ट और एफआईटी दोनों से दोहरी डिग्री प्राप्त करने के लिए एक अद्वितीय अवसर हेतु निफ्ट से मेधावी छात्रों के चयन को अनुमेय बनाता है। निफ्ट के छात्र गृह संस्थान में दो साल का अध्ययन करने के पश्चात बीच में एफआईटी में एक वर्ष का अध्ययन करते हैं, जिसके बाद वे निफ्ट में अपना अंतिम वर्ष पूरा करते हैं। अगस्त 2022 से जून 2023 तक दोहरी डिग्री के भाग के रूप में एक वर्षीय एएएस कार्यक्रम के लिए एफआईटी, यूएसए द्वारा 66 छात्रों का चयन किया गया है।

2022-2023 में सेमेस्टर, ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम और दोहरी डिग्री के लिए छात्र आदान-प्रदान का विवरण:

क्रियाकलाप	**समयावधि**	**जाने वाले/ आने वाले छात्र**	**आदान-प्रदान अवसर का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या**
सहभागी संस्थान / विश्वविद्यालय के साथ **सेमेस्टर आदान-प्रदान कार्यक्रम**	जनवरी - जून 2023	बाहर जाने आने वाले विदेशी छात्र	एनसेट, फ्रांस - 15 (उडान के लिए 01 सीट) एनएबीए, इटली - 04 पीडीएम, इटली - 02 केईए, डेनमार्क - 04
		आने वाले विदेशी छात्र	एनेमोमा, पेरिस - 02 एनसेट, फ्रांस - 04
फिट, न्यूयॉर्क में **दोहरी डिग्री का अवसर**	अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक एफआईटी में दोहरी डिग्री		66 निफ्ट छात्र वर्तमान में एफआईटी, संयुक्त राज्य अमेरीका में दोहरी डिग्री के भाग के रूप में एक वर्षीय एएएस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है।

एनसेट : द इकोल नेशनल सुपीरियर डेस आर्ट्स एट इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल, फ्रांस

केईए: कोपेनहेगन स्कूल ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, डेनमार्क

फिट: फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क, यूएस

पीडीएम: पॉलिटेक्निको डि मिलानो (पीडीएम), इटली

6.2.5.3 अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ बैठक

- निफ्ट दिल्ली में 16 और 17 अगस्त 2022 को लंदन कॉलेज ऑफ फैशन के प्रतिनिधि के साथ बैठक।
- आदान-प्रदान पर चर्चा करने के लिए 22-7-2022 को इंस्टिट्यूट फ्रेन्सियास डी ला मोडके साथ ऑनलाइन बैठक हुई।
- आदान-प्रदान के अवसरों पर चर्चा करने के लिए 21-9-2022 को डोमस एकेडमी, मिलानो के साथ ऑनलाइन बैठक हुई।
- एमओयू को अंतिम रूप देने के लिए मार्च 2022 से फैशन और डिजाइन संस्थान, मॉरीशस के साथ ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गईं।
- नई क्रेडिट प्रणालियों और एमओयू के नवीकरण पर चर्चा के लिए एफआईटी, न्यूयॉर्क के साथ बैठकें।

6.2.5.4 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का दौरा

निफ्ट की एक टीम ने मौजूदा संबंधों को मजबूत करने और नए अवसरों पर चर्चा करने के लिए एसटीएफ स्विट्जरलैंड, एनामोमा पेरिस, केईए कोपेनहेगन और यूनिवर्सिटी ऑफ बोरास स्वीडन का दौरा किया।

6.2.6 फैकल्टी अभिमुखीकरण प्रशिक्षण विकास

निफ्ट में एफओटीडी यूनिट, निफ्ट के सभी परिसरों के आत्मनिर्भर बने रहने और बाहरी संकाय संसाधनों पर उनकी निर्भरता कम से कम होने को सुनिश्चित करने के लिए संकाय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुविधा प्रदान करता है। इस वर्ष प्रशिक्षण ऑनलाइन, ऑफलाइन और साथ ही हाइब्रिड मोड में आयोजित किए गए थे। जून 2022 से 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी परिसरों में आयोजित किए गए हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों से राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों कोट्रेंड स्पॉटिंग और रिपोर्टिंग, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, शिक्षाशास्त्र और फैशन डिजाइन के लिए पीएम + जीसी, प्रिंट डिजाइन डीपनिंग, अभिनव और रचनात्मक अनुप्रयोग के लिए सरफेस डिजाइन, डिजाइन प्रतिमान, डिजाइन और प्रयोगों का विश्लेषण (मिनिटैब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग) के विषयों को एकीकृत करने की कार्यप्रणाली जैसे विभिन्न विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाली विषय-वस्तु के प्रदाय के लिए आमंत्रित किया जाता है ।

बहु चैनल आयोजना और खरीदारी, बुने हुए वस्त्रों में रचनात्मक और अभिनव अनुप्रयोगों, सोशल मीडिया सिद्धांत कल्याण और व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र, फ्यूजन 360 और ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर का उपयोग करके 3डी मॉडलिंग की मूलभूत सिद्धांत, व्यवसाय में गेम थ्योरी अंतर्ग्रस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, और व्यापार क्षेत्र में नवप्रवर्तक द्वारा संचालित सत्र के क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। निफ्ट के वरिष्ठ संकाय और डोमेन विशेषज्ञों ने ऑनलाइन शिक्षण के उपकरण और शिक्षाशास्त्र पर पाठ्यक्रम लेने के लिए आपस में सहयोग किया। कुछ संकाय सदस्यों ने कोर्सेरा आदि जैसे लोकप्रिय पोर्टलों द्वारा पेश किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को अपनाकर अपने कौशल का उन्नयन भी किया। सभी परिसरों के 220 संकाय सदस्य आज तक इन विशेषज्ञों से लाभान्वित हुए हैं।

ऑटोडेस्क एजुकेशन, ट्रेंडगुल्ली - बी2बी ग्लोबल मार्केटप्लेस, डब्ल्यूजीएसएन, फैब्रिक बाई औगटुल रियल्टी लैब्स प्रा. लि., रेमण्ड लिमिटेड, अमलतास इनकारपोरेटिड, एबीएफआरएल, रिलायंस ट्रेंडस, एएसआईसीएस कारपोरेशन, तनिष्क टाइटन कंपनी लिमिटेड, लेवी स्ट्रेटस एण्ड कंपनी, मिन्त्रा, एटलस सॉफ्टवेब प्रा. लिमिटेड, लेबल-का-शा, रासलीला टेक्सटाइल, शटल्स एंड नीडल्स, हाई परफॉरमेंस टेक्सटाइल्स हरियाणा, द वीव स्टोर, द वूलमार्क कंपनी और वैन ह्यूसेन को उपर्युक्त प्रशिक्षणों में सत्र आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

निफ्ट के संकाय सदस्यों को सदैव अनुसंधान कार्य करने और समय-समय पर उद्योग के साथ जुड़कर अपने कौशल और ज्ञान को अद्यतन और उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे संकाय सदस्य को अपना कार्य दर्शाने, दुनिया भर में हो रहे नए घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रमुख उद्योग सदस्यों, संकाय सदस्यों और विद्वानों के साथ जुड़ने में मदद मिलती है। ये गतिविधियाँ संकाय के समग्र पेशेवर आउटरीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अप्रैल 2022 से अब तक निफ्ट के 18 परिसरों में लगभग 15 फैकल्टी सदस्यों को व्यावसायिक विकास की सुविधा प्रदान की गई है। इसके बदले में, संकाय से शोध लेखन, पेटेंट और परियोजनाओं के माध्यम से ब्रांड इक्विटी बढ़ाने और संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निफ्ट की सेवा करने की अपेक्षा की जाती है। कुछ संकाय सदस्यों ने व्यावसायिक विकास भत्ते का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संकाय उद्योग अटैचमेंट लिया।

6.2.7 सतत शिक्षा कार्यक्रम

वस्त्र क्षेत्र में विकास की तीव्र गति के साथ उद्योग में इच्छुक पेशेवरों का कौशल उन्नयन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। निफ्ट में सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) और डिप्लोमा कार्यक्रम (डीपी) उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप जनशक्ति प्रशिक्षण और ज्ञान उन्नयन को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। सीईपी के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रम पेशेवरों और उम्मीदवारों की शैक्षिक आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा कर रहे हैं और देश के भीतर अपैरल क्षेत्र के लिए पसंदीदा सतत शिक्षा केंद्रों में से एक हैं।

वर्ष 2022-2023 में, निफ्ट के छह परिसरों में 19 सतत शिक्षा और डिप्लोमा कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित

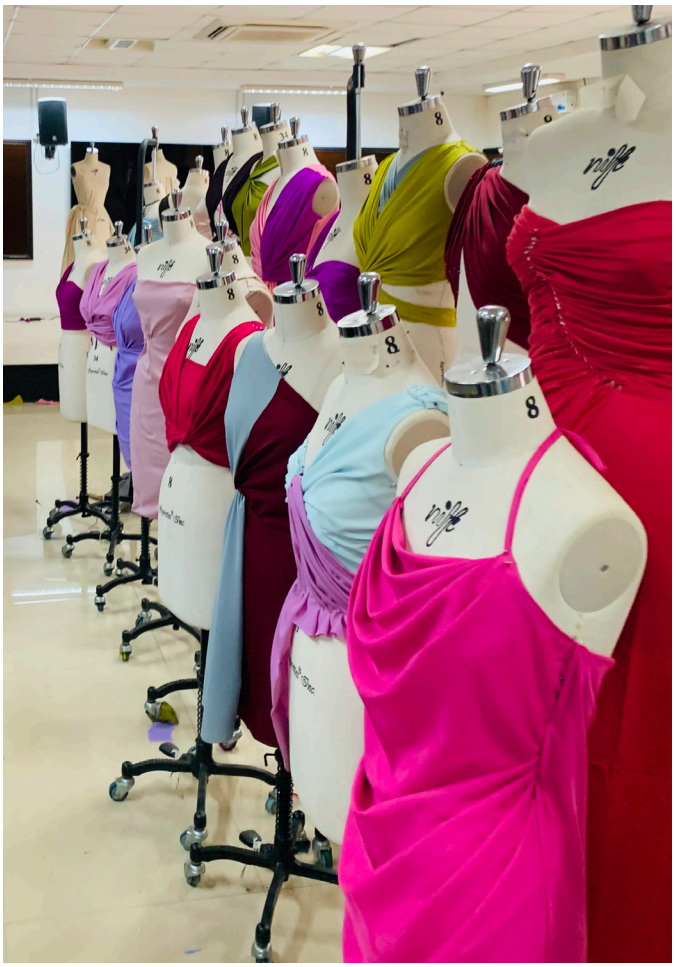

किए जा रहे हैं, जिससे वर्ष 2022-23 के लिए कुल 3,87,28,738/- रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, जनवरी 2023 से कुछ और पाठ्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। चलाए जा रहे सतत शिक्षा कार्यक्रमों के अलावा, निफ्ट डिप्लोमा कार्यक्रमों को भी चलाता है, जिसका उद्देश्य परिसरों को बुनियादी ढांचे और अन्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाना है। डिप्लोमा कार्यक्रमों का उद्देश्य उस राज्य के स्थानीय छात्रों को मूल्य वर्धित कार्यक्रम को चलाना है जहां निफ्ट के नए परिसर स्थित हैं। संशोधित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार और वर्तमान उद्योग की जरूरतों पर ध्यान देने के साथ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में संशोधन किया गया है। पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान 18 नए डिप्लोमा कार्यक्रम विकसित और प्रारंभ किए गए हैं।

ब्रिज प्रोग्राम को वर्ष 2009 में एक पूरक कार्यक्रम के रूप में चलाया गया था ताकि निफ्ट के पूर्व स्नातकों को अपने डिप्लोमा को डिग्री में परिवर्तित करने की अनुमति मिल सके। प्रारंभ में इसकी 2009-2014 के मध्य 5 वर्षों के लिए पेशकश की गई थी, इसे पूर्व छात्रों की मांग के आधार पर 2016 तक बढ़ा दिया गया था। वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर फैले पूर्व छात्रों के व्यापक आधार को सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया गया है। दो सेमेस्टर के लिए यूजी ब्रिज प्रोग्राम (एफडी और एडी) में 25 और एक सेमेस्टर के लिए पीजी ब्रिज प्रोग्राम (एलडी, केडी, टीडी, एफसी, जीमी.ट. और एएमएम) में कुल 48 छात्रों ने ब्रिज प्रोग्राम 2022 के लिए प्रवेश लिया। सेमेस्टर-1 के दौरान एकत्रित कुल राजस्व 63,98,300/- रुपए था।

6.2.8 पीएचडी, अनुसंधान और आईपीआर

पीएचडी कार्यक्रम वर्ष 2009 में सात छात्रों के साथ प्रारंभ किया गया था। निफ्ट पूर्णकालिक और अंशकालिक डॉक्टोरल कार्यक्रम प्रदान करता है। यह कार्यक्रम अपनी उच्च शैक्षणिक उपलब्धियों, डिजाइन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान के स्वतंत्र अनुसंधान और प्रसार के कारण जाना जाता है। यह कार्यक्रम शिक्षा और उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रयोग हेतु वास्तविक ज्ञान का निकाय बनाने के लिए वस्त्र, फैशन तथा अपैरल क्षेत्र में अनुसंधान संचालित करने के उद्देश्य से किया गया है।

पीएचडी कार्यक्रम हेतु परिणामों की घोषणा तथा जुलाई माह में पंजीकरण के साथ दाखिले की प्रक्रिया सामान्यत: प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह के दौरान प्रारंभ होती है। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले हेतु योग्यता पात्रता डॉक्टर ऑफ फिलॉस्फी की उपाधि की डिग्री के दिशानिर्देशों में दी गई हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान निफ्ट से पीएचडी के लिए नामांकित निफ्ट शिक्षण फेलो सहित 59 छात्र

हैं। अकादमिक वर्ष 2022-23 के दौरान चार पीएचडी विद्वानों को डिग्री प्रदान की गई है। एक अंशकालिक अभ्यर्थी से पांच वर्ष के भीतर पर्यवेक्षित अध्ययन पूरा करने की आशा की जाती है, जिसे अधिकतम सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्णकालिक अभ्यर्थी से यह आशा की जाती है कि वह पर्यवेक्षित अध्ययन को चार वर्ष के भीतर पूरा कर लेगा, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 35 छात्रों ने अद्यतन तिथि तक पीएचडी पूरी कर ली है।

इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित आईपी का संरक्षण के लिए मूल्यांकन किया गया और टीआईएफएसी के माध्यम से फाइल करने की सिफारिश की गई:

मूल्यांकन तिथि	आविष्कार का नाम	अविष्कारक
30.11.2021	स्किप स्टिच का आईपी-इनलाइन डिटेक्शन और लाइव फीडबैक को स्वचालित करना	श्री तेजस विलास शिरोरे , श्री गगन सिंघवी और प्रो. डॉ. पवन गोडियावाला - निफ्ट मुंबई
24.09.2022	वस्त्र उत्पादों के रूप में केवड़ा फाइबर	श्री बिस्वजीत-एमडीएस - छात्रा, प्रो. डॉ. शर्मिला जे. दुआ (मेंटर) और डॉ. रश्मी ठाकुर (मेंटर) - निफ्ट मुंबई से।

6.2.9 निफ्ट में प्रकाशन इकाई

निफ्ट प्रकाशन इकाई, एक आंतरिक, अंत:विषयक मंच का कार्य करता है, जिसका उद्देश्य निफ्ट संकाय के साथ-साथ विद्वानों और शिक्षकों के विश्व स्तर पर खोज-केंद्रित दृष्टिकोण को उजागर करना है। 2022 में निफ्ट जर्नल ऑफ फैशन (एनजेएफ) जारी किया गया है। प्रत्येक वार्षिक खंड और सहकर्मी-समीक्षित और ओपन एक्सेस जर्नल के अंक में फैशन के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक महत्व का एक विषय होगा जो शिक्षा और फैशन उद्योग के लिए प्रासंगिकता वाले फैशन के कई दृष्टिकोणों पर महत्वपूर्ण सोच को दर्शाता है। एनजेएफ एक विषयगत प्रकाशन है जो दुनिया भर के शिक्षाविदों, विद्वानों और फैशन पेशेवरों से डिजाइन, संचार, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहित फैशन पर उच्च गुणवत्ता, मूल शोध लेख आमंत्रित करता है। संपादकीय बोर्ड में प्रत्येक विषयगत मुद्दे के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के अध्यक्ष, अनुसंधान प्रमुख और सहयोजित आंतरिक और बाहरी समीक्षक शामिल होते हैं।

जून 2022 में 'सस्टेनेबल फ्यूचर: पॉलिसीज, स्ट्रैटजी एंड प्रैक्टिस' विषय पर पत्रिका के दूसरे खंड के लिए शोध लेखों की घोषणा की गई थी।

6.2.10 शिल्प क्लस्टर पहल गतिविधियाँ

निफ्ट 2016-17 से शिल्प क्लस्टर पहल के तहत विभिन्न शिल्प समूहों के साथ चर्चा कर रहा है। शिल्प आधारित डिजाइन परियोजनाएं, शिल्प अनुसंधान और प्रलेखन, कारीगर जागरूकता कार्यशालाएं और शिल्प बाजार वर्ष 2022 में निफ्ट के सभी परिसरों में पूरे उत्साह और जोश के साथ ऑफ़लाइन मोड में संपन्न हुए। क्लस्टर गतिविधियों को डिजिटल और भौतिक दोनों तरीकों से सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिससे कारीगरों, छात्रों और उपभोक्ताओं को बातचीत करने और भारत के हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का अवसर मिला। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में लगभग 90 जीआई पंजीकृत शिल्प, जिनमें 60 शिल्प हस्तकला के तहत और 30 हथकरघा के तहत शिल्प क्लस्टर गतिविधियों के लिए पूरे भारत में लिए गए थे। निफ्ट पंचकुला ने भी पिछले शैक्षणिक वर्ष में अपनी क्लस्टर गतिविधियां प्रारंभ की।

14 दिसंबर 2021 को चौथी समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिल्प क्लस्टर पहल गतिविधियों 2019 और 2020 के बारे में एक प्रस्तुति श्री शांतमनु, महानिदेशक -निफ्ट की अध्यक्षता वाली बाहरी विशेषज्ञों, डीसीएचसी और डीसीएचएल अधिकारियों की एक टीम के समक्ष दी गई। समीक्षा समिति ने शिल्प क्लस्टर पहल गतिविधियों के माध्यम से कारीगरों के लिए डिजाइन हस्तक्षेप, डिजिटल प्लेटफॉर्म की हैंडलिंग, कार्यशाला आयोजित करने और कारीगरों के लिए ऑनलाइन शिल्प बाजारों में मार्गदर्शन प्रदान करने में निफ्ट टीम के प्रयासों की सराहना की।

माननीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल और श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह, वस्त्र सचिव श्री शांतमनु, महानिदेशक-निफ्ट और प्रोफेसर डॉ. वंदना नारंग, डीन एकेडमिक्स की उपस्थिति में निफ्ट में शिल्प क्लस्टर पहल और इसकी गतिविधियों के बारे में 8 फरवरी 2022 को एक प्रस्तुति

दी गई।

चौथी समीक्षा समिति की बैठक की सिफारिश पर निफ्ट ने 383 कारीगरों और 2722 निफ्ट छात्रों के नमूने के आकार के साथ क्लस्टर पहल गतिविधियों के बारे में एक प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट का आयोजन, विश्लेषण और संकलन किया। इन क्लस्टर गतिविधियों के प्रभाव को समझने के लिए आवश्यकता मूल्यांकन और उद्देश्य के आधार पर प्रत्येक हितधारक के लिए एक शोध उपकरण विकसित किया गया था। यह ध्यान में रखते हुए कि कारीगर स्थानीय भाषा में पारंगत होते हैं, कारीगरों के लिए शोध उपकरण द्विभाषी प्रारूप में विकसित किया गया था। कारीगरों और छात्रों के लिए विकसित अनुसंधान उपकरण से सांख्यिकीय निष्कर्ष, साथ ही स्नातक स्तर की पढ़ाई के पश्चात शिल्प क्षेत्र के साथ कार्य करने वाले पूर्व छात्रों की सफलता की कहानियों को संकलित किया गया था। डाटा के अनुसार निफ्ट द्वारा आयोजित शिल्प क्लस्टर गतिविधियां कारीगरों के लिए उनके उत्पादों की प्रस्तुति और बाजार की जरूरतों की बेहतर समझ के मामले में फायदेमंद रही हैं। डाटा दर्शाता है कि कारीगर निफ्ट के साथ जुड़ाव जारी रखना चाहेंगे। कारीगरों ने कहा कि महामारी के दौरान, निफ्ट ने उनके साथ ऑनलाइन जुड़ना जारी रखा, इसलिए कुछ कारीगरों ने दावा किया कि उन्होंने ऑनलाइन चर्चा जैसे नए कौशल सीखे, जो उन्हें महामारी के बाद मदद करेंगे। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि निफ्ट की विभिन्न पहलों का छात्र समुदाय पर शिल्प क्षेत्र के प्रति सुग्राहीकरण, उन्हें शिल्प क्षेत्र में अपना करियर चुनने के लिए प्रेरित करने और उनके भविष्य के प्रयासों में जमीनी स्तर पर कारीगरों के साथ काम करने के लिए सकारात्मक प्रभाव होता है।

डिजाइन हस्तक्षेप, डिजाइन प्रक्रिया, बाजार के रुझान, ब्रांडिंग, प्रचार, गुणवत्ता मानकों और शिल्प से संबंधित अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए निरंतरता में, विभिन्न निफ्ट परिसरों के संकाय द्वारा विकसित अल्पावधि पाठ्यक्रम क्लस्टर यूनिट द्वारा साझा किए गए थे।

विकास आयुक्त का कार्यालय, हथकरघा और विकास आयुक्त का कार्यालय, हस्तशिल्प द्वारा प्रायोजित 2021 में कुल 32 स्नातक परियोजनाओं को 20 स्नातक परियोजनाओं को 2022 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

अध्याय VII

अवसंरचना हेतु सहायता

7.1 पीएम-मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल पार्क (पीएम मित्र):

प्रस्तावना

वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने प्रचालन के स्तर को सक्षम बनाकर भारतीय वस्त्र उद्योग को मजबूत बनाने, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर लाकर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने और निर्यात क्षमता में वृद्धि करने के लिए अक्टूबर, 2021 में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल पार्क (पीएम मित्र) योजना की शुरुआत की है। यह योजना वस्त्र उदयोग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला उदाहरण के लिए कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, गारमेटिंग, वस्त्र विनिर्माण, प्रसंस्करण और प्रिंटिंग मशीनरी उद्योग के लिए एकीकृत बड़ा पैमाना और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा का विकास करेगी। इन पार्कों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाएगी जहां वस्त्र उद्योग के समृद्ध होने की अंतर्निहित क्षमता हो और सफलता के लिए आवश्यक लिंकेज हो। योजना में समयबद्ध तरीके से त्वगरित गति से कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माडल को बढ़ावा देने के लिए परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार की योजना इच्छुक राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करके ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड क्षेत्रों में 7 पीएम-मित्र पार्क स्थापित करने की है। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित एक आधुनिक, एकीकृत बड़ा पैमाना, विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण करेगी।

उद्देश्य

पीएम-मित्र पार्क में भारत को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 9 ('लोचशील अवसंरचना का निर्माण, सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा और नवप्रवर्तन का संवर्धन') को प्राप्त करने में सहायता करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला हेतु एकीकृत बड़ा पैमाना और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा को विकसित करने के लिए है। यह योजना भारत को निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और स्वयं को वैश्विक वस्त्र बाजार में मजबूत स्थिति में लाने में सहायता करेगी। इन पार्कों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाएगी जहां वस्त्र उद्योग के समृद्ध होने की अंतर्निहित क्षमता हो और सफलता के लिए आवश्यक लिंकेज हो।

योजना प्रोत्साहन संरचना

(क) ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क- ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पार्कों के लिए क्रमश: 500 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए प्रति पार्क की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजीगत सहायता (डीसीएस)का प्रावधान है। डीसीएस महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे विकसित कारखाना स्थलों, प्लग एंड प्ले सुविधा, इंक्यूबेशन केंद्र, सड़कें, बिजली, जल तथा अपशिष्ट जल प्रणाली और सामान्य प्रसंस्करण केंद्र और सीईपीटी, कामगार हॉस्टल एवं आवासन, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग, चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षण और कौशल विकास सुविधाओं जैसी सहायता अवसंरचना के सृजन के लिए एक सहायता है। इसमें दुकानों और कार्यालयों, शॉपिंग मॉल, हॉस्टल और सम्मेलन केंद्रों जैसे वाणिज्यिक विकास हेतु पार्क के क्षेत्र का 10% क्षेत्र का प्रयोग किए जाने का प्रावधान है।

(b) प्रतिस्पिर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस)–

पीएम मित्र पार्क में समय से पूर्व स्थापित करने के लिए विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु 300 करोड़ रुपए प्रति पार्क का प्रावधान है, जिसमें विनिर्माण इकाइयों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुल बिक्री कारोबार का 3% तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है। यह केवल उन विनिर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो वस्त्र पीएलआई योजना से लाभांवित नहीं हो रहे हैं तथा यह पीएम मित्र पार्क हेतु प्रदान की गई निधि का पूर्ण रूप से प्रयोग न हो जाने तक उपलब्ध रहेगी।

गवर्नेंस

ग्रीनफील्ड पार्कों हेतु यह योजना 10 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ प्रत्येक पीएम मित्र पार्क के लिए इस उद्देश्य से एक विशेष प्रयोजन तंत्र द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी और अधिकार में लाई जाएगी। यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत होगी। भारत सरकार पीएम मित्र पार्क के तहत स्थापित की जाने वाली एसपीवी की प्रदत्तम पूंजी का 49% इक्विटी का भुगतान करेगी और प्रतिभागी राज्य सरकार प्रदत्त पूंजी का 51% का भुगतान करेंगी। राज्य सरकार वस्त्र/उद्योग की देखरेख करने वाले विभाग के प्रशासनिक सचिव को एसपीवी का सीईओ नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार सांकेतिक न्यूनतम मूल्य पर एसपीवी को भूमि हस्तांतरण करेगी और बाद में यह भू-संपत्ति, रियायत अवधि के दौरान उच्च मानक विशिष्टता के साथ पीएम मित्र पार्क के विकास और रखरखाव हेतु पीएम मित्र पार्क में निवेश के लिए एसपीवी/मास्टर डेवलपर द्वारा बढ़ावा दिए जाने के लिए प्रयोग की जाएगी। इस योजना के विशेष प्रयोग हेतु शर्तें और रूपरेखा आरएफपी के निर्माण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित की जाएंगी। सचिव (वस्त्र), भारत सरकार को एसपीवी का अध्यक्ष नामित किया जाएगा। भारत सरकार इस परियोजना हेतु वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। इस संबंध में कार्य के समायोजन के लिए एक मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक पीएमयू की स्थापना की जाएगी।

ब्राउनफील्ड पार्कों के मामले में, एसपीवी की शेयरधारिता जारी रहेगी और मौजूदा एसपीवी पीएम मित्र को क्रियान्वित करेगी।

प्रचालनात्मक माडल

पीएम मित्र पार्क को डिजाइन–निर्माण–वित्त-प्रचालन-हस्तांतरण (डीबीएफओटी) प्रारूप पर एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारित मास्टर डेवलपर (एमडी) मॉडल में विकसित किया जाएगा। तथापि, सरकारी एसपीवी आधरित मॉडल या निजी डेवलपर की सीमित भागीदारी वाले हाइब्रिड मॉडल जैसे अन्य मॉडल पर भी भारत सरकार के अनुमोदन के साथ अपवाद स्वरूप स्थिति में भी विचार किया जा सकता है।

पात्रता तथा रूपरेखाएं

पीएम मित्र पार्क न्यूनतम 1000 एकड़ के निकटवर्ती और बाधारहित भूखंड को आसानी से उपलब्ध कराने वाली राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार विशेष प्रयोजन प्रणाली (एसपीवी) के लिए न्यूनतम मूल्य पर भूमि हस्तांतरण करेगी। यह भूमि उच्च मानक विशिष्टताओं के साथ विकास और रखरखाव हेतु पीएम मित्र पार्कों में निवेश को बढ़ावा देने/आकर्षित करने के लिए प्रयोग की जाएगी। एसपीवी, पीएम मित्र पार्क परियोजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक विधिक निकाय (राज्य सरकार की 51% और केंद्र सरकार की 49% की इक्विटी साझेदारी) होगा।

7.2 एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस)

पर्यावरणीय मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और विशेष रूप से समुद्री क्षेत्रों में मौजूदा प्रसंस्करण कलस्टरों तथा नए प्रसंस्करण पार्कों में नए सामान्य प्रवाह शोधन संयंत्रों (सीईटीपी)/सीईटीपी के उन्नयन में सहायता करने के लिए वस्त्र मंत्रालय 12वीं पंचवर्षीय योजना से एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) का क्रियान्वयन कर रहा है। योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुभव और वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा सामना की गई चुनौतियों के आधार पर मंत्रालय ने उक्त योजना को कुछ संसाधनों के साथ जारी रखने का निर्णय लिया है। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह योजना वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रहेगी।

आईपीडीएस का मुख्य उद्देश्य वस्त्र उद्योग को सुविधा प्रदान करना है ताकि पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण मानकों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धी बन सके। यह योजना अपेक्षित पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए वस्त्र इकाइयों को सुविधा प्रदान करेगी। आईपीडीएस मौजूदा प्रसंस्करण कलस्टरों में और जल तथा अवशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष रूप से नए प्रसंस्करण पार्कों को सहायता करेगी जिसे प्रसंस्करण क्षेत्र में क्लीनर टेक्नोलॉजी के लिए अनुसंधान विकास को बढ़ावा मिलेगा।

आईडीपीएस के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं:

i. बालोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और बालोतरा, राजस्थान में रिवर्स ओसमोसिस प्रा.लि., बालोतरा द्वारा 18 एमएलडी सीईटीपी का शून्य तरल बहिस्राव

(जेडएलडी) का उन्नयन।

ii. जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और जसोल, राजस्थान में रिवर्स ओसमोसिस प्रा.लि., राजस्थान द्वारा 2.5 एमएलडी सीईटीपी का शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) का उन्नयन।

iii. सांगानेर, राजस्थान में सांगानेर इन्वायरो प्रोजेक्टस डेवलपमेंट द्वारा 12.3 एमएलडी जेडएलडी परियोजना की स्थापना करना।

iv. पाली, राजस्थान में 12 एमएलडी सीईटीपी का जेडएलडी का उन्नयन।

v. गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क, सूरत, गुजरात में 25 एनएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

vi. नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क का 3.1 एमएलडी से 8 एमएलडी में उन्नयन।

अभी तक, अनुमोदित परियोजनाओं के लिए आईपीडीएस के तहत 173.23 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

7.3 वस्त्र कलस्टर विकास योजना (टीसीडीएस)

भारत में वस्त्र उद्योग परस्पर निर्भर क्लस्टरों के रूप में विकसित हुआ है। इनमें से कुछ कलस्टरों को आधुनिक नहीं बनाया गया है और वे बदलते हुए माहौल के साथ स्वयं को गतिमान रखने योग्य नहीं है और पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी और मशीनरी से काम करना जारी रखे हुए है। इसके परिणामस्वरूप इन कामगारों की अकुशलता और कम उत्पादकता उत्पन्न हुई है। अतएव, एक ठोस नीति द्वारा समग्र कलस्टर विकास मॉडल वस्त्र मूल्य श्रृंखला में स्थायित्व और परिचालन को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रालय उन्हें प्रचानशील और वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए भावी और मौजूदा वस्त्र इकाइयों हेतु एकीकृत कार्यस्थल और लिंकेज आधारित पारिस्थितिकी की प्रणाली का निर्माण करने की दृष्टि से वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक वस्त्र कलस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) को क्रियान्वित कर रहा है। टीसीडीएस का कलस्टर विकास मॉडल पहलों को विशेष रूप तैयार किए जाने, प्रचालन में बड़ी अर्थव्यवस्था, विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता, लागत कुशल, प्रौद्योगिकी और सूचना की बेहतर पहुंच आदि हेतु बढ़े पैमाने पर लाभ प्रदान करेगा। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस योजना का कुल परिव्यय 853 करोड़ रुपए है।

टीसीडीएस के निम्नलिखित घटक हैं

(i) समूह वर्कशैड योजना (जीडब्यू एस): इस योजना का उद्देश्य आधुनिक बुनाई मशीनरी वाले विद्युतकरघों हेतु वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए अवसंरचना की स्थापना करना है। संशोधित योजना के अनुसार,वर्कशैड के निर्माण हेतु अधिकतम सब्सिडी 400 रुपए प्रति वर्ग फुट, जो भी कम हो, के अध्यधीन इकाई की निर्माण लागत का 40% तक सीमित होगी। सामान्यत: एकल चौड़ाई (230 से.मी. तक) के 24 आधुनिक करघों के साथ न्यूनतम 4 बुनकर या 16 और अधिक चौड़ाई वाले करघे (230 से.मी. और उससे अधिक) का एक समूह बनाएंगे और प्रत्येक लाभार्थी के पास कम से कम 4 करघे होने चाहिए।

प्रति विद्युतकरघा न्यूनतम 1.25 व्यक्तियों के आवासन हेतु डॉर्मिटोरी/कामगार आवास जिसमें पर्याप्त स्वच्छ शौचालय तथा स्नानागार (स्टोर रूम के साथ किचन तथा डाइनिंग हॉल वैकल्पिक रूप में शामिल किया जा सकता है), के निर्माण हेतु 125 वर्ग मी. प्रति व्यपक्ति की दर से अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। डॉर्मिटोरी/कामगार आवास हेतु प्रति वर्ग मी. सब्सिडी की दर समूह वर्कशैड पर लागू प्रति वर्ग फुट सब्सिडी की दर के समान होगी। इस योजना के तहत जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 55.80 करोड़ रुपए की कुल राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2014-15 से मौजूदा छोटे विद्युतकरघा बुनकरों द्वारा न्यूनतम 4 विद्युतकरघा बुनकरों का एक समूह बनाकर 347 नए समूह वर्कशैड स्थापित किए गए। इन समूह वर्कशैडों में 12,492 शटलरहित करघे स्थापित किए गए हैं।

(ii) व्यापक विद्युतकरघा, निटवियर एवं रेशम मेगा कलस्टर: भिवंडी (महाराष्ट्र) और (तमिलनाडु) में विद्युतकरघा मेगा कलस्टर विकसित करने के लिए वर्ष 2008-09 के बजट भाषण में वित्ती मंत्री द्वारा की गई घोषणा का क्रियान्वयन करने के लिए वर्ष 2008-09 में व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना (सीपीसीडीएस) का निर्माण किया गया था। तदोपरांत, वित्त मंत्री ने वर्ष 2009-10 वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2014-15 में अपने बजट भाषण में क्रमश: भीलवाड़ा (राजस्थान), इचलकरंजी (महाराष्ट्र), सूरत (गुजरात) के विद्युतकरघा मेगा कलस्टर तथा बेंगलूरु (कर्नाटक) में रेशम मेगा कलस्टर के विकास की घोषणा की थी।

भिवंडी तथा भीलवाड़ा में भूमि की अनुपलब्धता और हितधारकों/राज्ये सरकार से खराब प्रतिक्रिया के कारण विद्युतकरघा मेगा कलस्टंर रद्द कर दिए गए थे।

कलस्टर के डिजाइन में निहित दिशानिर्देश/सिद्धांत विश्वस्तरीय अवसंरचना का सृजन करने के लिए हैं तथा उत्पादन श्रृंखला को इस रूप में एकीकृत करते हैं जोकि उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय छोटे और मध्यम उद्यमियों की व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मेगा कलस्टर पहुंच योजना का विस्तृत उद्देश्य बढ़ी हुई बाजार हिस्सेदारी के संबंध में कलस्टरों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उत्पादों की उच्चतर इकाई मूल्य प्राप्त करके बढ़ी हुई उत्पादकता सुनिश्चित करना है। यह योजना आवश्यक अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन विकास, कच्ची सामग्री बैंक, विपणन तथा संवर्धन, ऋण, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य संघटकों को प्रदान करती है जोकि विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के स्थायित्व हेतु महत्वपूर्ण है।

यह योजना 3 वर्ष की अवधि (दिनांक 1.4.2017 से 31.03.2020 तक) हेतु क्रियान्वयन के लिए दिसंबर, 2016 में संशोधित की गई थी। संशोधित योजना के तहत, एक मेगा कलस्टर हेतु सरकारी सहायता अधिकतम 50 करोड़ रूपए के अध्यधीन परियोजना लागत का 60% तक सीमित है। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 101.00 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।

वर्ष 2014-15 से विभिन्न अवसंरचना संबंधी मामलों में बाधाओं को दूर करने के लिए इरोड और इचलकरंजी के दो विद्युतकरघा कलस्टरों को सहायता दी गई है। इरोड मेगा कलस्टर ने इरोड मेगा कलस्टर में और उसके आसपास उनके अपने उत्पादों को विद्युतकरघा बुनकरों को बेचने के लिए मार्केट लिंकेज विकसित किए हैं जबकि इचलकरंजी मेगा कलस्टर ने विद्युतकरघा पूर्व और पश्च प्रावधान किए हैं। इस योजना के तहत इचलकरंजी मेगा कलस्टर में एक अत्याधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है जिसमें विद्युतकरघा बुनकरों को कलस्टर से ही अपने तैयार उत्पादों को बेचने के लिए एक नया जीवन मिला है। इन पहलों में कलस्टरों के विद्युतकरघा बुनकरों को उनके उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए उत्साहित करने की क्षमता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, इस घटक के अंतर्गत 19.695 करोड़ रूपए जारी किए गए है।

(iii) सुविधा, प्रचार, आईटी, एमआईएस तथा प्रशासनिक व्यय: विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करना; उत्पादकता और दक्षता में सुधार करना, प्रशिक्षण और कलस्टरों में विद्युतकरघा बुनकरों के कौशल का विकास/अद्यतन करना एक अनिवार्य आवश्याकता है। प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन एमओटी की समर्थ योजना के माध्यम से अथवा कौशल विकास मंत्रालय की योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, फिल्म मीडिया, मल्टीमीडिया के माध्यम से, कार्यक्रम आधारित प्रचार आदि सहित विस्तृत प्रचार प्रदान करना है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रोत्साहन योजनाओं के क्रियान्वयन प्रणाली डिजीटलीकरण करना है। इसके अलावा, इसमें संपूर्ण वस्त्र कलस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक लागत, एमआईएस तथा परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) व्यय भी शामिल होंगे। इस संघटक के तहत कुल 9.00 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।

(iv) गैर वस्त्र, आयुक्त विद्युतकरघा सेवा केंद्रों को सहायता अनुदान : वस्त्र आयुक्त (टीएक्ससी) का कार्यालय के नियंत्रणाधीन 15, वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए) के तहत 26 और राज्य सरकार के तहत 6 विद्युतकरघा सेवा केंद्र कार्यशील हैं। ये पीएससी सरकार की ओर से विद्युतकरघा क्षेत्र को प्रशिक्षण, नमूना परीक्षण, डिजाइन विकास, परामर्श, सेमिनार आयोजन/कार्यशाला आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रही हैं। टीआरए/ राज्य सरकार की एजेंसियों के पीएससी को मुख्य रूप से विद्युतकरघा क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने हेतु पीएससी चलाने के लिए होने वाले व्यय के लिए सहायता अनुदान प्रदान की जाएगी। टीआरए/राज्य सरकार की एजेंसियों के पीएससी को मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वस्त्र आयुक्त द्वारा सहायता अनुदान की मंजूरी दी जाएगी। इस घटक के तहत कुल 23.55 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।

(v) विद्युतकरघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री ऋण योजनाः भारत सरकार लचीली और लागत प्रभावी तरीके से, उनकी ऋण आवश्यकताओं, (सावधि ऋण) और कार्यशील पूंजीगत निवेश आवश्यकता पूरा करने के लिए विद्युतकरघा बुनकरों को पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में दो घटक

अर्थात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत श्रेणी-I और स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत श्रेणी-II है। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय ने योजना के प्रचालन के लिए ऋण देने वाली एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। चल रही परियोजना को पूरा करने के लिए कुल 93.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, वर्ष 2014-15 में पीएम स्टैंडअप इंडिया के अंतर्गत आधुनिक शटल रहित करघों के साथ 510 महिला उद्यमियों ने अपनी नई इकाइयाँ को स्थापित की हैं।

(vi) साधारण विदयुतकरघा के लिए स्व-स्थाने उन्नयन योजना: इस योजना का उद्देश्य कुछ अतिरिक्त अटैचमेंट के साथ अपने मौजूदा साधारण करघों का उन्नयन करके उत्पादित किए जा रहे फैब्रिक की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है और उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाना है। यह योजना 8 करघों तक की छोटी विद्युत करघा इकाइयों के लिए है। 4 करघों से कम वाली इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए प्रति करघा 50%, 75% और 90% की सीमा तक उन्नयन लागत का अधिकतम सब्सिडी क्रमशः 45,000/- रुपये, 67,500/- रुपये और 81,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

भारत सरकार की सब्सिडी के अतरिक्त, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकार प्रति विद्युत करघा 10,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, बिहार, राज्य सरकार 12000 रुपये प्रदान कर रही है और तेलंगाना राज्य सरकार अपने संबंधित क्लस्टरों में अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में संलग्नक की लागत का 50% प्रदान कर रही है।

(vii) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी): वस्त्र उद्योग को विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मंक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना से एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसकी परियोजना लागत में अधिकतम 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत का 40% की वित्तीय सहायता के साथ आईटीपी की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन/सहायता के लिए सामान्य अवसंरचना और भवन शामिल हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आईटीपी स्थापना में लोचशीलता प्रदान की गई है। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह योजना 2025-26 तक क्रियान्वित की जा रही है। एसआईटीपी को अब वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीसी) का एक घटक बना दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत कंपाउंड वॉल, सड़क, नाली, जलापूर्ति, कैप्टिव विद्युत संयंत्र सहित विद्युत आपूर्ति, बहिस्राव शोधन, दूरसंचार लाइन जैसी सामान्य अवसंरचना, परीक्षण प्रयोगशाला (उपकरण सहित), डिजाइन केंद्र (उपकरण सहित), परीक्षण केंद्र (उपकरण सहित), व्यापार केंद्र/प्रदर्शनी केंद्र, वेयर हाउसिंग सुविधा/कच्ची सामग्री डिपो, पैकेजिंग इकाई, क्रैच, कैंटीन, कामगार हॉस्टल, सेवा प्रदाता कार्यालय, श्रमिक विश्राम स्थल और मनोरंजन सुविधाएं, विपणन सुविधा प्रणाली (बैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकेज) आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए उत्पादन के लिए कारखाना हेतु भवन, संयंत्र एवं मशीनरीऔर वस्त्र इकाइयों के लिए कार्य स्थल और कामगारों के होस्टल, जो किराया/हायर परचेज आधार पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं, जैसे के घटकों के अंतर्गत वित्त पोषण किया जाता है।

क्रियान्वयन की स्थिति:

उपर्युक्त 4 पार्कों के पूरी तरह से प्रचालनशील हो जाने पर लगभग 5262 वस्त्र इकाइयों के शुरू होने, लगभग 3,41,883 व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 25707.59 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किए जाने की संभावना है।

एसआईटीपी के तहत इन 54 वस्त्र पार्कों के लिए 1516.04 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

अभी तक, 54 स्वीकृत वस्त्र पार्कों में से, 30 वस्त्र पार्कों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा कर लिया गया है और शेष 24 क्रियान्वयन के विभिन्न स्तर पर हैं।

अध्याय VIII

तकनीकी वस्त्र

8.1 परिभाषा:

"तकनीकी वस्त्र मुख्य रूप से सौंदर्य विशिष्टताओं की अपेक्षा तकनीकी निष्पादन और कार्यात्मक उद्देश्यों हेतु निर्मित वस्त्र सामाग्री और उत्पाद हैं"।

कार्यात्मक आवश्यकताओं तथा अंतिम उपयोग के अनुप्रयोगों के आधार पर, तकनीकी वस्त्रों की विविध रेंज को 12 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है

i. एग्रोटेक- (जैसे शैडनेटस, फसल-आवरण, आदि),

ii. मेडिटेक (जैसे डायपर, पीपीई, कांटेक्ट,लेंस आदि),

iii. मोबिलटेक - (जैसे एयर-बैग, नायलॉन टायर कार्ड आदि),

iv. पैकटेक- (जैसे रैपिंग फैब्रिक, जूटबैग आदि),

v. स्पोर्टेक- (जैसे कृत्रिम टर्फ, पैराशूट आदि),

vi. बिल्डटेक- (जैसे आर्किटेक्चरल मेम्ब्रेन, होर्डिंग और साइनेज आदि),

vii. क्लोथटेक - (छाते का कपड़ा, इंटरलिनिंग आदि),

viii. होमटेक- (ब्लाइंड, आग प्रतिरोधी पर्दे, आदि),

ix. प्रोटेक- (बुलेट प्रूफ जैकेट, रासायनिक सुरक्षा क्लोदिंग आदि),

x. जियोटेक- (जियो-ग्रिड, भू-कंपोजिट आदि),

xi. ओयेकोटेक- (पर्यावरणीय संरक्षण, आदि),

xii. इंडूटेक- (जैसे कंवेयर बेल्ट, बॉलटिंग क्लॉथ आदि)।

8.2 मंत्रालय द्वारा विगत में की गई पहलें:

8.2.1. तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी)

देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को प्रभावित करने वाली बाधाओं को दूर करने और बढ़ रही मांग को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने दिसंबर, 2010 में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय से तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) की शुरुआत की थी। टीएमटीटी के दो मिनी मिशन थे (क) उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना; और (ख) बाजार विकास और फोकस उद्भवन केंद्रों की स्थापना करना । टीएमटीटी के अंतर्गत, 8 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना, मुंबई (2), गाजियाबाद, कोयंबटूर (2), कोल्हापुर, अहमदाबाद और थाणे में की गई है। इसी प्रकार 11 फोकस उद्भवन केंद्रों (एफआईसी) का स्थापना की गई है जो देश भर में फैले हुए हैं इनमें आईआईटी खड़गपुर, मुंबई, दिल्ली और कानपुर: निटरा, सिटरा, अटिरा, डीकेटीई इंजीनियरिंग कॉलेज और पीएसजी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय शामिल हैं।

8.2.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'जियोटेक्निकल टेक्सटाइल्स 'उपयोग संवर्धन योजना:

पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना के विकास में जियो टेक्सटाइल को बढ़ावा देने और इसका उपयोग करने के लिए 427 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2014 में (2014-15 से 2018-19 तक) शुरुआत की गई। यह जागरूकता का सृजन करने, परीक्षण दक्षता और पूर्वोत्तर क्षेत्र की अवसंरचना को लाभ पहुंचाने के लिए प्रायोगिक परियोजना थी। इस योजना के अंतर्गत, 12 सड़क परियोजनाएं, 11 जलाशय परियोजनाएं और 17 ढलान स्थिरीकरण परियोजनाएं शुरू की गईं। सभी पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ हुआ है। अवसंरचना का जीवन का लगभग दोगुना हो गया है और रखरखाव की लागत में 50% की कमी आई है । यह भी पाया गया कि 30% जलक्षय की रोकथाम हुई है । प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के लिए योजना का विस्तार किया गया है ।

8.2.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रोटेक्सटाइल्स उपयोग संवर्धन योजना :

वित्त वर्ष 2012-13 में 55 करोड़ रुपये के परिव्यय से शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, एगोटेक्स टाइल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तंर (एनई) क्षेत्र में 44 प्रदर्शन केंद्रों और शेष भारत में 10 प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत कुल 1218 एग्रो टेक्सटाइल्स किटों का वितरण किया गया है ओर

5012 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 48.23 करोड़ रुपए व्युय किए गए हैं। प्राप्त प्रमुख लाभ थे (i) 30-45% जल संरक्षण (ii) कृषि उत्पादकता में दोगुना वृद्धि (iii) किसानों की आय में 60% वृद्धि होने की सूचना दी गई है। यह योजना वित्त वर्ष 2019-20 में बंद कर दी गई थी।.

8.2.4 जूट सहित वस्त्र उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास योजना:

12 वीं पंचवर्षीय योजना (2014-15 से 2018-19) में 149 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृत इस योजना के तीन प्रमुख घटक हैं: -

घटक- I: वस्त्र और संबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान में लगे (टीआरए), अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों आदि सहित प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान और विकास परियोजनाएं (कुल परिव्यय: 50 करोड़ रु.)

घटक- II: जूट क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना; जूट क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण और प्रसार गतिविधियां (कुल परिव्यय: 80 करोड़ रु.)

घटक- III: बेंचमार्क अध्ययन, ज्ञान प्रसार और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से हरित पहल को बढ़ावा देना (कुल परिव्यय: 15 करोड़ रुपये)।

119 परियोजनाओं में से, 44 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, जबकि शेष पूर्ण/बंद होने के अंतिम चरण में हैं।

ये परियोजनाएं टीआरए/अनुसंधान एजेंसियों द्वारा शुरू की गई हैं और वस्त्र आयुक्त/पटसन आयुक्त के कार्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। केवल प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए इस योजना को बढ़ाया गया है।

8.3 तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में वर्तमान पहलें:

8.3.1 एचएसएन (नामावली की सुसंगत प्रणाली) कोड की अधिसूचना:

विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) संहिता में तकनीकी वस्त्रों के लिए समर्पित कोई विशिष्ट अध्याय नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, या तो तकनीकी वस्त्रों के रूप में घोषित किए गैर-तकनीकी वस्त्रों की वस्तुओं का गलत वर्गीकरण किया गया था या वास्तविक तकनीकी वस्त्रों को व्यापार नीति के भाग के रूप में सही ढंग से प्रचारित नहीं किया जा रहा था। उद्योग काफी समय से तकनीकी वस्त्र के एक अलग वर्गीकरण की मांग कर रहा था। स्टाक होल्डरों के लाभों को ध्यान में रखते हुए और व्यवसाय को आसान बनाने की दृष्टि से, 207 एचएसएन कोड को आईटीसी (एच) 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के तहत परिशिष्ट-V में तकनीकी वस्त्रों के रूप में वर्गीकृत और अधिसूचित किया गया है।

इसके अलावा, राजस्व विभाग के परामर्श से तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए समर्पित 31 नए एचएसएन कोड विकसित किए गए हैं। इसे वस्त्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए उपयोग किया जाएगा।

8.3.2 207 तकनीकी वस्त्र मदों की व्यापार सांख्यिकी:-

(करोड़ रुपए में))

	आयात	निर्यात	व्यापार शेष
(आयात-निर्यात)	16,123.54	12,537.48	+3586.1
2020 - 21	16,123.54	12,537.48	+3586.1
2021 – 22	21,200.12	18,336.56	+2863.6
अप्रैल-अक्तूबर 2022	11,836.66	10,974.44	+862.2

8.3.3 तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना:

अनुप्रयोगों के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों के लाभों को प्राप्त करने की उद्देश्य से, वर्तमान में दस केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में अनिवार्य उपयोग के लिए 116 तकनीकी वस्त्र उत्पादों की पहचान की गई है। अब तक तकनीक वस्त्र के 68 उत्पादों के अनिवार्य उपयोग की अधिसूचना जारी की गई है

8.3.4 कौशल विकास :

वस्त्र क्षेत्र में कौशल अंतर धीमे विकास का एक प्रमुख कारक है। चूंकि मशीनों और संयंत्रों में उन्नत तकनीक शामिल है, इसलिए इन मशीनों के प्रचालन करने के लिए विशेष रूप से कुशल कर्मियों की आवश्यकता होती है। उद्योग के अनुरोध पर, वस्त्र मंत्रालय ने अपने कौशल

विकास कार्यक्रम-समर्थ में तकनीकी वस्त्रों के लिए छह (6) अतिरिक्त पाठ्यक्रम शामिल किए हैं।

8.4 राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

तकनीकी वस्त्रों में देश को वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक चार वर्ष की अवधि के साथ कुल 1480 करोड़ रुपये के परिव्यय से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में मूलभूत और एप्लाइड अनुसंधान दोनों के रिसर्च और विकास के लिए है; संवर्धन और बाजार विकास गतिविधियों के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों पर जोर दिए जाने का स्तर बढ़ाने ; तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में कुशल और शिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए निधि आवंटित की जाती है।

इस मिशम के चार घटक है :

8.4.1 घटक-I (अनुसंधान, नवाचार और विकास):

अनुसंधान विषय में विशिष्ट फाइबर और कम्पोजिट, जियो टेक्सटाइल, एग्रो टेक्सटाइल, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल, वस्त्र, मेडिकल टेक्सटाइल्स, रक्षा वस्त्र, स्पोर्टस टेक्सटाइल, और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों को शामिल करते हुए उनकी पहचान की गई है और अनुसंधान प्रस्तावों को आमंत्रित किया गया है। अब तक स्पेशलिटी फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल की श्रेणी में 232 करोड़ रुपये मूल्य की 74 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

भारत में तकनीकी वस्त्रों के लिए हाइ एंड मशीनरी, उपकरण, टूल और परीक्षण उपकरणों के स्वदेशी विकास की सहायता करने के लिए दिशा-निर्देश और घरेलू डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लिए स्वदेशी मंच स्थापित करने की शुरुआत की गई है।

8.4.2 घटक–II (संवर्धन और बाजार विकास):

एनटीटीएम के घटक II के अंतर्गत, देश में तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों का संवर्धन और बाजार विकास के लिए जागरूकता और मांग सृजन करना है। एग्रोटेक्सटाइल्स के लाभ प्रदर्शित करने के लिए द सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (ससमीरा), मुंबई के साथ नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात में एग्रो-टेक का एक प्रदर्शन केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है।

8.4.3 घटक – III (निर्यात संवर्धन):

इस घटक का उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के निर्यात को लगभग 14000 करोड़ रु. के वर्तमान वार्षिक मूल्य से बढ़ाकर 2020-21 तक 2000 करेड़ रु. करना और 2023-24 तक निर्यात में प्रतिवर्ष 10% औसत वृद्धि सुनिश्चित करना है। सिंथेटिक एंड रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी) को तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की भूमिका सौंपी गई है।

8.4.4 घटक- IV (शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास) :

तकनीकी वस्त्रों में भावी भारतीय इंजीनियरों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ और इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिभा का स्तीर सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है;

(क) वस्त्र मंत्रालय न केवल वस्त्र क्षेत्र में बल्कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे इंजीनियरिंग के अन्य विधाओं, कृषि संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, फैशन संस्थानों में भी तकनीकी वस्त्रों में इको-सिस्टम विकसित करना चाहता है।

उक्त दृष्टिकोण के अनुरूप, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से एनटीटीएम के तहत **निजी और सार्वजनिक संस्थानों के लिए' 'तकनीकी वस्त्रों में शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशा निर्देश** जारी किए गए हैं। 'निजी और सार्वजनिक संस्थानों के लिए' 'तकनीकी वस्त्रों में शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशानिर्देश' नए तकनीकी वस्त्र डिग्री कार्यक्रम (यूजी और पीजी) को सक्षम बनाएंगे और तकनीकी वस्त्रों के नए कागजातों के साथ मौजूदा परम्परागत डिग्री कार्यक्रमों को अद्यतन करेंगे।

निजी और सार्वजनिक संस्थानों के लिए' विस्तृत तकनीकी वस्त्र में शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए- विस्तृत 'सामान्य दिशानिर्देश वस्त्र मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर एनटीटीएम वेब पेज https://www.texmin.nic.in/technical-textiles-mission के पर उपलब्ध हैं।

(ख) तकनीकी वस्त्र में इंटर्नशिप सहायता (जीआईएसटी) के लिए अनुदान हेतु सामान्य दिशानिर्देश जारी किए गए हैं: -

एनटीटीएम में कृषि, चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, फैशन अन्य सहित तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न अनुप्रयोग वाले क्षेत्रों में कार्य करने वाले भावी इंजीनियरों/पेशेवर स्नातक छात्रों को ज्ञान और ऑन-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

जीआईएसटी का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के इस उभरते क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिभा विकसित करने के लिए तकनीकी वस्त्रों में भावी भारतीय इंजीनियरों/पेशेवरों के लिए शिक्षा के स्तर और ज्ञान को बढ़ाना है।

जीआईएसटी का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाएगा, अर्थात (i) पात्र कंपनियों का पैनल बनाना, (ii) इंटर्नशिप कार्यक्रम, जिसमें इंटर्नशिप अवधि के लिए वित्त पोषण सहायता की अधिकतम 2 माह की अवधि के अध्याधीन,पेनलबद्ध कंपनियों को 20,000 रुपए प्रति छात्र (संबंधित विभागों के बी.टेक स्टूडेंट्स दूसरे वर्ष/ तीसरे वर्ष/चौथे वर्ष के छात्रों/पात्र निजी/सार्वजनिक संस्थानों की विशिष्टअता) तक अनुदान दिया जाएगा।

पात्र एजेंसियां,10 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले वस्त्र उद्योग, वस्त्र अनुसंधान संघ और वस्त्र मशीनरी विनिर्माता होंगी।

पैनलबद्ध उद्योग/संस्थान सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों में संबंधित विधा के इंजीनियरिंग संस्थानों और 200 तक की एनआईआरएफ रैंकिंग वाले निजी संस्थानों को भी प्रशिक्षण दे सकते हैं।

इसके अलावा, तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, **एनटीटीएम के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप** में भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर द्वारा **"इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जियो-सिंथेटिक्स का एप्लीकेशन"** में डिज़ाइन कमीशनिंग तकनीकी कर्मियों के लिए दो सप्ताह का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

संबंधित क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ की अध्यक्षता में वस्त्र मंत्रालय में मिशन निदेशालय का कार्यालय हथकरघा हाट, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। **4** वर्षों की अवधि के पश्चात यह मिशन अपने अंतिम चरण में होगा।

8.5 तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में अन्य पहलें:-

- गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के तहत लाए जाने के लिए 107 वस्तुओं की पहचान की गई: 19 जियोटेक्सटाइल, 12 प्रोटेक्टिव,टेक्सटाइल 22 ऐग्रोटेक्सटाइल, और 6 मेडिकल वस्त्र आइटम जारी किए हैं। मेडिकल टेक्सटाइल्स की 48 वस्तुएं **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)**के नियमन के अधीन हैं

- तकनीकी वस्त्रों के लिए 500 से अधिक बीआईएस मानकों का विकास

- दिनांक 04 अक्टूबर, 2022 को भारत में वस्त्र प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा और कौशल इकोसिस्टम पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय वस्त्र मंत्री ने आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्रों और छात्रों के साथ चर्चा की गई थी।

8.6 वस्त्र अनुसंधान संघ

वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं की प्रगति में अनुसंधान और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान करते हुए, मंत्रालय वस्त्र अनुसंधान संघों का सहयोग कर रहा है जो इस क्षेत्र के संपूर्ण विस्तार को कवर करता है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कार्यरत आठ टीआरए हैं:

(i) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एसोसिएशन (एटीआईआरए)

(ii) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बीटीआरए)

(iii) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (एसआइटीआरए)

(iv) उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए)

(v) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (एमएएनटीआरए)

(vi) सिंथेटिक और आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (एसएएसएमआईआरए)

(vii) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आई जे आई आर ए)

(viii) ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए)

अध्याय IX

क्षेत्रगत योजनाएं

9.1 हथकरघा

9.1.1. प्रस्तावना

हथकरघा पीढ़ीगत विरासत का एक अनमोल हिस्सा है और हमारे देश की समृद्धि और विविधता तथा बुनकरों की कलात्मकता का उदाहरण है। हाथ से बुनाई की परंपरा देश के सांस्कृतिक लोकाचार का एक हिस्सा है। कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करके इसे बनाए रखा गया है। इस क्षेत्र की शक्ति इसकी विशिष्टता, उत्पादन का लचीलापन, नवाचारों के लिए खुलापन, आपूर्तिकर्ता की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलता और इसकी परंपरा की संपत्ति में निहित है।

हथकरघा क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में विशिष्ट स्थान है। एक आर्थिक गतिविधि के रूप में हथकरघा कृषि के बाद सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यह क्षेत्र लगभग 28.23 लाख हथकरघों पर कार्यरत 35.23 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से 13.7% अनुसूचित जाति, 17.8% अनुसूचित जनजाति, 36% अन्य पिछड़ा वर्ग और 32.4% अन्य जाति से संबंधित हैं।

हालांकि, आधुनिक तकनीकों के अभिग्रहण और आर्थिक उदारीकरण ने हथकरघा क्षेत्र में गंभीर नुकसान हो रहा है। पावरलूम और मिल क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा, सस्ते आयातित कपड़ों की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की बदलती पसंद और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों ने हथकरघा क्षेत्र की जीवंतता को खतरे में डाल दिया है।

भारत सरकार, स्वतंत्रता के बाद से, कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति का पालन कर रही है। यह क्षेत्र विभिन्न नीतिगत पहलों और क्लस्टर दृष्टिकोण, एग्रेसिव मार्केटिंग पहल और सामाजिक कल्याण उपायों जैसे योजनागत पहलों के माध्यम से खुद को बनाए रखने में सक्षम रहा है

विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (हथकरघा बुनकर व्यापक योजना और सीएचसीडीएस-हथकरघा मेगा क्लस्टर राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में विलय हो गया है)
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना

योजना-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम :

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के संबंध में नवीनतम दिशा-निर्देश अक्टूबर 2021 में जारी किए गए हैं, जिन्हें 2021-22 से 2025-26 के दौरान क्रियान्वयन के लिए तैयार किया गया है। यह योजना हथकरघा के एकीकृत और समग्र विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। यह योजना कच्चे माल, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से मार्केटिंग सहायता, शहरी हाट के रूप में स्थायी अवसंरचना का निर्माण, मार्केटिंग परिसरों, हथकरघा उत्पादों आदि की ई- मार्केटिंग के लिए वेब पोर्टल के विकास हेतु स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि सहित सहकारी क्षेत्र के भीतर और बाहर बुनकरों को सहायता करती है।

इस योजना के मुख्यु घटक इस प्रकार हैं:-

1. क्लस्टर विकास कार्यक्रम
2. हथकरघा मार्केटिंग सहायता
3. बुनकर कल्याण
4. मेगा हथकरघा क्लस्टर

i. क्लस्टर विकास कार्यक्रम:

क्लस्टर विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के घटकों में से एक है। कौशल उन्नयन, हथकरघा संवर्धन सहायता, उत्पाद विकास, वर्कशेड का निर्माण, परियोजना प्रबंधन लागत, डिजाइन विकास आदि जैसी विभिन्न पहलों के लिए प्रति क्लस्टर 2.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रस्तावों की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा की जाती है।.

ii. हथकरघा मार्केटिंग सहायता:

हथकरघा मार्केटिंग सहायता का मुख्य उद्देश्य बुनकरों एवं हथकरघा संगठनों को अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए मार्केटिंग मंच प्रदान करना है। एचएमए के घटक (क) घरेलू मार्केटिंग संवर्धन; (ख) हथकरघा निर्यात संवर्धन; (ग) शहरी हाट की स्थापना और (घ) मार्केटिंग प्रोत्साहन हैं। इस घटक के मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं:-

(क) एक्सपो, कार्यक्रमों एवं शिल्प मेलों का आयोजन

(ख) निर्यात संवर्धन

(ग) हैंडलूम मार्क और इंडिया हैंडलूम ब्रांड के माध्यम से ब्रांड प्रचार

(घ) हथकरघा पुरस्कार

(ङ) भौगोलिक संकेतक

(क) मार्केटिंग एक्सपो, कार्यक्रम, दिल्ली हाट प्रदर्शनी एवं शिल्प मेला का आयोजन: राष्ट्रीय हथकरघा संगठनों, राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों और राज्य सरकार की नामांकित हथकरघा एजेंसियों को हथकरघा उत्पादों को जिले से राष्ट्रीय स्तर तक बेचने के लिए शिल्प मेला, अन्य मार्केटिंग कार्यक्रम आदि जैसे राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो (एनएचई) और राज्य हथकरघा एक्सपो (एसएचई), जिला हथकरघा एक्सपो (डीएचई), शिल्प मेला जैसे अन्य मार्केटिंग कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान एनएचडीपी के तहत आयोजित कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

वर्ष	आयोजित कार्यक्रम	जारी की गई राशि (करोड़ रु. में)
2019-20	127	14.76
2020-21	70	16.20
2021-22	211	32.30
2022-23 (31.10.2022 के अनुसार)	137	15.78

(ख) निर्यात संवर्धन:

हथकरघा निर्यात संवर्धन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों, सेलर्स-बायर्स मीट आदि में भाग लेने तथा नवीनतम डिजाइन, रुझान, रंग पूर्वानुमान आदि उपलब्ध कराने के लिए हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों/शीर्ष और हथकरघा निर्यातकों की सहायता करना है। इस घटक के तहत, (i) निर्यात परियोजनाओं (ii) बीएसएम/आरबीएसएम का आयोजन तथा (iii) विविध प्रचार गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सहायता दी जाती है।

निर्यात के प्रमुख हथकरघा क्लस्टर तमिलनाडु में करूर और मदुरै, केरल में कन्नूर और हरियाणा में पानीपत हैं। जबकि करूर, मदुरै और कन्नूर तथा पानीपत में निर्यात योग्य हथकरघा उत्पाद जैसे टेबलमैट्स, प्लेसमेंटस, कशीदाकारी वस्त्र सामग्री, पर्दे, फर्श मैट, रसोई के सामान आदि को तैयार किया जाता है एवं पानीपत दरी और अन्य भारी किस्मों के लिए प्रसिद्ध हैं जहां हाथ से काते हुए धागे का बहुतायत से उपयोग किया जाता है।

इसके अलावा केकरा, वाराणसी, भागलपुर, शांतिपुर, जयपुर, अहमदाबाद, वारंगल, चिराला, पोचमपल्ली और संबलपुरी जैसे अन्य केंद्र भी हथकरघा निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बड़ी संख्या में व्यापारी निर्यातक हैं जो इन केंद्रों से अपने उत्पाद प्राप्त करते हैं।

पिछले 03 वर्षों के दौरान निर्यात उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	उपलब्धि	
	रु. करोड़ में	अमेरीकी डॉलर में
2019-20	2248.33	315.62
2020-21	1644.78	222.65
2021-22	1987.63	266.88
2022-23 (31.10.2022 तक)	671.89	86.10

(ग) हैंडलूम मार्क:

हैंडलूम मार्क खरीदारों को गारंटी के रूप में सेवा देने के लिए लॉन्च किया गया है कि उनके द्वारा खरीदा जा रहा उत्पाद एक वास्तविक हस्तनिर्मित उत्पाद है और पावरलूम या मिल निर्मित उत्पाद नहीं है। हैंडलूम मार्क को समाचार पत्रों और पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिंडिकेटेड

लेखों, फैशन शो, फिल्मों आदि में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित और लोकप्रिय किया जाता है। वस्त्र समिति हैंडलूम मार्क के प्रचार के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है। दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, हैंडलूम मार्क के लिए कुल 23525 पंजीकरण जारी किए गए हैं। 815 रिटेल आउटलेट हैंडलूम मार्क लेबल के साथ हथकरघा सामान बेच रहे हैं।

इंडिया हैंडलूम ब्रांड: ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सामाजिक एवं पर्यावरणात्मक अनुपालनों के अलावा कच्ची सामग्री, प्रोसेसिंग, बुनाई एवं अन्य मानकों की दृष्टि से उत्पादों की गुणवत्ता की पुष्टि हेतु माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 07.08.2015 को प्रथम हथकरघा दिवस के अवसर पर 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएसबी) का शुभारंभ किया गया था। 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' केवल उत्कृष्ट हस्तनिर्मित उत्पादों के इच्छुक ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले त्रुटिरहित प्रीमियम एवं प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों के लिए प्रदान किया जाता है। 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड का उद्देश्य बुनकरों के लिए विशेष बाजार स्थान तथा आय में वृद्धि करना है।

(घ) हथकरघा पुरस्कार : वस्त्र मंत्रालय हथकरघा बुनकरों को हथकरघा क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र प्रदान करता है। पुरस्कारों का संक्षिप्त सार इस प्रकार है:-

संत कबीर पुरस्कार: संत कबीर पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जो इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोई भी हथकरघा बुनकर, जिसे राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार, राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिला है अथवा असाधारण कौशल वाला कोई हथकरघा बुनकर जिसने बुनाई परम्परा के संवर्धन, विकास और संरक्षण तथा बुनकर समुदाय के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, स्वर्ण से मढ़ा हुआ एक सिक्का, एक ताम्रपत्र, एक शॉल, एक स्मार्टफोन और प्रमाण पत्र शामिल है।

राष्ट्रीय पुरस्कार : राष्ट्रीय पुरस्कार हथकरघा बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट कारीगरी में योगदान और हथकरघा बुनाई के विकास में पहचान के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान उन्हें और अधिक उत्साहवर्धक और सार्थक तरीके से काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा और अन्य को भी उनका अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस पुरस्कार में 1.50 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक ताम्रपत्र, एक शॉल, एक स्मार्ट फोन तथा एक प्रमाण पत्र शामिल है।

बुनाई के क्षेत्र में मौजूदा संत कबीर पुरस्कारों और राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा वर्ष 2016 से केवल महिला हथकरघा बुनकरों के लिए 02 संत कबीर पुरस्कार और 04 राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू किए गए हैं। महिला हथकरघा बुनकरों को दिए जाने वाले इस विशिष्ट पुरस्कार का नाम 'संत कबीर/राष्ट्रीय (कमलादेवी चट्टोपाध्याय) पुरस्कार' रखा गया है। एक वर्ष में संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय योग्यता प्रमाणपत्र पुरस्कारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम		पुरस्कारों की संख्या		
		श्रेणी	सामान्य	विशेष रूप से महिलाओं के लिए	कुल
01	संत कबीर पुरस्कार (एसकेए)	बुनाई	10	02	12
02	राष्ट्रीय पुरस्कार (एनए)	बुनाई	20	04	24
		हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास	03	-	03
		हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग	05	-	05
	कुल		38	06	44

(ङ) वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक: वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक आदि को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है और इनका दूसरों द्वारा अनधिकृत प्रयोग किए जाने से रोका जाता है। पंजीकरण के लिए 1.50 लाख रुपए की वित्तीय

सहायता और प्रशिक्षण तथा सूचना के प्रचार-प्रसार आदि के लिए 1.50 लाख रुपए हैं। अभी तक इस अधिनियम के तहत 72 हथकरघा उत्पादों को पंजीकृत किया गया है।

iii. हथकरघा बुनकर कल्याण: हथकरघा बुनकर कल्याण, एनएचडीपी के एक घटक के रूप में हथकरघा बुनकरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वालों, हथकरघा बुनकरों/ कामगारों को आवश्कता आधारित वित्तीय सहायता और देश भर में बुनकरों/ कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार क्रियान्वित कार्यान्वित करता है:-

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

पीएमजेजेबीवाई एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा, जो साल-दर-साल आधार पर नवीकरणीय होगा। इसके लिए 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी हथकरघा बुनकर/कामगार पात्र हैं। किसी भी कारण से लाभार्थी की मृत्यु पर 2.00 लाख रुपये देय हैं। पहले, वार्षिक प्रीमियम 330/- रुपये था, जिसे वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र एफ.सं. एच-12011/2/2015-बीमा II, दिनांक 30.05.2022 के अनुसार संशोधित कर रु.436/- कर दिया गया है। तदनुसार, पीएमजेजेबीवाई के तहत संशोधित वार्षिक प्रीमियम शेयर निम्नानुसार है:

भारत सरकार का हिस्सा	150/-रुपये
राज्य सरकार/लाभार्थी का हिस्सा	286/- रुपये
कुल प्रीमियम	436/- रुपये

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

पीएमएसबीवाई एक बीमा योजना है जो मृत्यु अथवा दिव्यांगता के लिए दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा, जो साल-दर-साल आधार पर नवीकरणीय होगा। इसके लिए 18-70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी हथकरघा बुनकर/कामगार पात्र हैं। उपलब्ध जोखिम कवर दुर्घटना मृत्यु/स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर 2.00 लाख रुपये और स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 1.00 लाख रुपये होगा। पहले, वार्षिक प्रीमियम 12/- रुपये था, जिसे वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र एफ.सं. एच-12011/2/2015-बीमा II, दिनांक 30.05.2022 के अनुसार संशोधित कर 20/- रु. कर दिया गया है। तदनुसार, पीएमएसबीवाई के तहत संशोधित वार्षिक प्रीमियम शेयर निम्नानुसार है:

भारत सरकार का हिस्सा	12/- रुपये
राज्य सरकार/लाभार्थी का हिस्सा	8/- रुपये
कुल प्रीमियम	20/- रुपये

कनवर्ज्ड महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई):

कनवर्ज्ड महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना एक ऐसी बीमा योजना है जो 51-59 वर्ष की आयु समूह वाले ऐसे हथकरघा बुनकरों/कामगारों के लिए मृत्यु अथवा दिव्यांगता के लिए जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है जो दिनांक 31.05.2017 को एमजीबीबीवाई के तहत पहले से ही शामिल हैं। प्राकृतिक मृत्यु पर 0.60 लाख रुपये, दुर्घटनावश मृत्यु/पूर्ण दिव्यांगता पर 1.50 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 0.75 लाख रुपये का जोखिम कवर उपलब्ध होगा। 470/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम का हिस्सा निम्नानुसार है:

भारत सरकार का हिस्सा	290/-रुपए
राज्य सरकार/लाभार्थी का हिस्सा	180/-रुपए
कुल प्रीमियम	470/-रुपए

पुरस्कार विजेता बुनकरों/कामगारों को विकट परिस्थितियों में वित्तीय सहायता:

1.00 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा बुनकरों/कामगारों को 8,000/- रुपये प्रति माह प्रति पुरस्कार विजेता (पद्मश्री/ संत कबीर/राष्ट्रीय/राज्य) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें जिला कलेक्टर (डीसी) द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

छात्रवृत्ति:

केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वस्त्र संस्थानों से 3/4 वर्षीय डिप्लोमा/ स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए हथकरघा बुनकरों/कामगारों के बच्चों (2 बच्चों तक) को अधिकतम 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की

छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और परिवर्तित एमजीबीबीवाई के तहत बुनकरों का नामांकन इस प्रकार है:

वर्ष	नामांकित बुनकर
2019-20	1.39 लाख
2020-21*	-
2021-22	1,11,957
2022-23 (30.09.2022 तक)	31,258

***वित्त मंत्रालय के डीएफएस के पत्र के आधार पर दिनांक 13.05.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/11/2015-एनएस.II/I के माध्यम से पूर्ण प्रीमियम भुगतान प्रणाली में 1.4.2020 से परिवर्तन किया गया था। 2020-21 के दौरान कोई नामांकन नहीं हुआ था।**

iv. मेगा हथकरघा क्लस्टर

एनएचडीपी के तहत प्रत्येक मेगा हथकरघा क्लस्टर (2021-22 से 2025-26 तक क्रियान्वयन के तहत), 5 वर्षों की अवधि में प्रति क्लस्टर 30.00 करोड़ रुपये तक के भारत सरकार के योगदान के साथ कम से कम 10000 हथकरघा/क्लस्टरों को कवर करेगा।

वर्तमान में, 8 राज्यों अर्थात असम (शिवसागर), उत्तर प्रदेश (वाराणसी), तमिलनाडु (विरुधुनगर और त्रिची), पश्चिम बंगाल (मुर्शिदाबाद), झारखंड (गोड्डा और पड़ोसी जिले), आंध्र प्रदेश (प्रकाश और गुंटूर जिला) तथा बिहार (भागलपुर) और मणिपुर (पूर्वी इंफाल) में 9 मेगा हथकरघा क्लस्टर क्रियान्वयन के अधीन हैं।

वर्ष 2022-23 (31.10.2022 तक) के दौरान मेगा क्लस्टर में विभिन्न पहलों के क्रियान्वयन के लिए 11.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

2 कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) तैयार की गई है। हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के यार्न उपलब्ध कराने के लिए देश भर में कच्चा माल आपूर्ति योजना क्रियान्वयन की जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, हथकरघा और वस्त्र आयुक्त/निदेशक के माध्यम से राज्य सरकारें, शीर्ष सोसाइटियां तथा राज्य हथकरघा निगम राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत क्रियान्वयन एजेंसियां हैं। इस योजना के तहत मालभाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का 2% (प्रति माह 15,000/- रुपये तक सीमित) डिपो परिचालन शुल्क डिपो परिचालन एजेंसियों को दिया जाता है।

आईए को ढुलाई प्रतिपूर्ति, डिपो परिचालन व्यय और सेवा शुल्क की दरें निम्नानुसार हैं:

(आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का %)

क्षेत्र	**ढुलाई**			**डिपो परिचालन शुल्क**	**कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा शुल्क**
	सिल्क यार्न	**जूट/ कॉयर यार्न**	**सिल्क के अलावा और जूट/ कॉयर यार्न**		
सामान्य राज्यों में	1.0%	10%	2.5%	2.0%	2%
पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में	2.25%	10%	7.5%	2.0%	2.50%

इसके अलावा, कॉटन हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन यार्न और प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न पर मात्रा प्रतिबंधों के साथ 15% मूल्य सब्सिडी प्रदान की जाती है।

आरएमएसएस के तहत आपूर्ति किए गए यार्न की मात्रा और जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	परिवहन सब्सिडी के तहत यार्न आपूर्ति की मात्रा (लाख किलो)	मूल्य सब्सिडी के तहत यार्न आपूर्ति की मात्रा (लाख किलो)	जारी निधियां (करोड़ में)
2018-19	442.04	146.26	126.84
2019-20	406.17	93.26	142.21
2020-21	215.09	78.56	60.32
2021-22	235.80	98.60	89.53
2022-23 (31.10.22 तक)	175.84	73.79	60.09

9.1.2 हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 का क्रियांवयन

हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के क्रियांवयन का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों की आजीविका तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण से उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। इस समय दिनांक 3.9.2008 के सां.आ. सख्या 2160 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत केवल हथकरघों पर उत्पादन के लिए कुछ विनिर्देशों के साथ 11 प्रकार की वस्त्र वस्तुएं आरक्षित हैं। विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा (अक्टूबर, 2022 की स्थिति के अनुसार) किए गए विद्युतकरघा निरीक्षणों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा तालिका में दिया गया है।

दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद स्थित तीन प्रवर्तन कार्यालय हथकरघा की सुरक्षा और हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के क्रियांवयन का पालन सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के क्रियांवयन के लिए तहत प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने हेतु राज्य /संघ शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।

तालिका

क्र.सं.	वास्तविक प्रगति	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अक्टूबर, 2022 के अनुसार)
1.	विद्युतकरघा निरीक्षणों का लक्ष्य	3,67,860	4,01,400	1,58,160	1,58,160	1,65,192
2.	निरीक्षित विद्युतकरघों की संख्या	3,85,557	4,08,660	1,81,530	1,81,530	82,471
3.	दर्ज एफआईआर की संख्या	67	88	11	67	27
4.	अपराध सिद्धि	66	62	34	40	44

9.1.3 हथकरघा संगठन

क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड .

एनएचडीसी की स्थापना फरवरी, 1983 में भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम,1956 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई थी। एनएचडीसी लिमिटेड की प्राधिकृत पूंजी 2000 लाख रुपये है और इसकी प्रदत्त पूंजी 1900

लाख रूपये है। एनएचडीसी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए सभी प्रकार के यार्न की आपूर्ति करना।.
- हथकरघा क्षेत्र के लिए आवश्यक गुणवत्तापूर्ण रंगों और संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति करना।
- हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देना।

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, एनएचडीसी निम्नलिखित कार्यकलाप कर रहा है:

1. यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) को आंशिक संशोधन के साथ और कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के रूप में नए नाम के साथ 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है। हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के यार्न उपलब्ध कराने के लिए देश भर में कच्चा माल आपूर्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, हथकरघा और वस्त्र आयुक्त/निदेशक के माध्यम से राज्य सरकारें, शीर्ष संस्थाएं और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के तहत राज्य हथकरघा निगम क्रियान्वयन एजेंसियां हैं। इस योजना के तहत 2018-19 से आपूर्ति किए गए यार्न का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	यार्न की आपूर्ति	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (करोड़ रूपये में)
2018-19	442.04	897.15
2019-20	406.17	700.61
2020-21	215.09	521.67
2021-22	235.80	732.09
2022-23 (31 अक्टूबर, 2022 तक)	175.84	620.69

इस योजना के तहत ढुलाई की प्रतिपूर्ति की जाती है और आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का 2% (प्रति माह 15,000/- रूपये तक सीमित) डिपो परिचालन शुल्क डिपो परिचालन एजेंसियों को दिया जाता है। वर्तमान में पूरे देश में ऐसे 511 यार्न डिपो और 46 गोदाम प्रचालन में हैं। एनएचडीसी हथकरघा क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्तापूर्ण रंगों और रसायनों की आपूर्ति भी कर रहा है। 2018-19 से रंगों और रसायनों की आपूर्ति का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	रंग और रसायन	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (करोड़ रूपये में)
2018-19	40.51	45.43
2019-20	33.07	42.13
2020-21	35.17	45.34
2021-22	38.50	58.12
2022-23 (अक्टूबर, 2022)	24.62	39.62

2. हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए, निगम सिल्क फैब्स और वूल फैब्स और नेशनल हैंडलूम एक्सपो जैसी विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। भारत सरकार इन प्रदर्शनियों में निगम द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। 2018-19 से प्रदर्शनियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	आयोजनों की संख्या	स्टालों की संख्या	कुल बिक्री (करोड़ रु. में)
2018-19	48	2165	15.00
2019-20	37	1957	75.80
2020-21	9	406	12.85
2021-22	7	-	4.41

3. एनएचडीसी बुनकरों को नवीनतम रंगाई तकनीकों के बारे में शिक्षित करने और हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा बुनकरों के बारे में जागरूकता के लिए भारत सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में भी निम्नलिखित कार्यक्रम चलाती है:

- क्रेता-विक्रेता बैठकें।
- एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम।
- विभिन्न प्रकार के यार्न का उपयोग करके नए उत्पादों के विकास पर कार्यक्रम।

पिछले 3 वर्षों के दौरान एनएचडीसी के टर्न ओवर, लाभ, जारी लाभांश आदि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	टर्नओवर	शुद्ध लाभ
2018-19	95093.59	(1621.82)
2019-20	74866.74	(1119.22)
2020-21	57203.63	(963.15)
2021-22	79856.28	(156.54)

ख) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) फैब्रिक्स, होम फार्निशिंग, कारपेट और फ्लोर कवरिंग आदि जैसे सभी हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नोडल एजेंसी है। एचईपीसी का गठन 96 सदस्यों के साथ 1965 में किया गया और समूचे देश में इसकी वर्तमान सदस्यता 1332 है। एचईपीसी का मुख्यालय चेन्नई में है और क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है।

एचएचईपीसी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार संवर्धन एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए भारतीय हथकरघा निर्यातकों तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं को सभी प्रकार की सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है।

9.2 हस्तशिल्प:

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक सार्थक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में शिल्पियों के बहुत बड़े समूह को रोज़गार प्रदान करता है तथा सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हुए देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने में अपना विशेष महत्व रखता है। हस्तशिल्प में विशाल सम्भावनाएं हैं, चूंकि इसमें न केवल देश के सभी भागों में फैले हुए मौजूदा लाखों कारीगरों को, बल्कि शिल्प कार्यकलापों में बड़ी संख्या में प्रवेश पाने वाले नए कारीगरों को बनाए रखने की भी क्षमता है।

हस्तशिल्प क्षेत्र का रोजगार उत्पादन तथा निर्यात में विशेष योगदान जारी है। हस्तशिल्प क्षेत्र में कम पूंजी, नई तकनीकों की जानकारी का अभाव, विपणन अधिसूचना का अभाव तथा अपर्याप्त संस्थागत फ्रेमवर्क जैसी समस्याएँ रही हैं। इन समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और चालू वर्ष के दौरान उत्पाद विकास, घरेलू बिक्री और निर्यात के मामले में अब क्षेत्र में अच्छी वृद्धि देखी जा रही है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय कार्यालय के साथ समग्र भारत में विद्यमान है। देश भर के मुख्यत: शिल्प केन्द्रित क्षेत्रों में 61 हस्तशिल्प केन्द्रों के कार्यकरण को समन्वित करने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और गुवाहाटी में 06 क्षेत्रीय कार्यालय है।

(i) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन सहित देश भर में कारीगरों को विभिन्न मेलों में मिल रही घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पहुंच [एक्स्पोज़र] के कारण हस्तशिल्प क्षेत्र निर्यात के मामले में तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान (अक्तूबर, 2022 तक) हस्तनिर्मित कालीनों सहित हस्तशिल्प का निर्यात 29020.94 करोड़ रुपये रहा।

पिछले पाँच वर्षों अर्थात वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान (31 अक्तूबर, 2022 तक) हस्तशिल्पों का निर्यात

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपये में)	हस्तशिल्पों का निर्यात (करोड़ रुपये में)
2017-18	43288.17	32235.25
2018-19	50606.00	37913.66
2019-20	49537.53	37069.59
2020-21	52524.35	39490.37
2021-22	65745.58	49385.12
2022-23 (अक्तूबर तक)	--	20106.77

(ii) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय समग्र तरीके से हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास तथा कारीगरों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए निम्न दो योजनाएँ क्रियान्वित कर रहा है-

क. "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" (एनएचडीपी)

उपयोजनाएँ:

1. विपणन सहायता एवं सेवाएं
2. हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास
3. अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
4. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
5. अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता
6. अनुसंधान एवं विकास

ख. व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना

1. विपणन सहायता एवं सेवाएँ

हस्तशिल्प का संवर्धन एवं बाज़ार बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न पात्र संगठनों को मेट्रोपॉलिटन शहरों/ राज्यों की राजधानियों/ पर्यटन अथवा वाणिज्यक स्थलों/ अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाली घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शनियां/संगोष्ठियां आयोजित करने/उनमें भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे देश के विभिन्न भागों के हस्तशिल्प कारीगरों/ स्वावलंबन समूहों को प्रत्यक्ष विपणन मंच मुहैया होगा।

दिनांक 31.10.2022 तक, 292 घरेलू विपणन कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं। ये कार्यक्रम कारीगरों को गांधी शिल्प बाजार, शिल्प बाजार, विषयगत प्रदर्शनी, राष्ट्रीय मेले आदि के माध्यम से घरेलू विपणन अवसर प्रदान करने में सहायक हैं। कुल 48.3904 लाख रुपए की स्वीकृत निधि के साथ 21420 कारीगर लाभान्वित हुए हैं और 3631.56 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

2. हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास

हस्तशिल्प अपने सौंदर्यपरक, संबद्ध पारंपरिक मूल्यों, विशिष्टता, गुणवत्ता और शिल्पकारिता के लिए प्रसिद्ध है। सामान्यतया पारंपरिक ज्ञान और शिल्प अभ्यास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राकृतिक शिक्षा के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। तथापि, नए औजारों और प्रौद्योगिकी के उद्भव से, शिल्प ज्ञान की प्रक्रिया में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। परिवर्तनशील हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए मानकीकृत उत्पादन प्रक्रियाएँ, कुशल मानवबल, हस्तशिल्प उत्पादों के लिए डिजाइन डाटाबेस, त्वरित एवं प्रभावी प्रोटोटाइपिंग, संचार कौशल और अन्य सॉफ्ट स्किल अपरिहार्य आवश्यकताएं बन गई हैं।

'हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास' उप योजना की संकल्पना इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई हैं और इसके निम्नलिखित चार घटक हैं:

1. डिज़ाइन एवं प्रोद्यौगिकी विकास कार्यशाला
2. गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. वृहत कौशल उन्नयन कार्यक्रम
4. उन्नत टूलकिट वितरण कार्यक्रम

योजना के तहत, 352 डिजाइन एवं प्रोद्यौगिकी विकास कार्यशाला, 81 गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं और 3951.04 लाख रुपए के 14169 टूल किट वितरित किए गए हैं। 31.12.2022 तक 2813.47 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

3. अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई)

इस योजना का उद्देश्य कारीगरों के समूहों को प्रभावी ढ़ग से सदस्य सहभागिता एवं परस्पर सहयोग के सिदधांत के आधार पर व्यावसायिक रुप से व्यवस्थित और आत्मनिर्भर समुदाय उद्यमियों के रुप में विकसित करते हुए भारतीय हस्तशिल्पों का संवर्धन करना है। इस योजना में हस्तशिल्प के सतत विकास हेतु शिल्पियों की सहभागिता द्वारा परियोजना आधारित, आवश्यकता आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके। योजना के घटक निम्न प्रकार से हैं-

1. चिन्हित शिल्प कलस्टरों का नैदानिक सर्वेक्षण और कारीगरों का स्वावलंबन समूहों (एस एच जी) में जुटाव।
2. डीपीआर तैयार करना
3. (क) उत्पादक कंपनी का निर्माण

   (ख) कार्यगत पूंजी कार्यशील सहायता
4. कार्यशाला सह सेमिनार
5. उद्यमिता विकास कार्यक्रम
6. डिजाइन मेंटरशिप कार्यक्रम
7. परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन

8. विदेशी बाज़ारों के लिए डिजाइन सहायता

9. अध्ययन सह एक्सपोजर दौरा।

1285 पहलों को 4295.54 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है और दिनांक 31.12.2022 तक 2338.12 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

4. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ (कल्याण):

यह योजना कारीगरों को स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, पहचान, ऋण सुविधाएँ देने, औजार एवं उपकरण मुहैया कराने आदि जैसे कल्याणकारी उपायों की ओर परिकल्पित है। इस योजना के मुख्य घटक निम्न प्रकार से हैं-

1. विकट परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता

2. ब्याज अनुदान

3. मार्जिन मनी

4. फोटो पहचान-पत्र जारी/नवीकरण करना और डाटाबेस का निर्माण

5. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना:

(क) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

(ख) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

(ग) परिवर्धित संशोधित आम आदमी बीमा योजना (परिवर्धितसंशोधित एएबीवाई)

6. जागरूकता कैंप/चौपाल/शिविर

7. कार्यशाला एवं संगोष्ठी

8. हस्तशिल्प पुरस्कार।

कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ (कल्याण) योजना के तहत 31.12.2022 तक 7.63 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

5. अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता

निकटतम संभावित स्थान पर अपेक्षित प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधीकरण, डिज़ाइन विकास, कच्चा माल बैंक तथा विपणन एवं संवर्धन सुविधाओं की उपलब्धता और देश में कौशलयुक्त व्यक्तियों के रिसोर्स पूल में सुधार सुनिश्चित करना। इस योजना का उद्देश्य देश में हस्तशिल्प उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास करना है और विश्व बाज़ार में मुक़ाबला करने के लिए उत्पाद गुणवत्ता एवं लागत को बढ़ाना है जिससे कि हमारे उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। योजना के निम्न घटक है:-

1. शहरी हाट

2. एम्पोरिया

3. विपणन एवं सोर्सिंग हब्स

4. हस्तशिल्प संग्रहालय

5. शिल्प आधारित संसाधन केन्द्र

6. सामान्य सुविधा केन्द्र

7. कच्ची सामग्री डिपो

8. निर्यातकों/उद्यमियों को प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता

9. परीक्षण प्रयोगशालाएं

10. शिल्प ग्राम

11. कार्यालय भवनों/संस्थानों का निर्माण और मौजूदा अवसंरचना/संस्थानों का पुन: नवीकरण/निर्माण करना और विभागीय स्तर पर सृजित किया जाने वाला अन्य कोई इंफ्रास्ट्रक्चर/संस्थान।

अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता योजना के तहत दिनांक 31.12.2022 तक, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की स्थापना/क्रियान्वयन के लिए48.59 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

6. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास योजना की शुरुआत महत्वपूर्ण शिल्पों के सर्वेक्षण एवं अध्ययन तथा हस्तशिल्प क्षेत्र की समस्याओं एवं विशिष्ट पहलुओं का गहन विश्लेषण करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे नीति आयोजन में उपयोगी इनपुट सृजित किए जा सकें तथा चल रहे कार्यकलापों को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और इस कार्यालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके। 12 वीं योजना के दौरान निम्न क्रियाकलाप किये जाएंगे :

1. विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण एवं अध्ययन।
2. लेबलिंग/ प्रमाणीकरण के प्रयोजन से लीगल, पैरा लीगल, मानकों, ऑडिटों और अन्य प्रलेखनों को तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता।
3. क्षेत्र/खंड को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए लुप्तप्राय शिल्पों सहित शिल्पों के संरक्षण,डिज़ाइन, विरासत, ऐतिहासिक ज्ञान आधार, अनुसंधान एवं इनके क्रियान्वयन से जुड़ी क्रियाविधि (मैकेनिज़म) को बनाने, विकसित करने हेतु संगठनों को वित्तीय सहायता।
4. देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना कराना।
5. जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत शिल्पों का पंजीकरण और क्रियान्वयन संबंधी आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई।
6. जेनेरिक उत्पादों के लिए हस्तशिल्प मार्क सहित बार कोडिंग और ग्लोबल मानकों को अपनाने में हस्तशिल्प निर्यातकों की सहायता करना।
7. भारतीय हस्तशिल्पों के ब्रांड निर्माण तथा संवर्धन से जुड़ी समस्याओं /मुद्दों को उठाने के लिए वित्तीयसहायता।
8. हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े विशेष प्रकार के मुद्दों पर कार्यशालाओं /सेमिनारों का आयोजन।

वर्ष 2022-23 के दौरान (31.12.2022 तक), 1180.38 लाख रुपए के 03 सर्वेक्षण/अध्ययन और 231 कार्यशाला/ सेमिनार स्वीकृत किए गए।

9.2.1 व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (मेगा कलस्टर)

मेगा कलस्टर अप्रोच उन हस्तशिल्प कलस्टरों में आधारभूत संरचनात्मक एवं उत्पादन श्रृंखला को प्रवर्धित करने की एक मुहिम है जो असंगठित रहे हैं और जो अभी तक हुए आधुनिकीकरण और विकास के साथ बराबरी नहीं कर सके हैं। इस क्षेत्र की संभावनाएं आधारभूत संरचनात्मक उन्नयन, मशीनरी के आधुनिकीकरण और उत्पाद विविधीकरण में निहित हैं। कलस्टरों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए निच मार्किट सृजित करने हेतु मूल सिद्धांत के रूप में देशी उत्पादों के लिए ब्रांड निर्माण के अतिरिक्त अभिनव निर्माण सहित डिजाइनिंग की जानकारी अत्यावश्यक है। यह कार्यक्रम विपणन लिंकेजेस और उत्पाद विविधीकरण के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन में सहायता करता है। हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, एनएचडीपी द्वारा प्राथमिक उत्पादकों की सहायता, कारीगरों को डिज़ाइन में मदद करने तथा प्रशिक्षण देने और विपणन सहायता के प्रावधान के साथ ब्लॉक स्तर पर सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की संशोधित रणनीति अपनाई गई है।

1. नरसापुर, मुरादाबादबाद, मिर्जापुर-भदोही, श्रीनगर, जोधपुर, बरेली, लखनऊ, कच्छ और जम्मू एवं कश्मीर में नौ हस्तशिल्प मेगा कलस्टर मंजूर किए गए हैं और अब तक 232.64 करोड़ रुपये रिलीज़ किए जा चुके हैं।
2. उत्तराखंड, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और हिमाचल प्रदेश में 12 हस्तशिल्प एकीकृत विकास तथा संवर्धन परियोजनाएँ (विशेष परियोजनाएं) स्वीकृत की गई हैं और अभी तक 102.93 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं।
3. ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड, लद्दाख, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड (उत्तर प्रदेश), त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में 258.93 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ बारह वृहत हस्तशिल्प कलस्टर विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

9.2.2 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के अधीन निर्यात संवर्धन परिषदें:

1. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) की स्थापना कंपनीज़ एक्ट के अधीन वर्ष 1986-87 में हस्तशिल्प निर्यात बढ़ाने, समर्थन, संरक्षण और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। ये देश के हस्तशिल्प के निर्यात के संवर्धन हेतु हस्तशिल्प निर्यातकों का एक शीर्ष निकाय है और उच्च गुणवत्ता की हस्तशिल्प वस्तुओं एवं सेवाओं के एक विश्वास योग्य निर्यातक के रूप में, अंतरराष्ट्रीय मानकों और विनिर्देशों के पालन को ध्यान में रखते हुए कई उपाय सुनिश्चित करते हुए विदेशों में भारत की छवि प्रस्तुत करता है। परिषद ने आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ विपणन एवं सूचना सुविधाएं सृजित की हैं जिसका लाभ सदस्य निर्यातकों एवं आयातकों दोनों द्वारा लिया जा रहा है। परिषद भारत के हस्तशिल्पों के संवर्धन और विदेशों में उच्च गुणवत्ता प्राप्त हस्तशिल्पों के विश्वास योग्य निर्यातक के रूप में भारत की छवि बनाने

में कार्यरत है।

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अप्रैल-नवंबर, 2022 के दौरान हस्तशिल्पों के संवर्धन, विकास एवं निर्यात वृद्धि के लिए शुरू किए गए क्रियाकलाप निम्न प्रकार से है:

(i) आयोजित/ भाग लिए गए प्रदर्शनी/मेले/ बीएसएमएस (अप्रैल-नवंबर, 2022)

1) 53वां आईएचजीएफ़ दिल्ली बसंत मेला 2022, ग्रेटर नोएडा, 30 मार्च-03 अप्रैल, 2022
2) 7वां औद्योगिक मेला-उद्यम 2022, गुवाहाटी, 22-25 अप्रैल, 2022
3) इंडेक्स दुबई मेला, दुबई यूएई, 24-26 मई, 2022
4) रिटेल लीडरशिप समिट, मुंबई, 27-28 मई, 2022
5) इंडिया वुड शो, बंगलौर, 02-08 जून, 2022
6) इंडियन फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज़ शो, 20-22 जून, 2022
7) हेमटेक्सटिल, मेस्से फ्रेंकफ़र्ट, जर्मनी, 21-24 जून, 2022
8) टोटल होम एंड गिफ्ट मार्केट, डलास, यूएसए, 22-25 जून, 2022
9) एचजीएच इंडिया मेला, ग्रेटर नोएडा, 12-15 जुलाई, 2022
10) इन्टरनेशनल गिफ्ट एंड होम फर्नीशिंग मार्केट, अटलांटा, यूएसए, 13-17 जुलाई, 2022
11) इंडिया इन्टरनेशनल हॉस्पिटेलिटी एक्स्पो 2022, ग्रेटर नोएडा, 03-06 अगस्त, 2022
12) एनवाई नाउ, न्यू यॉर्क, यूएसए, 14-17 अगस्त, 2022
13) खिलौना एक्स्पो, ग्रेटर नोएडा, 26-28 अगस्त, 2022
14) इंडिया जिओग्राफ़िकल इंडिकेशन (जीआई) मेला, ग्रेटर नोएडा, 26-28 अगस्त, 2022
15) मेड इन इंडिया शो, ग्वाटेमाला, 22-24 सितंबर, 2022
16) 54 वां आईएचजीएफ़ दिल्ली मेला शरद 2022, ग्रेटर नोएडा, 14-18 अक्तूबर, 2022
17) वर्ल्ड फर्नीचर एक्स्पो 2022, मुंबई, 17-19 नवंबर, 2022

(ii) सेमिनार/वेबिनार:

हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात एवं संवर्धन के विभिन्न पहलुओं पर निर्यातकों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ 39 सेमिनार/वेबिनार संचालित किए गए।

53वां आईएचजीएफ़ दिल्ली बसंत मेला 2022, ग्रेटर नोएडा, 30 मार्च-03 अप्रैल, 2022

7 वां औद्योगिक मेला-उद्यम 2022, गुवाहाटी, 22-25 अप्रैल, 2022

इंडेक्स दुबई फेयर,दुबई, यूएई,24-26, मई 2022

हेमटेक्सटिल , मेस फ्रैंकफर्ट,जर्मनी, 21-24 जून, 2022

मुरादाबाद में कोंकर से निर्यात विनिमय हेतु प्रभावी लॉजिसटिक्स प्रबंधन पर सेमिनार

मुंबई में नए वित्तीय वर्ष में निर्यात व्यापार विनिमय पर सेमिनार

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी), एक गैर-लाभकारी संगठन, की स्थापना 1982 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के कालीनों, सभी प्रकार के हस्तनिर्मित/हाथ से बुने गाँठदार कालीनों, दरियों, फर्श बिछावनों एवं अन्य संबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और तब से, यह भारतीय कालीन व्यवसाय समुदाय की आवाज़ बनी हुई है। दिल्ली केंद्र में कार्यशील कार्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कार्यालय और भदोही (उत्तर प्रदेश) एवं श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ, पूरे देश में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के 2000 से अधिक सदस्य हैं।

वर्ष 2022-23 (नवंबर, 2022 तक) के लिए परिषद की गतिविधियाँ

i. 2360 की सदस्यता (नवंबर, 2022 तक)
ii. भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों एवं अन्य वस्त्र फर्श बिछावनों का निर्यात

वर्ष	कुल निर्यात करोड़ रु. में	कुल निर्यात यूएस मिलियन $ में
2017-18	11,028.05	1,711.17
2018-19	12,364.69	1,765.94
2019-20	11,799.46	1,666.09
2020-21	13,810.41	1,869.18
2021-22	16,640.26	2,233.02
2022-23 (अक्टूबर, 2022 तक)	8,737.18	1107.46

iii. वर्ष 2022-23 (अक्टूबर, 2022 तक) के दौरान कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) द्वारा की गई गतिविधियाँ निम्न हैः-)

क्र.सं.	गतिविधि	अप्रैल-नवंबर, 2022
1	जारी किए गए कालीन लेबल	1,36,700
2	घरेलू गतिविधि	3

iv. आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

- दिनांक 30 मई, 2022 को एफटीए (एफटीए) का उपयोग करते हुए यूएई एवं ऑस्ट्रेलिया में "निर्यात कैसे बढ़ाया जाए" विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें 60 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

- भदोही में 43वीं भारत एक्स्पो का आयोजन – 15-18 अक्टूबर, 2022 – कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और विदेश में हाथ से बनाए गए कालीन क्रेताओं के बीच भारत में हाथ से बनाए गए कालीन कारीगरों के बुनाई कौशल को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 15-18 अक्टूबर, 2022 को भदोही में पहली बार भदोही कालीन एक्स्पो मार्ट, भदोही 43वें भारत कालीन एक्सपो, भदोही का आयोजन किया। भदोही कालीन एक्स्पो मार्ट परिसर में भारतीय कालीन एक्स्पो का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार और विशिष्ट अतिथि श्री अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, एमएसएमई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

भदोही में आईसीई अक्टूबर 2022 में आवागमन

प्रतिभागी प्रदर्शक	239
उपस्थित विदेशी क्रेता	213
क्रेता भागीदारी	48 देशों से
उपस्थित क्रेता प्रतिनिधि	207
कारोबार एवं मांगी गई जानकारी	450-500 करोड़ रु.

- **मुंबई में दूसरी स्टैंड अलोन प्रदर्शनी का आयोजन**

हस्तनिर्मित कालीनों और अन्य फर्श बिछावनों की दूसरी स्टेंड अलोन प्रदर्शनी - सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और विदेशी हाथ से गुँथे कालीन क्रेताओं के बीच भारतीय हाथ से गुँथे कालीन कारीगरों के बुनाई कौशल को प्रदर्शित करने के साथ-साथ घरेलू उपभोक्ताओं को मशीन निर्मित कालीनों के हानिकारक प्रभावों के अलावा हस्तनिर्मित तथा मशीन निर्मित कालीनों में अंतर के बारे में शिक्षित करने के लिए, 10 से 13 नवंबर, 2022 को हॉल ऑफ नोलेज़, नेहरू सेंटर, वर्ली, मुंबई में घरेलू बाजार के लिए B2C प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस एक्सपो का उदघाटन दिनांक 10 नवंबर, 2022 को श्री ए.आर. गोखे, निदेशक एमएसएमई, डीएफओ, मुंबई द्वारा किया गया।

दूसरी स्टैंड अलोन प्रदर्शनी में आवागमन- 10 से 13 नवंबर, 2023

कवर किया गया कुल क्षेत्र	650 वर्ग मीटर
स्टैंड क्षेत्र	372 वर्ग मीटर
भागीदार प्रदर्शक	29
विदेशी आगंतुक	15
आगंतुकों की कुल संख्या	920
अनुमानित व्यवसाय एवं पूछताछ/ऑर्डर	1.50-2.00 करोड़ रु.

9.2.3 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय

(i) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)

आईआईसीटी के नाम से लोकप्रिय भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र, कालीन एवं संबद्ध उद्योगों हेतु अति आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए की गई। संस्थान का संचालन वर्ष 2001 से शुरू हुआ। यह संस्थान डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ से संबद्ध एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित है। संस्थान आई.एस. टी.ई एवं सीआईआई का सदस्य भी है और वस्त्र संस्थान, मैनचेस्टर, यूके द्वारा मान्यता प्राप्त है। पाठ्यक्रम के संचालन के लिए संस्थान नवीनतम मशीनों,संयंत्रों, करघों एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है। संस्थान के मुख्य बल दिए जाने वाले क्षेत्र निम्निलिखित हैं:

- मानव संसाधन विकास
- डिजाइन का निर्माणएवं विकास
- अनुसंधान एवं विकास
- उद्योग को तकनीकी सहायता सेवाएं

वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के लिए संस्थान की गतिविधियाँ

i. बी. टेक (कालीन एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी में 52 छात्रों को प्रवेश दिया गया)।

ii. एनबीए प्रत्यायनः शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से 2024-25 अर्थात 30.06.2025 तक के लिए एनबीए द्वारा स्तर II में यूजी कालीन एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के प्रत्यायन का निर्णय लिया गया है।

iii. दिनांक 15-18 अक्टूबर, 2022 तक कालीन एक्स्पो, भदोही कालीन एक्स्पो मार्ट में भागीदारी। संस्थान की टीम ने भाग लेते हुए संस्थागत गतिविधियों का प्रदर्शन किया।

iv. दिनांक 12-15 जुलाई, 2022 तक एचजीएच इंडिया 2022, ग्रेटर नोएडा में भागीदारी। संस्थान की टीम ने भाग लेते हुए संस्थागत गतिविधियों का प्रदर्शन किया।

v. संस्थान अधिदेश पूर्णता निभाते हुए सभी चारों पोर्टफोलियो में गतिविधियाँ पूरी कर रहा हैः (i) मानव संसाधन विकास,(ii) डिजाइन सृजन एवं विकास, (iii) अनुसंधान एवं विकास, (iv) उद्योग को तकनीकी सहायता।

vi. आईआईसीटी के विभिन्न शिक्षकों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि में शोध पेपर प्रस्तुत कर भागीदारी करते हुए विभिन्न मंचों में आईआईसीटी का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया।

vii. कालीन उद्योग के समकालीन विकास एवं हालिया चुनौतियों का सामना करने पर व्याख्यान देने के लिए उद्योग से उद्योग प्रायोजित व्याख्यान हेतु प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया गया।

(i) धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र (एमएचएससी)

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र, मुरादाबाद भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्थान है जो यूएनडीपी एवं उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। यह केंद्र टेस्टिंग, मेटल फिनिशिंग एवं संबद्ध धातु कला पात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर का संस्थान और मुरादाबाद के आस पास स्थित निर्यातकों को आवश्यक कौशल उन्नयन और तकनीक/सेवा प्रदान कर रहा है। धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की स्थापना सभी उन्नत प्रोद्योगिकी एवं लेकरिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग (गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, ब्रास,

क्रोम आदि), एंटिक फिनिश, पाउडर कोटिंग एवं सैंड/शॉट ब्लास्टिंग आदि और लेड एंड कैडमियम लिचिंग, लेड इन सर्फेंस कोटिंग, एफ़डीए टेस्ट एवं केलिफोर्निया प्रोप जैसी परीक्षण सुविधाओं के साथ की गई है।

एमएचएससी के विभिन्न विभाग–:

- इलेक्ट्रोप्लेटिंग अनुभाग – कॉपर, निकेल, गोल्ड, सिल्वर, टिन एवं ब्रास प्लेटिंग
- लेकरिंग अनुभाग
- पाउडर कोटिंग अनुभाग
- पोलिशिंग
- अनुसंधान, टेस्टिंग और केलिबरेशन प्रयोगशाला
- सैंड/शॉट ब्लास्टिंग
- भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण

निर्यातकों, विनिर्माताओं और कारीगरों के लिए सुविधाएं

1- नॉन-मेटलिक कोटिंग में टॉक्सिक मेटल्स
2- यूरोपीय निदेश के अनुसार 23 एलिमेंट्स का माइग्रेशन
3- भारी धातुओँ का विशिष्ट माइग्रेशन
4- जैविक विष एवं विषाक्त की पहचान
5- विषाक्त यौगिक की पहचान
6- स्टेनिंग टेस्ट
7- जीआरएएस टेस्ट
8- आरओएचएस टाइप – 3 टेस्ट

निर्यातकों को लाभ:-

सभी संबंधित टेस्ट सुविधाएं निर्यातकों के द्वार पर उपलब्ध होगी जो किफायती भी होगी। टेस्टिंग ग्राहकों की आवश्यकतानुसार परिणामों की क्वालिटी पर प्रभाव डाले बिना अल्प अवधि में की जाएगी। निर्यातकों को टेस्टिंग के लिए सैंपल दिल्ली या अन्य स्थानों पर नहीं ले जाने होंगे जिससे उनके समय एवं पैसों की बचत होगी। थर्ड पार्टी प्रेषित माल निरीक्षण सुविधाएं उनके दरवाजे पर उपलब्ध होगी। आरटीसी प्रयोगशाला द्वारा जारी टेस्ट प्रमाणपत्र विभिन्न देशों के अनेक विदेशी खरीददारों, बाईंग हाउसेस, एक्सपोर्ट हाउसेस और ट्रेड टैक्स आदि जैसे सरकारी विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

संस्थान की नवीनतम उपलब्धियां:

1. 01 अप्रैल, 2022 से नवंबर, 2022 तक एमएचएससी के धातु फिनिशिंग अनुभाग (एमएफ़एस) ने 14167617.00 रुपए का राजस्व प्राप्त किया जबकि 1 अप्रैल, 2021 से नवंबर, 2021 तक यह 9826921.00 रुपए था।
2. 01 अप्रैल, 2022 से नवंबर, 2022 तक एमएचएससी की आरटीसी प्रयोगशाला ने 2840010.00 रुपए का राजस्व प्राप्त किया जबकि 1 अप्रैल, 2021 से नवंबर, 2021 तक यह 2973195.00 रुपए था।
3. 01 अप्रैल 2021 से नवंबर, 2021 तक भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से धातु फिनिशिंग अनुभाग (एमएफ़एस), आरटीसी लेबोरेटरी एवं कौशल विकास गतिविधियों से कुल अर्जित राजस्व 1.7 करोड़ रुपए है जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 1.37 करोड़ रुपए था। केन्द्र में उपलब्ध डाटा के अनुसार, मुरादाबाद एवं आसपास के लगभग 1286 निर्यातकों, विनिर्माताओं, क्रेता/क्रेता एजेंटों और कारीगरों ने टेस्टिंग एवं प्रमाणीकरण या फिनिशिंग जैसे विविध रूपों में इसका लाभ उठाया है।
4. उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संस्थान उनकी केलिब्रेशन सुविधाओं जैसे प्रेशर, इलेक्ट्रिकल, थर्मल एवं डाईमेनशन बढ़ाने जा रहा है।
5. भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान (जी+4) के भवन का निर्माण प्रगति पर है।

Indian Institute of Handicrafts Technology (IIHT)

6. दिनांक 25.09.2022 को श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह, आईएएस, तत्कालीन वस्त्र सचिव, भारत सरकार द्वारा एचिंग एवं कटिंग सुविधाओं का उद्घाटन कर इसे मुरादाबाद तथा इसके आस पास के क्षेत्र के निर्यातकों, कारीगरों और विनिर्माताओं के लिए खोला गया।

7. धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र (एमएचएससी) ने उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद [ओडीओपी] के अंतर्गत भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान [आईआईएचटी] नामक हमारे प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से धातु शिल्प में 400 कारीगरों को प्रशिक्षित किया है।

एमएचएससी, मुरादाबाद में गणमान्य अतिथियों का हालिया दौरा।

(क) – श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, आईएएस (जिला न्यायधीश, मुरादाबाद) ने दिनांक 27.05.2022 को एक जिला एक उत्पाद [ओडीओपी] कार्यक्रम का उदघाटन किया।

(ख) – श्री योगेश कुमार सिंह (जेसी-डीआईसी/डीसी-डीआईसी, मुरादाबाद) ने दिनांक 08.07.2022 को एक जिला एक उत्पाद [ओडीओपी] योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए चयनित प्रशिक्षुओं के नए बैच का उदघाटन किया।

(ग)– श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह, आईएएस सचिव (वस्त्र), भारत सरकार, ने दिनांक 25.09.2022 को दौरा किया और सभी सेवाओं का निरीक्षण किया।

(iii) राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी

राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी (पूर्व में राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय) प्रगति मैदान, नई दिल्ली में स्थित है। यह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसके मुख्य उद्देश्यों में हस्तशिल्प और हथकरघा की भारतीय प्राचीन परंपराओं के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिल्पकारों, डिजाइनरों, निर्यातकों, विद्वानों और जन साधारण के लिए एक इंटरेक्टिव मंच प्रदान करना, शिल्पकारों को बिचौलियों के बिना विपणन मंच मुहैया कराना और भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा परंपराओं के लिए एक संसाधन

केंद्र के रूप में कार्य करना शामिल है। शिल्प नमूनों का संकलन, संरक्षण और परिरक्षण तथा कला और शिल्प का पुनरुद्धार, पुनरुत्पादन और विकास करना शिल्प संग्रहालय की प्राथमिक गतिविधियाँ हैं।

संग्रहालय दीर्घाएँ:

क्र. सं.	दीर्घा का नाम	प्रदर्शित वस्तुओं की संख्या
1	लोक एवं जनजातीय कला दीर्घा	538
2	कल्टिकदीर्घा	291
3	कोर्टलीशिल्प दीर्घा	112
4	वस्त्र दीर्घा	266
	कुल	1207

हस्तशिल्प एवं हथकरघा, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं को स्थायी दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। कलाकृतियों में धातु प्रतिमाएँ, अनुष्ठान संबंधी सामग्री, दैनिक जीवन की वस्तुएँ, काष्ठ नक्काशी, चित्रांकित काष्ठ और पेपर मेशी, गुड़ियाँ, मुखौटें, लोक एवं जनजातीय चित्र और मूर्तियाँ, टेराकोटा, लोक एवं जनजातीय आभूषणों सहित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों के एक पूरे खंड को प्रदर्शित किया गया है। इन दीर्घाओं में प्रदर्शित कलाकृतियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

संग्रहालय भंडारण के आधुनिक कम्पेक्टरों में 26,000 से अधिक हस्तशिल्प कलाकृतियों को वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत कर रखा गया है। भंडारण में उचित रूप से परिरक्षित कलाकृतियों को देखने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।

ग्राम परिसर :

संग्रहालय का ग्राम परिसर देश के विभिन्न भागों से विशिष्ट ग्रामीण संरचनाओं वाले ग्रामीण भारत को प्रतिबिंबित करता है, 1972 में, ग्रामीण भारत कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित, इस परिसर में देश के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताओं वाली कुटिया और मकानों, दीवारों एवं आंगन के प्रतिरूपों को उस क्षेत्र की पारंपरिक लोक कला के साथ सजाया गया है। परिसर में - कुल्लू कुटिया (हिमाचल प्रदेश); मेहर कुटिया (सौराष्ट्र, गुजरात); गडबाकुटिया (ओडिशा); बन्नी कुटिया (गुजरात); मधुबनी आंगन (बिहार); आदि कुटिया (अरुणाचल प्रदेश); निकोबार कुटिया (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह); आंगन (जम्मू-कश्मीर); राभा कुटिया (असम); नागा कुटिया (उत्तरी नागालैंड); टोडा कुटिया (तमिलनाडु); गोंड कुटिया (मध्य प्रदेश); देवनारायण के तीर्थ-स्थान (राजस्थान); बंगाली आंगन (पश्चिम बंगाल) हैं।

हवादार थिएटर (ओपन एयर थिएटर):

परिसर में चार ओपन एयर थिएटर भी विकसित किए गए हैं जिनके नाम हैं: कादम्बरी रंगमंच, सारंगा एम्फीथिएटर, आँगन मंच और पिलखान मंच।

शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम:

संग्रहालय वर्षभर के दौरान होने वाले अपने नियमित शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्प और

हथकरघा को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। शिल्पियों को अपने कौशल का प्रदर्शन और अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है। सरकार इन शिल्पियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं नि:शुल्क आवास की सुविधा प्रदान करती है। अप्रैल से नवंबर, 2022 तक 105 सिद्ध हस्तशिल्पियों एवं 41 लोक गीत/नृत्य कलाकारों नें शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम (सीडीपी) में भाग लिया।

पुस्तकालय:

संग्रहालय में एक विशेष संदर्भ पुस्तकालय है जिसमें पारंपरिक भारतीय कला, शिल्प, वस्त्र और भारतीय जनजातियों आदि पर प्रमुख मानवशास्त्रीय कार्यों की 10,000 से अधिक संदर्भ पुस्तकों के साथ अन्य पत्र-पत्रिकाएँ भी उपलब्ध हैं। सामान्य रूप में, विभिन्न संस्थानों के शोध छात्र और विद्यार्थी नियमित रूप से संग्रहालय में आते हैं। इस अवधि के दौरान लगभग 1414 पाठक इस पुस्तकालय में आए तथा 20 दिसंबर, 2022 तक 525 पुस्तकें जारी की गई।

संरक्षण और परिरक्षण

संरक्षण और परिरक्षण अनुभाग के मुख्य कार्यों में वर्ष भर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों/वस्तुओं की निवारक और उपचारात्मक देखभाल करना है। यह 143 वस्तुओं को खराब होने से बचाने और संरक्षित करने के लिए साफ कर रासायनिक उपचार किया गया है। इनके अलावा, गणिका प्रदर्शनी में प्रदर्शन के लिए 21 आभूषण वस्तुओं, 7 वस्त्रों और परिधानों को साफ करके तैयार किया गया। साथ ही, 22 वस्तुओं (पुस्तकों) पर फफूंदी व कीड़ों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया गया। इसके अतिरिक्त, एनजीएमए, बेंगलोर में आयोजित "विग्नेट विश्वकर्मा टेक्सटाइल्स: आर्ट एंड आर्टिस्ट्री" नामक ऋण प्रदर्शनी के लिए 23 बड़े विश्वकर्मा वस्त्रों की सतही सफाई की गई। इसके अलावा, 12 वस्तुओं की सफाई कर चालू प्रदर्शनी 'फाइन काउंट- इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स' के लिए तैयार किया गया। वस्तु की नमी और शिथिलता बनाए रखने के लिए आर्द्रीकरण कक्ष बनाया गया है।

कार्यशालाएँ एवं संगोष्ठियाँ/प्रदर्शन:

अप्रैल 2022 से नवंबर, 2022 की अवधि के दौरान शिल्प संग्रहालय ने विभिन्न प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया।

क्र सं.	कार्यक्रम/कार्यशाला/संगोष्ठी का नाम	अवधि	संगठन
1	कार्यशाला	21 सितंबर -22 सितंबर, 2022	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय और राष्ट्रीय डिज़ाइन केंद्र
2	एएचएएम पर कार्यशाला: राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तशिल्प कला अकादमी में समारोह	29 अक्तूबर, 2022	द मूव वेंट प्रोजेक्ट
3	राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तशिल्प कला अकादमी में बंकिम चन्द्र चटर्जी एवं झांसी की रानी पर प्रस्तुति	13 एवं 14 अगस्त, 2022	थिएटर ग्रुप 5 एलिमेंट्स
4	राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तशिल्प कला अकादमी में प्रलय की छाया,"चारी का बगीचा" एवं हंस पर प्रस्तुति	14 - 16 अक्तूबर, 2022	शून्य थिएटर ग्रुप

5	पारंपरिक भारतीय वस्त्रों, हस्तशिल्पों एवं शिल्प संग्रहालय पर 20 लघु चलचित्रों की स्क्रीनिंग	अप्रैल – नवंबर, 2022	श्रव्य दृश्य कक्ष एनसीएम एवं एचकेए

प्रदर्शनियाँ:

क्र. सं.	प्रदर्शनी का शीर्षक	अवधि	संगठन का नाम
1	थीमेटिक प्रदर्शनी 'टेराकोटा शिल्प'	28 जून- 05 जुलाई, 2022	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय
2	'कलयुग'	22 – 28 जुलाई, 2022	एनसीएम एवं एचकेए के सहयोग के साथ अक्तवा फाउंडेशन
3	वेदेही- सीता देह से परे	29 जुलाई – 15 अगस्त, 2022	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग के साथ एनसीएम एवं एचकेए
4	रंग साज	8 - 12 जुलाई, 2022	हार्ट आर्ट ग्रुप के सहयोग के साथ एनसीएम एवं एचकेए
5	तनेरिया	6 -10 अगस्त, 2022	टाटा ग्रुप के सहयोग के साथ एनसीएम एवं एचकेए
6	एक्ज़िम बाज़ार	3 – 6 सितंबर, 2022	एक्ज़िम बैंक के सहयोग के साथ एनसीएम एवं एचकेए
7	अनुभूति: लेंस एवं रंग के साथ	8 – 11 सितंबर, 2022	आईएसी (इंक्रेडिबल आर्ट एवं कल्चरल फ़ाउंडेशन) के सहयोग के साथ एनसीएम एवं एचकेए
8	गणिका – 19वीं – 20वीं शताब्दी के दृश्य कल्चर	28 अक्तूबर – 04 नवंबर, 2022	माटी फ़ाउंडेशन, नई दिल्ली के सहयोग के साथ एनसीएम एवं एचकेए
9	नवेली खादी (निफ़्ट)	30 सितंबर – 9 अक्तूबर, 2022	निफ़्ट के सहयोग के साथ एनसीएम एवं एचकेए
10	रंग सूत्र – समसमायिक कला प्रदर्शनी	15 - 30 अक्तूबर, 2022	देश के प्रख्यात कलाकारों के सहयोग के साथ एनसीएम एवं एचकेए
11	तिहाड़ जेल के कैदियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की प्रदर्शनी	1 – 30 अक्तूबर, 2022	

प्रतिनिधियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों का दौरा:

क्र. सं.	प्रतिनिधि मंडल	आगमन की तिथि
1	कुर्दिस्तान (इराक) में सुलेमानिया के राज्यपाल श्री हवाल अब्दुकर ने एनसीएम एवं एचकेए का दौरा किया	13 अप्रैल, 2022
2	फ्रांस के प्रतिनिधियों का दौरा	27 अप्रैल, 2022
3	60वें भारत जानो कार्यक्रम (नो इंडिया प्रोग्राम) के प्रतिभागियों का दौरा	28 अगस्त, 2022
4	भावी पीढ़ी लोकतांत्रिक कार्यक्रम के 5वें बैच के 21 प्रतिनिधियों का दौरा	10 सितंबर, 2022
5	भावी पीढ़ी लोकतांत्रिक कार्यक्रम के 6ठें बैच के विभिन्न देशों से 22 प्रतिनिधियों ने एनसीएम एवं एचकेए का दौरा किया	11 अक्तूबर, 2022
6	वस्त्र एवं कला अनुसंधान केंद्र सोसायटी के प्रतिनिधियों ने एनसीएम एवं एचकेए का दौरा किया	15 अक्तूबर, 2022
7	61वें भारत जानो कार्यक्रम (नो इंडिया प्रोग्राम) के प्रतिभागियों ने एनसीएम एवं एचकेए का दौरा किया	16 अक्तूबर, 2022

संग्रहालय आगंतुक:

भारतीय	29,517
बच्चे एवं छात्र	15,214
विदेशी	1,792

सीएसआर परियोजना के अंतर्गत कार्य की प्रगति:-

मेसर्स बीपीसीएल ने संग्रहालय भंडारण कार्य एवं दस्तावेजीकरण/डिजिटल संग्रहण के पुनर्निर्माण हेतु 13.13 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए। आज तक, 9.81 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया। संग्रहालय के भंडार कक्ष के पुनर्निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। उच्च स्तरीय फोटोग्राफी, 3डी स्केनिंग कार्य, वर्चुअल वास्तविक कार्य और सॉफ्टवेयर विकास कार्य भी अंतिम चरण में है। दस्तावेजीकरण के कार्य को पूर्ण होने में अभी 6 माह और लगेंगे।

अध्याय X

वस्त्र क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संबंधी पहलें

10.1 वस्त्र मंत्रालय में डिजिटल तैयारी

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की डिजिटल पहल का सक्रिय रूप से सवंर्धन कर रहा है; डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं पारदर्शी हो और नागरिकों को आसानी से प्राप्त हो सकें। मंत्रालय का आईटी प्रभाग, नेटवर्क अवसंरचना में सुधार करने और एप्लीकेशन सिस्टम को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पर उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अधिकांश एप्लीकेशन नेशनल क्लाउड सर्विसेज (मेघराज) पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मंत्रालय और इसके संगठनों की अधिकांश योजनाएं और सेवाएं कभी भी कहीं भी नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

सरकार के विजन और मिशन को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने अपनी ई-गवर्नेंस सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु कई पहलें की हैं। ई-ऑफिस स्यूट, ई-खरीद आदि जैसे जी2जी/जी2बी/जी2ई एप्लीकेशनों को क्रियांवित किया गया है। मंत्रालय और इसके संगठन, नियमित आधार पर विभिन्न राज्यों और विभागों के साथ व्यापक रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी डेस्कटॉप वीडियो क्रांफ्रेंस सुविधा दी गई है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय, संबद्ध कार्यालयों के अधिकारियों के लिए विभिन्न एप्लीकेशनों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये प्रशिक्षण मंत्रालय में एनआईसी के स्थानीय सेट अप और एमईआईटीवाई पर आयोजित किए गए।

एनआईसी-वस्त्र सूचना प्रभाग, मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों को तकनीकी और कार्यात्मक सहायता प्रदान कर रहा है। यह वेबसाइट के विकास, कार्यान्वियन, रख-रखाव और समन्वय तथा उसकी 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। वे क्लाउड पर विभिन्न ऑनलाइन ई-गवर्नेंस सेवाओं, विभिन्न एप्लीकेशनों के विकास/विस्तार, नेटवर्क सहायता सेवाएं प्रदान कराने और आईसीटी अवसंरचना के रख-रखाव को भी सहज बनाते हैं।

10.2 वेबसाइट प्रबंधन

वस्त्र मंत्रालय की सामग्री प्रबंधन रूपरेखा (सीएमएफ) आधारित वेबसाइट का रखरखाव नियमित आधार पर किया जा रहा है। संबंधित कर्मचारियों/प्रभागों द्वारा वेबसाइट की सामग्री का समय पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) शुरू की गई है। सामग्रियों की नियमित आधार पर समीक्षा भी की जा रही है।

10.3 आईसीटी अवसंरचना का उन्नयन

हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और लैन/वैन/पीसी के बेहतर निष्पादन के लिए एनआईसी नेटवर्क प्रभाग द्वारा आवश्यक उन्नयन किया जाता है। साइबर सुरक्षा संबंधी स्थिति का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार और प्रबंधनीय नेटवर्क उपकरण लगाने और फायरवाल नियमों आदि को अद्यतन करने जैसे आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

10.4 ई-गवर्नेंस

इन-हाउस वर्क-फ्लो को मजबूत करने के लिए नई विशेषताओं के साथ वेब आधारित ई-ऑफिस स्यूट को उन्नत किया गया है। रिकॉर्डों और फाइलों का डिजीटलीकरण पहले ही किया गया है। मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों (विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में ई-ऑफिस पहले ही क्रियान्वित किया गया है, मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए ई-ऑफिस पर नियमित व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसे अपने अधीनस्थ कार्यालयों (वस्त्र

आयुक्त का कार्यालय, मुंबई और पटसन आयुक्त, कोलकाता) में भी लागू किया गया है। अधिकारियों को घर से और दौरे के दौरान काम करने में सक्षम बनाने के लिए वेब वीपीएन बनाए गए हैं। फाइल बनाने, उसके मूवमेंट आदि में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र/ई-हस्ताक्षर को क्रियान्वित किया गया है और संबंधित अधिकारियों द्वारा इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

10.5 नई पहलें

1. वस्त्र मंत्रालय के लिए पीएलआई पोर्टल

एनआईसी ने वस्त्र मंत्रालय के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) पोर्टल को डिजाइन और विकसित किया है। यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य पीएलआई योजनाओं में से एक है। इसका यूआरएल https://pli.texmin.gov.inहै।

कार्यात्मकता:

- औद्योगिक और व्यक्तिगत प्रकार के आवेदन का पंजीकरण
- पार्ट-I के लिए पंजीकृत आवेदक द्वारा भागीदारी के उद्देश्य के लिए आवेदन प्रस्तुत करना जिसमें न्यूनतम 300 करोड़ रुपए का निवेश किया गया हो और पार्ट-II जिसके लिए न्यूनतम 100 करोड़ का निवेश किया गया हो।
- क्रम-वार प्रस्ताव को भरने के लिए टैब फॉरमेट में साधारण फार्म को आसान बनाना।
- ई-भुगतान और ई-हस्ताक्षर की विशिष्टता क्रियान्वित की गई
- पावती और एमआईएस का सृजन
- मंत्रालय का डैश बोर्ड तैयार किया गया
- चरण-I का विकास पूरा हो गया है और आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। डेटा के विज़ुअलाइज़ेशन के लिए एपीआई के माध्यम से प्रयास पोर्टल के साथ एकीकरण भी किया गया है। वर्तमान में अन्य मॉड्यूल जैसे: आवेदकों / भाग लेने वाली कंपनियों के लिए क्वेरी सिस्टम, तिमाही समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर) का विकास किया जा रहा है।

2. वस्त्र मंत्रालय का डैश बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय का डैशबोर्ड बनाया गया है और इसे एनआईसी के दर्पण ढांचे का प्रयोग करके विकसित किया गया है। संबंधित प्रयोक्ताओं को पहले ही प्रशिक्षण दिया गया है और परियोजना प्रशासकों ने अपनी योजनाओं/परियोजनाओं के आंकड़ों का प्रबंधन करने के लिए बनाया है। डैशबोर्ड सार्वजनिक डोमेन में है।

3. माई हैंडीक्राफ्ट पोर्टल

माई हैंडीक्राफ्ट पोर्टल - विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की सभी योजनाओं का एंड टू एंड डिजिटलीकरण करने के लिए एक व्यापक पोर्टल विकसित करने के प्रयास किए गए हैं। इस पहल के अंतर्गत कालीन विविंग प्रशिक्षण योजना विकसित की गई है।

4. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम)

एनआईसी ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के लिए वेबसाइट और एक पोर्टल डिजाइन और विकसित किया है। इसके चार घटक हैं:

i) अनुसंधान, नवाचार और विकास

ii) संवर्धन और बाजार विकास

iii) निर्यात संवर्धन

iv) शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के तहत प्रमुख अनुसंधान संस्थानों द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं के लिए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं।

अध्याय XI

राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

11.1 राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यकलाप

हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है और सरकार की राजभाषा नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक प्रयोग में वृद्धि सुनिश्चिति करना है। सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वियन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

11.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अधिसूचनाओं, संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों आदि जैसे सभी दस्तावेज और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने वाले सभी कागजातों को द्विभाषी रूप से अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया।

मंत्रालय में, राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 का अनुपालन उसकी मूल भावना के अनुरूप किया जा रहा है।

11.3 निगरानी और निरीक्षण

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की जाती है तथा समय-समय पर निरीक्षण के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा और विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षणों के दौरान उनमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कार्यालयों को अपेक्षित सुझाव/निदेश दिए जाते हैं। संबंधित कार्यालयों द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

11.4 अनुवाद कार्य

वस्त्र मंत्रालय से संबंधित विभिन्न मंत्रिमंडल टिप्पणियों, अधिसूचनाओं, पीएलआई के दिशानिर्देशों, सामान्य आदेशों, निविदाओं, बजट संबंधी दस्तावेजों, आउटपुट-आउटकम, अनुदान माँगों, वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय प्रश्नोत्तरों, संसदीय आश्वासनों, श्रम संबंधी स्थायी समिति व अन्य संसदीय समितियों से संबंधित कागजात, वस्त्र मंत्री एवं वस्त्र राज्य मंत्री के कार्यालय से प्राप्त विभिन्नं कागजात तथा प्रेस विज्ञप्तियों आदि का अनुवाद मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा नियमित रूप से समयबद्ध आधार पर किया जाता है।

11.5 हिंदी पखवाड़ा एवं पुरस्कार वितरण समारोह

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, इस वर्ष भी मंत्रालय में 14 से 28 सितंबर, 2022 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी पखवाड़े की शुरूआत सचिव, (वस्त्र) द्वारा 14 सितंबर, 2022 को दीप प्रज्वलन और मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा प्रतिज्ञा दिलाकर की गई। सरकारी कामकाज हिंदी में करने को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने हेतु पखवाड़े के दौरान **हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी अनुवाद एवं भाषा ज्ञान, हिंदी निबंध, हिंदी वाद-विवाद, हिंदी कविता पाठ, हिंदी टंकण एवं हिन्दी श्रुतलेख आदि प्रतियोगिताएं** आयोजित की गईं। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंत्रालय में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए हिन्दी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वस्त्र मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकतम कार्य हिंदी में करने को प्रेरित करने के लिए **हिंदी दिवस** के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, वस्त्र मंत्री, वस्त्र राज्य मंत्री और सचिव (वस्त्र) की अपीलें परिचालित की गईं।

मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी विषयक विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल घोषित किए गए सभी प्रतिभागियों को दिनांक 14 अक्तूबर, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राजभाषा सम्मेलन और राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह एवं काव्य संध्या, के दौरान श्री यू.पी. सिंह, सचिव (वस्त्र) द्वारा पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही **"सरकारी कामकाज (नोटिंग/ड्राफ्टिंग) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना"** में भाग लेने वाले सफल प्रतिभागियों को भी सचिव (वस्त्र) द्वारा पुरस्कृत किया गया।

11.6 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आर्थिक सलाहकार एवं प्रभारी राजभाषा की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित निर्णयों के अनुपालन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई समयबद्ध आधार पर की जाती है।

सचिव (वस्त्र), विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में वस्त्र मंत्रालय के विजयी अधिकारियों/कर्मचारियोंको पुरस्कृत करते हुए।

11.7 हिंदी सलाहकार समिति

मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किए जाने की कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है। समिति का गठन हो जाने के पश्चात नियमित रूप से इसकी बैठक आयोजित की जाएगी।

11.8 हिंदी कार्यशाला

मंत्रालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन नियमित रूप से प्रत्येशक तिमाही में किया जाता है। इन कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञ/अतिथि वक्ता को आमंत्रित किया जाता है। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति रूचि पैदा करने और हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए मंत्रालय में आयोजित प्रत्येक कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यशाला के विषय से संबधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस प्रश्नोतरी में सफल होने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है।

अध्याय XII

एससी/एसटी/महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय

12.1 रेशम क्षेत्र:

वर्ष 2022-23 के दौरान सिल्क समग्र योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और आदिवासी उप-योजना (टीएसपी) का क्रियान्वयन

12.1.1. अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी):

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान रेशम उत्पादन के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए 25.00 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

12.1.2. जनजातीय उप-योजना (टीएसपी):

वर्ष 2022-23 के दौरान, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने आदिवासी उप-योजना (टीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए 15.00 करोड़ रुपए की राशि और आदिवासी रेशम उत्पादन हितधारकों के कल्याण के लिए पूर्वोत्तर आदिवासी (एनईटी) श्रेणी के अंतर्गत 20.00 करोड़ रुपए स्वीकृत की है। अक्तूबर, 2022 तक लाभार्थी उन्मुख घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को टीएसपी के तहत 7.5 करोड़ रुपए और एनईटी के तहत 10.00 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

12.1.3 लैंगिक न्याय एवं लैंगिक बजट

(क) रेशम

लैंगिक न्याय एवं लैंगिक बजट

रेशम उत्पांदन अपने कम निवेश, अधिक सुनिश्चित आय, अल्प परिपक्वता अवधि और आय को बढ़ाने के अधिक अवसरों तथा वर्ष भर परिवार के सदस्यों के लिए रोजगार सृजन के कारण सीमांत तथा छोटे स्तर के भू-स्वामियों के लिए उपयुक्त है। रेशम उत्पादन महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए भी संभावनाएं उपलब्ध कराता है। यह अनुमान है कि रेशम उत्पादन में कार्यरत लोगों में से 55% से अधिक महिलाएं हैं। महिलाएं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उत्पादन तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं जिससे वे परिवार तथा समाज में अधिक पहचान तथा सम्मान प्राप्त होने में समर्थ बनती हैं।

औसतन 30% महिला लाभार्थी केंद्रीय क्षेत्र की योजना **'सिल्क समग्र'** (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना) के अंतर्गत शामिल हैं। सीएसबी का आरएंडडी संस्थान रेशम उत्पादन में महिलाओं की और अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रेशम उत्पादन श्रृंखला से संबंधित सभी क्रियाकलापों में नीरसता को कम करने पर बल देता है।

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए सिल्क समग्र (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना) के अंतर्गत सीएसबी में एससी/एसटी तथा महिला कर्मचारियों से संबंधित जनशक्ति व्यय का विवरण तथा आबंटन क्रमश: **अनुबंध-I तथा II** में दर्शाया गया है।

अनुबंध-I

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास योजना **[करोड़ रुपए में]**

क्र. सं.	योजना का विवरण	बी. ई. 2022-23 (एमओटी द्वारा अनुमोदित)		आर.ई. 2022-23 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)		बी. ई.2023-24 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)	
		कुल आबंटन	एससी/ एसटी का हिस्सा	कुल आबंटन	एससी/ एसटी का हिस्सा	कुल आबंटन	एससी/ एसटी का हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशासनिक लागत (सीएसबी के कर्मचारियों का वेतन/ मजदूरी) पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभ छोड़कर	492.78	122.71	530.15	121	565.00	143
2	रेशम उत्पादन का विकास	382.22	60	394.85	60.00	354.66	60.00
	कुल	875.00	182.71	925.00	181	919.66	203
	प्रतिशतता (%)	20.88		19.57		22.07	

अनुबंध - II

महिला विकास योजना **[करोड़ रुपए में]**

क्र. सं.	योजना का विवरण	बी. ई. 2022-23 (एमओटी द्वारा अनुमोदित)		आर.ई. 2022-23 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)		बी. ई. 2023-24 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)	
		कुल आबंटन	महिलाओं का हिस्सा	कुल आबंटन	महिलाओं का हिस्सा	कुल आबंटन	महिलाओं का हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशासनिक लागत (सीएसबी के कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी) पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभों को छोड़कर	492.78	98.56 (20%)	530.15	106.03 (20%)	565.00	113.00 (20%)
2	रेशम उत्पादन का विकास	382.22	114.67 (30%)	394.85	118.46 (30%)	354.66	106.40 30%
	कुल	875.00	213.23	925	224.49	919.66	219.40

12.2 दिव्यांगजन

पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 33 के तहत दिव्यांगजन के लिए आरक्षित 3% रिक्तियों के सापेक्ष समूह 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' में विभिन्न पदों पर उनकी संख्या नीचे दी गई है:

क्रम सं.	कार्यालय/संगठन	समूह ए		समूह बी		समूह सी		समूह डी	
		एसएस	पीडब्ल्यू की सं.	एसएस	पीडब्ल्यू की सं.	एसएस	पीडब्ल्यू की सं.	एसएस	पीडब्ल्यू की सं.
1.	वस्त्र मंत्रालय	44	01	84	02	51	00	छठे सीपीसी की सिफारिश के अनुसार समूह घ का समूह ग के साथ विलय कर दिया गया है।	
2.	विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय और उसके संगठन	102	-	288	02	715	13		
4.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	69	NIL	45	2	637	5		
5.	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन	162	1	123	4	7260	53		
6.	द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	80	3	84	0	1022	14		
7.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	1213	08	472	02	1251	01		
8.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	65	01	241	03	325	04		
9.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय	40	--	398	--	1383	07		
10.	भारतीय पटसन निगम	164	00	77	04	196	06		
11.	वस्त्र समिति का कार्यालय	80	1	156	1	280	2		
12.	केंद्रीय रेशम बोर्ड	576	**11**	1009	**16**	524	**14**		

एसएस: स्वीकृत संख्या पीडब्लूडी : दिव्यांग व्यक्ति

12.3 वस्त्र मंत्रालय द्वारा खेल-कूद पहल

वस्त्र मंत्रालय भी अपने कर्मचारियों के बीच खेल-कूद को बढ़ावा देता है और उन्हें डीओपीटी द्वारा आयोजित अंतर-मंत्रालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाल ही में, टीम ने अंतर-मंत्रालय क्रिकेट टूर्नामेंट, 2022-23 में भाग लिया, जिसमें कुल 51 मंत्रालयों/विभागों ने भाग लिया। वस्त्र मंत्रालय की क्रिकेट टीम ने पहली बार

सेमीफाइनल में जगह बनाई। यह मंत्रालय के साथ-साथ टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए भी गर्व का क्षण था।

(टीम मैनेजर: श्री आशुतोष कुमार झा, अमन कुमार (कप्तान), राहुल गुलिया, कपिल मलिक, पंकज उधास, तरूण जोशी, परीक्षित थपलियाल (विकेटकीपर), गौरव बिष्ट, आशीष मदान, केशव, ओम प्रकाश, देवेंद्र, रंजीत राही, मुकेश कुमार मीणा, आदर्श सिंह, ललित कुमार, दिव्य योगेश बस्सी, स्व.श्री शशि।)

अध्याय XIII

सतर्कता कार्यकलाप

13.1. मंत्रालय की सतर्कता इकाई के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो मंत्रालय के संयुक्त सचिव/अपर सचिव स्तर के अंशकालिक सीवीओ हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग की मंजूरी से की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय की सतर्कता व्यवस्था में नोडल बिन्दु हैं और उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- कदाचार/लालच संबंधी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना;
- शिकायतों की जांच करना और उन पर जांच/जांच पड़ताल संबंधी उपयुक्त उपायों की पहल करना;
- निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा अपेक्षित टिप्पणियों सहित वास्तविक रिपोर्ट/जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में समुचित कार्रवाई करना;
- जहां कहीं आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की पहले और दूसरे स्तर की सलाह प्राप्त करना और जहां कहीं आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- आरोपी अधिकारी पर लगाए जाने वाले दंड की मात्रा पर संघ लोक सेवा आयोग की सांविधिक सलाह प्राप्त करना।
- वस्त्र मंत्रालय में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित सतर्कता स्वीकृति जारी करना और मंत्रालय के अंतर्गत कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में सीवीसी से सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना।
- सहमत सूची और संदिग्ध सत्यानिष्ठा और अनिच्छुक संपर्क व्यक्तियों (यूसीएम) की सूची तैयार करना।
- मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठनों में सीवीओ/ अंशकालिक सीवीओ की नियुक्ति/विस्तार से संबंधित कार्य।
- प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना और सीवीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

13.2. अभी वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यशील निम्म्लिखित संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के 5 पद स्वीकृत हैं:

(i) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी लि.)

(ii) भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई लि.)

(iii) भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई लि.)

(iv) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)

(v) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एवं हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम एक्सपोर्टस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईसी एवं एचएचईसी लि.)।

उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यशील संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों में अंशकालिक मुख्यं सतर्कता अधिकारी/ सतर्कता अधिकारी हैं। तथापि, इन कार्यालियों के सतर्कता गतिविधियों की समस्त जिम्मेदारी वस्त्र मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास होती है।

13.3. मुख्य रूप से कदाचार तथा लालच संबधी संवेदनशील अथवा संभावित क्षेत्रों की पहचान पर बल देते हुए निवारक सतर्कता की ओर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाता है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जाता है। की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है:

(i) मंत्रालय में संवेदनशील प्रकृति के क्षेत्रों की पहचान की जाती है और उन पर नजर रखी जाती है।

(ii) सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाया गया है और कदाचार से बचने के लिए उचित संस्थागत प्रणालियां लागू की गई हैं।

(iii) वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों को समय-समय पर सीवीसी, लोक उद्यम विभाग और डीओपीएंडटी के परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार अपने आचरण, अनुशासनिक और अपील नियमावली को संशोधित और अद्यतन करने का अनुरोध किया गया है। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत सभी संगठनों के अलावा सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानांतरण नीति का अनुपालन किया गया है।

13.4. चालू वित्त

वर्ष (31.01.2023 तक) के दौरान विभिन्न स्रोतों अर्थात केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय पोर्टल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा व्यक्तियों से 60 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक डिवीजनों और सीवीओ को समय पर अग्रेषित करके कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। सीवीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ शिकायतों पर जांच रिपोर्ट/की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है।

13.5. कैलेंडर वर्ष के दौरान चार अनुशासनात्मक मामले, एक वस्त्र मंत्रालय (समुचित सचिवालय) और तीन अधीनस्थ कार्यालय (टीएक्ससी) के, विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं। मंत्रालय में/उसके अधीन कार्यरत लगभग 180 अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता अनापत्ति जारी की गई है। पीएसयू में बोर्ड स्तर के अधिकारियों के चार मामलों को सीवीसी से सतर्कता मंजूरी लेने के लिए आगे भेजा गया है।

13.6. दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 मनाया गया, जो 31.10.222 को शपथ ग्रहण समारोह के साथ शुरू हुआ, जिसे दिनांक 31.10.2022 को सचिव (वस्त्र) द्वारा पूर्वाह्न 11.00 बजे मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिलाया गया।

13.7. दिनांक 01.11.2022 को अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग दोनों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध लेखन प्रतियोगिता का विषय "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" था। दिनांक 02.11.2022 को अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग दोनों के लिए "सतर्कता प्रशासन में सहभागी सतर्कता की भूमिका" विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिनांक 03.11.2022 को अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए "सतर्कता मामलों में होने वाली सामान्य गलतियाँ" विषय पर एक संवेदीकरण सत्र भी आयोजित किया गया। सभी कार्यक्रमों के लिए उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

13.8. समापन समारोह दिनांक 4.11.2022 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित किया गया और निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। सभी कार्यक्रम एक पेशेवर और समयबद्ध मामले में सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जिसमें मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया।

सत्यमेव जयते

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली

www.ministryoftextiles.gov.in